



**भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए**



**संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
थल सेना, आयुध निर्माणियां और
रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
2016 की प्रतिवेदन संख्या-19**

**भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
थल सेना, आयुध निर्माणियां और
रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
2016 की प्रतिवेदन संख्या-19**

विषय-सूची

पैराग्राफ		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii
अध्याय I : भूमिका		
1.1	लेखापरीक्षित संस्थाओं की रूपरेखा	1
1.2	लेखापरीक्षा का प्राधिकार	2
1.3	लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया	2
1.4	प्रतिवेदन की संरचना	3
1.5	वित्तीय पहलू और बजटीय प्रबंधन	3
1.6	अनुदान सं.22 से 27 तक - रक्षा सेवाओं के अनुमान	5
1.7	थल सेना, आयुध निर्माणियाँ और अनुसंधान एवं विकास (पूँजीगत एवं राजस्व) से संबंधित व्यय (दत्तमत) का ब्यौरा-अनुदान सं.22,25,26 और 27	7
1.8	राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति(दत्तमत)	9
1.9	पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति-मुख्य शीर्ष- 4076 अनुदान सं. 27 - रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	12
1.10	लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया	13
1.11	पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गई कार्यवाही	14
अध्याय II: रक्षा मंत्रालय		
2.1	महानिदेशक पुनर्वास (डी जी आर) का प्रकार्य	15
2.2	भारतीय सेना में राशन का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन- अनुवर्ती लेखापरीक्षा	44
2.3	इस्तेमाल के दौरान अनुकूल नहीं पाई गई पर्यावरणिक नियंत्रण इकाइयों की अधिप्राप्ति	58
2.4	सेना के कनिष्ठ कमीशन अधिकारियों को दिए गए क्षेत्र भते पर आयकर की गैर-कटौती	60
2.5	73.826 एकड़ माप की कम भूमि का अधिग्रहण	61

अध्याय III : थल सेना		
3.1	परीक्षण प्रयोजनों के लिए रेडियो सेटों की अनुचित खरीद	64
3.2	निजी संस्थान में सेवा कार्मिकों की अनियमित रूप से तैनाती	66
3.3	अतिरिक्त लॉण्डी सुविधा की अनियमित संस्वीकृति	68
3.4	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियाँ / बचतें और लेखाओं में समायोजन	70
अध्याय IV : कार्य एवं सैन्य इंजीनियर सेवार्यें		
4.1	परिचालन सैन्य आवश्यकताओं के लिए संस्वीकृत कार्यों के पूरा होने में अत्यधिक विलंब	71
4.2	अधिकारी श्रेणी से निम्न कार्मिकों से जल प्रभारों की गैर-वसूली	73
अध्याय V : सीमा सड़क संगठन		
5.1	पुलों के लिए अनुचित स्थलों का चुनाव	75
5.2	उचित आवश्यकता के आकलन के बिना क्रेनों की खरीद	77
अध्याय VI : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन		
6.1	मोबाइल नाइट्रोजन गैस उत्पादन संयंत्र की परिहार्य अधिप्राप्ति	80
6.2	सामग्री की निष्फल खरीदारी	81
अध्याय VII : आयुध निर्माणी संगठन		
7.1	आयुध निर्माणी संगठन का निष्पादन	84
7.2	योजना विलम्ब से आदेश देने के कारण अतिरिक्त व्यय	93
7.3	उपस्करों की अधिप्राप्ति एवं स्थापना में विफलता के कारण बचत की हानि	95
7.4	मशीनरी की अधिप्राप्ति एक मशीन के परिचालन में विफलता	99
7.5	विनिर्माण कार्टिज केसों का अविवेकपूर्ण उत्पादन	102
7.6	विविध अस्वीकृत फ्यूज को न बदलने के कारण सामान का अवरोधन	105
7.7	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली	108

अध्याय VIII : रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम		
8.1	रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डी पी एस यू) द्वारा आपूर्ति में विलम्ब	110
8.2	सीमा शुल्क की छूट का लाभ न उठाने के कारण परिहार्य हानि	137
अनुलग्नक		
	अनुलग्नक-I	141
	अनुलग्नक-II	144
	अनुलग्नक-III	145
	अनुलग्नक-IV	146
	अनुलग्नक-V	147
	अनुलग्नक-VI	148
	अनुलग्नक-VII	152
	अनुलग्नक-VIII	154
	अनुलग्नक-IX	155
	अनुलग्नक-X	156
	अनुलग्नक-XI	158

प्रस्तावना

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 2014-15 में थल सेना, आयुध निर्माणियों, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सैन्य अभियंता सेवाएँ तथा सीमा सड़क संगठन से संबंधित रक्षा मंत्रालय की परियोजनाओं/स्कीमों की वित्तीय लेन-देन तथा निष्पादन समीक्षाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं। 2014-15 के लिए रक्षा सेवाओं के वित्तीय और विनियोजन लेखाओं से उद्भूत मामले 2015 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.50 (वित्तीय लेखापरीक्षा) में शामिल किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत उल्लेखित हैं जो 2014-15 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुए तथा जो पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगत हुए, किंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रिपोर्ट नहीं किए जा सके, 2014-15 की परवर्ती अवधि से संबंधित मामलों को भी जहाँ कहीं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप यह लेखापरीक्षा की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर रक्षा मंत्रालय से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए थल सेना, आयुध निर्माणियां, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सैन्य अभियंता सेवाएं तथा सीमा सड़क संगठन से संबंधित रक्षा मंत्रालय की परियोजनाओं/स्कीमों की वित्तीय लेनदेन की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन समीक्षाओं के परिणाम समाविष्ट हैं।

प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं:

महानिदेशक पुनर्वास का प्रकार्य

महानिदेशक पुनर्वास (डी जी आर) की स्थापना सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सेना कर्मियों को प्रशिक्षण के माध्यम से अतिरिक्त कौशल से शक्ति संपन्न करने और आगे रोज़गार/स्वरोज़गार योजनाओं के माध्यम से दूसरी जीविका चुनने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी। तथापि हमने देखा कि डी जी आर भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन तथा पुनर्वास के इन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60,000 सेना कर्मियों की प्रत्याशाओं को पूरा नहीं कर सका। गत पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षण पर ₹90.98 करोड़ का व्यय किए जाने के बाद भी यह सुनिश्चित करने कि प्रशिक्षित कर्मिक अंततः पुनर्नियुक्त किए गए थे, के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं हुआ था। डी जी आर द्वारा चलाए जा रहे वर्तमान रोज़गार एवं स्वरोज़गार योजनाएं 10 वर्षों से अधिक पुरानी थीं और इसलिए कार्य संचालन के बदलते परिवेश में इन योजनाओं की प्रभावकारिता नष्ट हो चुकी थी। हमने पाया कि गत दस वर्षों में रोज़गार अथवा स्वरोज़गार की कोई नई योजनाएं आरंभ नहीं की गई थीं।

(पैराग्राफ 2.1)

भारतीय सेना में राशन का आपूर्ति शृंखला प्रबंधन- अनुवर्ती लेखापरीक्षा

मंत्रालय ने मार्च 2013 में दी गई स्वीकृति तथा आश्वासन के बावजूद राशन के आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के क्रियाकलापों से सीधे संबंधित पी ए सी की 12 में से केवल दो सिफारिशें कार्यान्वित की। परिणामतः राशन के संभरण/ अधिप्राप्ति, जांच, वितरण से संबंधित क्रियाकलापों को नहीं सुधारा जा सका तथा सैनिकों का संतुष्टि स्तर, विशेषकर उत्तरी तथा पूर्वी कमान में, निम्न रहा।

(पैराग्राफ 2.2)

इस्तेमाल के दौरान अनुकूल नहीं पाई गई पर्यावरणिक नियंत्रण इकाइयों की अधिप्राप्ति

इंजन के निरंतर अतितापन के बावजूद प्रयोक्ता परीक्षण दल ने इन्फैन्ट्री युद्ध वाहनों में फिट करने हेतु पर्यावरणिक नियंत्रण इकाइयों (ई सी यू) की अधिप्राप्ति की सिफारिश की। तदनुसार, 2009 और 2010 में ₹219.48 करोड़ मूल्य की 2,077 ई सी यू की अधिप्राप्ति की गई थी। तथापि आई सी वी इंजनों के अतितापन एवं उनकी कार्यकुशलता की कमी के कारण ई सी यू को फिट नहीं किया जा सका था। अतः ई सी यू किसी प्रभावी प्रयोग के बिना पड़े हुए हैं।

(पैराग्राफ 2.3)

सेना के कनिष्ठ कमीशन अधिकारियों को दिए गए क्षेत्र भत्ते पर आयकर की गैर कटौती

भुगतान एवं लेखा अधिकारी (अन्य रैंकों), आहरण और संवितरण अधिकारियों के रूप में, सेना में कनिष्ठ कमीशन अधिकारियों से तय छूट सीमा से अधिक के क्षेत्र भत्ते पर आयकर की वसूली नहीं कर पाए। इस तरह के गैर-वसूली वाले कर की राशि 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान ₹5.05 करोड़ तक पहुँच गई।

(पैराग्राफ 2.4)

परीक्षण प्रयोजनों के लिए रेडियो सेटों की अनुचित खरीद

सेना मुख्यालय ने 2006 में क्षेत्र परीक्षणों के लिए आवश्यकता से अधिक ₹21.90 करोड़ मूल्य के 322 रेडियो सेटों की अधिप्राप्ति की। बक्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए अधिप्राप्त इन सेटों का परीक्षणों के लिए प्रयोग नहीं किया गया था तथा इन्हें स्टार V मार्क II विशिष्टताओं के संगत बनाने के लिए उन्नयन आवश्यक है, जिसके लिए ₹11.27 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 3.1)

निजी संस्थान में सेवा कार्मिकों की अनियमित रूप से तैनाती

यद्यपि सेना आयुर्विज्ञान कॉलेज अपनी खुद की शिक्षण सुविधाएं स्थापित करने में प्रक्रियाधीन था, मंत्रालय ने पांच वर्षों की अवधि के लिए सरकारी अस्पतालों के आंशिक संकाय का उपयोग करने की संस्वीकृति दी। तथापि सेना मुख्यालय ने

विभिन्न कोर/इकाइयों से लिपिकीय काम के लिए सेवा कार्मिकों को तैनात किया, जो मंत्रालय की संस्वीकृति में शामिल नहीं था।

(पैराग्राफ 3.2)

लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियाँ / बचतें और लेखाओं में समायोजन

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाइयों ने अधिदत्त वेतन और भत्तों, विविध शुल्कों, प्रशिक्षण शुल्कों की वसूली की थी, अनियमित संस्वीकृतियों को रद्द कर दिया और वार्षिक लेखाओं में संशोधन किया, जिससे ₹184.73 करोड़ का शुद्ध प्रभाव रहा।

(पैराग्राफ 3.4)

परिचालन सैन्य आवश्यकताओं के लिए संस्वीकृत कार्यों के पूरा होने में अत्यधिक विलंब

एक भूमिगत ऑपरेशन थियेटर (यू जी ओ टी) का निर्माण करने में सैन्य अभियंता सेवाओं द्वारा दस वर्षों तक का अत्यधिक विलंब हुआ, जिससे प्रचालन में लगे सैन्य दल को इस सुविधा से वंचित होना पड़ा। एक सैन्य अस्पताल (एम एच) की परिचालन सैन्य आवश्यकताओं के लिए यह कार्य संस्वीकृत किया गया था तथा ₹1.54 करोड़ की लागत पर निर्माण कार्य पूरा किया गया था, तब तक एम एच को एक अलग जगह पर ले जाया गया था। परिसंपत्तियां अब अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं।

(पैराग्राफ 4.1)

पुलों के लिए अनुचित स्थलों का चुनाव

महानिदेशक सीमा सड़क मुख्यालय द्वारा अव-मृदा जाँच (एस एस आई) कराए बिना ही स्थलों के चुनाव के परिणामस्वरूप, बाद में कार्य को समय पूर्व बंद करना पड़ा क्योंकि मृदा स्तर को पुलों के निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया था। एस एस आई के लिए दिए गए विशिष्ट अनुदेशों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹2.53 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

उचित आवश्यकता के आकलन के बिना क्रेनों की खरीद

महानिदेशक सीमा सड़क ने दो लेटिस क्रेनों की मांग के प्रति सात क्रेनों की अधिप्राप्ति की, जिनकी क्षमता विभिन्न सीमा सड़क परियोजनाओं के लिए मांगी गई

और अनुमोदित क्षमता से दोगुने से भी अधिक थी। विशाल आकार और पर्याप्त आवश्यकता के अभाव के कारण 2012 में अधिप्राप्त की गई ₹6.81 करोड़ की लागत वाली क्रेनों का 86 प्रतिशत तक कम उपयोग हुआ।

(पैराग्राफ 5.2)

सामग्री की निष्फल खरीदारी

यह जानने के बावजूद कि सी-103 सामग्री स्क्रेमजेट इंजन द्वारा पैदा किए गए उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकती, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने स्क्रेमजेट परियोजना के विकास के लिए ₹4.83 करोड़ मूल्य की 1329 किलोग्राम सी-103 सामग्री की खरीदारी की, जो अवांछित था तथा अंततः व्यर्थ साबित हुआ।

(पैराग्राफ 6.2)

आयुध निर्माणी संगठन

विलम्ब से आदेश देने के कारण अतिरिक्त व्यय

निर्माणी एवं बोर्ड के विभिन्न स्तरों पर चूक के कारण आयात के आदेशों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के फलस्वरूप गन कैरिज निर्माणी द्वारा उच्चतर दरों पर 25 पूर्ण रूप से निर्मित तोपों की अधिप्राप्ति पर ₹4.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 7.2)

उपस्करणों की अधिप्राप्ति एवं स्थापना में विफलता के कारण बचत की हानि

(i) कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी प्रणाली एवं (ii) एल आई एन ए सी मशीन की समय पर अधिप्राप्ति एवं स्थापना में ओ एफ बी एल की विफलता के कारण मंहगी एक्सरे फिल्म तथा भरे हुए सेल के एक्सरे हेतु रसायन की खपत के परिणामस्वरूप ₹4.62 करोड़ की राशि बचाने का अवसर हाथ से निकल गया।

(पैराग्राफ 7.3)

एक मशीन के परिचालन में विफलता

मशीन के निष्पादन के बिना जाँच किए हुए वाहन निर्माणी जबलपुर के द्वारा ₹6.32 करोड़ मूल्य के एक मशीन की स्वीकृति एवं बाद में इसके रख-रखाव में लापरवाही के परिणामस्वरूप यह मशीन जून 2012 के बाद खराब हो गई।

(पैराग्राफ 7.4)

अस्वीकृत फ्यूज को न बदलने के कारण सामान का अवरोधन

फ्यूजों की आपूर्ति के अनुबंध की शर्तों को लागू कराने एवं प्रतिकार शर्तों का पालन करवाने में आयुध निर्माणी, चाँदा की असफलता के परिणामस्वरूप ₹6.05 करोड़ के अस्वीकृत फ्यूज बेकार पड़े रहे।

(पैराग्राफ 7.6)

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डी पी एस यू) द्वारा आपूर्ति में विलम्ब

XI सेना योजना (2007-12) के दौरान रक्षा पी एस यू द्वारा अति महत्वपूर्ण शस्त्रों व उपकरणों की आपूर्ति में अत्यधिक विलंब ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन योजना को बाधित किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹30,098 करोड़ मूल्य के अनुबंध, जो XI सेना योजना के दौरान मंत्रालय द्वारा किए गए डी पी एस यू अनुबंधों के कुल मूल्य का 63 प्रतिशत था, विलंबित हुए थे। विलंब के लिए मुख्य कारण विकास के लिए लिया गया अनुचित समय, पायलट नमूने के सफल मूल्यांकन में विलंब, विदेशी विक्रेताओं पर डी पी एस यू की भारी निर्भरता, संविदात्मक शर्तों में अस्पष्टता आदि थे। रक्षा तैयारी को प्रभावित करने के अलावा इस विलंब का डी पी एस यू को किए गए भुगतानों पर ब्याज की हानि के रूप में वित्तीय प्रभाव भी था। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 8.1)

सीमा शुल्क की छूट का लाभ न उठाने के कारण परिहार्य हानि - मिश्र धातु निगम लिमिटेड

मिश्र धातु निगम लिमिटेड द्वारा छूट का लाभ उठाने में विफलता और पहले अदायगी एवं बाद में प्रतिदाय का दावा करना, जो असफल रहा, के परिणामस्वरूप ₹1.30 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 8.2)

अध्याय I : भूमिका

1.1 लेखापरीक्षित संस्थाओं की रूपरेखा

यह प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित संगठनों की वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा में उठे मामलों से संबंधित है:

- थल सेना,
- अन्तर्सेवा संगठन,
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और प्राथमिक रूप से थल सेना और आयुध निर्माणियों को समर्पित उसकी प्रयोगशालाएं
- रक्षा लेखा विभाग,
- आयुध निर्माणियाँ और
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

रक्षा मंत्रालय शीर्ष स्तर पर रक्षा संबंधी सभी मामलों पर नीति निर्देश बनाता है। यह चार विभागों में विभाजित है, जैसे रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग और पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष सचिव होता है। रक्षा सचिव जो कि रक्षा विभाग का अध्यक्ष होता है, अन्य विभागों के कार्यकलापों के साथ भी समन्वय करता है।

भारतीय सेना को बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। थल सेना का प्राथमिक उत्तरदायित्व बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा करना है। यह प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक अशान्ति के समय भी सिविल प्राधिकारियों की मदद करती है। इसलिए, थल सेना के लिए आवश्यक है कि वह उचित तरीके से सुसज्जित, आधुनिक हो और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करे।

अन्तर्सेवा संगठन, जैसे सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं, सैन्य अभियंता सेवाएं (एम ई एस), रक्षा संपदा, गुणवत्ता आश्वासन इत्यादि रक्षा बलों के तीन संभागों थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवार्थ है। ये इष्टतम लागत-प्रभावी सेवाएं देने के लिए सामान्य संसाधनों के विकास एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। ये सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के अंतर्गत काम करता है। डी आर डी ओ रक्षा प्रणालियों में आत्म

निर्भरता बढ़ाने की दिशा में डिजाइन एवं विकास का कार्य देखते हुए तीनों सेवाओं द्वारा निर्धारित की गई जरूरतों और गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार विश्व स्तर की हथियार प्रणालियों और उपकरणों के उत्पादन के लिए समर्पित है। डी आर डी ओ की प्राथमिकता अपनी प्रयोगशालाओं की श्रृंखला के माध्यम से भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हेतु अनुसंधान एवं विकास करना है। यह वैमानिकी, शस्त्र, युद्धक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरणों, अभियांत्रिकी प्रणालियों, मिसाइलों, सामग्री, नौसेना प्रणालियों, उन्नत कम्प्यूटिंग, अनुरूपण और जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करता है।

आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसका प्रमुख, महानिदेशक आयुध निर्माणियाँ होता है। उन्तालिस आयुध निर्माणियां सैन्य बलों के लिए आयुध भंडार का उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डी पी एस यू) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत कुल नौ डी पी एस यू हैं जिनके अध्यक्ष चैयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर (सी एम डी) होते हैं।

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

हमारी लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 से लिया गया है। हम सी ए जी की (डी पी सी) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। प्रमुख छावनी बोर्ड इस अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए जाते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धांत और कार्य प्रणालियां “लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007” में निहित हैं।

1.3 लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया

लेखापरीक्षा को प्राथमिकता के आधार पर विश्लेषण और जोखिम के मूल्यांकन के माध्यम से प्रमुख परिचालन इकाइयों में उनके महत्व की समीक्षा का आकलन करने के लिए किया जाता है। किया गया व्यय, परिचालन महत्व, अतीत के लेखापरीक्षा परिणाम और आंतरिक नियंत्रण की शक्ति आदि जोखिम की गंभीरता को निर्धारित करने के मुख्य कारकों में एक हैं। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षित इकाई के लेखापरीक्षा निष्कर्ष, स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/मामलों के विवरण के माध्यम से सूचित किए जाते हैं। लेखापरीक्षित इकाई की प्रतिक्रिया पर विचार किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा की टिप्पणी का या तो निपटान कर दिया जाता है या फिर अनुपालन हेतु उसे अगले लेखापरीक्षा चक्र के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाता है। गंभीर अनियमितताओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जाने के लिए ड्राफ्ट पैराग्राफ के रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद के प्रत्येक सदन में रखने के लिए भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा, संरचनाबद्ध प्रयोग के माध्यम से लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करके, एंटी कान्फ्रेंस, इकाइयों के नमूनों, एग्जिट कान्फ्रेंस, ड्राफ्ट रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया अन्तरनिष्ठ कर तथा अन्तिम प्रतिवेदन जारी कर, की जाती है।

1.4 प्रतिवेदन की संरचना

इस रिपोर्ट में तीन निष्पादन समीक्षाएं और 20 लेखापरीक्षा पैराग्राफ से संबंधित आठ अध्याय हैं जो कि थल सेना, अंतर सेवा संगठनों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा लेखा विभाग, आयुध निर्माणियों और डी पी एस यू के वित्तीय लेनदेन की लेखापरीक्षा पर आधारित हैं।

1.5 वित्तीय पहलू और बजटीय प्रबंधन

1.5.1 भूमिका

रक्षा मंत्रालय का बजटीय आबंटन आठ अनुदान मांगों के अधीन समाविष्ट है, जिसमें छः अनुदान रक्षा सेवाओं के अनुमानों (डी एस ई) के अधीन और दो सिविल अनुदानों के अधीन सम्मिलित हैं।

- दो सिविल अनुदान जिसमें माँग संख्या 20- रक्षा मंत्रालय (सिविल) एवं माँग संख्या 21- रक्षा पेंशन सम्मिलित हैं।
- रक्षा मंत्रालय के छः अनुदान जो निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं:
 - माँग संख्या 22, रक्षा सेवाएं - थल सेना
 - माँग संख्या 23, रक्षा सेवाएं - नौसेना
 - माँग संख्या 24, रक्षा सेवाएं - वायु सेना
 - माँग संख्या 25, रक्षा आयुध निर्माणियाँ
 - माँग संख्या 26, रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास

मांग संख्या 27 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - इसमें रक्षा मंत्रालय (सिविल) के अनुदान हेतु मांगों को छोड़कर सभी सेवाएं और विभाग समाविष्ट हैं।

- सीमा सड़क संगठन के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त अनुदानों को मोटे तौर पर राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- **राजस्व व्यय:** इसमें वेतन एवं भत्ते, परिवहन, राजस्व भंडार (जैसे आयुध भंडार, आयुध निर्माणियों से आपूर्तियां, राशन, पेट्रोल, तेल व स्नेहक, पुर्जे आदि), राजस्व निर्माण कार्य (जिसमें भवनों का रखरखाव, जल और विद्युत प्रभार, किराये, दर एवं कर आदि) पर किया गया व्यय तथा विविध व्यय शामिल हैं।
- **पूंजीगत व्यय:** इसमें भूमि, नए हथियार और गोलाबारूद का अधिग्रहण, सेनाओं का आधुनिकीकरण, निर्माण कार्य, संयंत्र एवं मशीनरी, उपस्कर, टैंकों, नौसैनिक पोत, वायुयान और एयरो-इंजन, गोदीबाड़े आदि पर किए गए व्यय शामिल हैं।

अनुदान के लिए विभिन्न मांगों के तहत सकल व्यय प्रावधान के लिए संसद¹ का अनुमोदन लिया जाता है। प्राप्तियां और वसूलियां, जिसमें अधिशेष/अप्रचलित भण्डार का बिक्री-लाभ, राज्य सरकारों/अन्य मंत्रालयों आदि को दी गई सेवाओं से प्राप्तियां और अन्य विविध मदों को रक्षा सेवाओं की छह मांगों के लिए, अर्थात् संख्या 22 से 27 की मांग के निवल व्यय पर पहुंचने के लिए, सकल व्यय से काटा जाता है। इन अनुदानों का एक संक्षिप्त विश्लेषण, अनुदान संख्या 23, रक्षा सेवाएं- नौसेना एवं अनुदान संख्या 24, रक्षा सेवाएं-वायु सेना को छोड़कर जिसके बारे में अलग रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है, नीचे दिया गया है।

1.5.2 अनुदान संख्या 20 और 21- सिविल अनुदान से व्यय

1.5.2.1 अनुदान संख्या 20 - रक्षा मंत्रालय का व्यय (सिविल)

अनुदान संख्या 20 के तहत ₹19,467 करोड़ के संशोधित अनुमान के प्रति वर्ष 2014-15 का वास्तविक व्यय ₹19,363 करोड़ था। इसमें राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹18,175 करोड़ और पूंजीगत शीर्ष के तहत ₹1,188 करोड़ का व्यय सम्मिलित था। इस व्यय के प्रमुख घटक तालिका -1 में दर्शाए गए हैं:

¹ रक्षा पर स्थायी समिति की प्रतिवेदन संख्या 20 (2012-13, पंद्रहवीं लोकसभा)

तालिका -1 : राजस्व और पूंजीगत व्यय के प्रमुख घटकों को दर्शाने वाली तालिका

राजस्व व्यय		पूंजीगत व्यय	
विभाग का नाम	₹ करोड़ में	विभाग का नाम	₹ करोड़ में
कैंटीन भण्डार विभाग (सी एस डी)	14199	सीमा शुल्क-सी जी ओ	1142
रक्षा लेखा विभाग (डी ए डी)	1136	डी इ ओ- अन्य भवन	24
तट रक्षक संगठन (सी जी ओ)	1287	डी ए डी- अन्य भवन	17
जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (जे ए के एल आई)	969	सी एस डी द्वारा युनिट रन कैंटीन (यू आर सी) को विविध ऋण	2
रक्षा संपदा संगठन (डी इ ओ)	390	अन्य विभाग	3
अन्य विभाग	194		

1.5.2.2 अनुदान संख्या 21 - रक्षा पेंशन

रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा पेंशन, तीन सेवाओं के अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायु सेना से सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैनिक कर्मचारियों सहित) और आयुध निर्माणियों आदि के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन प्रभार प्रदान करता है। इसमें सेवा पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन, अशक्तता पेंशन, पेंशन के रूपान्तरित मूल्य, अवकाश नकदीकरण आदि का भुगतान सम्मिलित हैं।

इस अनुदान के तहत वर्ष 2014-15 के बजटीय आबंटन और व्यय निम्नानुसार हैं:

तालिका-2: बजटीय आबंटन और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
51,000	50,000	60,450

संशोधित अनुमान से अधिक ₹10,450 करोड़ का अतिरिक्त व्यय बजट अनुमान में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

1.6 अनुदान संख्या 22 से 27 तक - रक्षा सेवाओं के अनुमान

1.6.1 सरसरी दृष्टि से

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए कुल रक्षा बजट (अनुदान संख्या 22 से 27) आबंटन और वास्तविक व्यय (दत्तमत और भारत) तालिका-3 में दर्शाया गया है:

तालिका -3 : कुल रक्षा बजट आबंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)


वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
2010-11	1,56,127	1,58,723
2011-12	1,78,891	1,75,898
2012-13	1,98,526	1,87,469
2013-14	2,17,649	2,09,789
2014-15	2,54,000	2,37,394

2014-15 में वास्तविक रक्षा व्यय संबंधी आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 13.16 प्रतिशत की वृद्धि और 2010-11 से 49.56 की कुल वृद्धि दर्शाता है।

1.6.2 रक्षा सेवाओं में राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए पूंजीगत और राजस्व व्यय (दत्तमत) नीचे चार्ट-1 में दर्शाया गया है:

चार्ट-1: राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय (दत्तमत)



उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि कुल रक्षा व्यय (दत्तमत) के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत और राजस्व व्यय का अनुपात 2010-11 से 2014-15 के दौरान 35 एवं 39 प्रतिशत के बीच रहा। तथापि पिछले वर्ष 2014-15 की तुलना में राजस्व व्यय में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है और पूंजीगत व्यय में समरूपी कमी हुई है।

1.7 थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी (पूँजीगत एवं राजस्व) से संबंधित व्यय (दत्तमत) का ब्यौरा - अनुदान संख्या 22, 25, 26 और 27²

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी से संबंधित राजस्व और पूँजीगत व्यय को दर्शाने वाले व्यय (दत्तमत) का विस्तृत विश्लेषण नीचे तालिका- 4 में दर्शाया गया है:

तालिका-4: थल सेना, आयुध निर्माणियाँ एवं आर एंड डी के व्यय (दत्तमत)

(₹ करोड़ में)

अनुदानों का विवरण	व्यय के घटक	वर्ष				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
थल सेना	वास्तविक	80,790	86,776	94,274	1,02,139	1,17,700
	राजस्व	65,002 (80.46)	71,833 (82.78)	79,517 (84.35)	87,720 (85.88)	99,139 (84.23)
	पूँजीगत	15,788 (19.54)	14,943 (17.22)	14,757 (15.65)	14,419 (14.12)	18,561 (15.77)
आयुध निर्माणियाँ	वास्तविक	1,527	1,704	2,116	3,964	13,576
	राजस्व	1,073 (70.30)	1,428 (83.79)	1,754 (82.88)	3,499 (88.26)	12,830 (94.50)
	पूँजीगत	454 (29.70)	276 (16.21)	349 (16.60)	465 (11.74)	746 (5.50)
आर एंड डी	वास्तविक	1,0192	9,932	9,860	10,929	13,635
	राजस्व	5,231 (51.32)	5,321 (53.58)	5,218 (52.92)	5,696 (52.12)	6,236 (45.74)
	पूँजीगत	4,961 (48.68)	4,611 (46.43)	4,642 (47.08)	5,233 (47.88)	7,399 (54.26)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए अंक राजस्व/पूँजीगत व्यय के कुल वास्तविक व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।

- 2014-15 के दौरान थल सेना के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 15.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूँजीगत व्यय में 28.73 प्रतिशत की और राजस्व व्यय में 13.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2010-11 से, व्यय के घटकों में क्रमशः 45.68 प्रतिशत, 52.51 प्रतिशत एवं 17.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई।


²अनुदान संख्या 23- नौसेना एवं अनुदान संख्या 24- वायु सेना का विश्लेषण संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) वायु सेना एवं नौसेना से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में किया गया है।

- उपरोक्त तालिका-4 में दर्शाए गए 2014-15 के दौरान आयुध निर्माणी (ओ एफ) बोर्ड के व्यय में वृद्धि, लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के कारण हुई जहाँ व्यय की "सकल" राशि पर संसद की स्वीकृति ली गई। पिछले वर्षों के दौरान यह स्वीकृति 'निवल लेखांकन' के आधार पर ली जा रही थी।
- 2014-15 के दौरान आर एंड डी के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 24.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 41.38 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व व्यय में 9.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2010-11 से, व्यय के घटकों में क्रमशः 33.78 प्रतिशत, 19.22 प्रतिशत एवं 49.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.7.1 थल सेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल व्यय की प्रवृत्ति - पूंजीगत और राजस्व

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में थल सेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल व्यय दोनों पूंजीगत और राजस्व की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-2 में दर्शायी गई है:

चार्ट-2: कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में राजस्व और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति



- **थलसेना:** 2014-15 में थल सेना के कुल व्यय के राजस्व घटक में 2010-11 से 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि 2010-11 में 80 प्रतिशत थी वह 2014-15 में 84 प्रतिशत हो गई, जबकि पूंजीगत घटक में उसी अवधि के दौरान 20 प्रतिशत (2010-11) से 16 प्रतिशत (2014-15) में तदनरूप कमी हुई है।

- **आयुध निर्माणियां:** 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए आयुध निर्माणियों द्वारा व्यय का राजस्व और पूंजीगत घटक एक सुसंगत वृद्धि दर्शाता है। ऊपर तालिका-4 में दर्शाए गए वर्ष 2014-15 के आंकड़े भी लेखांकन प्रणाली में 'लेखांकन के निवल आधार' से 'लेखांकन के सकल आधार' में परिवर्तन के कारकों को दर्शाते हैं।
- **अनुसंधान एवं विकास:** अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय में 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान 2010-11 में 51 प्रतिशत से 2014-15 में 46 प्रतिशत तक 05 प्रतिशत की कमी हुई है, जबकि पूंजीगत व्यय में 49 प्रतिशत से 54 प्रतिशत की समरूपी प्रतिशतता की वृद्धि हुई है।

1.8 राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति (दत्तमत)

1.8.1 थल सेना (दत्तमत)


2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय थल सेना के पाँच लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत किया गया था, यथा नीचे तालिका- 5 और चार्ट-3 में दर्शाया गया है:

तालिका-5 : थल सेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

व्यय के घटक	वर्ष				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-101 एवं 103)	35,445	39,996	46,057	50,533	56,997
भण्डार (लघु शीर्ष-110)	12,144	12,442	12,750	13,954	15,324
कार्य (लघु शीर्ष-111)	5,308	5,709	5,769	6,384	7,399
राष्ट्रीय राईफल्स (लघु शीर्ष-112)	3,099	3,585	4,076	4,436	4,967
असैनिकों के वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-104)	3,051	3,361	3,674	4,056	4,422

चार्ट-3 : थल सेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- 2014-15 में सेना के राजस्व व्यय में 13 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रति उच्चतम व्यय वाले पांच लघु शीर्षों अर्थात् सेना एवं सहायक बलों के वेतन एवं भत्ते, भण्डारों, निर्माण कार्य, राष्ट्रीय राईफल्स एवं असैनिकों के वेतन एवं भत्तों में समग्र वृद्धि 9 और 16 प्रतिशत के बीच थी।

1.8.2 आयुध निर्माणियां (दत्तमत)


2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय, आयुध निर्माणियों के पाँच लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका- 6 और चार्ट-4 में दर्शाया गया है:

तालिका-6: आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

व्यय के घटक	वर्ष				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भंडार लघु शीर्ष- 110	5,705	6,101	5,692	5,990	5,686
विनिर्माण लघु शीर्ष- 054	3,500	4,415	4,336	4,563	4,961
नवीनीकरण एवं आरक्षित (आर एवं आर) निधि लघु शीर्ष- 797	600	325	350	375	400
नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन लघु शीर्ष- 106	208	310	416	697	442
अन्य व्यय लघु शीर्ष- 800	583	650	768	795	911

चाट -4 : आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



1.8.3 अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत)


2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय आर एण्ड डी के पाँच लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका-7 और चाट-5 में दर्शाया गया है:

तालिका-7: अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

व्यय के घटक	वर्ष				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भंडार लघु शीर्ष-110	1,666	1,774	1,870	1,837	2,063
असैनिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष- 102	1,410	1,535	1,694	1,865	2,021
आर एंड डी लघु शीर्ष- 004	1,218	984	517	765	733
निर्माण कार्य लघु शीर्ष- 111	492	543	621	669	790
सेवा कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष- 101	202	198	226	251	285

चार्ट-5: अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- वर्ष 2014-15 में अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय में 9.5 प्रतिशत की समग्र वृद्धि के प्रति उच्चतम व्यय वाले चार लघु शीर्षों अर्थात् भण्डारों, असैनिकों के वेतन एवं भत्ते, निर्माण कार्य, और सेवा के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि 8 और 18 प्रतिशत के बीच थी। हालांकि, लघु शीर्ष अनुसंधान एवं विकास के मामले में, पिछले वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत की कमी आई थी।

1.9 पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति - मुख्य शीर्ष- 4076- अनुदान संख्या 27- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

1.9.1 पूँजीगत व्यय के घटक

इस अनुदान के अंतर्गत आठ उप मुख्य शीर्ष हैं, (एस एम एच) अर्थात् उप मुख्य शीर्ष 01- थल सेना, उप मुख्य शीर्ष 02- नौसेना, उप मुख्य शीर्ष 03- वायु सेना, उप मुख्य शीर्ष 04- आयुध निर्माणियां, उप मुख्य शीर्ष 05- आर एंड डी, उप मुख्य शीर्ष 06- निरीक्षण संगठन, उप मुख्य शीर्ष 07- विशेष धातु एवं उत्तम मिश्रधातु परियोजनाएं तथा उप मुख्य शीर्ष 08- प्रौद्योगिकी विकास।

1.9.2 थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी के पूंजीगत व्यय (दत्तमत) की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी के पूंजीगत व्यय के ब्यौरे नीचे तालिका- 8 में दर्शाए गए हैं:

तालिका- 8: कुल पूंजीगत व्यय (रक्षा सेवाएं) बनाम थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एण्ड डी

(₹ करोड़ में)

पूंजीगत व्यय	वर्ष				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
रक्षा सेवाएं	62,012	67,844	70,483	79,093	81,742
थल सेना	15,788	14,943	14,757	14,419	18,561
आयुध निर्माणियाँ	454	276	349	465	746
अनुसंधान एवं विकास	4,961	4,611	4,642	5,233	7,399

- रक्षा सेवाओं का पूंजीगत व्यय: पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में 3.35 प्रतिशत की वृद्धि अंकित हुई है। थल सेना, आयुध निर्माणियां एवं अनुसंधान एवं विकास के मामले में वार्षिक वृद्धि क्रमशः 29, 60 एवं 41 प्रतिशत थी। 2010-11 से 2014-15 के पाँच वर्ष के अंतराल में रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में कुल 32 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति थल सेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत व्यय की वृद्धि क्रमशः 18, 65 एवं 49 प्रतिशत थी।

1.10 लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सभी मंत्रालयों को जून 1960 में लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किये गये हैं, पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजने के निर्देश दिये थे।

³ एस एम एच - 02 तथा एस एम एच - 03 को संघ सरकार (रक्षा सेवाएं), वायु सेना तथा नौसेना की संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अलग से विश्लेषित किया गया है। एस एम एच-06 तथा एस एम एच - 08 के संबंध में 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए कुल व्यय क्रमशः ₹44 करोड़ तथा ₹140 करोड़ था। एस एम एच - 07 के संबंध में इन वर्षों के दौरान व्यय शून्य था।

ड्राफ्ट पैराग्राफ, संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए एवं अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजने की प्रार्थना के साथ अग्रेषित कर दिए जाते हैं इसे उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि इन पैराग्राफों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो कि संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं, में शामिल किये जाने की संभावना होती है, अतः इस पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वांछनीय होगा।

ड्राफ्ट पैराग्राफ जोकि इस प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किये गये थे, दिसम्बर 2015 तथा फरवरी 2016 के बीच संबंधित सचिवों को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित पत्रों द्वारा अग्रेषित किए गए थे।

रक्षा मंत्रालय ने अध्याय II से VIII तक में प्रस्तुत 23 पैराग्राफों में से 17 पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे (मार्च 2016)।

1.11 पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किये गये सभी मामलों पर कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित करने की दृष्टि से लोक लेखा समिति की इच्छा थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही की टिप्पणी (ए टी एन) लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जाँच करने के बाद संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाए।

मार्च 2016 तक थल सेना से संबंधित की गई कार्यवाही की टिप्पणी की समीक्षा इंगित करती है कि मार्च 2013 को समाप्त वर्ष तक के 50 पैराग्राफों एवं 2015 के प्रतिवेदन सं 19 पर की गयी कार्यवाही की टिप्पणी बकाया थी जिनमें से 9 पैराग्राफों के संबंध में मंत्रालय ने अभी तक प्रारम्भिक ए टी एन कार्यवाही टिप्पणी भी प्रस्तुत नहीं की थी एवं 11 ए टी एनों (क्र. स. 1 से 11) में की गई कार्यवाही की टिप्पणियाँ 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है जैसाकि **अनुलग्नक - I** में दिखाया गया है।

अध्याय II : रक्षा मंत्रालय

2.1 महानिदेशक पुनर्वास (डी जी आर) का प्रकार्य

महानिदेशक पुनर्वास (डी जी आर) की स्थापना सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सेना कर्मिकों को प्रशिक्षण के माध्यम से अतिरिक्त कौशल से शक्ति संपन्न करने और आगे रोज़गार/स्वरोज़गार योजनाओं के माध्यम से दूसरी जीविका चुनने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी। तथापि हमने देखा कि डी जी आर भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन तथा पुनर्वास के इन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60,000 सेना कर्मियों की प्रत्याशाओं को पूरा नहीं कर सका। गत पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षण पर ₹90.98 करोड़ का व्यय किए जाने के बाद भी यह सुनिश्चित करने कि प्रशिक्षित कर्मिक अंततः पुनर्नियुक्त किए गए थे, के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं हुआ था। डी जी आर द्वारा चलाए जा रहे वर्तमान रोज़गार एवं स्वरोज़गार योजनाएं 10 वर्षों से अधिक पुरानी थीं और इसलिए कार्य संचालन के बदलते परिवेश में इन योजनाओं की प्रभावकारिता नष्ट हो चुकी थी। हमने पाया कि गत दस वर्षों में रोज़गार अथवा स्वरोज़गार की कोई नई योजनाएं आरंभ नहीं की गई थीं।

2.1.1 डी जी आर के बारे में

सचिव की अध्यक्षता में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (ई एस डब्ल्यू/मंत्रालय) रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) के अधीन सितम्बर 2004 में बनाया गया था और तीन संगठन अर्थात् महानिदेशालय पुनर्वास (डी जी आर), भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई सी एच एस) और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड⁴ (के एस बी) इस विभाग के अधीन रखे गए थे। जनवरी 2009 में के एस बी, जो पूर्व में डी जी आर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन था, अलग स्वत्व हो गया।

प्रत्येक वर्ष लगभग 60,000 सशस्त्र बल कर्मिक सेवानिवृत्त होते हैं अथवा सक्रिय सेवा से मुक्त किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश 35 से 45 वर्षों की तुलनात्मक कनिष्ठ आयु एवं उच्च ओर पर 50 से 55 वर्ष के वर्ग में होते हैं और उन्हें दूसरी जीविका की आवश्यकता होती है। ये कर्मिक अधिक मूल्यवान, अनुशासित, सुप्रशिक्षित और समर्पित प्रतिभाशाली पूल बनाते हैं जिसे राष्ट्र निर्माण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

⁴ के एस बी माननीय रक्षा मंत्री के अधीन भारत सरकार का एक शिखर निकाय है जो ई एस एम तथा उनके परिवारों के पुनर्वास तथा कल्याण हेतु नीतियां बनाता है। राज्य एवं जिला सैनिक बोर्ड के एस बी की क्षेत्र युनिटें हैं।

डी जी आर की भूमिका सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सैनिक कार्मिकों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से अतिरिक्त कौशल से सम्पन्न करना और भूतपूर्व सैनिक (ई एस एम) के लिए बृहत् रोजगार अवसर प्राप्त करने के लिए निगम/निजी क्षेत्र के साथ सम्पर्क बनाने के लिए रोजगार/स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से दूसरी जीविका चुनने में उनकी सहायता करना और पुनर्वास/दूसरी जीविका के लिए सेवानिवृत्त सेना कार्मिकों, आश्रितों और बाह्य वातावरण के बीच अन्तरापृष्ठ के रूप में कार्य करना है।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

महानिदेशक (पुनर्वास) डी जी आर का अध्यक्ष है, जो लेफ्ट जनरल अथवा समकक्ष श्रेणी का है। डी जी आर के अधीन पाँच पुनर्वास अंचल निदेशक (डी आर जैड) हैं, जो लखनऊ (मध्य कमान), पुणे (दक्षिणी कमान), चण्डीमंदिर (पश्चिमी कमान), कोलकाता (पूर्वी कमान) और उधमपुर (उत्तरी कमान) में स्थित हैं। नई दिल्ली स्थित डी जी आर संगठन के आठ निदेशालय (निदे.) हैं यथा प्रशिक्षण निदेशालय, रोजगार निदेशालय, स्वरोजगार निदेशालय, उद्यमकर्ता एवं ऋण निदेशालय, सांख्यिकीय एवं अभिलेख निदेशालय, प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रशासन एवं समन्वय, प्रत्येक निदेशक की अध्यक्षता में हैं और नामित भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों वाले हैं। प्रत्येक निदेशालय की भूमिका **अनुलग्नक-II** में स्पष्ट की गई है।

2.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लखनऊ एवं पुणे स्थित दो पुनर्वास अंचल निदेशक (डी आर जैड) सहित डी जी आर की निष्पादन लेखापरीक्षा 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए मई 2015 तथा सितम्बर 2015 के बीच की गई। हमने प्रशिक्षण पर 30 प्रतिशत व्यय को कवर कर प्रशिक्षण संस्थाओं/पाठ्यक्रमों के प्रस्तावों की जांच की। हमने ई एस एम की रोजगार/स्वरोजगार की ग्यारह⁵ योजनाओं में से आठ⁶ योजनाओं (73 प्रतिशत) की भी जांच की। समीक्षा अन्य बातों के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली स्पष्ट कर सचिव, ई एस डब्ल्यू, एम ओ डी के साथ 25 मई 2015 को आयोजित एंटी कान्फ्रेंस के साथ आरम्भ हुई। लेखापरीक्षा के दौरान हमने लेखापरीक्षित स्वत्व की

⁵ ई एस एम/विधवाओं/ई एस एम की सहकारी समितियों, कोयला लदान तथा परिवहन योजना, सुरक्षा एजेंसी योजना, तेल उत्पाद एजेंसियों/एल पी जी वितरक योजना, सम्पीडित प्राकृतिक गैस दुकान प्रबन्धक योजना, कम्पनी स्वामित्व कम्पनी परिचालित (सी ओ सी ओ) फुटकर दुकान योजना, मदर डेयरी योजना और गोपालजी डेयरी एवं फ्रेश फार्म स्कीम को सेना बेशी वर्ग v 'ख' वाहनों का आबंटन।

⁶ ई एस एम के लिए उद्यमिता योजना, बीमा एक आश्वासन: अत्यन्त अनुकूल स्थिति गारंटी करना और देश रक्षक डीलरशिप पुनर्वास योजना।

प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षा जापन जारी किए। लेखापरीक्षा की सचिव ई एस डब्ल्यू के साथ 12 जनवरी 2016 को आयोजित एक्जिट कान्फ्रेंस के साथ पराकाष्ठा हुई।

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई कि क्या:

- सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कार्मिकों के पंजीकरण हेतु प्रभावी प्रक्रिया विद्यमान थी और प्रशिक्षण/योजनाओं के लिए नाम दक्षतापूर्वक प्रायोजित किए गए थे ;
- प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रमों का चयन वास्तविकता में किया गया था और प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं की छानबीन/सूचीकरण/चयन स्पष्ट, उचित तथा प्रभावी रीति में किया गया था ;
- उनके चयन से पूर्व और पाठ्यक्रम चलने के दौरान प्रशिक्षण संस्थाओं का पर्याप्त निरीक्षण किया गया था ;
- अधिदेश के अनुसार अपने लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त करने में डी जी आर सक्षम था ;
- ई एस एम हेतु बृहत्तर रोजगार अवसर मिलने के लिए डी जी आर ने निगम/निजी क्षेत्र से सम्पर्क किया ;
- सेवानिवृत्त अधिकारियों/पी बी ओ आर की विभिन्न योजनाओं की दक्षतापूर्वक निगरानी की गई थी;
- ई एस एम के कल्याण हेतु उपलब्ध निधियों का प्रबन्ध मितव्ययिता पूर्वक और दक्षतापूर्वक किया गया था।

2.1.5 आभार

हम ई एस डब्ल्यू विभाग, एम ओ डी, डी जी आर और लखनऊ एवं पुणे स्थित डी आर जैड के अधिकारियों तथा स्टाफ के सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 प्रशिक्षण

डी जी आर सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल कार्मिकों (सेवा के अन्तिम वर्ष के दौरान अधिकारियों और सेवा के अन्तिम दो वर्षों के दौरान अधिकारी श्रेणी से नीचे कार्मिकों), भूतपूर्व सैनिकों (ई एस एम) (तीन वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त/सेवामुक्त अधिकारियों और मुक्ति/सेवानिवृत्ति अथवा 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पांच वर्ष के अन्दर

अधिकारी श्रेणी से नीचे के सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कार्मिक) और दिवंगत कार्मिकों की विधवाओं/बच्चों को अपनी योग्यताएं बढ़ाने के लिए और सेवानिवृत्ति के बाद उचित द्वितीय जीविका/रोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु विभिन्न सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करता है। प्रशिक्षण, पेंशन कवायद (अर्थात् पी बी ओ आर उनके पेंशन पेपर पूरे करने के लिए सेवानिवृत्ति से एक माह पूर्व आर सी को सूचित करता है) पर अधिकारी श्रेणी से नीचे के कार्मिकों (पी बी ओ आर) के लिए रेजीमेंटल केन्द्रों (आर सी) पर स्थित संस्थाओं के माध्यम से डी जी आर द्वारा भी आयोजित किया जाता है।

2.1.6.1 प्रशिक्षण हेतु नामों का पंजीकरण/प्रायोजित करना

प्रशिक्षण हेतु नामों के पंजीकरण और प्रायोजित करने की प्रक्रिया सितम्बर 2009 में जारी अपने मार्गनिर्देशों में मंत्रालय द्वारा वर्णित की गई थी। इस प्रक्रिया के अनुसार इच्छुक सेवारत अधिकारियों/अधिकारी श्रेणी से नीचे कार्मिकों (पी बी ओ आर) के नाम, उनकी योग्यता के अनुसार सम्बन्धित सेवा मुख्यालय द्वारा डी जी आर को प्रशिक्षण हेतु भेजे जाते हैं जबकि सेवानिवृत्त अधिकारी/पी बी ओ आर अपने आवेदन जिला सैनिक बोर्ड (जैड एस बी) के माध्यम से डी जी आर को सीधे प्रस्तुत करते हैं। सेवा मुख्यालय से सेवारत अधिकारियों/पी बी ओ आर के प्रायोजित नामों की प्राप्ति पर एम ओ डी, डी जी आर और तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों से बनी समिति द्वारा अन्तिम चयन किया जाना है।

हमने देखा कि:

- ❖ मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के विपरीत गत पांच वर्षों अर्थात् 2010-11 से 2014-15 तक के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के अन्तिम चयन हेतु समिति गठित नहीं की गई थी। समिति के अभाव में अभ्यर्थियों की छंटाई नहीं की जा रही थी और सेवा मुख्यालय द्वारा प्रायोजित सभी नामों पर प्रशिक्षण के लिए विचार किया गया था।
- ❖ मार्गनिर्देशों में अधिकारियों/पी बी ओ आर से प्राप्त अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए सेवा मुख्यालय द्वारा देखी जाने वाली अर्हता आवश्यकताएं निर्धारित नहीं की गई थीं। इसलिए सेवा मुख्यालय ने किसी मानदण्ड के बिना प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया और मनमाने ढंग से उन्हें पाठ्यक्रम आबंटित किए।
- ❖ ई एस एम के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या, प्रशिक्षण हेतु नियोजित और वास्तव में प्रशिक्षण ले रहे ई एस एम की संख्या के लिए डी जी आर द्वारा

कोई अभिलेख नहीं बनाया गया था। किसी प्रलेखन के अभाव में योजना का कार्यान्वयन निर्धारित करने का कोई मार्ग नहीं था।

अपने उत्तर (फरवरी 2016) में मंत्रालय ने अनुपालन हेतु मुद्दों को स्वीकार कर लिया और बताया कि प्रशिक्षण हेतु आवेदनों की बड़ी संख्या अर्थात् लगभग 24,000 प्रति वर्ष के कारण अभ्यर्थियों की सूची बनाने का कार्यकलाप सेवा मुख्यालय को सौंपा गया था। इस प्रकार के कार्यकलाप को प्रत्यायोजित करने का कार्य न केवल निर्धारित प्रक्रिया के विपरित था, बल्कि उसमें व्यक्तिपरकता का जोखिम भी निहित था, क्योंकि अभ्यर्थियों की सूची बनाने हेतु सेवा मुख्यालय के लिए मार्गनिर्देशों में कोई योग्यता मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि मंत्रालय ने तिमाही आधार पर सेवा मुख्यालय की भागीदारी से समिति बनाने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया। ई एस एम का अभिलेख अनुरक्षित न करने के संबंध में यह बताया गया था कि आर एस बी/जैड एस बी द्वारा सभी दस्तावेज भेजने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे थे।

2.1.6.2 प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रमों/संस्थाओं का चयन

सितम्बर 2009 के ई एस डब्ल्यू के मार्गनिर्देशों के अनुसार डी जी आर प्रत्येक वर्ष समाचार पत्रों/वेबसाइट के माध्यम से सम्बन्धन/प्रत्यायन, अवसंरचना, कम्प्यूटर लैब, संकाय, पंजीकरण, पैन/टैन/लेखापरीक्षित लेखे, वेबसाइट आदि जैसे पात्रता मानदण्ड के आधार पर इच्छुक संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंत्रित करेगा। ऐसे आवेदन के प्रस्तुतीकरण पर सम्बन्धित संस्थाएं एम ओ डी प्रतिनिधि, डी जी आर और तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों से बनी समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण करेंगी। उसके बाद अधिकारियों का बोर्ड (बी ओ ओ) पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यक्रम फीस, जिसके लिए मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया गया, के साथ विभिन्न प्रतिमानों जैसे रक्षा स्थापना की निकटता, अधिकार क्षेत्र विशेषज्ञीकरण, संस्था का भौगोलिक फैलाव आदि के आधार पर संस्थाओं का चयन करता है। अनुमोदन पर डी जी आर पाठ्यक्रमों, अवधि आदि के ब्यौरे स्पष्ट कर वार्षिक पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम पुस्तिका (आर टी पी पुस्तिका) प्रकाशित करता है और सेनाओं में उसे परिचालित करता है। इसके अलावा डी जी आर द्वारा अन्य बातों के साथ पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम की अवधि, भागीदारों की संख्या, पाठ्यक्रम फीस आदि का विशेष उल्लेख कर चयनित संस्था के साथ अनुबन्ध किया जाता है।

हमने देखा कि 2010-11 से 2014-15 तक के वर्षों के लिए डी जी आर द्वारा आमंत्रित ई ओ आई के प्रति आई आई एम से तत्परता सहित प्रशिक्षण संस्थाओं से कुल 1328 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

प्राप्त 1328 प्रस्तावों में से हमने 175 प्रस्तावों (चयनित संस्थाओं के 334 पाठ्यक्रमों वाले 120 प्रस्ताव और अस्वीकृत संस्थाओं के 55 प्रस्ताव) की जांच की और पाया कि:

- 120 चयनित संस्थाओं में से 28 संस्थाओं के पास सम्बन्धन नहीं था और इन संस्थाओं में से चार अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, भारतीय लॉजिस्टिक्स संस्थान, चेन्नै, जय सी एवियेशन सर्विसस (प्राइ.) लिमिटेड, नई दिल्ली एवं एपटेक कंप्यूटर एज्यूकेशन, सिकन्दराबाद लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए प्रलेखों के अनुसार पंजीकृत भी नहीं थीं। इस प्रकार इन संस्थाओं ने ई ओ आई में निर्धारित पात्रता मानदण्ड को पूरा नहीं किया। इसलिए इन अपंजीकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाणपत्र सेना कार्मिकों को कोई लाभदायक रोजगार प्रस्तुत नहीं करेंगे क्योंकि ये संस्थाएं मान्यता प्राप्त निकायों से पंजीकृत/संबंध नहीं थे।
- 55 अस्वीकृत संस्थाओं में से हमने पाया कि 12 संस्थाएं (22 प्रतिशत) ई ओ आई में यथा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने के बावजूद अस्वीकृत की गई थीं। वर्ष 2010-11 को छोड़कर इन संस्थाओं के अस्वीकरण का कोई कारण अधिकारियों के बोर्ड द्वारा दिया नहीं गया था।
- उनके चयन से पूर्व बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उन्हें आमंत्रित कर संस्थाओं के निष्पादन को मापने की स्थापित प्रणाली के बावजूद कोई ऐसा प्रस्तुतीकरण डी जी आर द्वारा मांगा अथवा 120 चयनित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- 120 प्रतिदर्शित संस्थाओं से सम्बन्धित 334 पाठ्यक्रमों में से 39 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों का आना कुल रिक्तियों का 10 प्रतिशत तथा कम उससे था, जो दर्शाता है कि ये पाठ्यक्रम अनुचित प्रकार से चयनित थे।
- अधिकारियों के बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम फीस के निर्धारण के लिए कोई मार्गनिर्देश विद्यमान नहीं है। पाठ्यक्रम फीस पूर्व वर्ष की दरों के आधार पर और किसी आधार अथवा प्रतिमान के बिना निश्चित की गई थी।
- गत पांच वर्षों के दौरान आयोजित 334 पाठ्यक्रमों में से 56 में कोई अनुबन्ध किए बिना संस्थाओं को ₹3.2 करोड़ दिया गया था।

अपने उत्तर (फरवरी 2016) में मंत्रालय ने बताया कि संस्थाएं जिनके प्रस्ताव ई ओ आई की प्रतिक्रिया में समय से प्राप्त हुए थे, पर ही बी ओ ओ में विचार किया जा रहा है। अपात्र संस्थाओं से प्रस्तावों की स्वीकृति के संबंध में बताया गया कि प्रशिक्षण वर्ष 2014-15 और बाद से सुधारक उपाय पहले ही किए गए थे जिनमें ऐसे दृष्टान्त शून्य तक नीचे लाए गए थे। इसके अलावा ई एस डब्ल्यू ने प्रस्ताव किया कि प्रस्तुतीकरण करने की आवश्यकता उनकी अन्तिम सूची बनाने से पूर्व केवल नई सूचीबद्ध संस्थाओं से प्राप्त की जाए। पाठ्यक्रम फीस का निर्धारण करने के संबंध में ई एस डब्ल्यू ने बताया कि राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एन एस डी सी) द्वारा

प्रदत्त फीस संरचना प्रत्येक 3 वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ लागू की जाएगी। पाठ्यक्रमों के रद्दीकरण का निर्णय ई एस डब्ल्यू का उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही लिया जाएगा। आगे यह बताया गया कि प्रशिक्षणार्थियों की अल्प उपस्थिति का परिहार करने के लिए इस विषय पर संयुक्त बैठक जैसे प्रिंसिपल पर्सनल ऑफिसर्स कमेटी (पी पी ओ सी) के दौरान तीनों सेनाओं के साथ चर्चा की जाएगी। यह भी बताया गया था कि कुछ अनुबन्ध सत्यापन हेतु सेवा कर विभाग के अधिकार में थे, जो प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उनके चयन से पूर्व बोर्ड को संस्थाओं द्वारा प्रस्तुतीकरण करने की आवश्यकता मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों में विशेष रूप से निर्धारित थी। बी ओ ओ भी संस्थाओं के पात्रता मानदण्ड का पूरा करना सुनिश्चित करने में यथार्थतः विफल हो गया। 12 संस्थाओं, जो पात्रता मानदण्ड पूरा करते हैं, की अस्वीकृति का कोई कारण बताया नहीं गया था। इस प्रकार प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन स्पष्ट, उचित तथा प्रभावी रीति में नहीं किया गया था और पाठ्यक्रमों का चयन पूर्णतया आवश्यकता आधारित नहीं था जिससे पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण देने का मुख्य प्रयोजन विफल हो गया जिसके परिणामस्वरूप अल्प उपस्थिति और पाठ्यक्रमों का रद्दीकरण भी हुआ।

2.1.6.3 समीक्षा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलम्ब

डी आर जैड, संस्थाओं तथा सेवा मुख्यालय के साथ सह स्थित सेना यूनिटों/फार्मेशनों ने आवर्तक प्रतिक्रिया दी थी कि चयनित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और उद्योग द्वारा अपेक्षित कौशल के बीच अन्तर था, परिणामस्वरूप काफी कम अभ्यर्थी लाभदायक रोजगार से लाभान्वित हुए। प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता पर भी संदेह किया गया था। इस प्रतिक्रिया के आधार पर सेवानिवृत्त कार्मिकों के बेहतर/सुनिश्चित स्थापन के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सेवा मुख्यालय और उद्योग के प्रतिनिधियों के परामर्श से प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के चयन के मानदंडों की समीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। तदनुसार अगस्त 2012 में आर आर एम के आदेशों के अधीन डी जी आर की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का आयोजन किया गया था। समिति ने दिसम्बर 2012 में अपनी रिपोर्ट ई एस डब्ल्यू को प्रस्तुत की जिसने संस्थाओं और पाठ्यक्रमों के चयन के लिए मुख्यतया निम्नवत विभिन्न उपायों की सिफारिश की:

(क) ऐसे पाठ्यक्रम के आयोजन हेतु सुरक्षा ज्ञान तथा कौशल विकास परिषद (एस के एस डी सी) द्वारा प्रमाणित प्रशिक्षण संस्थाओं की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने तक सुरक्षा पाठ्यक्रम निलम्बित किए जाने चाहिए। रेजीमेंटल केन्द्रों में ये सुरक्षा पाठ्यक्रम हलके कौशल विकास पाठ्यक्रमों, प्रमाणित कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों और अन्तरिम उपाय के रूप में किसी अन्य उपयुक्त पाठ्यक्रमों से बदले जाए। रेजीमेंटल केन्द्रों में पाठ्यक्रम डिसचार्ज ड्रिल से अलग किए जाए।

(ख) सेवा विशिष्ट पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है।

(ग) मई 2006 में ई एस डब्ल्यू द्वारा अनुमोदित 67 पाठ्यक्रम रद्द किए जाएं।

हमने देखा कि:

- ❖ तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट सेवा मुख्यालय में लम्बित थी जिसके कारण नियोजन उन्मुख पाठ्यक्रमों को आयोजित करने की समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन नहीं हुआ, डिसचार्ज ड्रिल से रेजीमेंटल केन्द्रों के पाठ्यक्रमों को छुटकारा नहीं मिला।
- ❖ कार्य अभिमुखीकरण के बिना प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना जारी था। 67 अकारण पाठ्यक्रमों को रद्द करने के बारे में समिति की सिफारिशों की भावना के विरुद्ध डी जी आर ने ₹5.41 करोड़ का खर्च कर 2013-14 तथा 2014-15 वर्षों के दौरान 11 ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन किया, जो उचित नहीं था।

अपने उत्तर (फरवरी 2016) में मंत्रालय ने बताया कि अधिकांश सिफारिशें, जैसी समिति द्वारा की गईं, पर बी ओ ओ द्वारा विचार किया जा रहा था, तथापि विचार विमर्श हेतु कुछ मामले तीनों सेवा मुख्यालयों को भेजे गए हैं। तथापि मंत्रालय ने इस संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किए। ₹5.41 करोड़ मूल्य के अकारण पाठ्यक्रमों पर निष्फल व्यय के संबंध में डी जी आर द्वारा यह बताया गया था कि पाठ्यक्रम जिनकी विलोपन हेतु सिफारिश की गई थी, केवल ई एस एम के पाठ्यक्रम थे जो जैड एस बी में चलाए गए थे और सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सेवा कार्मिकों के लिए नहीं और उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

तथ्य यह है कि प्रशिक्षण में रिक्तियों के बारे में सेनाओं से विपरीत प्रतिक्रिया के बावजूद दिसम्बर 2012 में प्रस्तुत समीक्षा समिति की रिपोर्ट मंत्रालय के अनुमोदन के लिए अभी भी (फरवरी 2016) प्रस्तुत की जानी थी। इसके अलावा 11 पाठ्यक्रमों, जो समिति की सिफारिशों के बावजूद आयोजित किए गए थे, ने पुनः नियोजन के अधिक अवसर प्रदान नहीं किए और इस प्रकार इन पाठ्यक्रमों पर ₹5.41 करोड़ का व्यय अकारण हो गया था।

2.1.7 प्रशिक्षण की निगरानी

निदेशक पुनर्वास अंचलों (डी आर जैड) का अधिदेश उनके चयन के पूर्व और पाठ्यक्रम चलने के दौरान प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करना है ताकि अवसंरचना और प्रशिक्षण संकाय की पर्याप्तता, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति आदि से सम्बन्धित जांच की जा सके।

2.1.7.1 भागीदारों की नामावलियां और उपस्थिति भेजने में अनियमितताएं

डी जी आर तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच हुए अनुबन्धों के अनुसार संस्थाओं को पाठ्यक्रम के आरम्भ होने के पहले सप्ताह के अन्दर भागीदारों/पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के ब्यौरे डी जी आर को भेजना आवश्यक है। इसके अलावा एक उपस्थिति रजिस्टर बनाना और बिल के साथ पाठ्यक्रम के अन्त में प्रशिक्षण निदेशालय को उसकी एक फोटो प्रति भेजना अपेक्षित था।

हमने देखा कि:

- ❖ उपर्युक्त शर्त की अवहेलना में कोई भी संस्था पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के ब्यौरे डी जी आर को समय से भेज नहीं रही थी और डी जी आर को केवल प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद और बिलों की प्राप्ति पर प्रशिक्षणार्थियों की वास्तविक संख्या की जानकारी मिली। इस प्रकार संस्थाओं में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों की वास्तविक संख्या के बारे में आधारभूत इनपुट की कमी निगरानी के अभाव का सूचक है।
- ❖ अनुबन्ध के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक उपस्थिति रजिस्टर बनाया जाना था जिसे संस्था के बिल के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। हमने पाया कि प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति लगाने में एकरूपता नहीं थी। 120 चयनित संस्थाओं के संबंध में 334 भुगतान मामलों में से 165 मामलों में उपस्थिति प्रशिक्षणार्थियों के हस्ताक्षर से, 141 मामलों में 'पी' के रूप में लगाई गई थी और 28 मामलों में कोई उपस्थिति शीट संलग्न नहीं की गई थी। उचित उपस्थिति शीट के अभाव में और प्रशिक्षणार्थियों के हस्ताक्षर हुए बिना पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की वास्तविक उपस्थिति स्थापित नहीं की जा सकी।
- ❖ डी आर जैड लखनऊ में लेखापरीक्षा के दौरान दो पाठ्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का यादृच्छिक निरीक्षण लेखापरीक्षा द्वारा डी आर जैड के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया था। यह पाया गया था कि एक पाठ्यक्रम में 30 तैनात (07 सूचित) में से 05 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे और अन्य पाठ्यक्रम में 30 (14 सूचित) में से 05 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। अनुपस्थिति स्थिति न केवल ई एस एम को प्रशिक्षण देने के मुख्य उद्देश्य को विफल करती है बल्कि प्रशिक्षणार्थियों की अनुपस्थिति की अवधि के लिए संस्थाओं द्वारा अनियमित दावों का कारण भी बन सकती है।

तथ्य स्वीकार करते हुए (फरवरी 2016) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा विषयों के अनुपालन का आश्वासन दिया, जिसकी प्रतीक्षा की जाएगी।

2.1.7.2 निदेशक पुनर्वास अंचल द्वारा संस्थाओं/पाठ्यक्रमों के निरीक्षण की कमी

निदेशक पुनर्वास अंचलों (डी आर जैड) का अधिदेश उनके चयन के पूर्व और पाठ्यक्रम चलने के दौरान प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करना है ताकि अवसंरचना और प्रशिक्षण संकाय की पर्याप्तता, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति आदि से सम्बन्धित जांच की जा सके।

डी आर जैड लखनऊ सात राज्य कवर करता है और डी आर जैड पुणे 9 राज्य एवं 2 संघ राज्य क्षेत्र कवर करता है। योजित पाठ्यक्रमों और डी आर जैड लखनऊ तथा पुणे द्वारा किए गए निरीक्षण के ब्यौरे नीचे तालिका-9 में दर्शाए गए हैं:

तालिका-9: योजित पाठ्यक्रमों और डी आर जैड लखनऊ तथा पुणे द्वारा किए गए निरीक्षण

वित्त वर्ष	डी आर जैड लखनऊ			डी आर जैड पुणे		
	संस्थाओं में योजित पाठ्यक्रम	आयोजित पाठ्यक्रमों का निरीक्षण	आयोजित पाठ्यक्रमों के निरीक्षण का प्रतिशत	संस्थाओं में योजित पाठ्यक्रम	आयोजित पाठ्यक्रमों का निरीक्षण	आयोजित पाठ्यक्रमों के निरीक्षण का प्रतिशत
2010-11	उपलब्ध नहीं	-	-	12	7	58%
2011-12	उपलब्ध नहीं	-	-	69	10	15%
2012-13	65	12	18%	91	11	12%
2013-14	71	27	38%	132	14	11%
2014-15	69	10	15%	130	22	16%
कुल	205	49	24%	434	64	15%

हमने देखा कि:

- ❖ चयन से पूर्व और पाठ्यक्रम चलने के दौरान संस्थाओं का निरीक्षण डी आर जैड द्वारा नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था। चयनित 120 संस्थाओं में से उनके चयन से पूर्व केवल 16 संस्थाओं का निरीक्षण किया गया था। पाठ्यक्रमों के चलने के दौरान संस्थाओं का निरीक्षण न करने के कारण पर्याप्त अवसंरचना तथा प्रशिक्षण संकाय, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रशिक्षणार्थियों की समयनिष्ठा सुनिश्चित नहीं की गई थी।
- ❖ दो डी आर जैड अर्थात् लखनऊ तथा पुणे के अभिलेखों से पता चला कि औसतन क्रमशः 24 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत संस्थाओं का गत पांच वर्षों के दौरान निरीक्षण किया गया था।

- ❖ या तो ई एस डब्ल्यू अथवा डी जी आर द्वारा मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए थे कि कैसे और किस तन्त्र के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में डी आर जैड द्वारा संस्थाओं/पाठ्यक्रमों के निरीक्षण से सम्बन्धित तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया कि डी आर जैड द्वारा संस्थाओं के निरीक्षण के लिए तन्त्र और इस विषय पर मार्गनिर्देशों को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा आर एस बी/ जैड एस बी और कमान मुख्यालयों को शामिल कर सुधार किया जाएगा, जिसकी प्रतीक्षा की जाएगी।

इस प्रकार निरीक्षण के अभाव में ई एस एम को दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता, इससे लाभान्वित प्रशिक्षणार्थियों की वास्तविक संख्या और प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति से सम्बन्धित संस्थाओं के दावों की प्रामाणिकता के बारे में संस्थाओं पर कोई जांच नहीं की गई थी।

2.1.7.3 जिला सैनिक बोर्डों में भूतपूर्व सैनिकों (अधिकारी श्रेणी से नीचे कार्मिक) का प्रशिक्षण

डी जी आर, जैड एस बी में ई एस एम (पी बी ओ आर) के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित करता है। मई 2006 में डी जी आर ने संशोधित ई एस एम प्रशिक्षण नीति बनाई और सभी आर एस बी/जैड एस बी को परिचालित की। नीति के अनुसार योजित पाठ्यक्रमों, संस्था, जहाँ पाठ्यक्रम आयोजित किया जाएगा और पाठ्यक्रम की अवधि आदि के ब्यौरे दर्शाते हुए प्रशिक्षण की अनुसूची (एस ओ टी) अनुमोदन हेतु डी जी आर को आर एस बी/ जैड एस बी द्वारा भेजा जाना अपेक्षित है।

डी जी आर प्रत्येक वर्ष संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने के लिए महानिदेशालय वित्तीय योजना (डी जी एफ पी) से प्राप्त निधियों में से आर एस बी/जैड एस बी को निधियों का उप आबंटन करता है। आर एस बी/जैड एस बी को 2010-11 से 2014-15 के दौरान डी जी आर द्वारा ₹2.71 करोड़ की राशि आबंटित की गई थी जिसके प्रति जिला सैनिक बोर्ड द्वारा 566 ई एस एम के लिए 58 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए केवल ₹28.8 लाख खर्च किए गए थे और ₹2.42 करोड़ डी जी आर को अभ्यर्पित किए गए थे।

हमने देखा कि:

- ❖ प्रशिक्षण नीति के विपरीत संस्थाओं, वर्ष के दौरान आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों आदि के ब्यौरे आर एस बी/ जैड एस बी द्वारा डी जी आर को भेजे नहीं गए थे जिसके परिणामस्वरूप डी जी आर द्वारा आर एस बी/जैड एस बी को ₹2.42 करोड़ का अधिक आबंटन हुआ था और फलतः 2010-11 से 2014-15 वर्षों के दौरान अभ्यर्पित की गई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में आर एस बी/जैड एस बी को निधियों के अधिक आबंटन का तथ्य स्वीकार करते हुए बताया कि बिन्दु नोट किया जाता है और अनुपालन हेतु प्रक्रिया सरल और कारगर बनाई जाएगी।

2.1.7.4 भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षणार्थियों का स्थापन

डी जी आर की भूमिका सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सेना कार्मिकों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से अतिरिक्त कौशल से सम्पन्न करना और रोजगार/स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से दूसरी जीविका चुनने में उनकी सहायता करना और ई एस एम के लिए बृहत्तर रोजगार अवसर प्राप्त करने के लिए निगम/निजी क्षेत्र से सम्पर्क करना और सेवानिवृत्त सेना कार्मिकों, आश्रितों तथा पुनर्वास/द्वितीय जीविका हेतु बाह्य वातावरण के बीच अन्तरापृष्ठ के रूप में कार्य करना है।

प्रत्येक वर्ष 2000-2500 के बीच अधिकारी और 47,000-60,000 के बीच जे सी ओ/ओ आर सेनाओं से सेवानिवृत्त होते हैं, कुल मिलाकर गत पांच वर्षों के दौरान 2,80,147 सेवानिवृत्त हुए। ₹90.98 करोड़ का व्यय करने के बाद डी जी आर तथा जैड एस बी द्वारा 1,17,313 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षित कुल 1423 ई एस एम में से 566 ई एस एम ₹29 लाख के व्यय से जिला सैनिक बोर्ड (जैड एस बी) में प्रशिक्षित किए गए थे। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रशिक्षित अधिकारियों/जे सी ओ/ओ आर तथा ई एस एम संख्या नीचे तालिका-10 में दर्शायी गयी है:

तालिका-10: प्रशिक्षित अधिकारियों/जे सी ओ/ओ आर की संख्या

वर्ष	अधिकारी	जे सी ओ/ओ आर	ई एस एम	कुल
2010-11	754	17743	843	19340
2011-12	863	22577	269	23709
2012-13	748	20740	95	21583
2013-14	562	21991	175	22728
2014-15	616	29296	41	29953
कुल	3,543	1,12,347	1,423	1,17,313

(डी जी आर अभिलेखों से संकलित डाटा)

हमने देखा कि प्रशिक्षित कार्मिकों के लिए व्यवसाय स्थापन सुनिश्चित करने के लिए डी जी आर के पास कोई अभिलेख/तन्त्र उपलब्ध नहीं है। जिसके अभाव में वांछित उद्देश्य की पूर्ति और द्वितीय आजीविका की ओर सुगम पारगमन के लिए रक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का डी जी आर का अधिदेश स्थापित नहीं किया गया है। यह इस तथ्य के कारण है कि निगम क्षेत्र के साथ सम्पर्क करने अथवा प्रशिक्षित ई एस एम की व्यवसाय स्थापन सहायता के लिए संस्था के साथ अनुबन्ध में खण्ड

सम्मिलित करने के लिए डी जी आर में कोई प्रणाली स्थापित नहीं है। इस प्रकार प्रशिक्षण पर धन (₹90.98 करोड़) खर्च करने का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में स्थापन की निगरानी से सम्बन्धित तथ्य स्वीकार करते हुए बताया कि कमियों की लगभग दो वर्ष पहले पहचान कर ली गई थी और सुधारक उपाय किए जा रहे थे। मुद्दे के समाधान के लिए 2014 से सूचीबद्ध सभी संस्थाओं द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिए स्थापन सहायता प्रदान की जाएगी और उनसे एक छमाही रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा एक स्थापन आश्वासन प्रशिक्षण (पी ए टी), एक पायलट परियोजना आरम्भ की गई है। स्थापन अवसर और निगम जगत के साथ अन्तर क्रिया बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग संघ (सी आई आई) के साथ एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए थे। तथ्य यह है कि उचित सुधारक उपाय और स्थापन सहायता अभी भी (फरवरी 2016) कार्यान्वित किए जाने हैं और केवल तीन पी ए टी पाठ्यक्रम 2015-16 के दौरान आयोजित किए गए थे।

(क) स्थापन आश्वासन प्रशिक्षण (पी ए टी) आयोजित करने में विलम्ब

अक्टूबर 2012 में डी जी आर ने पी ए टी से सम्बन्धित ई एस डब्ल्यू को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो डी जी आर द्वारा आयोजित किए जा रहे किन्हीं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित ई एस एम को न्यूनतम 70 प्रतिशत स्थापन देने के लिए वर्ष 2013-14 के लिए "ई एस एम के विशेषीकृत स्थापन आश्वासन प्रशिक्षण" पाठ्यक्रमों पर एक पायलट परियोजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार के सुझाव से बनाए गए। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के पीछे विचार सीमित अवधि हेतु व्यवसायोन्मुख प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना था। इस प्रयोजन हेतु प्रशिक्षण संगठनों को भी ई एस एम का स्थापन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहीकृत किया जाना था। माननीय आर आर एम ने जुलाई 2013 में पी ए टी के लिए अनुमोदन दिया।

हमने देखा कि डी जी आर ने सितम्बर 2013 में पी ए टी के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंत्रित की, परन्तु मामला पाठ्यक्रम निश्चित करने के लिए डी जी आर तथा ई एस डब्ल्यू के बीच आता जाता रहा। 24 महीनों के बाद डी जी आर ने इस शर्त कि संस्था 50 प्रतिशत और अधिक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवसाय स्थापन की गारंटी करती है, के साथ जुलाई तथा दिसम्बर 2015 के बीच आयोजित किए जाने वाले तीन पाठ्यक्रमों का चयन किया/योजना बनाई।

इस प्रकार पी ए टी आयोजित करने के लिए ई एस डब्ल्यू/डी जी आर द्वारा कोई पहल नहीं की गई थी और जुलाई 2013 में इसके अनुमोदन के बाद व्यवसाय गारंटी से ई एस एम को वंचित करते हुए दो वर्ष के विलम्ब के बाद ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बनाई गई थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में पी ए टी के आयोजन में विलम्ब से सम्बन्धित तथ्य स्वीकार करते हुए बताया कि वह विभिन्न कारकों जैसे भुगतान शर्तों, आश्वस्त स्थापन की प्रतिशतता, प्रस्तावित व्यवसाय की प्रकृति आदि के कारण विलम्बित था। तथ्य यह है कि पी ए टी की अक्टूबर 2012 की डी जी आर की पहल योजना और डी जी आर एवं मंत्रालय स्तर पर निर्णय करने की कमी के कारण फलित नहीं हुई।

(ख) आरक्षण नीति का अल्प कार्यान्वयन

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के आदेशों⁷ के अनुसार ई एस एम को सीधी भर्ती में केन्द्र सरकार विभागों/केन्द्रीय पी एस यू, बैंकों, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (सी पी एम एफ) आदि में आरक्षण दिया गया है, जैसा कि नीचे तालिका-11 में दर्शाया गया है:

तालिका-11: वर्ग 'क', 'ग' तथा 'घ' पदों का आरक्षण

संगठन का नाम	वर्ग 'क' पद	वर्ग 'ग' पद	वर्ग 'घ' पद
मंत्रालय/विभाग	-	10%	20%
सी पी एम एफ	10%	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पी एस यू	-	14.5%	24.5%
बैंक	-	14.5%	24.5%

(स्रोत: भारत सरकार के आदेश)

ई एस एम पुनर्नियोजन के आरक्षण का मामला केबिनेट सचिवालय द्वारा देखा जा रहा था और यह उत्तरदायित्व जुलाई 2012 में ई एस डब्ल्यू/डी जी आर को दिया गया था। आरक्षण नीति के संबंध में डी जी आर की भूमिका सरकारी संगठनों में डी ओ पी टी नीति को कार्यान्वित करना था। डी जी आर विभिन्न संगठनों द्वारा दी गई सूचना का संकलन और विश्लेषण करता है और संगठन जो अपने यहाँ में ई एस एम की निर्धारित प्रतिशतता नहीं रखते हैं, उनके द्वारा ई एस एम के आरक्षित पदों को भरने का अनुरोध किया गया था। दो वर्ष बाद अर्थात् अगस्त 2014 में ई एस डब्ल्यू ने छमाही आधार पर सभी ऐसी रिपोर्टें भेजने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को मामला परिचालित किया और शीघ्र ही दिसम्बर 2013 को समाप्त अवधि के लिए पहली रिपोर्ट मांगी। 412 मंत्रालयों/विभागों में से केवल 135 विभागों ने सितम्बर 2014 तथा फरवरी 2015 के बीच डी जी आर को उत्तर दिया था।

⁷ दिसम्बर 1979, मार्च 1980, मई 1988 में जारी सरकारी आदेश और अक्टूबर 2012 की राजपत्र अधिसूचना

हमने देखा कि 135 विभागों, जिनके डाटा डी जी आर के पास उपलब्ध थे, में 1,03,648 ई एस एम के प्राधिकरण के प्रति आरक्षण नीति के अन्तर्गत मार्च 2015 तक 78,042 ई एस एम की कमी छोड़कर केवल 25,606 ई एस एम (25 प्रतिशत) नियोजित किए गए थे। इस प्रकार ई एस एम के नियोजन हेतु केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति जून 2012 से डी जी आर द्वारा प्रभावी रूप से कार्यान्वित और निगरानी नहीं की जा रही थी।

अपने उत्तर (फरवरी 2016) में मंत्रालय ने बताया कि पर्याप्त संख्या में केन्द्र सरकार मंत्रालय/विभाग और सी पी एस यू अपेक्षित डाटा भेजने के लिए उन्हें अनुरोध करने के बावजूद नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए डाटा भेज नहीं रहे हैं। केबिनेट सचिवालय ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में डाटा संग्रहित और संकलित करने के लिए ई एस डब्ल्यू को अधिदेशित किया है। तथापि ई एस डब्ल्यू को आरक्षण रिक्तियों की निगरानी करने की शक्ति नहीं दी गई है जिसका डी ओ पी टी के क्षेत्राधिकार में होना जारी है। डी ओ पी टी के साथ संपर्क करना ई एस डब्ल्यू का कार्य है।

मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ई एस एम कल्याण और उनके पुनर्वास/पुनर्नियोजन ई एस डब्ल्यू/मंत्रालय का अधिदेश है और इसलिए आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन करने हेतु डाटा का संग्रहण, समाकलन करना और उसे नियमित रूप से डी ओ पी टी को अग्रेषित करना डी जी आर का उत्तरदायित्व था।

2.1.8 रोजगार

डी जी आर की भूमिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से अतिरिक्त कौशल से सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सेवा कर्मियों को सम्पन्न करना और रोजगार/स्वरोजगार कल्याण योजनाओं के माध्यम से दूसरी जीविका चुनने में उनकी सहायता करना है। मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं/आश्रितों के पुनर्वास/पुनर्नियुक्ति के लिए एक रोजगार तथा दस स्वरोजगार योजनाएं आरंभ की हैं। डी जी आर अपने रोजगार तथा स्वरोजगार निदेशालयों के माध्यम से इन योजनाओं को प्रायोजित तथा निगरानी करता है।

रोजगार निदेशालय भूतपूर्व सैनिकों के पंजीकरण, रोजगार हेतु उन्हें प्रयोजित करने और डी जी आर सूचीबद्ध सुरक्षा एजेंसी योजना के प्रकार्य की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है। स्वरोजगार निदेशालय रोजगार और ई एस एम कोयला लदान तथा परिवहन कम्पनियों, विधवाओं तथा अशक्त ई एस एम के लिए टिप्पर संलग्न के कार्यचालन, तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन हेतु पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने, कम्पनी स्वामित्व कम्पनी परिचालित (सी ओ सी ओ) योजना तथा एन सी आर में सी एन जी के लिए प्रायोजन, सेवानिवृत्त जे सी ओ/ओ आर के लिए मदर डेयरी दुकानों/ सफल दुकानों के आबंटन के लिए प्रायोजन और मास्टर जनरल ऑफ आर्डनेन्स (एम जी ओ)

शाखा सेना मुख्यालय के माध्यम से ई एस एम/विधवाओं को सेना बेशी वाहनों का आबंटन सुगम करने के लिए उत्तरदायी है।

हमने पाया कि डी जी आर प्रायोजित सभी योजनाएं 10 वर्षों से अधिक पुरानी हैं। इन वर्षों में ई एस एम के कल्याण/स्वरोजगार हेतु डी जी आर/मंत्रालय द्वारा कोई नई योजना प्रस्तावित/आरम्भ नहीं की गई है। यह डी जी आर में एकमात्र रूप से रोजगार तथा स्वरोजगार हेतु कार्यरत दो स्वतन्त्र निदेशकों के बावजूद है। इसके अलावा यह जानते हुए कि पुराने विन्टेज/बेशी वाहनों में ई एस एम मुश्किल से कोई रुचि रखते हैं, योजनाओं की कोई समीक्षा नहीं की गई है, कोयला कम्पनियों के लिए पर्याप्त भार नहीं था, युद्ध विधवाओं को एम ओ पी एण्ड एन जी के आदेशों के अनुसार तेल उत्पाद एजेंसियों का 8 प्रतिशत कोटा प्राप्त नहीं हो रही थी, गोपालजी डेयरी रुग्ण थी क्योंकि ई एस एम की कोई रुचि नहीं देखी गई थी और सी एन जी दुकान के लिए 60 प्रतिशत ई एस एम को एम ओ यू के अभाव में जाब प्राप्त नहीं हो रहे थे। पुरानी योजनाओं में डी जी आर/मंत्रालय द्वारा कोई परिवर्तन/आधुनिकीकरण नहीं किया गया था क्योंकि अनेक योजनाएं अपने आरम्भ से ही कार्यचालन परिवेश में परिवर्तन के कारण अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए प्रतीत होती हैं।

एक रोजगार तथा सात स्वरोजगार योजनाओं की लेखापरीक्षा जांच में आगे पता चला कि योजनाओं की उचित प्रकार निगरानी नहीं की जा रही है और ई एस एम योजनाओं के अभिप्रेत लाभों से वंचित हो गए हैं जैसा कि नीचे चर्चा की गई:

2.1.8.1 रोजगार योजना

(1) सुरक्षा एजेंसी योजना

डी जी आर ने ई एस एम के लिए पुनर्वास अवसर सुनिश्चित करने के लिए 1992 से सुरक्षा एजेंसियों को प्रायोजित करना आरम्भ किया। भारत सरकार/ लोक उद्यम विभाग ने नवम्बर 1994 में डी जी आर द्वारा प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा कवर लेने के लिए सभी केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/उद्यमों (सी पी एस यू/सी पी एस ई) को निर्देश दिया। सुरक्षा एजेंसियों के लिए मार्गनिर्देश समय समय पर जारी/संशोधित किए गए थे और अन्ततः जुलाई 2012 में संशोधित किए गए थे (जनवरी 2013 में संशोधित)।

ई एस एम (अधिकारी) सुरक्षा एजेंसी की सूची बनाने हेतु डी जी आर को आवेदन करते हैं। सुरक्षा गार्डों की मांग सी पी एस यू/सी पी एस ई से प्राप्त की जाती है। ई एस एम (ओ आर) ई एस एम सुरक्षा एजेंसियों के मालिकों द्वारा सुरक्षा गार्डों के रूप में नियोजित किए जाते हैं। डी जी आर सी पी एस यू/सी पी एस ई के लिए उनकी वरिष्ठता के चक्रीय क्रम में सूचीबद्ध सुरक्षा एजेंसियों को प्रायोजित करता है जो अन्तिम चयन हेतु निविदा आमंत्रित करता है। ई एस एम (ओ) को सुरक्षा एजेंसी चलाने

के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम (पी एस ए आर ए) 2005 के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त लाइसेंस प्रस्तुत करना पड़ता है। तथापि मंत्रालय ने जुलाई 2012 में पी एस ए आर ए लाइसेंस के लिए प्रस्तुत आवेदन की पावती भेजने पर सुरक्षा एजेंसियां चलाने के लिए ई एस एम को योग्य बनाकर इस शर्त को शिथिल किया जिसे बाद में अप्रैल 2015 में वापस लिया गया था। कम से कम 90 प्रतिशत ई एस एम व्यक्तिगत ई एस एम सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियोजित किए जाएंगे। प्रत्येक सुरक्षा एजेंसी से डी जी आर को प्रधान नियोक्ताओं अर्थात् सी पी एस यू द्वारा विधिवत प्रति हस्ताक्षरित छमाही गार्ड अद्यतीकरण क्षमता रिपोर्ट भेजना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां:

- लेखापरीक्षा ने 303 सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जिनमें से 215 सुरक्षा एजेंसियां (71 प्रतिशत) आस्थगित (एच आई ए) रखी गई थीं अर्थात् सितम्बर 2015 तक अस्थाई रूप से प्रचालन में नहीं थीं। 215 में से 184 सुरक्षा एजेंसियां पी एस ए आर ए लाइसेंस प्रस्तुत न करने के कारण एच आई ए थीं और शेष 31 छमाही सुरक्षा अद्यतीकरण क्षमता रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, कुल गार्डों के 90 प्रतिशत तक ई एस एम गार्डों का नियोजन न करने, जारी कारण बताओ नोटिस आदि के कारण एच आई ए थीं। राज्य सरकारों द्वारा ई एस एम सुरक्षा एजेंसियों को पी एस ए आर ए लाइसेंस शीघ्र जारी करना सरल बनाने के लिए डी जी आर द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए थे। इस प्रकार ई एस एम योजना के अभिप्रेत लाभ से वंचित हो गए थे।
- सुरक्षा एजेंसियों के निरीक्षण के लिए कोई तन्त्र स्थापित नहीं है क्योंकि इस संबंध में डी जी आर द्वारा एस ओ पी/ मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों के निरीक्षण के लिए कोई निरीक्षण कार्यक्रम लेखापरीक्षित दो डी आर जैड द्वारा बनाया नहीं गया था। उचित निरीक्षण के अभाव में ई एस एम गार्डों का न्यायसंगत नियोजन और उनकी हकदारी को पूरा करना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- सुरक्षा एजेंसियों द्वारा छमाही अद्यतीकरण क्षमता रिपोर्टों नियमों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित प्रधान नियोक्ताओं के प्रतिहस्ताक्षर के बिना डी जी आर को भेजी जा रही थीं। जिसके अभाव में ई एस एम गार्डों का न्यायसंगत नियोजन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में अनुपालन हेतु मुद्दे स्वीकार कर लिए और बताया कि एच आई ए स्थिति के अन्तर्गत बड़ी संख्या में आई सुरक्षा एजेंसियों का मामला डी जी आर द्वारा शीघ्र निपटाया गया था। बैठकें आयोजित की गई थीं और मामला सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था और आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने पी एस ए आर ए लाइसेंस जारी करना आरम्भ कर दिया है। पी एस ए

आर ए लाइसेंस धारक सुरक्षा एजेंसियों की संख्या 29 प्रतिशत से 43 प्रतिशत तक बढ़ गई है। निरीक्षण हेतु एस ओ पी तैयार किया गया है और उसे सभी निरीक्षक एजेंसियों में परिचालित किया जाएगा।

तथ्य यह है कि पर्याप्त प्रतिशत अर्थात् 57 प्रतिशत सुरक्षा एजेंसियां महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश में मुख्यतया पी एस ए आर ए लाइसेंस प्रस्तुत न करने के कारण अभी भी अस्थाई रूप से प्रचालन में नहीं हैं। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों के निरीक्षण हेतु तैयार एस ओ पी अभी भी परिचालन चरण में है। इस प्रकार ई एस एम योजना के अभिप्रेत लाभ से वंचित हो गए थे।

2.1.8.2 स्वरोजगार योजना

(क) ई एस एम/उनकी विधवाओं/ई एस एम सहकारी समितियों को सेना बेशी वाहनों का आबंटन

“ई एस एम/उनकी विधवाओं/ई एस एम सहकारी समितियों को सेना बेशी वाहनों का आबंटन” योजना जनवरी 1962 में आरम्भ की गयी थी। मंत्रालय ने योजना के प्रचालन हेतु समय समय पर मार्गनिर्देश जारी/संशोधित किए जो अन्ततः अप्रैल 2006 में संशोधित किए गए थे।

डी जी आर इच्छुक पात्र ई एस एम/उनकी विधवाओं के नाम पंजीकृत करता है और मंत्रालय द्वारा निर्धारित मूल्य पर सेना बेशी वाहनों के आबंटन के लिए रोस्टर के अनुसार उनके नाम सेना मुख्यालय मास्टर जनरल आफ आर्डनेंस (एम जी ओ) शाखा को भेजता है। आवेदक को डी जी आर के पास प्रतिभूति (वाहनों के प्रकार के आधार पर ₹1000, ₹3000, एवं ₹8000) जमा करनी पड़ती है जो जब्त कर ली जाएगी और सरकारी खजाने को तिमाही अन्तरित की जाएगी यदि आवेदक वाहन के निर्गम आदेश की तारीख से 18 माह के अन्दर डी जी आर से प्रतिभूति जमा के प्रतिदाय हेतु दावा नहीं करता है। एम जी ओ शाखा को वाहन जारी करने के निर्गम आदेशों और डिपुओं से संग्रहीत वाहनों के ब्यौरों के बारे में डी जी आर को सूचित करना अपेक्षित है।

योजना में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों जैसे लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए, पर नीचे चर्चा की गई है:

- ई एस एम द्वारा सेना बेशी वाहनों के पंजीकरण में तीव्र कमी हुई थी जो 2010 में 1082 नग थी, 2014 में 67 नग तक घट गई। स्पष्टतया ई एस एम मुश्किल से सेना बेशी वाहनों के लिए कोई रुचि रखते हैं जो योजना की सम्पूर्ण सफलता पर प्रतिकूल रूप से प्रतिबिम्बित होता है।

- वाहनों के लिए प्रतीक्षा समय चिन्ताजनक था। कुछ मामलों में यह 10 से 20 वर्ष के बीच था जिसने पंजीकरण को रद्द करने हेतु जाने के लिए आवेदकों को मजबूर किया।
- डी जी आर एवं मास्टर जनरल आफ आर्डनेंस ब्रान्च (एम जी ओ शाखा) के बीच समन्वय की कमी थी क्योंकि अपेक्षित डाटा अर्थात् एम जी ओ शाखा द्वारा जारी वाहनों के निर्गम आदेशों और डिपुओं से 2010 से 2014 तक के दौरान आवेदकों द्वारा संग्रहीत वाहनों के ब्यौरे क्रमशः एम जी ओ शाखा और सम्बन्धित डिपुओं द्वारा डी जी आर को भेजे नहीं गए थे।
- उनके द्वारा संचित प्रतिभूति जमा राशि में से डी जी आर ने नवम्बर 2010 में ₹4.50 करोड की सावधि जमा (एफ डी) की थी। ₹4.50 करोड के परिकलन के ब्यौरे भेजे नहीं गए थे और न ही इसकी आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी। तथापि अप्रैल 2006 के एम ओ डी के मार्गनिर्देशों में अवधि जमा का ऐसा कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में कमियों जैसे विन्टेग वाहनों में रुचि की कमी के कारण ई एस एम द्वारा दिखाई रुचि की तीव्र अवनति, अल्प उपलब्धता और डी जी आर तथा एम जी ओ शाखा के बीच समन्वय न होना, को स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय ने प्रतिभूति जमा के लिए गैर लोक निधि लेखे अनुरक्षित करने और ₹4.50 करोड के परिकलन ब्यौरे जो ई एस एम धन था और अवधि जमा में रखा गया, पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विषयान्तर कर दिया। इस प्रकार ई एस एम को अभिप्रेत लाभ योजना से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) ई एस एम कोयला लदान तथा परिवहन योजना

योजना कोयला सहायक कम्पनियों में संघ मुक्त बँधुआ परिवहन संगठन रखने और पुनर्वास हेतु ई एस एम को अवसर देने के उद्देश्य से 1979 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के बीच ई एस एम कोयला लदान तथा परिवहन कम्पनियां बनाने के लिए प्रतिपादित की गई थी। कोल इण्डिया लिमिटेड (सी आई एल) तथा डी जी आर के बीच हस्ताक्षरित अप्रैल 1999 तथा दिसम्बर 2013 के समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) सी आई एल की कोयला सहायक कम्पनियों में ई एस एम कोयला लदान तथा परिवहन कम्पनियों के निर्माण तथा संचालन के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करते हैं। एम ओ यू (अप्रैल 1999) के खण्ड 18 में प्रावधान है कि दरें निर्धारित करने और अदा की जाने वाली वार्षिक वृद्धि निर्धारित करने की रूपात्मकताएं डी जी आर के परामर्श से कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रतिपादित की जाएगी। इसके अलावा एम ओ यू (दिसम्बर 2013) का खण्ड 13 और अप्रैल 2014 का इसका परिशिष्ट अनुबद्ध करते हैं कि वर्ष में इसकी बेड़ा क्षमता के 80 प्रतिशत के आनुपातिक निम्नतम गारंटीकृत

कार्य सी आई एल सहायक कम्पनियों द्वारा ई एस एम कोयला कम्पनियों को दिए जाएंगे।

सी आई एल कोयला सहायक कम्पनियों से मांगपत्र की प्राप्ति पर डी जी आर निदेशक के रूप में पांच पात्र ई एस एम (अधिकारी) वाली ई एस एम कोल प्राइवट लिमिटेड कम्पनी को प्रायोजित करता है। ई एस एम कोयला कम्पनी निम्नतम 1 पे लोडर और 10 टिप्पर ट्रकों के साथ आरम्भ करती है जो निर्धारित समय अन्तराल पर और बढ़ाया जाता है। ई एस एम कोल कम्पनी से कुल नियमित कर्मचारियों के 75 प्रतिशत तक ई एस एम/उनकी विधवाओं/आश्रितों को नियुक्त करना अपेक्षित है। ई एस एम कम्पनी को कार्य के आरम्भ की तारीख से 05 वर्ष के लिए प्रचालन करना अनुमत किया जाता है जो 09 वर्षों तक विस्तारयोग्य है।

योजना से जुड़ी दो उप योजनाएं हैं जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) पात्र भूतपूर्व सैनिक (अधिकारी श्रेणी से नीचे कार्मिक) के लिए टिप्पर आसंजन योजना:

योजना टिप्पर ट्रक के आसंजन के माध्यम से ई एस एम कोयला परिवहन योजना में भाग लेने के लिए ई एस एम पैन इण्डिया को अवसर प्रदान करने के लिए आरम्भ की गई है।

(ii) विधवाओं/अशक्त ई एस एम/आश्रितों के लिए टिप्पर आसंजन योजना:

डी जी आर पात्र विधवाओं/अशक्त ई एस एम/आश्रितों को प्रायोजित करता है जो ई एस एम कोयला कम्पनी के पास पांच वर्षों के लिए ₹1.00 लाख का एक समय प्रत्यर्पणीय जमा करते हैं जो आगे उन्हें ₹3000 प्रति माह का निर्धारित पारिश्रमिक वापस भुगतान करती है। ई एस एम कम्पनी के स्वामित्व वाले 10 टिप्परों के प्रति डी जी आर 20 विधवाओं/अशक्त ई एस एम आश्रितों को संलग्न करेगा।

हमने देखा कि:

- ❖ ई एस एम कोयला लदान तथा परिवहन कम्पनियां चलाने के लिए सी आई एल की छः कोयला सहायक कम्पनियां थीं, जैसा कि **अनुलग्नक-III** में दर्शाया गया है। इनमें से केवल तीन ई एस एम कोयला कम्पनियों को मांगें भेज रही हैं। दो सी आई एल सहायक कम्पनियों ने 2009 से ई एस एम कोयला कम्पनियों को मांगें भेजना बन्द कर दिया और शेष एक सहायक कम्पनी में केवल एक ई एस एम कोयला कम्पनी मई 2008 से प्रचलन में है। चूंकि ई एस एम के लिए बनी 50 प्रतिशत सहायक कम्पनियां प्रचालन में नहीं थीं इसलिए ई एस एम योजना के वांछित लाभों से वंचित हो गए हैं।

- ❖ कोयला परिवहन कार्य के लिए डी जी आर के परामर्श से सी आई एल द्वारा भुगतान किए जाने वाले वार्षिक दर संशोधन तथा वृद्धि के एम ओ यू के विपरीत दर संशोधन 2008 तथा 2012 में अर्थात् चार वर्षों के अन्तराल के बाद डी जी आर को शामिल किए बिना किया गया था। 2012 के बाद आज तक दर कोई संशोधन नहीं किया गया था। इस प्रकार ई एस एम कोयला कम्पनियां दर के संशोधन से प्राप्त होने वाले अभिप्रेत लाभों से वंचित हो गई थीं।
- ❖ 2010-11 से 2014-15 तक के दौरान दो डी आर जैड अर्थात् लखनऊ तथा पुणे द्वारा ई एस एम कोयला कम्पनियों के निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण रिपोर्टों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से योजना के प्रकार्य में निम्नलिखित कमियों का पता चला:
 - ❖ एम ओ यू के अनुसार कम से कम एक निदेशक को कार्य स्थलों पर उपस्थित होना चाहिए परन्तु निरीक्षणों के समय कार्य स्थलों पर कोई निदेशक उपस्थित नहीं था। इसके अलावा कोई ई एस एम उपस्थित नहीं था और कोयला खदान स्थानों में निजी ट्रक कार्य कर रहे थे। ई एस एम द्वारा लगाए गए पे लोडर /टिप्पर निष्क्रिय रहे क्योंकि कार्य सिविल ठेकेदारों को दिए गए थे।
 - ❖ कोयला परिवहन हेतु कार्य आदेश कम अवधि अर्थात् तीन माह से एक वर्ष के लिए ई एस एम कोयला कम्पनियों को दिए गए थे और ई एस एम कोयला कम्पनियों द्वारा ढोए जाने वाले कोयला की निर्धारित मात्रा निर्धारित नहीं की गई थी।
 - ❖ एक सी आई एल सहायक कम्पनी अर्थात् वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (डब्ल्यू सी एल) नागपुर में कोयला लदान तथा परिवहन के सभी कार्य निविदा की प्रक्रिया के माध्यम से कराए गए थे। कोई कार्य जो या तो आर्थिक अव्यवहार्यता अथवा बाह्य कारकों के कारण सिविल ठेकेदारों द्वारा अस्वीकृत /अस्वीकार किया गया था, पश्च लिखित सहमति के माध्यम से ई एस एम कोयला कम्पनियों को प्रस्तुत किया गया था। चूंकि ई एस एम कोयला कम्पनियाँ निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती हैं इसलिए उन्हें कार्य सौंपने के लिए निविदा आमंत्रण प्रक्रिया के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी पडती है। यह प्रथा डी जी आर तथा सी आई एल के बीच हस्ताक्षरित एम ओ यू के प्रतिकूल थी, क्योंकि एम ओ यू ने ई एस एम कोयला कम्पनी को निम्नतम गारंटीकृत कार्य के आबंटन का आश्वासन दिया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में अनुपालन हेतु बिन्दुओं को स्वीकार किया और बताया कि वर्तमान में ई एस एम कोयला कम्पनियां छः सहायक कम्पनियों में से चार सी आई एल सहायक कम्पनियों को प्रायोजित की जा रही हैं। दो सी आई एल

सहायक कम्पनियों ने 2009 से ई एस एम कोयला कम्पनियों को मांग भेजना बन्द कर दिया। सी आई एल के इस निर्णय का मामला जो डी जी आर को बताए बिना था, सभी सहायक कम्पनियों से सभी रोजगार रास्तों की बहाली के लिए सी आई एल के साथ उठाया जाएगा। दर संशोधन का मामला अनेक अवसरों पर डी जी आर के साथ उठाया गया था और जिसके लिए दरों के संशोधन हेतु अगस्त 2015 में सी आई एल ने अब अध्ययन समूह का गठन किया है। इसके अलावा यह बताया गया था कि कार्यस्थल पर निदेशकों की उपस्थिति का विषय निरीक्षण के दौरान डी आर जैड द्वारा विशेष रूप से जांच की जाएगी और वर्ष में बेड़ा क्षमता के 80 प्रतिशत के समानुपात पर्याप्त कार्य प्रत्येक ई एस एम कोयला कम्पनी को प्रदान किया जाएगा।

तथ्य यह है कि अगस्त 2012 के बाद अभी तक दरों का संशोधन नहीं किया गया है और सी आई एल द्वारा अगस्त 2015 में गठित अध्ययन समूह को अभी भी दरों में संशोधन की अपनी रिपोर्ट देनी है। इस प्रकार ई एस एम उनको भुगतान किए जाने वाले न्यायसंगत दरों से वंचित हो गए हैं। इसके अलावा डी जी आर को सी आई एल सहायक कम्पनियों में कार्यरत ई एस एम कोयला कम्पनियों के निरीक्षण के दौरान डी आर जैड द्वारा देखी गई अनियमितताओं का समाधान करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करनी है।

(ग) तेल उत्पाद एजेंसियां/ एल पी जी वितरक योजना

ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में तेल उत्पाद दुकानें तथा एल पी जी एजेंसी के आबंटन की योजना राष्ट्र के लिए रक्षा कार्मिकों के बलिदान का सम्मान करने की संकल्पना के साथ तीनों सेनाओं के अशक्त सशस्त्र बल कार्मिकों, युद्ध विधवाओं तथा उनके आश्रितों के पुनर्वास और पुनर्नियुक्ति के लिए आरम्भ की गई थी। योजना के लाभार्थी अक्टूबर 2000 में एम ओ डी के सामंजस्य से जारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम ओ पी एण्ड एन जी) आदेशों द्वारा शासित किए जाते हैं, जो पेट्रोल, हाईस्पीड डीजल, मिट्टी का तेल तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) की फुटकर दुकान के आबंटन हेतु रक्षा कार्मिकों के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करते हैं।

तथापि ई एस एम के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण से सम्बन्धित एम ओ पी एण्ड एन जी के आदेश तेल कम्पनियों अर्थात् इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा समय समय पर संशोधित किए गए थे और ई एस एम की आरक्षण प्रतिशतता एम ओ डी को शामिल किए बिना **अनुलग्नक-IV** में दर्शाए अनुसार हलकी की गई थी।

योजना की लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित का पता चला:

- तेल कम्पनियों ने इस श्रेणी में अर्द्ध सैनिक कार्मिकों, केन्द्र/राज्य सरकार तथा केन्द्र/राज्य पी एस यू कर्मचारियों को शामिल कर और एल पी जी वितरक तथा फुटकर दुकान वितरक योजनाओं के संबंध में इसे वर्ग आधारित आरक्षण (सामान्य वर्ग, ओ बी सी, एस सी/एस टी) बनाकर भी रक्षा कार्मिकों के 8 प्रतिशत आरक्षण को हलका किया है। रक्षा कार्मिकों की श्रेणी में अन्य कर्मचारियों को शामिल करने का प्रभाव **अनुलग्नक-V** में दर्शाए अनुसार डी जी आर द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र (2010 में 533 से 2014 में 65) जारी करने में तीव्र घटती प्रवृत्ति द्वारा परिपुष्ट है। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत ई एस एम लाभार्थियों की संख्या में अत्यधिक कमी हुई थी।
- आरक्षण में हल्केपन के कारण उनको फुटकर दुकान /एल पी जी एजेंसी का आबंटन न करने से सम्बन्धित ई एस एम/विधवाओं/आश्रितों से विभिन्न शिकायतें हुईं परन्तु डी जी आर कार्यालय इस तर्क कि फुटकर दुकानों/एल पी जी एजेंसियों को सूचीकरण, साक्षात्कार, चयन, आबंटन तेल कम्पनियों का एकमात्र विशेषाधिकार है और डी जी आर के पास पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के अतिरिक्त इसमें कहने को कुछ नहीं है, पर विषयों को सुलझाने की स्थिति में नहीं या तथापि डी जी आर ने ई एस एम का आरक्षण कोटा बचाने के लिए एम ओ पी एण्ड एन जी के साथ मामला नहीं उठाया था।
- यह सुनिश्चित करने कि एम ओ पी एण्ड एन जी द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण प्रतिशतता वास्तव में ई एस एम को दी जाती है, के लिए डी जी आर के पास कोई तन्त्र नहीं है क्योंकि डी जी आर को एम ओ पी एण्ड एन जी द्वारा कोई रिक्ति स्थिति भेजी नहीं गई है। ई एस डब्ल्यू/डी जी आर की पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के अलावा योजना में कोई अन्तर्ग्रस्तता नहीं है जो योजना का दोष है।
- लाभार्थियों, जिन्हें तेल कम्पनियों द्वारा फुटकर दुकानें/एल पी जी एजेंसियां आवंटित की गई हैं, के ब्यौरे डी जी आर के पास उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ब्यौरे तेल कम्पनियों द्वारा भेजे नहीं गए हैं। इस प्रकार डी जी आर ने योजना की प्रभावी रूप से निगरानी नहीं की थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में बताया है कि आरक्षण कोटा में संशोधन डी जी आर को शामिल किए बिना तेल कम्पनियों द्वारा सम्मिलित किए गए थे और जिसके लिए रक्षा कार्मिकों के बलिदान के स्तर पर प्राथमिकताओं को पुनः स्थापित कर जाति आधार पर कोटा के विभाजन बिना रक्षा कोटा के अन्तर्गत तेल उत्पाद एजेंसी के आबंटन हेतु 8 प्रतिशत नीति के पुनः स्थापन हेतु अगस्त 2015 में डी जी आर के कार्यालय में एम ओ पी एण्ड एन जी, एम ओ डी (डी ई एस डब्ल्यू) के प्रतिनिधि तथा तेल कम्पनियों के सदस्यों के साथ डी जी आर की अध्यक्षता में बैठक की गई थी।

तथ्य यह है कि तेल कम्पनियों द्वारा ई एस एम के आरक्षण कोटा के मनमाने रूप से हल्का करने का मामला युद्ध विधवाओं के हित की रक्षा के लिए एम ओ पी एण्ड एन जी के साथ उठाने में मंत्रालय विफल हो गया।

(घ) सम्पीडित प्राकृतिक गैस दुकान प्रबन्धक योजना

सम्पीडित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) दुकान प्रबन्धक योजना कम्पनी स्वामित्व कम्पनी प्रचालित आधार के अन्तर्गत सी एन जी दुकान प्रबन्धकों के रूप में ई एस एम (ओ) को नियोजित करने के द्वारा दिल्ली/एन सी आर में वाहन मालिकों को सी एन जी की कठिनाई मुक्त आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से 2001 में आरम्भ की गई थी। योजना का सुगम संचालन और सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए उचित मार्गनिर्देश निर्धारित करने के लिए सितम्बर 2001 में डी जी आर तथा इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई जी एल) ने एक ड्राफ्ट एम ओ यू प्रतिपादित किया। ड्राफ्ट एम ओ यू के अनुसार प्रबन्धक सी एन जी स्टेशन के लिए प्राधिकृत स्टाफ के 60 प्रतिशत के अनधिक अधिकतम ई एस एम (पी बी ओ आर) को नियोजित करेगा।

हमने देखा कि:

- ❖ ड्राफ्ट एम ओ यू एक दशक के अधिक समय से हस्ताक्षर नहीं किया गया है क्योंकि आई जी एल उसके लिए प्रवृत्त नहीं था और योजना किसी एम ओ यू बिना चल रही है। एम ओ यू के अभाव में सी एन जी स्टेशनों पर निम्नतम 60 प्रतिशत ई एस एम नियोजित करने की मूल शर्त प्रवर्तित नहीं की जा सकती है।
- ❖ वर्तमान प्रक्रिया के विपरीत आई जी एल को प्रायोजित करने के लिए ई एस एम (ओ) का पैनल बी ओ ओ द्वारा बनाया नहीं गया है क्योंकि ई एस डब्ल्यू प्रतिनिधि इस प्रयोजन हेतु डी जी आर कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिन्दुओं को स्वीकार कर लिया और उसी समय पुष्टि की कि योजना सफलतापूर्वक चल रही है, जो मान्य नहीं है क्योंकि आई जी एल द्वारा हस्ताक्षरित एम ओ यू के अभाव में सी एन जी स्टेशन के लिए ई एस एम का 60 प्रतिशत प्राधिकरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(ङ) कम्पनी स्वामित्व कम्पनी प्रचालित (सी ओ सी ओ) फुटकर आउटलेट योजना

सी ओ सी ओ फुटकर आउटलेट योजना नामित कम्पनी अधिकारी द्वारा प्रचालित की जाती है तथा जन शक्ति एवं अन्य सेवाएं दैनिक दक्ष प्रचालनों के लिए चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाती हैं। तेल कम्पनियाँ ऐसे प्रायोजित ई एस एम (ओ) के साक्षात्कार के बाद चयन किए जाने वाले सेवा प्रदाता के लिए ई एस एम (ओ) के नाम

प्रायोजित करने के लिए डी जी आर से सम्पर्क करती हैं। डी जी आर सम्बन्धित तेल कम्पनियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के प्रयास करेगा और नोटिस बोर्ड पर प्रायोजित अभ्यर्थियों का परिणाम प्रदर्शित करेगा।

2010 से 2014 तक की अवधि के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा प्रक्षेपित 739 की कुल आवश्यकता के प्रति डी जी आर ने 2105 ई एस एम (ओ) के नाम प्रायोजित किए थे। तथापि तेल कम्पनियों द्वारा नियोजित ई एस एम (ओ) का अभिलेख डी जी आर द्वारा बनाया नहीं गया है।

हमने देखा कि:

- ❖ डी जी आर के अतिरिक्त के एस बी/आर एस बी भी इस योजना के लिए सीधे ई एस एम (ओ) प्रायोजित कर रहे थे जिन्होंने भी डी जी आर से सुरक्षा एजेंन्सी योजना का लाभ लिया है जो नियम स्थिति के विपरीत है कि ई एस एम केवल एक योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- ❖ डी जी आर ने तेल कम्पनियों द्वारा चयनित/नियोजित ई एस एम(ओ) की संख्या के संबंध में तेल कम्पनियों से प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं की थी। जिसके अभाव में ई एस एम को योजना से कितना लाभ प्राप्त हुआ, ज्ञात नहीं हो सका।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए सभी बिन्दुओं को स्वीकार कर लिया और योजना में उपचारी उपाय करने की पुष्टि की।

(च) मदर डेयरी योजना

दिल्ली तथा एन सी आर में नवम्बर 1974 में आरम्भ हुई मदर डेयरी योजना के अन्तर्गत डी जी आर की भूमिका डी जी आर तथा मदर डेयरी के बीच हुए एम ओ यू के अनुसार दूध/सफल बूथों के आबंटन हेतु मेसर्स मदर डेयरी को ई एस एम के नाम प्रायोजित करना है। चयनित अभ्यर्थी को परिणाम की घोषणा के दस दिनों के अन्दर मदर डेयरी के साथ अनुबन्ध करना और ₹1.00 लाख का प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके बाद ई एस एम के लिए बूथ चलाने और प्रचालित करने से सम्बन्धित दो सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के सफल समापन पर वरिष्ठता के अनुसार बूथ आबंटित किया जाता है।

हमने देखा कि चयनित ई एस एम को मदर डेयरी के साथ अनुबन्ध के समय पर प्रतिभूति जमा के लिए पर्याप्त राशि (₹1.00 लाख) जमा करनी पड़ती थी। तथापि बूथ का आबंटन ई एस एम की वरिष्ठता के अनुसार सफल प्रशिक्षण और बूथ की उपलब्धता के बाद किया गया था, परिणामस्वरूप मदर डेयरी के पास ई एस एम के कठिन अर्जित धन का अवरोधन हुआ। एक मामले में जहाँ बूथ के आबंटन में लगभग सात माह का

विलम्ब हुआ तब डी जी आर ने अनुबन्ध के समय पर ₹1000 और अत्यधिक समय के लिए ई एस एम धन के अवरोधन के जोखिम को दूर करने के लिए बूथ के आबंटन के समय पर ₹99,000 का शेष प्रभारित करने के लिए मदर डेयरी के साथ मामला उठाया (फरवरी 2011)। फिर भी डी जी आर ने फरवरी 2012 में एम ओ यू में प्रतिभूति जमा का ऐसा खण्ड शामिल किए बिना एम ओ यू हस्ताक्षर किया जो ई एस एम के कल्याण उपायों के प्रतिकूल है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिन्दुओं को स्वीकार किया और बताया कि दो किशतों अर्थात् चयन के समय पर ₹1000 और बूथ के आबंटन के समय पर ₹99000 में जमा किए जाने वाले प्रतिभूति जमा का खण्ड वर्ष 2012 में असावधानी से एम ओ यू में शामिल नहीं किया जा सका और उसे शीघ्र ही मदर डेयरी के साथ उठाया जाएगा, जो प्रतीक्षित होगा।

(ख) गोपालजी डेयरी तथा फ्रेश फार्म योजना

गोपालजी डेयरी तथा फ्रेश फार्म योजना के अन्तर्गत डी जी आर की भूमिका अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 में डी जी आर तथा मेसर्स गोपालजी डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (जी डी एफ पी एल) के बीच हस्ताक्षरित दो एम ओ यू के अन्तर्गत जी डी एफ पी एल से मांगों की प्राप्ति पर दूध/फ्रेश फार्म बूथों के आबंटन के लिए ई एस एम (पी बी ओ आर) के नाम प्रायोजित करना है।

गत तीन वर्षों के दौरान 43 दूध बूथों और 8 फ्रेश फार्म बूथों की उनकी मांग के प्रति क्रमशः केवल 21 दूध बूथ और 08 फ्रेश फार्म बूथ ई एस एम को जी डी एफ पी एल द्वारा आवंटित किए गए थे। इस प्रकार योजना प्रोत्साहक नहीं है और योजना को बन्द करने के लिए मंत्रालय स्तर पर योजना की समीक्षा नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिन्दुओं को स्वीकार कर लिया और बताया कि वर्षों से योजना की प्रतिक्रिया और रुचि प्रोत्साहक नहीं पाई गई थी और प्रयोक्ताओं से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के बाद योजना की तुरन्त समीक्षा की जाएगी।

2.1.9 अनुचित बजट प्रतिपादन प्रक्रिया

डी जी आर द्वारा बजट प्रक्षेपण सीधे महानिदेशक वित्त योजना (डी जी एफ पी), एम ओ डी (सेना) के आई एच क्यू को किए गए थे और प्रशिक्षण तथा अन्य संबंध कार्यकलाप करने के लिए डी जी एफ पी द्वारा आबंटन किए गए थे।

2010-11 से 2014-15 तक के वर्षों का कुल आबंटन तथा व्यय नीचे तालिका-12 में दर्शाया गया है:

तालिका-12: 2010-11 से 2014-15 तक के वर्षों का कुल आबंटन तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	व्यय	बचत (+)/आधिक्य(-)
2010-11	21.30	21.30	0.00
2011-12	17.48	16.76	(+) 0.72
2012-13	18.23	18.23	0.00
2013-14	18.50	18.50	0.00
2014-15	19.98	19.98	0.00
कुल	95.49	94.77	(+) 0.72

(डी जी आर द्वारा प्रदत्त डाटा)

कुल बजट का 94 प्रतिशत से अधिक प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कार्मिकों के प्रशिक्षण पर और शेष छः प्रतिशत प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी, आकस्मिक व्यय आदि पर खर्च किया गया था।

हमने देखा कि:

- ❖ बजट प्रक्रिया ई एस डब्ल्यू के माध्यम से नहीं की गई थी यद्यपि मार्च 2009 की एक बैठक में संयुक्त सचिव ई एस डब्ल्यू ने उल्लेख किया कि डी जी आर के बजट प्रतिपादन को बदलने की आवश्यकता है और ई एस डब्ल्यू को पूर्णतया शामिल किया जाना चाहिए और सभी बजट प्रस्ताव उनके माध्यम से जाने थे।
- ❖ बजट वर्ष के दौरान आरम्भ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रक्षेपित नहीं था। 2010-11, 2011-12 एवं 2014-15 के दौरान 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच बजट आबंटन में वृद्धि हुई थी और 2012-13 तथा 2013-14 वर्षों में पूर्व वर्षों की तुलना में बजट आबंटन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी जिसके परिणामस्वरूप निधियों की कमी के कारण 2010-11 में 208 पाठ्यक्रमों का रद्दीकरण हुआ था।
- ❖ नवम्बर 2010 में ई एस डब्ल्यू द्वारा ₹1.5 करोड़ की निधियां अनुमोदित की गई थीं और आर्मड फोर्सिंग फ्लैग डे फण्ड (ए एफ एफ डी एफ), एक गैर लोक निधि लेखा से डी जी आर को उपलब्ध कराई गई थी। जिसमें से 50 प्रशिक्षण संस्थाओं को ₹1.46 करोड़ का भुगतान प्रशिक्षण संस्थाओं से ₹3.09 लाख का टी डी एस काटे बिना अप्रैल- सितम्बर 2011 में जारी किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2016) में बताया कि अनुमान, योजना, आबंटन, उपयोग तथा लेखापरीक्षा एक प्रमुख नीति निर्णय है जिसकी व्यापक शाखाएं हैं। टी डी एस न

काटने से सम्बन्धित मुद्दे को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने सूचित किया कि मामला उसके नियमन हेतु उठाया जाएगा जो प्रतीक्षित था।

उपसंहार

पुनर्नियुक्ति प्रशिक्षण तथा पुनर्वास योजनाओं की सुविचारित विचारों पर कल्पना की गई थी, परन्तु डी जी आर के प्रकार्य की समीक्षा से पता चला कि यथा परिकल्पित ई एस एम को अभिप्रेत लाभ अनियमितताओं और कमियों के कारण प्राप्त नहीं हो सके जैसी पूर्ववर्ती पैराओं में चर्चा की गई है:

- विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु नामों को प्रायोजित करना निष्पक्ष दृष्टि से नहीं किया गया था क्योंकि प्रशिक्षणार्थियों का चयन अपेक्षित समिति द्वारा नहीं किया गया था। इसलिए क्षेत्र जहाँ कौशल पुनर्वास हेतु उन्नत किए जाते हैं, के महत्व स्थापित नहीं किए गए हैं।
- प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं के चयन में पारदर्शिता नहीं थी। जबकि संस्था जिसने पात्रता मानदण्ड पूरे नहीं किए, का पाठ्यक्रम सौंपने के लिए चयन किया गया था वहीं पात्रता मानदण्ड पूरी करने वाली कुछ संस्थाएं अस्वीकृत की गई थीं। चार ऐसी संस्थाओं का चयन किया गया था जो पंजीकृत/सम्बद्ध भी नहीं थीं।
- पाठ्यक्रमों का न्यायसंगत रूप में चयन नहीं किया गया था क्योंकि कुछ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों का टर्नआउट कुल रिक्तियों के 10 प्रतिशत से कम था और व्ययसायोन्मुख पाठ्यक्रमों के बजाय अवांछित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे।
- डी आर जैड द्वारा पर्याप्त निरीक्षण निगरानी का एक साधन था। तथापि अपर्याप्त निरीक्षण के कारण प्रशिक्षण संस्थाओं के पास पर्याप्त अवसंरचना और संकाय की उपलब्धता, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई थी।
- ई एस एम, जिन्होंने प्रशिक्षण के बाद पुनर्नियुक्ति प्राप्त की, की संख्या पता करने के लिए डी जी आर के पास कोई अभिलेख नहीं था। इसलिए डी जी आर के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति और प्रशिक्षणों पर खर्च किए गए धन (₹90.98 करोड़) का मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- ई एस एम/विधवाओं/आश्रितों के पुनर्वास हेतु मदर डेयरी योजना को छोड़कर डी जी आर प्रयोजित योजनाएं प्रोत्साहक सिद्ध नहीं हुई हैं।

- ई एस डब्ल्यू /डी जी आर ने योजनाओं के प्रभावी प्रकार्य की निगरानी करने के लिए पर्याप्त उपाय आरम्भ नहीं किए थे जिसने योजनाओं के अभिप्रेत लाभों से ई एस एम को वंचित किया था।

सिफारिशें

- एम ओ डी, डी जी आर तथा सेनाओं के प्रतिनिधियों से बनी समिति द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के चयन पर मंत्रालय के मार्गनिर्देशों का प्रशिक्षणार्थियों के उचित तथा उपयुक्त चयन के लिए अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों के चयन के लिए पर्याप्त मानदण्ड बनाए जाने की आवश्यकता है।
- प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन समिति द्वारा उनके निष्पादन के मूल्यांकन के बाद उचित तथा प्रभावी रूप में किया जाय और पाठ्यक्रम फीस के निर्धारण के लिए प्रतिमान बनाए जाने चाहिए।
- ई एस एम के बेहतर स्थापन के लिए अधिक ध्यान स्थापन आश्वस्त प्रशिक्षण (पी ए टी) पाठ्यक्रमों पर होना चाहिए। दिए जा रहे प्रशिक्षणों की प्रभावकारिता की निगरानी करने के लिए डी जी आर द्वारा प्रशिक्षित ई एस एम के रोजगार से सम्बन्धित डाटा बनाया जाए।
- ई एस एम के लिए बृहत्तर रोजगार अवसर प्राप्त करने के लिए निगम/निजी क्षेत्र के साथ सम्पर्क करने के लिए डी जी आर द्वारा एक तन्त्र निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और प्रशिक्षित ई एस एम को जाब स्थापन सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ अनुबन्ध में एक खण्ड भी शामिल किया जाए।
- निदेशक पुनर्वास अंचल (डी आर जैड) प्रशिक्षण संस्थाओं/पाठ्यक्रमों और डी जी आर प्रायोजित योजनाओं का उचित निरीक्षण करें। युक्तियुक्त बजटीय प्रतिपादन के लिए डीजीआर के बजट प्रस्ताव वर्ष के दौरान आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों पर आधारित हो और ई एस डब्ल्यू के माध्यम से बनाए जाएं।

2.2 भारतीय सेना में राशन का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन- अनुवर्ती लेखापरीक्षा

मंत्रालय ने 2013 में दी गई स्वीकृति तथा आश्वासन के बावजूद राशन के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्रियाकलापों से सीधे संबंधित पी ए सी की 12 में से केवल दो सिफारिशें कार्यान्वित की। परिणामतः राशन के संभरण/ अधिप्राप्ति, जांच, वितरण से संबंधित क्रियाकलापों को नहीं सुधारा जा सका तथा सैनिकों का सन्तुष्टि स्तर, विशेषकर उत्तरी तथा पूर्वी कमान में निम्न रहा।

2.2.1 प्रस्तावना

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनिवार्यतः निष्पादन तथा जवाबदेही को सुधारने के साधन हैं जिन्हें उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अनुवर्ती लेखापरीक्षा का अर्थ उस प्रथा से है जहां लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय द्वारा की गई उपचारी कार्रवाई की जांच करती है।

“भारतीय सेना में राशन के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन” की निष्पादन लेखापरीक्षा (पी ए प्रतिवेदन) पर भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के 2010-11 के प्रतिवेदन सं. 6 संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) को संसद के पटल पर 3 अगस्त 2010 को रखा गया था। लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने 2010-11 के दौरान विस्तृत जांच हेतु प्रतिवेदन का चयन किया तथा दिसम्बर 2011 में संसद को प्रस्तुत उनके 47वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में 15 सिफारिशों/ टिप्पणियों की। मंत्रालय ने सभी 15 सिफारिशों/टिप्पणियों को कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया था। (मार्च 2013 की उनकी की गई कार्रवाई की टिप्पणी में 11 और मार्च 2014 के की गई कार्रवाई के विवरण में चार)।

2.2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2014-15 तक अर्थात् मार्च 2013 के पी ए सी प्रतिवेदन में अंगीकरण के पश्चात् की दो वर्ष की अवधि शामिल थी। लेखापरीक्षा, महानिदेशक आपूर्ति एवं परिवहन (डी जी एस टी) के कार्यालय, सेना क्रय संगठन (ए पी ओ), चार कमान मुख्यालयों (उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी) तथा दिल्ली, जम्मू, मुम्बई तथा बेंगलुरु में स्थित संयुक्त खाद्य प्रयोगशालाओं (सी एफ एल)/ खाद्य निरीक्षण इकाइयों (एफ आई यू) सहित प्रत्येक चयनित कमान में तीन आपूर्ति डिपुओं (प्रत्येक आपूर्ति डिपो के अन्तर्गत दो उपभोक्ता इकाइयों सहित) तथा एक कोर मुख्यालय को शामिल करते हुए जून 2015 से अक्टूबर 2015 तक की गई थी। शुष्क राशन की आठ मर्दें अर्थात् आटा, चावल, चीनी, दाल, चाय, खाद्य तेल, जौ मिश्रित दूध आहार तथा टिन्ड जैम तथा ताज़ा राशन की समस्त श्रेणी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अन्तर्गत शामिल की गई थी। इकाइयों तथा राशन की मर्दों का चयन सामान्यतः मूल निष्पादन लेखापरीक्षा में चयनित मर्दों के अनुरूप था।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुवर्ती लेखापरीक्षा, पी ए सी की 15 सिफारिशों के अनुपालन की जांच के उद्देश्य से की गई थी, जिन्हें मंत्रालय ने मार्च 2013 में संसद में प्रस्तुत पी ए सी की 74वीं रिपोर्ट तथा मार्च 2014 में जारी उनकी की गई कार्रवाई की विवरणी में स्वीकार किया था।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु मानदण्ड निम्नलिखित से उद्भूत हुए थे:-

- पी ए सी की 47वीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा) की टिप्पणी/ सिफारिशें;
- पी ए सी की 47वीं रिपोर्ट में निहित उसकी टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर पी ए सी की 74वीं रिपोर्ट;
- कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. 4(6)/2011/डी (क्यू एस) (खंड III) दिनांक 11 मार्च 2014 के माध्यम से मंत्रालय द्वारा जारी की गई कार्रवाई की विवरणी

2.2.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के रूप में, हमने राशन की आपूर्ति शृंखला प्रबंधन से सीधे संबंधित क्रियाकलापों से संबंधित 12 स्वीकृत सिफारिशों के प्रति मंत्रालय द्वारा की गई उपचारी कार्रवाई तथा कार्यान्वयन की जांच की। शेष तीन सिफारिशें क) प्रस्तावनात्मक ख) मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के उत्तर में विलम्ब, ग) पी ए सी की सिफारिशों के विश्लेषण हेतु मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी) द्वारा दिए गए प्रस्तावों का अनुपालन, स्वरूप में क्रियाविधिक थी तथा इसलिए उनका प्रतिवेदन में प्रकाशन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा जांच के विषय-वार निष्कर्षों का वर्णन निम्न प्रकार से था:

2.2.5.1 शुष्क राशन का सम्भरण

जैसाकि पी ए प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.1 में देखा गया, मंत्रालय द्वारा राशन की मांग केंद्रीय रूप से निर्धारित की गई थी, जो वास्तविक डेटा के बजाए निर्देशात्मक आधार पर थी। न तो डी जी एस टी और न ही मंत्रालय के निपटान पर फिडिंग संख्या तथा उपलब्ध स्टॉक शेष के सही आंकड़े उपलब्ध थे जिनमें विभिन्न स्तरों पर अन्तर था और इस प्रकार राशन के अधिक/कम सम्भरण का जोखिम था। पी ए सी ने देखा कि मानक प्रचालन पद्धति (एस ओ पी) पुरानी हो गई थी तथा निरन्तर बदलती हुई अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी दुबारा समीक्षा करने तथा उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता थी। सिफारिशें मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं तथा उपचारी कार्रवाई

कर ली गई थी। एस ओ पी के संशोधन की पी ए सी को मार्च 2013 में पुष्टि की गई थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि डी जी एस टी को कमान मुख्यालय द्वारा अनुमानित शुष्क राशन की वार्षिक आवश्यकता तथा उसके नियंत्रणाधीन निम्न विभागों से प्राप्त स्टॉक रिटर्न तथा मांग विवरणों (एस आर डी एस) के समेकन के बाद दोनों के बीच महत्वपूर्ण अन्तर विद्यमान थे। हमने देखा कि कमान मुख्यालयों ने मात्राओं को बढ़ाकर तथा कम करते हुए निम्नतर फार्मेशनों से प्राप्त मांगों में परिवर्तन किया। दक्षिणी कमान द्वारा 2013-14 में चीनी के मामले में 48 प्रतिशत तक वृद्धि पाई गई थी, जबकि टिन्ड जैम की मात्रा उसी कमान द्वारा उसी वर्ष में 44 प्रतिशत कम कर दी गई थी।

कमान मुख्यालयों द्वारा परिकलित मांग के बावजूद डी जी एस टी ने पुनः स्वतंत्र रूप से शुष्क राशन की आवश्यकता परिकलित की। कमानों द्वारा मांगी गई मात्राओं तथा डी जी एस टी द्वारा परिकलित मांग के बीच काफी अन्तर देखे गए थे। उदाहरणार्थ, सभी कमानों की 3199 मिट्रिक टन (एम टी) की कुल मांग के प्रति डी जी एस टी द्वारा 2013-14 में परिकलित “चाय” की मांग 3500 एम टी थी अर्थात् 301 एम टी की अधिकता। दूसरी ओर, डी जी एस टी द्वारा 2014-15 में परिकलित “दाल” की मांग, कमानों द्वारा अनुमानित संयुक्त मांग से 8752 एम टी कम थी। कमानों द्वारा मांगी गई मात्रा तथा डी जी एस टी द्वारा अनुमानित मात्रा में अन्तर नीचे तालिका-13 में दर्शाया गया है:

तालिका-13: कमान मुख्यालयों तथा डी जी एस टी द्वारा मात्राओं के अनुमान में अन्तर

मद	2013-14			2014-15		
	कमान (एम टी में)	डी जी एस टी (एम टी में)	प्रतिशतता अन्तर	कमान (एम टी में)	डी जी एस टी (एम टी में)	प्रतिशतता अन्तर
आटा/गेहूँ	125558	124988	0	139370	123000	-13
चावल	114070	121000	6	119214	120000	1
चीनी	38980	37600	-4	47298	39000	-21
दाल	38853	37500	-4	45752	37000	-24
खाद्य तेल	33620	34300	2	38253	34000	-13
चाय	3199	3500	9	3454	3400	-2
एम एम एफ	4299	4000	-8	4785	4400	-9
जैम टि.	1034	1050	2	1207	1100	-10

इसके अतिरिक्त सेना मुख्यालय द्वारा परिकलित वार्षिक मांग मंत्रालय द्वारा पुनः बदल दी गई थी। मंत्रालय द्वारा निकाली गई मात्रा डी जी एस टी के साथ चर्चा तथा परस्पर सहमति के पश्चात् मुख्यतः निर्देशात्मक आधार पर पुनः परिकलित की गई

थी। यह, वास्तविक खाद्य क्षमता तथा यथार्थ में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर निम्नतर फार्मेशनों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों तथा इनपुट्स के बावजूद थी। परिणामतः मंत्रालय द्वारा अंत में स्वीकार की गई मांग, सेना मुख्यालय द्वारा अनुमानित मांग की तुलना में 2013-14 में 20 प्रतिशत तक तथा 2014-15 में 23 प्रतिशत तक कम थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि राशन की मात्रा के परिकलन में निष्पक्षता के अभाव में एस ओ पी में संशोधन के उद्देश्य के साथ समझौता किया गया था क्योंकि मात्राओं का अन्तिम अनुमोदन निर्देशात्मक आधार पर किया जाता रहा। तालिका -14 सेना मुख्यालय द्वारा अनुमानित तथा मंत्रालय के साथ तय की गई मात्राएं दर्शाती है।

तालिका-14: सेना मुख्यालय द्वारा अनुमानित तथा मंत्रालय द्वारा तय मात्रा

(मात्रा एम टी में)

मद	2013-14			2014-15		
	सेना मुख्यालय द्वारा अनुमानित	मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अंतिम मात्रा	प्रतिशतता अन्तर	सेना मुख्यालय द्वारा अनुमानित	मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अंतिम मात्रा	प्रतिशतता अन्तर
	क	ख	ग	घ	ङ	च
आटा/गेहूँ	124988	118000	-6	123000	120500	-2
चावल	121000	118000	-2	120000	120000	0
चीनी	37600	35000	-7	39000	35000	-10
दाल	37500	35000	-7	37000	35700	-4
खाद्य तेल	34300	32000	-7	34000	32700	-4
चाय	3500	3350	-4	3400	3400	0
माल्टेड मिल्क फूड	4000	3200	-20	4400	3400	-23
टिन्ड जैम	1050	1050	0	1100	1100	0

शुष्क राशन के सम्भरण में निरन्तर अशुद्धियां इस तथ्य से प्रमाणित हो जाती हैं कि 2013-14 में केन्द्रीय तथा स्थानीय खरीद के माध्यम से अन्ततः सेना द्वारा अधिप्राप्त खाद्य तेल, टिन्ड जैम, दाल तथा एम एम फूड की कुल मात्रा, मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत मात्रा से क्रमशः 18 प्रतिशत, 7 प्रतिशत, 6 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत तक अधिक थी। इसी प्रकार 2014-15 में चीनी तथा दाल की कुल अधिप्राप्ति संस्वीकृत मात्रा से क्रमशः 40 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत अधिक थी। संस्वीकृत मात्रा की तुलना में मदों की अधिक अधिप्राप्ति दर्शाती है कि राशन की वार्षिक मांग के यथार्थ अनुमान में अभी भी कमियां विद्यमान हैं।

2.2.5.2 शुष्क राशन की अधिप्राप्ति

पी ए प्रतिवेदन के पैरा 2.2 में यह देखा गया था कि शुष्क राशन की अधिप्राप्ति, मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मात्रा के अनुसार नहीं की गई थी। जहाँ चीनी तथा जैम के संबंध में अधिक अधिप्राप्ति देखी गई थी, वहीं बड़ी संख्या में अनुबंधों की विफलता के कारण दाल और चीनी की अधिप्राप्ति में कमियां थीं, जो अन्ततः ऊंची दरों पर स्थानीय खरीद के माध्यम से पूरी की गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ। पी ए सी की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने ए पी ओ अनुबंध को डिपुओं द्वारा स्थानीय खरीद को पूरा करने के लिए अनुबंधों में जोखिम खरीद शर्त सहित ए पी ओ अनुबंध को गैर निष्पादित अनुबंधों के लिए और कड़ा बनाने के लिए उसकी शर्तों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान कर दी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान इस सिफारिश के संबंध में निम्नलिखित स्थिति उभरी:

क अधिप्राप्ति पद्धति का संशोधन

पी ए सी की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने जून 2014 में शास्ति की शर्तें जैसे निष्पादन बैंक गारण्टी (पी बी जी) की जब्ती, परिनिर्धारित हरजानों (एल डी), सामान्य क्षतियों (जी डी) तथा जोखिम खरीद (आर पी) खण्ड को शामिल करते हुए रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डी पी एम) 2009 के प्रावधानों के साथ प्रस्तावों हेतु अनुरोध (आर एफ पी) के संरेखण को अनुमोदित किया। मंत्रालय ने पी ए सी की सिफारिशों पर अपनी की गई कार्रवाई की टिप्पणी में पुष्टि की थी कि अधिप्राप्ति प्रक्रिया में कड़े तथा दण्डात्मक उपाय करने के कारण चाय और दाल की अधिप्राप्ति में सुधार हुआ था।

तथापि हमने अनुवर्ती लेखापरीक्षा में देखा कि चीनी को छोड़कर, डी पी एम में दिए गए संशोधित आर एफ पी फॉर्मेट के अनुसार कोई शुष्क मद अधिप्राप्त नहीं की गई थी जिसने ए पी ओ की अधिप्राप्ति हेतु दो बोली निविदा प्रक्रिया का सुझाव दिया था। संशोधित आर एफ पी के अनुसार अन्य मदों की अधिप्राप्ति न करने के लिए मंत्रालय द्वारा दिया गया कारण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमोदित गुणात्मक मांग की अनुपलब्धता था। तथापि, यह तर्क तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था क्योंकि राशन मदों के विनिर्देशन, सेना मुख्यालय द्वारा पहले ही भली भांति निर्धारित किए गए थे।

ख केन्द्रीय खरीद में कमी

चयनित आठ मदों में से, केवल छः मदें अर्थात् चीनी, दाल, खाद्य तेल, एम एम फूड, टिन्ड जैम तथा चाय, सेना क्रय संगठन (ए पी ओ) द्वारा केन्द्रीय रूप से अधिप्राप्त की जाती हैं। यह देखा गया था कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान ए पी ओ ने राशन की अभिप्रेत मात्रा अधिप्राप्त नहीं की थी। 2013-14 के दौरान, मांगी गई मात्रा के लिए

अनुबंध छः⁸ में से किसी भी चयनित मद में नहीं किए जा सके। हमने पाया कि छः में से दो मदों में अनुबंधित मात्राओं के लिए आपूर्तियां पूर्णतः निष्पादित नहीं की गई थीं। परिणामतः मांगी गई मात्राओं के प्रति अधिप्राप्ति में कुल कमी आठ प्रतिशत तथा 71 प्रतिशत के बीच थी। इसी प्रकार 2014-15 में, मांगी गई मात्राओं के लिए अनुबंध केवल दो मदों के मामले में किए गए थे। 2014-15 के लिए मांगी गई मात्राओं के प्रति वास्तविक अधिप्राप्ति में कुल कमी अधिप्राप्त की गई छः मदों में से चार⁹ में 66 प्रतिशत तक थी। ए पी ओ द्वारा मांगी गई तथा वास्तव में अधिप्राप्त की गई मात्राओं की स्थिति नीचे तालिका-15 में दर्शाई गई है:

तालिका-15: मांगी गई मात्रा तथा वास्तव में अधिप्राप्त मात्रा

(मात्रा एम टी में)

मद	संस्वीकृत मात्रा	दिया गया मांग-पत्र	अनुबंधित मात्रा	प्राप्त मात्रा	प्रतिशतता कमी
2013-14					
चीनी	35000	35000	10000	10000	71
दाल	35000	35000	21100	19167	45
खाद्य तेल	32000	32000	22600	22600	29
चाय	3350	3350	2960	2718	19
एम एम फूड	3200	3200	2950	2950	08
जैम टि.	1050	1050	860	860	18
2014-15					
चीनी	35000	28000	20860	20860	40
दाल	35700	35700	15235	11990	66
खाद्य तेल	32700	32700	22040	22040	33
चाय	3400	3340	2910	2739	19
एम एम फूड	3400	3400	3400	3400	शून्य
जैम टि.	1100	1100	1100	1100	शून्य

ए पी ओ ने कहा कि 2013-14 में चीनी की अधिप्राप्ति में कमी, मई 2013 में भारत सरकार द्वारा चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के बाद अधिप्राप्ति नीति के अभाव के कारण था। इसके बाद चीनी अधिप्राप्ति नीति के निर्धारण में भी विलम्ब हुआ था, जिसके कारण 2014-15 में कमी हुई। दाल, खाद्य तेल तथा चाय की अधिप्राप्ति में कमी का कारण ठेकेदारों का गैर-निष्पादन अथवा संघों/ फर्मों द्वारा उद्धृत उच्च दरों

⁸ चीनी, दाल, खाद्य तेल, एम एम फूड, टिन्ड जैम, चाय।

⁹ चीनी, दाल, खाद्य तेल, चाय।

के कारण निविदाएं स्वीकार न किया जाना बताया गया था जिसके परिणामस्वरूप बार-बार निविदाएं आमंत्रित की गईं।

ग ₹1.73 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की गैर वसूली

लेखापरीक्षा सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने कहा था कि नये उपाय किए गए हैं जिनमें केन्द्रीय अधिप्राप्ति अनुबंधों के गैर- निष्पादन के प्रति आपूर्ति डिपुओं द्वारा स्थानीय रूप से खरीदी गई मात्रा, ए पी ओ अनुबंधों में जोखिम खरीद शर्त के अन्तर्गत किए गए अधिक व्यय की वसूलियां करने के लिए ए पी ओ को नियमित रूप से सूचित की जा रही थी। हमने देखा कि जबकि ठेकेदारों की चूक के कारण दाल तथा चाय की केन्द्रीय अधिप्राप्ति में हुई कमियां आपूर्ति डिपुओं द्वारा स्थानीय स्तर पर अधिप्राप्ति के माध्यम से पूरी की गई थीं, तथापि इस कारण से हुए अधिक व्यय की वसूली चूककर्ता ठेकेदार से नहीं की जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप, मंत्रालय द्वारा पी ए सी को दिए गए वचन के बावजूद ₹1.73 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इन सिफारिशों को स्वीकार करने के बावजूद, डी जी एस टी ने कहा कि आपूर्ति डिपुओं में स्थानीय रूप से अधिप्राप्त मात्रा के बारे में ए पी ओ को कोई सूचना नहीं दी गई थी तथा वर्तमान अधिप्राप्ति प्रक्रिया चूककर्ता ठेकेदारों से अनुबंधों की विफलता के कारण स्थानीय खरीद के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की वसूली की अनुमति नहीं देती। अतः मंत्रालय न केवल पी ए सी को दिए गए वचन का पालन करने में विफल रहा, बल्कि निष्क्रियता ने चूककर्ता फर्मों से ₹1.73 करोड़ की वसूली की संभावना भी समाप्त कर दी।

घ ब्रांडेड आटे की अधिप्राप्ति

पी ए प्रतिवेदन के पैरा 2.2 में इंगित किया गया था कि उस समय बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड आटे की तुलना में सेना द्वारा गेहूँ की अधिप्राप्ति, परिवहन तथा फ्लोर मिलों से गेहूँ को आटे में पीसवाने की विद्यमान प्रथा, किफायती नहीं थी। इसलिए पी ए सी ने सही समय पर प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बिना मिलावट के पौष्टिक गेहूँ आटे की अधिप्राप्ति की सिफारिश की थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित कमानों में ब्रांडेड आटे की अपेक्षित मात्रा, मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृति (अक्टूबर 2009) के आधार पर कमान मुख्यालय के स्तर पर अधिप्राप्त की गई थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा की सिफारिश का पालन किया गया था।

2.2.5.3 रक्षा खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य नमूनों की जांच

पी ए प्रतिवेदन के पैरा 2.3 के अन्तर्गत जीवन के विस्तार हेतु संयुक्त खाद्य प्रयोगशालाओं (सी एफ एल) को भेजे गए राशन के लगभग सभी नमूनों के अनुमानित भण्डारण जीवन (ई एस एल) के विस्तार देने पर टिप्पणी की गई थी। कुछ मामलों में, ई एस एल की समाप्ति के बाद 28 महीने तक विस्तार प्रदान किया गया था। इस

संबंध में, सेना सेवा कोर (ए एस सी) तकनीकी अनुदेश के विद्यमान प्रावधानों तथा अधिकतम तीन महीने की अवधि तक ई एस एल के विस्तार को सीमित करने के बारे में पी ए सी की सिफारिश मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। रक्षा खाद्य प्रयोगशालाओं में राशन के नमूनों की जांच के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी लाने तथा गुणवत्ता नियंत्रण की जांच करने के लिए एक योग्य वैज्ञानिक/ चिकित्सा सलाहकार की नियुक्ति पर भी सहमति हुई थी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान इन मामलों पर निम्नलिखित बातें देखी गई थीं:

क ए एस सी तकनीकी अनुदेश का संशोधन न करना

हमने देखा कि यद्यपि जून 2013 में विद्यमान तकनीकी अनुदेश के आधार पर खाद्य उत्पादों के लिए ई एस एल के विस्तार हेतु अनुदेश जारी कर दिए गए थे, तथापि ए एस सी तकनीकी अनुदेशों के प्रावधानों में संशोधन को जून 2015 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

ख राशन के अनुमानित भण्डारण जीवन (ई एस एल) का विस्तार

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि जबकि सी एफ एल/ खाद्य निरीक्षण इकाई (एफ आई यू) को भेजे गए नमूनों की संख्या 2007-08 में 4026 से काफी घटकर 2014-15 में 1181 हो गई थी, फिर भी सी एफ एल ने डिपुओं द्वारा उसे भेजे गए लगभग सभी नमूनों में विस्तार प्रदान कर दिया था। 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान तीन सी एफ एल तथा एक एफ आई यू को ई एस एल के विस्तार हेतु भेजे गए राशन के 2751 नमूनों में से, 2729 अर्थात् 99 प्रतिशत से अधिक नमूनों को विस्तार प्रदान किया गया था जिसमें 176 मामलों में तीन महीनों से अधिक का विस्तार शामिल था। हमने देखा कि सी एफ एल दिल्ली ने नीति का पालन किया तथा निर्धारित ई एस एल की समाप्ति के तीन महीने के बाद विस्तार प्रदान नहीं किया। तथापि, सी एफ एल जम्मू ने 157 मामलों में तीन महीने से अधिक का विस्तार प्रदान किया। तथापि, सी एफ एल मुम्बई तथा एफ आई यू बेंगलुरु ने 19 मामलों में निर्धारित ई एस एल के तीन महीने के बाद चीनी के ई एस एल में विस्तार प्रदान किया।

लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में सी एफ एल मुम्बई ने सहमति व्यक्त की और कहा कि चीनी का कुल विस्तार 11 महीने की अवधि के लिए प्रदान किया गया था। इस प्रकार, पी ए सी की सिफारिश का पूर्ण रूप से पालन नहीं हुआ तथा सैनिकों को निर्धारित ई एस एल की समाप्ति के बाद भी राशन जारी किया जा रहा था।

ग. खाद्य पदार्थ की जाँच के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का अधिष्ठापन

मंत्रालय ने खाद्य पदार्थों की जांच के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने संबंधी पी ए सी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। तथापि हमने देखा कि यद्यपि खाद्य नमूनों की जांच हेतु नवीनतम उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए सितंबर 2013

में डी जी एस टी को ₹2.81 करोड़ तक की निधियों का आबंटन किया गया था, फिर भी उसका उपयोग नहीं किया गया था। अगस्त 2014 में, इस प्रयोजन हेतु ₹3.15 करोड़ की निधियों का पुनः आबंटन किया गया था, परंतु उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु सी एफ ए द्वारा अनुमोदन प्रदान करने में विलंब के कारण मार्च 2015 में उसका अभ्यर्पण किया गया था। इस प्रकार, पी ए सी द्वारा सिफारिश किया गया रक्षा खाद्य प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण नहीं किया जा सका।

2.2.5.4 दो सी एफ एल का सृजन न किया जाना

पी ए सी द्वारा की गई टिप्पणी कि सेना के बड़े आकार और विशाल भौगोलिक आकार की तुलना में तीन सी एफ एल अपर्याप्त थे, की प्रतिक्रिया में चण्डीगढ़ में एक नयी सी एफ एल की स्थापना करने तथा गुवाहटी स्थित वर्तमान एफ आई यू को सी एफ एल में उन्नत करने के लिए वित्त मंत्रालय के अनुमोदनार्थ सिफारिश करने को मंत्रालय सहमत हुआ। हमने पाया कि सेना ने सहवर्धन के माध्यम से दो सी एफ एल स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, परंतु मंत्रालय की संस्वीकृति अभी प्रतीक्षित थी।

2.2.5.5 ताज़ा राशन की अधिप्राप्ति

पी ए प्रतिवेदन के पैरा 3.2 में लेखापरीक्षा ने यह टिप्पणी की कि अनेक पंजीकृत विक्रेताओं के होने के बावजूद ताज़ा राशन की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया अप्रतियोगी थी। विक्रेताओं को संपूर्ण ताज़ा मर्दों के लिए पंजीकृत किया गया था, न कि विशिष्ट मर्दों के लिए, जिनके साथ सामान्य व्यवसाय के दौरान उनका संबंध होता था। इस मुद्दे पर मंत्रालय ने पी ए सी सिफारिश के आधार पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, विक्रेता आधार बढ़ाने तथा निविदा प्रक्रिया में प्रतिष्ठित विक्रेताओं की भागीदारी के लिए अनुबंधों के निष्पादन हेतु ए एस सी प्रक्रिया का पुनरावलोकन करने को स्वीकार किया था। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान इन मुद्दों पर निम्नलिखित बातें देखी गईं:

क ताज़ा मर्दों के लिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया की समीक्षा

मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद अनुबंधों के निष्पादन हेतु 2006 में बनाई गई विद्यमान ए एस सी प्रक्रिया की समीक्षा नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, ताज़ा राशन की अधिप्राप्ति प्रक्रिया अभी भी अप्रतियोगी थी। लेखापरीक्षा ने उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी कमानों में ताज़ा राशन के लिए किए गए 383 अनुबंधों के नमूनों की जांच की और यह देखा कि लगभग 66 प्रतिशत मामलों में अधिप्राप्तियां केवल एक या दो कोटेशनों पर की गई थीं। उस अवधि के दौरान ताज़ा मर्दों के लिए पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या 94 से 141 तक होने के बावजूद सीमित प्रतिस्पर्धा के साथ अधिप्राप्ति की गई थी।

ख विक्रेता आधार का विस्तार न करना

हमने देखा कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान विक्रेता आधार में कोई विस्तार नहीं हुआ था। इसके विपरीत, उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी कमान में सभी वर्गों के अंतर्गत पंजीकृत विक्रेताओं की कुल संख्या 2013-14 में 141, 98 और 132 से घटकर 2014-15 में क्रमशः 129, 89 और 125 हो गई थी। आगे यह देखा गया था कि विशिष्ट मर्दों के पंजीकरण के लिए पी ए सी की सिफारिश तथा मंत्रालय द्वारा उसकी स्वीकृति के बावजूद विक्रेताओं का सभी मर्दों के लिए पंजीकृत किया जाना जारी रहा।

ग. ताजे राशन की अनुचित रूप से निम्न दरें

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 3.3 और 3.4 के अनुसार यह इंगित किया गया था कि ताजे राशन की तर्कसंगत दरें (आर आर), जो निविदा के खुलने से पूर्व अधिकारियों के एक पैनल द्वारा निश्चित की जाती हैं और स्वीकृत दरें (ए आर) औसत स्थानीय बाज़ार दरों (ए एल एम आर) से बहुत कम थीं। एक ही भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अनुबंध की दरों में व्यापक अंतर भी इंगित किया गया था। इस संबंध में, पी ए सी ने एक निश्चित समय के अंदर विसंगतियों को सुधारने के लिए शीघ्र ही अधिप्राप्ति प्रक्रिया को संशोधित करने की सिफारिश की थी, जिसे मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था (मार्च 2013)। तथापि, प्रक्रिया का संशोधन अभी भी प्रक्रियाधीन है (जून 2015)।

प्रक्रियाओं के संशोधन में विलंब के परिणामस्वरूप अनुवर्ती लेखापरीक्षा में निम्नलिखित स्थिति देखी गई थी:

- **बाज़ार दरों और तर्कसंगत दरों के बीच विसंगति**

दक्षिणी कमान के चयनित स्टेशनों में यह देखा गया था कि ताजी मर्दों की आर आर तथा ए आर 2013-14 में ए एल एम आर से 41 प्रतिशत तक कम थी। तथापि 2014-15 में आर आर तथा ए आर क्रमशः 46 प्रतिशत और 41 प्रतिशत तक ए एल एम आर से अधिक पायी गई थीं।

इसके अतिरिक्त पश्चिमी कमान तथा उत्तरी कमान के विभिन्न स्टेशनों में ताजे फलों की ए आर 2013-14 में ए एल एम आर से 15 प्रतिशत और 48 प्रतिशत के बीच कम थी।

- **एक ही तथा निकटस्थ स्टेशनों में अनुबंधित दरों में अंतर**

2013-14 तथा 2014-15 के दौरान दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी तथा पूर्वी कमानों में निकटस्थ स्टेशनों में किए गए अनुबंधों में एक ही अथवा निकटस्थ स्टेशनों में अनुबंधित दरों में बड़ा अंतर पुनः देखा गया था। दरों में निरंतर अंतर संबंधी निष्कर्षों की आगे चर्चा की गई है;

दक्षिणी कमान

पुणे, लोहेगाँव, खडकवासला और किरकी निकटस्थ स्टेशन हैं। 2013-14 में खडकवासला में सब्जियों, फलों और ड्रेस किए हुए मांस की दरें किरकी में उन्हीं मदों की दरों से क्रमशः 8 प्रतिशत, 38 प्रतिशत तथा 19 प्रतिशत तक अधिक पाई गई थीं। 2014-15 में पुणे/लोहेगाँव, खडकवासला और किरकी में फलों की दरें गत वर्ष की दरों से क्रमशः 36 प्रतिशत, 42 प्रतिशत तथा 61 प्रतिशत तक अधिक थीं।

उत्तरी कमान

2013-14 में अखनूर में सब्जियों की दर नगोता की दरों की तुलना में 29 प्रतिशत तक अधिक थी। बी डी बारी और अखनूर में 2013-14 के दौरान ताजे फलों की दर नगोता की दरों की तुलना में क्रमशः 24 प्रतिशत और 13 प्रतिशत तक अधिक थी। 2014-15 में नगोता में ताजे फलों की दर गत वर्ष की स्वीकृत दर से 23 प्रतिशत अधिक थी।

पश्चिमी कमान

पटियाला, चण्डीमंदिर और लुधियाना में 2014-15 में ताजी सब्जियों की दरें गत वर्ष की दरों से 13-28 प्रतिशत अधिक थीं और उसी वर्ष अंबाला, पटियाला, चण्डीमंदिर और लुधियाना में ताजे फलों की दरें 2013-14 में स्वीकृत दरों से 20-28 प्रतिशत अधिक थीं।

इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन (मार्च 2014) के बावजूद ए एल एम आर, आर आर और ए आर में विसंगतियां तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अनुबंधित दरों में अंतर जारी रहे।

2.2.5.6 राशन का वितरण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 4.1 के अनुसार निर्धारित मिश्रण के अनुसार उपभोक्ता इकाइयों को विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां प्राप्त नहीं हुए। विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि महीने के दौरान जारी किए गए 74 प्रतिशत फल व सब्जियां निर्धारित अनुपात के अनुसार नहीं थीं। सभी आपूर्ति डिपुओं द्वारा जारी तथा इकाइयों द्वारा प्राप्त ताजा राशनों के बीच होने वाले अंतर को दूर करने के लिए पी ए सी ने विसंगतियों से बचने हेतु निर्गमों, प्राप्तियों, वस्तु सूची प्रबंधन, अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अन्य पहलुओं को इस प्रणाली के अधीन लाने के लिए सभी आपूर्ति डिपुओं तथा आपूर्ति स्थानों को जोड़ते हुए एक कार्यक्षम और प्रभावकारी कंप्यूटरीकृत प्रणाली का विकास करने की सिफारिश की। मार्च 2013 में मंत्रालय द्वारा सिफारिश स्वीकार कर ली गई थी। इस विषय पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिणामों की चर्चा नीचे की गई है।

क सेना आपूर्ति कोर (ए एस सी) डिपो का कंप्यूटरीकरण

अक्टूबर 2009 में, आंकड़ों को साझा करने हेतु कोर/कमान मुख्यालयों और एस टी निदेशालय के साथ सभी आपूर्ति डिपुओं तथा आपूर्ति स्थानों को जोड़ने के लिए डी जी एस टी में एक पायलट परियोजना के रूप में सॉफ्टवेयर विकास का कार्य शुरू किया गया था। अक्टूबर 2009 में ₹82.24 लाख के लिए मेसर्स पृथ्वी इन्फो सोल्युशन्स लिमिटेड को अनुबंध दिया गया था जिसे जून 2011 तक चार चरणों में पूरा किया जाना था। प्रथम दो चरणों के समापन तथा ₹27.61 लाख के भुगतान के बाद कार्य की धीमी प्रगति के कारण जून 2015 में अनुबंध को बंद करने का प्रस्ताव किया गया था। डी जी एस टी ने बताया कि सभी ए एस सी कार्यों के लिए एंटरप्राइज वाइड एप्लिकेशन के विकास हेतु एक मामला शुरू किया गया था और 2020 तक उसके कार्यात्मक होने की संभावना थी। इस प्रकार, पी ए सी की सिफारिश का अनुपालन नहीं किया गया है।

ख निर्धारित अनुपात में फलों तथा सब्जियों का निर्गम न करना

चयनित उपभोक्ता इकाइयों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा तथा ताजे फलों व सब्जियों की प्राप्ति एवं उपभोग संबंधी प्रलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि उपभोक्ता इकाइयों को निर्धारित मिश्रण के अनुसार फल व सब्जियां प्राप्त नहीं हुईं। पश्चिमी तथा पूर्वी कमान में निर्धारित अनुपात में सब्जियों एवं फलों की प्राप्ति में बड़ा अंतर देखा गया था, जबकि उत्तरी कमान में यह अंतर न्यूनतम था। उत्तरी, पश्चिमी तथा पूर्वी कमानों की 15 इकाइयों में सब्जियों एवं फलों के निर्गमों व प्राप्तियों के तुलनात्मक विश्लेषण से प्रकट हुआ कि सब्जियों एवं फलों के मामले में महीने के दौरान किए गए निर्गम क्रमशः लगभग 82 प्रतिशत तथा 92 प्रतिशत निर्धारित प्रतिशतता प्रकार के अनुरूप नहीं थे।

उपभोक्ता इकाइयों द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों के अनुसार हमने पाया कि 423 प्रकार की कुल प्राधिकृत सब्जियों में से 74 प्रकार को निर्धारित अनुपात के अनुसार निर्गम किया गया था, जबकि 183 प्रकार को निर्धारित अनुपात से कम तथा 166 प्रकार को अधिक निर्गम किया गया था। फलों के मामले में 202 प्रकार के प्राधिकृत फलों में से केवल 17 प्रकार को निर्धारित अनुपात के अनुसार निर्गम किया गया था, जिसमें 98 प्रकार को निर्धारित अनुपात से कम तथा 87 प्रकार को अधिक निर्गम किया गया था। हमने संबंधित आपूर्ति डिपुओं से निर्धारित अनुपात में फलों एवं सब्जियों को निर्गम न किए जाने के लिए कारण पूछे। उत्तर में आपूर्ति डिपुओं ने बताया कि स्थानीय बाज़ार में कुछ मर्दों की अनुपलब्धता तथा सैनिकों की पसंद के अनुसार प्रयोक्ता इकाइयों द्वारा मांग की प्रस्तुति उसके लिए मुख्य कारण था।

2.2.5.7 स्वयं सेना की प्रतिपुष्टि संसूचन प्रणाली द्वारा राशन की गुणवत्ता अपर्याप्त पाई गई

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 4.4 ने मांस एवं ताजी सब्जी की निम्न गुणवत्ता सहित राशनों की मात्रा, गुणवत्ता तथा स्वाद के संबंध में सैनिकों के कम संतुष्टि स्तर को इंगित किया था। यह भी इंगित किया गया था कि उपभोक्ता इकाइयों से प्राप्त 68 प्रतिशत प्रतिपुष्टि रिपोर्टों को संतोषजनक और उसके नीचे वर्गीकृत किया गया था। पी ए सी ने एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा राशन की गुणवत्ता के वैधीकरण और प्रत्येक तीन वर्ष में उसकी समीक्षा के प्रावधान सहित वर्तमान खाद्य विनिर्देशनों का संशोधन करने की सिफारिश की। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान इस संबंध में निम्नलिखित स्थिति देखी गई थी।

क रक्षा शरीर क्रिया एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (डी आई पी ए एस) द्वारा अध्ययन

सैनिकों का संतुष्टि स्तर निर्धारित करने तथा पौषणिक मांग, खाद्य प्रौद्योगिकी का विकास और सैनिकों की पसंद के आधार पर राशन में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए डी आई पी ए एस के माध्यम से एक अध्ययन के लिए अगस्त 2013 में मंत्रालय द्वारा संस्वीकृति प्रदान की गई थी। संस्वीकृति जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर अध्ययन के जांच परिणामों को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता थी, परंतु लेखापरीक्षा ने देखा कि 53,497 सैनिकों से एकत्रित आंकड़े का डी आई पी ए एस अभी भी विश्लेषण कर रहा था (अगस्त 2015)।

आगे, लेखापरीक्षा ने उत्तरी, पश्चिमी तथा पूर्वी कमानों के 39 इकाइयों द्वारा जनित प्रतिपुष्टि रिपोर्टों की जांच की, जिसमें सैनिकों ने सात वर्गों के अंतर्गत राशन की विभिन्न मदों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया था। पूर्वी तथा उत्तरी कमान से संबंधित क्रमशः 60 प्रतिशत और 73 प्रतिशत प्रतिपुष्टि रिपोर्टों के विषय में राशन की गुणवत्ता को अच्छा या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जबकि पश्चिमी कमान के विषय में 84 प्रतिशत तक राशन की गुणवत्ता को उत्कृष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

ख खाद्य विनिर्देशनों का संशोधन

पी ए सी की सिफारिश के उत्तर में मंत्रालय ने बताया था कि रक्षा खाद्य विनिर्देशनों की समीक्षा तथा संशोधन के लिए तकनीकी मानकीकरण समिति (टी एस सी) की प्रत्येक वर्ष बैठक होती है। तथापि, अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि टी एस सी बैठक 30 महीनों के बाद अप्रैल 2015 में हुई, जिसमें पांच नए विनिर्देशन बनाए गए थे। सेना मुख्यालय ने बताया (सितंबर 2015) कि प्रतिवर्ष टी एस सी आयोजित करने हेतु मंत्रालय से कोई मार्गनिर्देश प्राप्त नहीं हुए थे। इस प्रकार, प्रत्येक

तीन वर्ष में उसकी समीक्षा के प्रावधान सहित वर्तमान खाद्य विनिर्देशनों का संशोधन करने की पी ए सी की सिफारिश का अनुपालन नहीं किया गया है।

ग सेना की विशिष्ट वेबसाइट पर आंकड़ों की उपलब्धता

पी ए सी ने विभिन्न कमान/प्राधिकारियों, जिन्हें सैनिकों के लिए अधिप्राप्ति तथा संभरण करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, की समवर्ती जानकारी के लिए सेना की विशिष्ट वेबसाइट पर शुष्क एवं ताज़ा राशन मदों की अधिप्राप्ति की अनुबंधित दरें, विक्रेता सूची, विभिन्न स्थानों पर मूल्य परिवर्तन दरों से संबंधित आंकड़े तथा ताज़ा राशन के अंतिम क्रय मूल्य को पोस्ट करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुपालन में हमने देखा कि विक्रेताओं की सूची, विभिन्न स्थानों की दर अर्थात् समाप्त अनुबन्ध दर (ई सी आर) तथा वर्तमान अनुबन्ध दर (सी सी आर), अंतिम क्रय मूल्य आदि से संबंधित आंकड़ों को थल सेना की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा था।

2.2.6 उपसंहार

पी ए सी की स्वीकार की गई सिफारिश, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2010-11 की प्रतिवेदन सं. 6 के आधार पर की गई थी तथा मार्च 2013 में पी ए सी द्वारा अपनाया गया था, के संबंध में मंत्रालय तथा सेना मुख्यालय के अनुपालन की जांच करने के उद्देश्य से राशन के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी। हमने देखा कि 12 सिफारिशों, जो राशन के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कार्यकलापों से संबंधित थीं, के प्रति केवल दो सिफारिशों पर कार्रवाई की गई थी जिन्हें पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया गया था। शेष दस सिफारिशों के मामले में केवल आंशिक रूप में कार्यान्वयन किया गया था।

स्वीकार कर ली गई सिफारिशों के अनुपालन में विलम्ब के परिणामस्वरूप थल सेना अब भी डी पी एम में परिकल्पित अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अपनाए बिना चीनी को छोड़कर शुष्क राशन की मदों की अधिप्राप्ति कर रही है। सेना मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत राशन की संपूर्ण मांग को ए पी ओ द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप आपूर्ति डिपुओं द्वारा उच्चतर दर पर स्थानीय खरीद की गई थी। पी ए सी को दिए गए आश्वासन के बावजूद मंत्रालय द्वारा चूककर्ता फर्मों से उच्चतर दरों पर स्थानीय खरीद के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की वसूली नहीं की जा सकी। वास्तविक शैल्प जीवन की समाप्ति के बाद भी सेना राशन का उपभोग कर रही है। निधियों की उपलब्धता के बावजूद नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रवर्तन के द्वारा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण फलदायक सिद्ध नहीं हो सका था।

जहाँ तक ताज़ा राशन मदों की अधिप्राप्ति का संबंध है, डी जी एस एण्ड टी न तो विक्रेता आधार का विस्तार कर सका और न ही विशिष्ट समूह की मदों के लिए विशिष्ट विक्रेताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार कर सका। इसके परिणामस्वरूप ताज़ा राशन की अधिप्राप्ति पर्याप्त रूप में प्रतिस्पर्धात्मक नहीं थी। प्रतिस्पर्धा का अभाव

प्रकट था, क्योंकि स्थानीय बाज़ार दर और सेना द्वारा स्वीकृत दरों में असामान्य अंतर विद्यमान था।

2.3 इस्तेमाल के दौरान अनुकूल नहीं पाई गई पर्यावरणिक नियंत्रण इकाइयों की अधिप्राप्ति

इंजन के निरंतर अतितापन के बावजूद प्रयोक्ता परीक्षण दल ने इन्फैन्ट्री युद्ध वाहनों में फिट करने हेतु पर्यावरणिक नियंत्रण इकाइयों (ई सी यू) की अधिप्राप्ति की सिफारिश की। तदनुसार, 2009 और 2010 में ₹219.48 करोड़ मूल्य की 2077 ई सी यू की अधिप्राप्ति की गई थी। तथापि आई सी वी इंजनों के अतितापन एवं उनकी कार्यकुशलता की कमी के कारण ई सी यू को फिट नहीं किया जा सका था। अतः ई सी यू किसी प्रभावी प्रयोग के बिना पड़े हुए हैं।

इन्फैन्ट्री युद्ध वाहन- बी एम पी-2/2 के (आई सी वी) भारतीय थल सेना के यंत्रसज्जित इन्फैन्ट्री बैटालियनों का मुख्य युद्ध वाहन है। यह वाहन मिसाइल वहन और फायरिंग क्षमता तथा कंप्यूटरीकृत अग्नि नियंत्रण प्रणाली और थर्मल इमेजिंग रात्रि दर्शा जैसी विशेषताओं से सज्जित था। ये संघटक/उप-प्रणालियां अत्यधिक संवेदनशील हैं और अत्यधिक ताप एवं धूल वाली स्थितियों में खराब हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के कुशल प्रकार्य हेतु तथा कर्मिदल/सैन्यदल की थकान को कम करने के लिए इन वाहनों पर पर्यावरणिक नियंत्रण इकाइयों (ई सी यू) का प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस की गई।

रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड (डी पी बी) द्वारा जनवरी 2006 में 969 ई सी यू का प्रावधान करने की योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया। रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने टेक्नो-वाणिज्यिक प्रस्ताव मांगते हुए मार्च 2007 में 15 विक्रेताओं को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) जारी किया। आर एफ पी में अन्य बातों के साथ ई सी यू की सामान्य स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता (जी एस क्यू आर) में निर्धारित एक प्रावधान सम्मिलित था कि उसे अपनी क्षमता पर प्रभाव डाले बिना लगातार छह घंटों तक कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। अगस्त 2007 में आयोजित प्रयोक्ता परीक्षणों में चार विक्रेताओं ने भाग लिया, परंतु किसी भी विक्रेता ने अपेक्षित शीतलन के बारे में जी एस क्यू आर पूरी नहीं की। अप्रैल/मई 2008 में आयोजित अनुवर्ती प्रयोक्ता परीक्षणों में, केवल दो विक्रेताओं ने भाग लिया। जबकि मेसर्स सिडवाल रेफ्रीजरेशन लिमिटेड के उपस्कर ने जी एस क्यू आर प्राचलों को पूरा नहीं किया, मेसर्स फेडर्स लोड्ड कार्पोरेशन का उपस्कर चयनित किया गया। अप्रैल 2008 में इस उपस्कर का परीक्षण 30 कि.मी. रन के लिए आई सी वी पर किया गया, किंतु इंजन का तापमान तेल तथा जल के अनुमेय तापमान 80° सेल्शियस तथा 100° सेल्शियस स्तर के प्रति 10 कि.मी. चलने के बाद 110° सेल्शियस तक बढ़ गया। इस प्रकार इंजन के अतितापन के कारण परीक्षण सफल नहीं हुए थे। पुनः परीक्षण किए गए थे, किंतु समस्या बनी रही। गतिक परीक्षण पुनः किए

गए थे (मई 2008), परंतु परिणामों से प्रकट हुआ कि तेल व जल का तापमान एक बार फिर क्रमशः 105° सेल्शियस और 107° सेल्शियस तक बढ़ गया था। इन जांच परिणामों के बावजूद प्रयोक्ता परीक्षण दल द्वारा यह बताते हुए कि तापमान में वृद्धि सीमा के अंदर थी, उपस्कर की सिफारिश की गई थी (जून 2008)।

परीक्षण दल की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय द्वारा 969 ई सी यू की अधिप्राप्ति को अनुमोदित किया गया था तथा ₹110.66 करोड़ की लागत पर मेसर्स फैंडर्स लोड्स के साथ सितंबर 2009 में संविदा की गई थी। फर्म द्वारा अप्रैल 2010 और अगस्त 2010 के बीच ई सी यू की आपूर्ति की गई थी।

सेना की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए विकल्प खंड/पुनरादेश के तहत उसी फर्म के साथ अक्टूबर 2010 में ₹124.93 करोड़ पर 1,108 ई सी यू की अधिप्राप्ति के लिए एक दूसरी संविदा की गई थी। मार्च 2011 और नवंबर 2011 के बीच उपस्कर की सुपूर्दगी पूरी की गई थी तथा दो संविदाओं के प्रति की गई आपूर्तियों के लिए फर्म को ₹219.48 करोड़ का कुल भुगतान किया गया था। ₹16.11 करोड़ का शेष भुगतान ई सी यू के सफल संस्थापन/चालूकरण पर किया जाना था।

महानिदेशक यंत्रसज्जित सेना (डी जी एम एफ) द्वारा बनाई गई फिटमेंट अनुसूची के अनुसार 1,494 ई सी यू को मार्च 2011 और मई 2012 के बीच आई सी वी में लगाया जाना था तथा शेष 583 ई सी यू को जुलाई 2012 और दिसंबर 2012 के बीच लगाया जाना था। हमने देखा कि आई सी वी में ई सी यू के संस्थापन को तकनीकी त्रुटियों, जिसके परिणामस्वरूप उसके प्रयोग के 30-40 मिनटों के बाद आई सी वी इंजन के अतितापन एवं कार्यकुशलता में कमी हुई, के कारण डी जी एम एफ द्वारा अप्रैल 2012 में रोक रखा गया। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्नत पी टी ओ शाफ्ट आदि जैसे कतिपय आशोधनों को सम्मिलित किया गया था, फिर भी इंजन के अति तापन की समस्या बनी रही, जिसके लिए कोई भी निर्णायक कारण/समाधान प्राप्त नहीं हुए थे। इसके परिणामस्वरूप ई सी यू का फिटमेंट प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2015)।

अतः यह स्पष्ट है कि अप्रैल 2008 में किए गए प्रयोक्ता परीक्षणों से ही इंजन अतितापन की समस्या के बावजूद ₹219.48 करोड़ की लागत पर 2,077 ई सी यू की अधिप्राप्ति की गई थी, जो बिना किसी प्रभावी प्रयोग के पड़े हुए थे।

मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

2.4 सेना के कनिष्ठ कमीशन अधिकारियों को दिये गए क्षेत्र भत्तों पर आयकर की गैर कटौती

भुगतान एवं लेखा अधिकारी (अन्य रैंक), आहरण और संवितरण अधिकारियों के रूप में, सेना में कनिष्ठ कमीशन अधिकारियों से तय छूट सीमा से अधिक के क्षेत्र भत्ते पर आयकर की वसूली नहीं कर पाए। इस तरह के गैर-वसूली वाले कर की राशि 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के लिए ₹5.05 करोड़ तक पहुँच गई।

भुगतान और लेखा अधिकारी (पी ए ओ) (अन्य रैंक) (ओ आर), अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों (पी बी ओ आर) के स्रोत पर आयकर की कटौती के संबंध में आहरण और संवितरण अधिकारी (डी डी ओ) के रूप में काम कर रहे हैं। पी ए ओ, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालय सी जी डी ए के अधिकारी हैं।

आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 192 (1) के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति "वेतन" के तहत प्रभार्य किसी भी आय का भुगतान करेगा, वह भुगतान के समय आयकर की कटौती के लिए कर्मचारी के अनुमानित "वेतन" के तहत उस वित्त वर्ष की कर कटौती करेगा। 'स्रोत' पर कर कटौती (टी डी एस) आयकर की औसत से निर्धारित करना होता है। हालांकि, नियोक्ता द्वारा दिए गए वेतन के अन्तर्गत कुछ भत्तों में, आयकर अधिनियम की धारा 10 (14) के तहत एक निश्चित सीमा तक छूट दी गई है। इनमें सेना कर्मियों को भुगतान किए गए कुछ क्षेत्र भत्ते¹⁰ शामिल हैं।

सितम्बर 2008 एवं जनवरी 2011 में कनिष्ठ कमीशन अधिकारियों (जे सी ओ) से संबंधित क्षेत्र भत्ते की दरों में संशोधन के परिणामस्वरूप, क्षेत्र देय भत्ते आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट छूट की सीमा से अधिक हो गये। 40 में से 30 भुगतान और लेखा अधिकारियों के कम्प्यूटरीकृत वेतन लेखांकन प्रणाली में उपलब्ध जे सी ओ के वेतन एवं भत्तों के आंकड़ों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि निर्धारित छूट एक निर्दिष्ट सीमा तक थी, परन्तु भुगतान और लेखा अधिकारियों ने सितम्बर 2008 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए कार्य क्षेत्र भत्तों की सम्पूर्ण राशि पर छूट का परिकलन किया था। इसलिए भुगतान एवं लेखा अधिकारियों ने तय छूट सीमा से अधिक के क्षेत्र भत्ते पर आयकर शुल्क नहीं लिया था। इसके परिणामस्वरूप

¹⁰ प्रतिपूरक कार्य क्षेत्र भत्ता (सी एफ ए ए), प्रतिपूरक संशोधित कार्य क्षेत्र भत्ता (सी एम एफ ए ए), प्रतिपूरक अत्यधिक सक्रिय कार्य क्षेत्र भत्ता (सी एच ए एफ ए ए), उच्च ऊंचाई अननुकूल जलवायु निम्नतर (एच ए यू सी एल), उच्च ऊंचाई अननुकूल जलवायु उच्चतम (एच ए यू सी एच) और विशेष प्रतिपूरक उग्रवाद विरोधी भत्ते (एस सी सी आई ए)

भुगतान और लेखा अधिकारियों द्वारा ₹5.05 करोड़ की आयकर की राशि की गैर वसूली हुई।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में भुगतान एवं लेखा अधिकारियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रणाली द्वारा कार्य क्षेत्र भत्तों पर आयकर की कटौती नहीं की जा रही थी। इसके अलावा, फरवरी 2014 में सी जी डी ए ने कहा कि उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में वित्तीय वर्ष 2013-14 (निर्धारण वर्ष 2014-15) से आय कर की गणना के लिए क्षेत्र भत्ते के लिए निर्दिष्ट छूट की सीमा से अधिक का भुगतान शामिल करने के लिए संशोधन किया था। हालांकि यह जवाब 2008 से 2013 तक के स्रोत पर आयकर की गैर वसूली के कारणों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था।

इस प्रकार, डी डी ओ द्वारा निर्धारित कर छूट की सीमा से परे कनिष्ठ कमीशन अधिकारियों को भुगतान किए गए क्षेत्र भत्तों पर कर कटौती की विफलता के कारण वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक ₹5.05 करोड़ आयकर की गैर-वसूली हुई ।

मामला अक्टूबर 2015 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2016) ।

2.5 73.826 एकड़ माप की कम भूमि का अधिग्रहण

रक्षा संपदा अधिकारी, जौरहाट तथा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा अधिग्रहण से पूर्व वास्तविक भूमि की पहचान संबंधी निर्धारित कार्यविधियों का अनुपालन करने में विफलता के कारण ₹2.26 करोड़ मूल्य की 73.826 एकड़ निजी भूमि का कम अधिग्रहण हुआ।

पूर्वी थियेटर में माउंटेन ब्रिगेड की नई रेंजिंग को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबांसिरी जिले के डापोरिजो में इस संरचना को समायोजित करने हेतु उपयुक्त भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता महसूस की गई ।

अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण की कार्यविधि छावनी कानून में दर्शाई गई है, जिसके अनुसार भूमि के टुकड़े को अधिग्रहण हेतु चुने जाने के उपरांत एक साइट योजना को उपयोगकर्ता द्वारा रक्षा संपदा अधिकारी (डी ई ओ) को भेजा जाएगा। डी ई ओ निम्नलिखित सूचनाओं को एकत्रित कर संबंधित अधिकारियों के बोर्ड को प्रस्तुत करेगा-

- (क) राजस्व/खसरा योजना के सार सहित अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि जिसे पृथक रंग से चिह्नित किया गया है, में प्रस्ताव में सम्मिलित प्रत्येक ग्राम की सीमा को स्पष्ट रूप से दिखाया जाना।
- (ख) अधिग्रहण के लिए चयनित भूमि के खसरा नंबर के साथ प्रत्येक खसरा नंबर से संबंधित क्षेत्र का विवरण।

(ग) भूमि के अधिग्रहण पर संबंधित राज्य सरकार की 'अनापत्ति'।

संयुक्त रूप से सरकार की संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व डी ई ओ तथा बी ओ ओ को स्थानीय राजस्व स्टॉफ के साथ मिलकर भूमि के निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता थी ताकि अधिग्रहण के तहत आने वाली भूमि की सत्यता को पहचाना जा सके।

माउंटैन ब्रिगेड के लिए उपर्युक्त भूमि की पहचान हेतु जनवरी 2010 में बी ओ ओ ने एक बैठक का आयोजन किया तथा डापोरिजो के सामान्य क्षेत्र में 358.415 एकड़ की निजी भूमि के अधिग्रहण की सिफारिश (फरवरी 2010) की। इन सिफारिशों के आधार पर एक मामला संस्वीकृति हेतु भेजा गया। मंत्रालय ने मार्च 2010 में, 358.415 एकड़ की निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु ₹1.76 करोड़ की अनुमानित लागत की संस्वीकृति प्रदान की। मंत्रालय की संस्वीकृति के तहत अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के क्षेत्र को हंगलाकि बाद में (दिसम्बर 2012) 157.50 एकड़ में ₹3 लाख प्रति एकड़ तथा 2 प्रतिशत आपातकाल दर से ₹4.82 करोड़ की अनुमानित लागत पर संशोधित किया गया।

विषयगत भूमि के अधिग्रहण और अधिकार के लिए डी ई ओ जौरहाट ने दिसम्बर 2013 में डापोरिजो के उप- आयुक्त (डी सी) को ₹4.82 करोड़ की अदायगी की। दिसम्बर 2013 तथा जनवरी 2014 में डी ई ओ, डी सी डापोरिजो तथा सैन्य प्राधिकरण (ए ए) द्वारा भूमि के संयुक्त सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि वास्तविक भूमि का कुल क्षेत्र 157.50 एकड़ के बजाय 83.674 एकड़ ही था जिसके लिए पूरी अदायगी भी की जा चुकी थी। जनवरी 2014 में क्षेत्र के पुनर्मूल्यांकन हेतु एक टीम का गठन किया गया जिसमें डी सी, डी ई ओ तथा ए ए के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। जिनके द्वारा एक पुनः सर्वेक्षण किया गया, किंतु भूमि का वास्तविक क्षेत्र 83.674 एकड़ ही पाया गया। अतः अधिग्रहीत भूमि में ₹2.26 करोड़ लागत की 73.826 एकड़ की कमी थी। हमने पाया कि भूमि के मापन एवं प्रमाणीकरण में हुई गलती की जानकारी के बावजूद भी डी सी ने भूमि मालिकों को जनवरी 2014 में पूरी कीमत चुका दी। अंततः फरवरी 2015 में उपलब्ध भूमि का क्षेत्र जो 157.50 एकड़ में से केवल 83.674 एकड़ ही था डी ई ओ/सैन्य प्राधिकरण द्वारा ले लिया गया।

अर्जित भूमि के आकलन में आई अपरिशुद्धता के बारे में उठाई गई लेखा परीक्षा आपत्ति (अगस्त 2015) के उत्तर में डी ई ओ जौरहाट ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश एक गैर- भूकर क्षेत्र है जिसमें पूरे राज्य के लिए भूमि रिकार्ड एवं खसरा मानचित्र की कोई भी स्थापित प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। अतः अधिग्रहण से पूर्व प्रश्नाधीन भूमि संबंधी विवरण को बी ओ ओ सत्यापित नहीं कर सका।

डी ई ओ द्वारा दिया गया उत्तर यद्यपि तर्कसंगत नहीं था क्योंकि स्थापित भूमि रिकार्ड प्रणाली का अभाव एवं खसरा मानचित्र की अनुपलब्धता से यह अपने आप में ही डी ई ओ तथा बी ओ ओ के लिए अधिक जरूरी हो जाता है कि भूमि अधिग्रहण पूर्व स्थानीय

राजस्व प्राधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण के दौरान वे भूमि की वास्तविक उपलब्धता को पहचाने। अतः भूमि रिकार्डों का अभाव भूमि की संस्वीकृति एवं अदायगी का स्पष्टीकरण कदापि नहीं हो सकता, जोकि भौतिक रूप में विद्यमान नहीं था।

अतः उक्त मामले ने डी ई ओ और बी ओ ओ के स्तर पर भूमि की वास्तविक उपलब्धता की मात्रा के सत्यापन में हुई विफलता के परिणामस्वरूप ₹2.26 करोड़ मूल्य की 73.826 एकड़ कम भूमि के अधिग्रहण की बात को उजागर किया। अधिक अदा की गई राशि की वसूली की जाने की आवश्यकता है या वैकल्पिक भूमि जिसके लिए अधिक अदायगी हुई, सेना द्वारा अधिप्राप्त किया जाना है।

मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2016)।

अध्याय III : थल सेना

3.1 परीक्षण प्रयोजनों के लिए रेडियो सेटों की अनुचित खरीद

सेना मुख्यालय ने 2006 में क्षेत्र परीक्षणों के लिए आवश्यकता से अधिक ₹21.90 करोड़ मूल्य के 322 रेडियो सेटों की अधिप्राप्ति की। बक्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए अधिप्राप्त इन सेटों का परीक्षणों के लिए प्रयोग नहीं किया गया था तथा इन्हें स्टार V मार्क II विशिष्टताओं के संगत बनाने के लिए उन्नयन आवश्यक है, जिसके लिए ₹11.27 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

कम्पोजिट नेट रेडियो (सी एन आर) सेटों (रेडियो सेटों) को बक्तरबंद लड़ाकू वाहनों (ए एफ वी) में आवाज़ और डाटा संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मई 1992 में रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) द्वारा दी गई ₹1.73 करोड़ की संस्वीकृति के आधार पर, डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लिकेशन्स लेबोरेटरी (डी ई ए एल), देहरादून और मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पंचकुला (बी ई एल) ने संयुक्त रूप से सैन्य अभियानों के लिए सी एन आर सेटों को विकसित करने का कार्य शुरू किया था। परियोजना का कार्य क्षेत्र 5 डब्ल्यू/50 डब्ल्यू आवृत्ति के होपींग रेडियो का वी एच एफ बैंड में फैब्रीकेशन और मूल्यांकन करना था। डी ई ए एल ने ₹3.41 करोड़ की लागत पर रेडियो सेटों को विकसित किया और परियोजना मार्च 2002 में बंद हो गई, यद्यपि इसने पूरी तरह से उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। डी आर डी ओ द्वारा विकसित किये गये ये सेट 1999 और 2003 के बीच काफी परीक्षणों के अधीन रहे किन्तु सफल नहीं हुए।

15,572 रेडियो सेटों की आवश्यकता के प्रति डी पी बी ने अक्टूबर 2001 में डी आर डी ओ से 7,786 रेडियो सेट की खरीद की सिफारिश की थी। यह भी सिफारिश की गई थी कि प्रारम्भ में बी ई एल पर 2000 रेडियो सेटों के लिए एक आदेश जारी किया जाए जिसकी आपूर्ति 9 महीने के भीतर हो। तथ्य यह है कि परियोजना के सफल समापन के बाद भी परीक्षण पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था, सेना मुख्यालय द्वारा नवंबर 2003 में निर्णय लिया गया कि शुरू में 500 सेट व्यापक क्षेत्र परीक्षण के लिए खरीदे जाएंगे और शेष 1500 सेट उपकरण के परीक्षण में सफल घोषित किए जाने के बाद ही खरीदे जाएंगे।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी पी पी) में यह कहा गया है कि क्षेत्र परीक्षण के लिए उपकरणों की वांछित संख्या में यूनिटें प्रदान करने हेतु विक्रेता से कहा जाना चाहिए। फिर भी हमने पाया कि सेना ने मार्च 2005 में परीक्षण प्रयोजनों के लिए 500 रेडियो सेटों की खरीद की, जो कुल आवश्यकता (2000 सेट) का 25 प्रतिशत था। अभिलेखों में कोई लिखित कारण नहीं था जो परीक्षण प्रयोजनों के लिए ₹34 करोड़ के 500

रेडियो सेट खरीदने की आवश्यकता को सही साबित कर सके। परीक्षण के लिए अनावश्यक रूप से रेडियो सेट की अधिक संख्या में खरीद पर लेखापरीक्षा में इन सेटों के वास्तविक उपयोग की जांच की गयी और पाया गया कि ₹34 करोड़ की कुल लागत पर खरीदे गए वी एच एफ 5 डब्ल्यू/50 डब्ल्यू के 500 सेटों की कुल संख्या में से केवल 178 रेडियो सेटों को परीक्षण प्रयोजनों के लिए जारी किया गया था। होल्डिंग डिपो अर्थात् केंद्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी) आगरा में रखे गए अभिलेख के अनुसार ₹21.90 करोड़ मूल्य के शेष 322 सेटों को निर्गत नहीं किया गया तथा भंडार में ही पड़े हुए थे।

आगे, हमने पाया कि जब तक परीक्षण सफलतापूर्वक 2008 में पूरा किया गया, रेडियो सेटों का उन्नयन हो गया था एवं बी ई एल ने स्टार V मार्क ॥ रूपांतर के रेडियो सेटों का उत्पादन कर दिया था। इसलिए सेना मुख्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि रेडियो सेट जो शामिल किये जाने हैं, सभी रेडियो मार्क ॥ रूपांतर वाले होने चाहिए और स्टॉक में रखे गए रेडियो सेटों को भी उन्नत किया जाना चाहिए ताकि स्टार V मार्क ॥ की विशिष्टताओं के संगत किए जा सकें।

तदनुसार, सेना ने फरवरी 2010 में बी ई एल से मार्क ॥ रूपांतर के शेष 1500 रेडियो सेट की खरीद की। 2010 में मार्क ॥ रूपांतर की खरीद की लागत 2005 में मार्क-1 रूपांतर के बराबर ही थी।

जून 2006 में पहले से आपूरित 500 रेडियो सेटों को उन्नत किए जाने के लिए बी ई एल ने अप्रैल 2014 में डी जी एम एफ को यह सूचित किया कि इन सेटों को स्टार V एम के-॥ विशिष्टताओं के संगत बनाने के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड (पी सी बी)/हार्डवेयर का लगभग 80 प्रतिशत प्रतिस्थापित करने और प्रमुख संशोधन करने की जरूरत है। इस के लिए बी ई एल ने प्रति यूनिट ₹3.50 लाख (अप्रैल 2014) पर रेट्रो संशोधन के लिए एक बजटीय अनुमान बनाया। जबकि 500 रेडियो सेटों के रेट्रो संशोधन के लिए निर्णय विचाराधीन था, ये सेट भावी उपयोग की प्रतीक्षा में सी ओ डी आगरा में अप्रयुक्त पड़े हुए थे (मार्च 2015)।

इस प्रकार मामले से यह पता चलता है कि क्षेत्र परीक्षण के लिए 500 रेडियो सेट की खरीद वांछनीय आवश्यकता से अधिक थी क्योंकि वास्तव में केवल 178 सेट परीक्षण के लिए उपयोग किए गए थे। ₹21.90 करोड़ मूल्य के अतिरिक्त 322 रेडियो सेट, जो जून 2006 में उनकी खरीद के बाद से किसी उपयोग के बिना भंडार में रखे गए थे, इसके भी रेट्रो संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए ₹11.27 करोड़ का व्यय आवश्यक होगा। इस राशि को बचाया जा सकता था, यदि क्षेत्र परीक्षण के लिए रेडियो सेटों की खरीद उद्देश्यपूर्ण और वास्तविक जरूरत के आधार पर की गई होती।

मामला मंत्रालय को नवंबर 2015 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

3.2 निजी संस्थान में सेवा कर्मिकों की अनियमित रूप से तैनाती

यद्यपि सेना आयुर्विज्ञान कॉलेज अपनी खुद की शिक्षण सुविधाएं स्थापित करने में प्रक्रियाधीन था, मंत्रालय ने पांच वर्षों की अवधि के लिए सरकारी अस्पतालों के आंशिक संकाय का उपयोग करने की संस्वीकृति दी। तथापि सेना मुख्यालय ने विभिन्न कोर/इकाइयों से लिपिकीय काम के लिए सेवा कर्मिकों को तैनात किया, जो मंत्रालय की संस्वीकृति में शामिल नहीं था।

सेना आयुर्विज्ञान कॉलेज (ए सी एम एस), नई दिल्ली भारतीय सेना में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कर्मिकों के आश्रितों के लिए सेना कल्याण शिक्षा संघ (ए डब्ल्यू ई एस)¹¹ के अंतर्गत कार्यरत एक व्यावसायिक संस्थान है। यह कॉलेज अपने प्रथम बैच के एम बी बी एस विद्यार्थियों के लिए 2008 में खोला गया।

कॉलेज की स्थापना को सुगम बनाने और संकाय संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2008 में रक्षा मंत्री के अनुमोदन से मंत्रालय द्वारा सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं (ए एफ एम एस) के आंशिक संकाय तथा बेस अस्पताल और सेना अस्पताल (आर एंड आर), दिल्ली छावनी की सुविधाओं का प्रयोग करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन देने के लिए निर्णय लिया गया:

- क) मेजर जनरल तथा ए एफ एम एस संकाय की सेवाएं न्यूनतम संभव समय के लिए ली जाएंगी, जो कॉलेज के आरंभ से पांच वर्षों से अधिक की नहीं होगी।
- ख) ए डब्ल्यू ई एस को अपने ही संकाय की भर्ती करने के लिए पांच वर्षों के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए।
- ग) बेस और आर एंड आर अस्पतालों की सुविधाओं का प्रयोग पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए नहीं किया जाएगा।

यद्यपि हमने बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी (बी एच डी सी) की लेखापरीक्षा के दौरान देखा (जुलाई 2015) कि रक्षा मंत्रालय (सेना) की एकीकृत मुख्यालय (आई एच क्यू) एड्जुटेंट जनरल (ए जी) शाखा ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान ए सी एम एस के साथ अधिकारी श्रेणी से निम्न कर्मिकों (पी बी ओ आर) को तैनात करने के लिए संस्वीकृति जारी की थी। प्रति वर्ष 38 से 61 तक ऐसे पी बी ओ आर को सेना के विभिन्न कोर/इकाइयों से लिपिकीय, भंडार रक्षण, गृह रक्षण आदि कार्य के लिए ए सी एम एस के साथ तैनात किया गया था।

पांच वर्षों की अवधि के दौरान (2010-15) ए सी एम एस के साथ तैनात ऐसे कर्मिकों की कुल संख्या 276 थी। चूंकि यह कॉलेज प्रामाणिक सरकारी संस्थान नहीं है, इन

¹¹ सेना मुख्यालय में एड्जुटेंट जनरल शाखा के अंतर्गत 1860 के संघ पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत स्थापित किया गया एक संगठन।

सेवा कार्मिकों को तैनात किया जाना, जिनके नाम सेना के नियमित वेतन पंजी में दर्ज थे, नियमानुसार नहीं था।

पी बी ओ आर को अनियमित रूप से तैनात किये जाने के बारे में लेखापरीक्षा के प्रश्न के उत्तर में बी एच डी सी ने कहा (नवंबर 2015) कि ए सी एम एस के लिए ए एफ एम एस के आंशिक संकाय एवं बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी की सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए फरवरी 2008 में मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर यह तैनाती की गयी थी।

प्रदत्त उत्तर वस्तुतः सही नहीं है, क्योंकि मंत्रालय द्वारा दी गई संस्वीकृति ए सी एम एस के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए संकाय का उपयोग करने के लिए थी और न कि लिपिकीय, भंडार रक्षण, गृह रक्षण आदि कार्यों के लिए पी बी ओ आर की तैनाती हेतु।

इसके अतिरिक्त सेना मुख्यालय (ए जी शाखा) ने मई 2016 में उत्तर दिया कि बी एच डी सी के नेत्र चिकित्सा विभाग को वर्ष 2014 में ए सी एम एस के अकादमिक ब्लॉक में अस्थाई रूप से स्थानांतरित किया गया था तथा बी एच डी सी पर जनशक्ति का उपयोग किया गया था, क्योंकि विभाग को अस्पताल से दूर स्वतंत्र रूप से कार्य करना पड़ा था। यह भी बताया गया था कि इस प्रकार ए सी एम एस के साथ तैनात सैनिकों ने बाद में बी एच डी सी में उनके व्यावसायिक कार्य भी किए।

सेना मुख्यालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि बी एच डी सी के नेत्र चिकित्सा विभाग का स्थानांतरण 2014 में किया गया था, वह भी अस्थायी आधार पर, जबकि ए सी एम एस के साथ सेना की विभिन्न कोर/इकाईयों से पी बी ओ आर की तैनाती की प्रक्रिया 2010-11 से चल रही थी। आगे बी एच डी सी और ए सी एम एस दोनों जगह कार्य करने की प्रक्रिया उपयुक्त नहीं थी।

अतः प्रामाणिक सरकारी कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए ए सी एम एस में 276 पी बी ओ आर को तैनात किया जाना अनधिकृत था। इसलिए सेना मुख्यालय सुधारक उपाय करें और यह सुनिश्चित करे कि सेवा कार्मिकों को निजी संस्थानों में तैनात नहीं किया जाता है।

यह मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016) ।

3.3 अतिरिक्त लॉण्डी सुविधा की अनियमित संस्वीकृति

जनरल ऑफिसर कमानडिंग, महाराष्ट्र, गुजरात तथा गोवा क्षेत्र ने ₹1.21 करोड़ की लागत पर 300 किलोग्राम क्षमता की अतिरिक्त लॉण्डी सुविधा के लिए “अत्यावश्यक सामरिक” आधार पर “आगे बढ़ने” की संस्वीकृति प्रदान की। आवश्यकता के वास्तविक आकलन के बिना “मानदण्ड” को बढ़ाते हुए अतिरिक्त सुविधा का निर्माण किया गया और सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ संदर्भ से बचते हुए निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई।

रक्षा निर्माण कार्यविधि (डी डब्ल्यू पी), 2007 यह निर्दिष्ट करता है कि यदि किसी पूर्व संस्वीकृत कार्य में मापदण्डों अथवा स्थापनाओं में परिवर्तन अथवा अन्य विशिष्ट प्रशासनिक कारणों से अतिरिक्त कार्य आवश्यक हो जाए, तो एक पूरक व्यय अनुमान तैयार किया जायेगा तथा संपूर्ण खर्च जिसमें दोनों मूल एवं पूरक व्यय अनुमान समाविष्ट हो, का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन सक्षम वित्तीय अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने ₹270.77 करोड़ की लागत पर नए कमान चिकित्सालय, दक्षिणी कमान (कमान चिकित्सालय) के निर्माण के लिए अक्टूबर 2008 में संस्वीकृति प्रदान की, जिसमें ₹1.54 करोड़ लागत की 400 किलो क्षमता की यांत्रिक लॉण्डी का प्रावधान समाहित था। प्रयोक्ता द्वारा परियोजित कार्यों के अतिरिक्त मदों की आवश्यकता, जो प्रारंभ में मूल संस्वीकृति में नहीं थी, को देखते हुए दिसम्बर 2012 में प्रशासनिक अनुमोदन को ₹382.37 करोड़ तक संशोधित किया गया।

इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य अभियंता, पुणे अंचल (सी ई पी जेड) ने मेसर्स ओमॉक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा कनस्ट्रक्शन्स के साथ ₹338.79 करोड़ राशि की संविदा (जनवरी 2013) की, जिसमें ₹3.72 करोड़ की लागत से 400 किलो के यांत्रिक लॉण्डी की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन सम्मिलित था। अगस्त 2015 की अधिसूचित समाप्ति तिथि के विपरीत कार्य की प्रगति 27 प्रतिशत हुई थी (दिसम्बर 2015)।

संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन (दिसम्बर 2012) से पूर्व कमान चिकित्सालय ने जून 2010 में पहले से संस्वीकृत 3 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन के औसत लॉण्डी भार को 5 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन तक बढ़ाते हुए लॉण्डी की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक अलग प्रस्ताव लाया। अतः कमान चिकित्सालय द्वारा 300 किलो की अतिरिक्त क्षमता के प्रावधान हेतु इस मामले को “अत्यावश्यक सामरिक” आधार पर लिया गया। हालाँकि क्षमता में यह बढ़ोतरी भार के वास्तविक आकलन किए बगैर मांगा गया क्योंकि चिकित्सालय का तब तक निर्माण भी नहीं हुआ था। जनरल ऑफिसर कमानडिंग

(जी ओ सी) महाराष्ट्र, गुजरात तथा गोवा क्षेत्र ने डी डब्ल्यू पी¹² के पैरा 35 का अवलंब लेते हुए ₹1.21 करोड़ की अनुमानित लागत पर कमान चिकित्सालय में लॉण्ड्री सेवा की क्षमता को बढ़ाने के लिए “आगे बढ़ने” की स्वीकृति प्रदान की (जून 2010)। यह कार्य ₹1.07 करोड़ की लागत पर सी ई पी जेड द्वारा (मई 2012) में कार्यान्वित किया गया अर्थात् चिकित्सालय भवन के लिए संविदा दिए जाने से सात महीने पहले।

हमने देखा कि 2008 में मंत्रालय द्वारा स्वीकृति अधिकारियों के बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर दी गई, जिसकी अध्यक्षता कमान चिकित्सालय के एक अधिकारी द्वारा की गई थी। चूँकि लॉण्ड्री उपकरण के लिए कोई मापदण्ड विद्यमान नहीं था, बोर्ड ने पुणे के 600 बिस्तरों वाले सैन्य चिकित्सालय अर्थात् सैन्य हॉस्पिटल (एम एच) कार्डिएक थिरॉसिस सेन्टर (सी टी सी) की लॉण्ड्री सुविधा को मापदण्ड बनाया। 250 किलो क्षमता तथा प्रति दिन आठ घण्टों का चालन से यह भार लगभग 3 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन बना और इसलिए 2008 में मंत्रालय द्वारा 1097 बिस्तरों वाले (सी एच एस सी) चिकित्सालय के लिए 400 किलो प्रति घंटे क्षमता वाली लॉण्ड्री मशीन की स्वीकृति दी गई। इसके बावजूद कि मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान करते समय 3 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन के मानदंडों को अनुमोदित किया था जी ओ सी ने जून 2010 में इस भार को 5 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन संशोधित करके 300 किलो क्षमता की अतिरिक्त लॉण्ड्री की स्वीकृति दी।

हमने देखा कि किसी मापदण्ड के अभाव में, एम एच सी टी सी के भार के आधार पर बोर्ड द्वारा 3 किलो प्रति बिस्तर प्रतिदिन के मानदण्ड की सिफारिश की गई तथा मंत्रालय द्वारा उसे अनुमोदित किया गया। लेखापरीक्षा से यह भी उद्घटित हुआ कि अन्य सैन्य चिकित्सालयों अर्थात् एम एच किरकी, त्रिवेंद्रम, गोलकोण्डा तथा कन्ननोर में प्रति बिस्तर प्रति दिन का भार 3 किलो से कम था। अतः आवश्यकता के वास्तविक आकलन के बिना 3 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन से मापदण्ड को 5 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन तक बढ़ाते हुए निम्न सक्षम वित्तीय अधिकारी द्वारा ₹1.21 करोड़ की लागत से अतिरिक्त लॉण्ड्री की संस्वीकृति अनियमित थी। आगे, यह मामला डी डब्ल्यू पी के पैरा 35 के अंतर्गत संस्वीकृति हेतु योग्य नहीं था।

यह मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

¹² आकस्मिक परिचालन आवश्यकता अथवा अत्यावश्यक चिकित्सा कारणों से उत्पन्न अप्रत्याशित परिस्थितियों में, जो सामान्य प्रक्रिया से हटकर लघु मार्ग अपनाने को अनिवार्य कर देती हैं, डी डब्ल्यू पी का पैरा 35 लागू किया जाता है।

3.4 लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियाँ / बचतें और लेखाओं में समायोजन

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाईयों ने अधिदत्त वेतन और भत्तों, विविध शुल्कों, प्रशिक्षण शुल्कों की वसूली की थी, अनियमित संस्वीकृतियों को रद्द कर दिया और वार्षिक लेखाओं में संशोधन किया जिससे ₹184.73 करोड़ का शुद्ध प्रभाव रहा।

लेखापरीक्षा के दौरान हमें अनियमित भुगतान, शुल्कों की कम-वसूली/गैर-वसूली, अनियमित संस्वीकृतियों का जारी करना और लेखांकन त्रुटियों के कई उदाहरण देखने को मिले। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाईयों ने सुधारात्मक कार्रवाई की, जिसका शुद्ध प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है :

वसूलियाँ

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ), रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, सैन्य अभियंता सेवाएं (एम ई एस), रक्षा आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, सेना की इकाईयों/संरचनाओं, भुगतान और लेखा कार्यालय, कैंटीन भंडार विभाग (सी एस डी) प्रधान कार्यालय (एच ओ) आदि के अभिलेखों की जांच से ₹35.87 करोड़ (अनुलग्नक-VI) की राशि के वेतन और भत्तों के अनियमित भुगतान, विविध शुल्कों, प्रशिक्षण शुल्कों की गैर वसूली, बिजली शुल्क की अनियमित प्रतिपूर्ति के मामले उजागर हुए। इंगित किए जाने पर, संबंधित लेखापरीक्षित इकाईयों ने अनियमित भुगतानों की वसूली की।

बचतें

विभिन्न संस्वीकृति प्राधिकारियों ने जैसे रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, सेना के उप क्षेत्र मुख्यालय, डी आर डी एल, आदि ने कार्यों के लिए अनियमित मंजूरी को रद्द किया एवं सेवान्त उपदान के दावों में संशोधन और सी जी ई आई एस दावों को प्रतिबंधित किया। निदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने आपूर्ति आदेश को रद्द कर दिया। इन कार्यों का शुद्ध परिणाम ₹8.36 करोड़ की कुल बचत थी (अनुलग्नक-VII)।

सी एस डी के वार्षिक लेखाओं का संशोधन

जब हमने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनियमित लेखांकन जैसे कि माल ढुलाई शुल्कों की कम प्रोविजनिंग, विविध लेनदार, बकाया देनदारियों को कम करके बताना एवं वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए मूल्य वर्धित कर की वापसी के दावे बकाया होने के कारण बचे हुए माल और प्राप्तियों में परिसंपत्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर कहना, तब सी एस डी ने वार्षिक खातों में सुधार किया। लेकिन, अगर यह सुधार नहीं किए गए होते तो लाभ ₹281 करोड़ तक बढ़ा कर दिखाया जाता। चूंकि, लाभ का 50 प्रतिशत तीनों सेवाओं और अन्य लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाता है, इससे सरकार को ₹140.50 करोड़ की निवल बचत हुई (अनुलग्नक-VIII)।

अध्याय IV : कार्य एवं सैन्य इंजीनियर सेवायें

4.1 परिचालन सैन्य आवश्यकताओं के लिए संस्वीकृत कार्यों के पूरा होने में अत्यधिक विलंब

सैन्य अस्पताल (एम एच) की परिचालन सैन्य आवश्यकताओं के लिए संस्वीकृत एक भूमिगत ऑपरेशन थियेटर (यू जी ओ टी) का निर्माण करने में सैन्य अभियंता सेवाओं द्वारा दस वर्षों तक का विलंब हुआ, जिससे प्रचालन में लगे सैन्य दल को इस सुविधा से वंचित होना पड़ा। ₹1.54 करोड़ की लागत पर निर्माण कार्य पूरा किया गया, जब तक कि एम एच को एक अलग जगह पर ले जाया गया था। परिसंपत्तियां अब अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं।

सीमा पर गोलाबारी की स्थिति में विद्यमान सैन्य अस्पताल (एम एच) के अप्रकार्यात्मक हो जाने की किसी भी संभाव्यता से बचने हेतु सैन्य अस्पताल (एम एच), तांगधर द्वारा भूमिगत ऑपरेशन थियेटर (यू जी ओ टी) के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। एम एच ने प्रस्ताव किया था कि अस्पताल में शल्यचिकित्सा विशेषज्ञ, एनेस्थेतिस्ट तथा चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आपात स्थिति में रोगी को निरंतर सेवा प्रदान करने के लिए यू जी ओ टी का प्रयोग किया जा सकता है।

कोर के जनरल अफसर कमांडिंग ने अत्यावश्यक सैन्य एवं परिचालन कारणों से आवश्यकता को स्वीकार किया और यू जी ओ टी के निर्माण के लिए जुलाई 1999 में रक्षा निर्माण कार्यविधि (डी डब्ल्यू पी) के पैरा 11¹³ का आह्वान करते हुए ₹70 लाख के लिए 'आगे बढ़ने की संस्वीकृति' प्रदान की। कार्य दो वर्षों के अंदर किया जाना था। रक्षा मंत्रालय द्वारा ₹1.39 करोड़ के लिए नियमित रूप से प्रशासनिक अनुमोदन नवंबर 2004 में प्रदान किया गया।

कार्य निष्पादन के लिए मुख्य अभियंता श्रीनगर क्षेत्र (सी ई एस जेड) द्वारा सितंबर 2000 में ₹1.25 करोड़ की एकमुश्त राशि पर संविदा की गई, जिसके अनुसार कार्य समापन की तिथि 26 सितंबर 2002 थी। परिचालन अत्यावश्यकता के बावजूद एम ई एस परियोजना को समय पर पूरा नहीं कर सकी। निर्माण कार्य अनेक कारणों से विलंबित हुआ जैसे फर्श और दीवारों से रिसाव, जिसके कारण ऑपरेशन थियेटर में जलप्लावन जैसी स्थिति आ गई। मुख्यालय उत्तरी कमान द्वारा संविदाकार की ओर से

¹³ डी डब्ल्यू पी का पैरा 11 का आह्वान अप्रत्याशित परिस्थितियों में किया जाता है, जो परिचालन सैन्य आवश्यकता से उत्पन्न होती है और साधारण कार्यविधि का लघुपथन करना अनिवार्य कर देती है।

खराब कारीगरी तथा एम ई एस द्वारा उचित पर्यवेक्षण के अभाव को इसके लिए कारण बताया गया।

अप्रैल 2008 में, एम एच जिसके लिए यू जी ओ टी का निर्माण किया जा रहा था, को एक अलग जगह (ड्रगमुला) पर स्थानांतरित कर दिया गया तथा एक फील्ड अस्पताल के अग्र शल्य केंद्र (एफ एस सी) को तांगधर में स्थानांतरित कर दिया गया। अस्पतालों के इस पुनः स्थानांतरण से तांगधर स्टेशन में वस्तुतः कोई भी समर्पित अस्पताल नहीं था, क्योंकि एफ एस सी केवल फील्ड अस्पताल की एक टुकड़ी थी। एफ एस सी में कोई शल्यचिकित्सा विशेषज्ञ या एनेस्थेतिस्ट तैनात नहीं थे।

यू जी ओ टी में निरंतर रिसाव के कारण मुख्यालय इन्फैन्ट्री डिवीजन ने ₹15.45 लाख की लागत पर यू जी ओ टी में भूमिगत जल के रिसाव को रोकने के लिए नींव की गहराई तक एक पुश्ता- दीवार एवं अपवाहिका का निर्माण किया (मार्च 2011)। यू जी ओ टी का निर्माण अंततः ₹138.68 लाख की लागत पर जून 2011 में पूरा किया गया तथा सितंबर 2011 में प्रयोक्ताओं को हस्तांतरित किया गया।

हमने देखा कि कोर के जी ओ सी द्वारा डी डब्ल्यू पी के पैरा 11 का आह्वान करते हुए अत्यावश्यक सैन्य और परिचालन कारणों से यू जी ओ टी के प्रावधान को संस्वीकृत किया गया था, फिर भी एम ई एस यह कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा नहीं कर सकी। अत्यावश्यक परिचालन कार्य, जो दो वर्षों के अंदर पूरा किए जाने को निर्धारित था, वह वास्तव में संस्वीकृति के 12 वर्षों के बाद ही पूरा हुआ था, जिससे परिचालन में लगे सैन्यदलों को इस प्राणरक्षक सुविधा से वंचित होना पड़ा। वह यूनिट (एम एच), जिसने यू जी ओ टी के लिए मामला प्रारंभ किया था, अन्य बातों के साथ, चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता के आधार पर उस समय तक एक अन्य जगह पर स्थानांतरित हो चुकी थी। शल्य चिकित्सा अपेक्षित हताहतों को या तो विमान द्वारा या फिर सड़क द्वारा नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। एफ एस सी, जिसने एम एच को प्रतिस्थापित किया, के पास न तो कोई शल्यचिकित्सा विशेषज्ञ तैनात था और न ही कोई एनेस्थेतिस्ट, इसलिए ऐसे सृजित ₹1.54 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं।

यह मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

4.2 अधिकारी श्रेणी से निम्न कार्मिकों से जल प्रभारों की गैर-वसूली

राजस्व की उगाही के लिए उत्तरदायी दुर्ग अभियंताओं ने मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के बावजूद उधमपुर, सतवारी और दीमापुर स्टेशनों पर अधिकारी श्रेणी से निम्न कार्मिकों से जल उपयोग प्रभारों की वसूली नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹97.89 लाख की वसूली नहीं हुई।

सैन्य अभियंता सेवाओं के विनियम (आर एम ई एस) यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि दुर्ग अभियंता (जी ई) सभी राजस्व प्राप्तियों की शीघ्र उगाही के लिए उत्तरदायी है। अक्टूबर 2003 के पहले, रक्षा सेवाएं/सिविल अनुमानों से वेतन पाने वाले सभी भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अखिल भारतीय समान दर पर बिल बनाया जाना था।

अक्टूबर 2003 में, मंत्रालय ने भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए जल उपयोग प्रभारों की वसूली की दरों को समीपस्थ कॉलोनियों में रहने वाले सामान्य जन से स्थानीय राज्य जल बोर्ड/जल आपूर्ति अभिकरण द्वारा की जाने वाली प्रचलित वसूली की दरों से संशोधित कर दिया। हालांकि सेवा कार्मिकों से ये प्रभार उपरोक्त निर्धारित दरों की आधी दरों पर वसूल किए जाने थे।

मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के बावजूद हमने देखा कि उत्तरी कमान में, उधमपुर और सतवारी स्टेशनों पर एम ई एस द्वारा पी बी ओ आर से जल उपयोग प्रभार वसूल नहीं किए जा रहे थे, हालांकि अधिकारियों एवं सिविलियनों से वसूली की जा रही थी। परिणामस्वरूप 2008-09 और 2013-14 की अवधि के लिए 3646 पी बी ओ आर आवासों के अधिभोगियों के प्रति ₹58.81 लाख के जल उपयोग प्रभार बकाया थे। इसी प्रकार पूर्वी कमान में सैन्य स्टेशन दीमापुर पर भी ऐसी अनियमितता देखी गई थी, जहाँ जल प्रभार वसूल नहीं किए जा रहे थे। 2008-09 से 2014-15 तक की अवधि के लिए ऐसी वसूली की राशि ₹39.08 लाख तक है।

लेखापरीक्षा के एक प्रश्न पर बिल जारी करने के लिए उत्तरदायी जी ई उधमपुर के सहायक लेखा अधिकारी (ए ए ओ) ने बताया कि गैर- वसूली संबंधित बैरक भंडार अधिकारी से वसूलियों का विवरण प्राप्त न होने के कारण था। जी ई सतवारी ने पी बी ओ आर से जल प्रभारों की वसूली लेखापरीक्षा में उसके संबंध में इंगित किए जाने के बाद आरंभ करने की पुष्टि की। जी ई दीमापुर ने तथापि बताया कि 10.07.2007 को जारी क्वार्टर मास्टर जनरल, सेना मुख्यालय (क्यू एम जी) के निर्देशों के अनुसार पी बी ओ आर जल की निःशुल्क आपूर्ति के लिए हकदार हैं।

यद्यपि उधमपुर और सतवारी के जी ई ने प्रणाली की विफलता को स्वीकार किया था, फिर भी जी ई दीमापुर द्वारा दिया गया उत्तर वस्तुतः तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का अधिक्रमण निम्नतर प्राधिकारी अर्थात् क्यू एम जी के

निर्देशों से नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 में क्यू एम जी ने भी स्पष्ट किया था कि अक्टूबर 2003 के एम ओ डी के नीति निर्देशों के अनुसार सेवा कार्मिकों से वसूली की जाए।

अतः यह मामला प्रकट करता है कि उधमपुर, सतवारी और दीमापुर से संबंधित जी ई पी बी ओ आर से जल उपयोग प्रभार वसूल करने में विफल रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹97.89 लाख की गैर-वसूली हुई।

यह मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

अध्याय V : सीमा सड़क संगठन

5.1 पुलों के लिए अनुचित स्थलों का चुनाव

महानिदेशक सीमा सड़क मुख्यालय द्वारा अव-मृदा जाँच (एस एस आई) कराए बिना ही स्थलों के चुनाव के परिणामस्वरूप, बाद में कार्य को समय पूर्व बंद करना पड़ा क्योंकि मृदा स्तर को पुलों के निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया था। इसके लिए दिए विशिष्ट अनुदेशों के बावजूद एस एस आई की आवश्यकता को नजर अंदाज किया गया। इस गैर- अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹2.53 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

भारतीय सड़क कांग्रेस (आई आर सी) ने पुल की नींव हेतु मृदा या चट्टान की उपयुक्तता का पता करने के लिए मृदा की भू-वैज्ञानिक विशिष्टता जैसे पिछली स्थल जाँच रिपोर्ट, भू-वैज्ञानिक सतह का परीक्षण, मौजूदा भू- सम्पदा की विशिष्टताएं, उप सतह की छानबीन के सत्यापन की आवश्यकता का निर्धारण किया है। सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) का तकनीकी अनुदेश (टी आई) सं. 3 भी यह अनुबद्ध करता है कि पुल परियोजना हेतु स्थल सर्वेक्षण एवं अव-मृदा जाँच मुख्यालय डी जी बी आर द्वारा नियोजित तरीके से की जानी चाहिए।

सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) की दो परियोजनाओं में हमने यह पाया कि स्थायी पुलों के निर्माण हेतु स्थल का चुनाव एस एस आई की आवश्यकता एवं आई आर सी में उल्लिखित अन्य पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए किया गया। दोनों पुलों के निर्माण कार्य को समय पूर्व ही रोकना पड़ा क्योंकि नींव बनाने के लिए उक्त मृदा स्तर को उपयुक्त नहीं पाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹2.53 करोड़ का निष्फल खर्च हुआ जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

मामला- I

अधिकारी मण्डल (बी ओ ओ) की अनुशंसा के आधार पर इम्फाल बॉरक रोड़ पर 'इरंग' नदी के ऊपर स्टील सुपर स्ट्रक्चर के साथ प्रमुख स्थायी पुल के निर्माण हेतु सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम ओ आर टी एण्ड एच) ने जुलाई 2010 में प्रशासनिक अनुमोदन (ए ए) एवं ₹4.41 करोड़ की वित्तीय संस्वीकृति प्रदान की। ए ए में जबकि यह अनुबद्ध किया गया था कि चूंकि एस एस आई रिपोर्ट संस्वीकृति हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गई थी, इसे नींव वाले स्थान पर किए जाने की आवश्यकता थी जिसके तुरंत बाद बेधन की पुष्टि भी की जानी थी।

एस एस आई की आवश्यकता के बावजूद जिसे टी आई में उजागर किया गया था तथा ए ए में विशिष्ट तरह से अनुबद्ध किया था, पुल हेतु कार्य का कार्यान्वयन विभागीय स्तर पर एस एस आई को करवाए बिना फरवरी 2011 में शुरू किया गया। कार्य के

कार्यान्वयन के दौरान हालांकि यह पाया गया कि मृदा की सख्त सतह नींव के स्तर पर मौजूद ही नहीं थी अतः ढीली मृदा के ऊपर आधार का निर्माण असुरक्षित माना गया। आधार के दोनों ओर सुरक्षित वहन क्षमता (एस बी सी) बहुत कम पाई गई थी। अतः मुख्यालय डी जी बी आर ने जुलाई 2012 में मुख्य अभियंता (पी) पुष्पक को नया स्थल खोजने की सलाह दी। अतः उस स्थल को ₹2 करोड़ (मार्च 2013) के व्यय हो जाने के उपरान्त छोड़ दिया गया।

प्रस्तावित पुल हेतु स्थल के चुनाव पूर्व एस एस आई के न किए जाने की बात लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने (अगस्त 2012) पर, सीमा सड़क कार्यदल ने कहा (सितम्बर 2012) कि नींव के तल तक खुदाई पहुँचने एवं मृदा की परत को देखने के उपरांत एस एस आई किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। उनका उत्तर तर्कसंगत नहीं था चूँकि न केवल डी जी बी आर द्वारा जारी टी आई में विनिर्दिष्ट एस एस आई की आवश्यकता को बताया गया था बल्कि एम ओ आर टी एच द्वारा प्रदान किए गए ए ए में भी एस एस आई पर बल दिया गया था। अतः इन अनुदेशों के गैर- अनुपालन के परिणामस्वरूप अनुपयुक्त स्थल का चुनाव हुआ जिससे ₹2 करोड़ का व्यय करने के बाद भी, अंततः स्थल का परित्याग करना पड़ा।

मामला - II

अन्य मामले में मुख्य अभियंता (पी) दन्तक ने गंगटोक चुंगथांग सड़क पर 'रिच्यूनाला' के ऊपर प्रमुख स्थायी पुल के निर्माण हेतु अनुशंसा की (जून 2007), जिसमें परियोजना के भाग के रूप में एस एस आई की आवश्यकता समाविष्ट थी। इसके अनुसार मुख्यालय डी जी बी आर ने जुलाई 2007 में ए ए एवं कार्य हेतु ₹2.55 करोड़ के व्यय की संस्वीकृति प्रदान की। सी ई (पी) स्वास्तिक¹⁴ ने दिसम्बर 2009 में मेसर्स मोहन बजाज, गंगटोक के साथ ₹2.70 करोड़ की लागत पर दिसम्बर 2011 तक कार्य की समाप्ति अवधि के साथ एक संविदा की। जबकि मुख्यालय डी जी बी आर द्वारा एस एस आई कराए बिना ही पुल के आरेख का अनुमोदन दे दिया गया था।

खुदाई के दौरान पुल के आधार के एक ओर की ठोस सतह बहुत ढीली एवं पत्थर के टुकड़ों के साथ पाई गई तथा इससे अधिक खुदाई किए जाने को अधिकारियों ने मौजूदा सड़क में दरार होने की संभावित आशंका का अनुभव किया। अतः आधार के स्थान को स्थानांतरित किया था, किंतु संशोधित स्थान पर भी मृदा सतह ढीली ही रही। अतः इसे स्थायी पुल के निर्माण हेतु संभव नहीं पाया गया एवं फरवरी 2013 में डी जी बी आर द्वारा संविदा का समय पूर्व समापन कर दिया गया। उस समय तक इस कार्य पर ₹53 लाख का व्यय हो चुका था।

¹⁴ कार्य जो कि सी ई (पी) दन्तक द्वारा आरम्भ किया गया था, सी ई (पी) स्वास्तिक को कार्यान्वयन हेतु स्थानांतरित हो गया था।

हमने यह पाया (जनवरी 2015) कि सी ई (पी) दन्तक द्वारा अनुशंसित एस एस आई, पुल की नींव की खुदाई पूर्व मुख्यालय डी जी बी आर द्वारा नहीं कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप पुल की नींव बनाने हेतु उपयुक्त मृदा स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सका, अतः ₹53 लाख के व्यय हो जाने के उपरान्त पुल के निर्माण कार्य को त्यागना पड़ा।

मामले जनवरी 2016 में मंत्रालय को भेजे गये थे; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2016) ।

5.2 उचित आवश्यकता के आकलन के बिना क्रेनों की खरीद

दो लेटिस क्रेनों की मांग के बदले, महानिदेशक सीमा सड़क ने विभिन्न सीमा सड़क परियोजनाओं के लिए सात क्रेनों की अधिप्राप्ति की। अधिप्राप्त की गई क्रेनों की क्षमता मांग और अनुमोदित की गई क्रेनों के दोगुने से भी अधिक थी । विशाल आकार और पर्याप्त आवश्यकता के अभाव के कारण 2012 में अधिप्राप्त की गई ₹6.81 करोड़ की लागत वाली क्रेनों का 86 प्रतिशत तक कम उपयोग हुआ ।

ग्रेब बकेट (क्रेन) के साथ लेटिस क्रेन एक ऐसा विशेष उपकरण है जिससे स्थायी पुल की नींव के लिए आर सी सी खंभों के निर्माण के लिए नदी के तल में सिंक कुओं की खुदाई की जाती है। मुख्य अभियंता (परियोजना) उदयक द्वारा 2010-11 और 2011-12 में प्रक्षेपित नौ लेटिस क्रेनों की आवश्यकता के विरुद्ध, महानिदेशक सीमा सड़क (डी जी बी आर) ने उनके वार्षिक खरीद योजना 2011-12 में सात क्रेनों की मांग को शामिल और स्वीकार कर लिया। सीमा सड़क विकास बोर्ड (बी आर डी बी) ने टाटा पी एच-320 क्रेन की तरह की विशिष्टताओं के इन 7 क्रेनों की एक मांग को अर्थात् 18 टन की भार क्षमता वाले, 23000 किलोग्राम वजन आदि को ए ए पी 2011-12 में स्वीकृति दे दी। अनुमोदन पर, डी जी बी आर ने परिवहन सहित ₹6.81 करोड़ की लागत पर मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड हुगली, को 40 टन की भार क्षमता और 46000 किलोग्राम के कार्य वजन वाले सात क्रेनों की खरीद के लिए आपूर्ति आदेश (दिसंबर 2011) दिया । लेखापरीक्षा ने देखा कि न केवल अधिप्राप्त की गई क्रेन की क्षमता आवश्यकता के दोगुने से भी अधिक थी, बल्कि विशाल आकार और कुल चौड़ाई क्षेत्र भी उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई मांग और बी आर डी बी द्वारा अनुमोदित क्रेन के आकार से 22 और 41 प्रतिशत अधिक थी।

आपूर्ति के आदेश के अनुसार पांच क्रेनों को ब्रह्मांक परियोजना और दो क्रेनों को वर्तक परियोजना के लिए भेजा जाना था। फर्म ने अक्टूबर 2012 तक क्रेनों की आपूर्ति की एवं जून 2013 तक नीचे दी गई तालिका-16 के अनुसार चार अलग-अलग परियोजनाओं को चालू किया गया ।

तालिका-16

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	मात्रा संख्या में	चालूकरण की तारीख
1	उदयक	02	04.05.12 एवं 08.10.12
2	ब्रह्मांक	02	10.05.12 एवं 01.11.12
3	वर्तक	02	11.10.12 एवं 24.06.13
4	अरुनांक	01	31.10.12
	कुल	07	

परियोजना ब्रह्मांक के लिए फर्म द्वारा आपूरित उपकरणों और उनके चालू होने पर मुख्य अभियंता (पी) ने डी जी बी आर को तुरंत सूचित किया (मई 2012) कि क्रेन अपने विशाल आकार एवं संबंधित मानकों के कारण पहाड़ी इलाकों में नहीं चल सकते और क्रेन का इष्टतम उपयोग केवल मैदानी क्षेत्रों के निर्माण कार्यों में किया जा सकता है। इसके अलावा, यह कहा गया था कि क्रेनों की आने-जाने की सीमाओं, संयोजन/विसंयोजन समय और अन्य रखरखाव कार्यों के कारण यह अपने क्षेत्र में तैनाती के लिए अनुपयुक्त बन गई। आगे मुख्य अभियंता (परियोजना) अर्थात् वर्तक और ब्रह्मांक ने डी जी बी आर (सितम्बर 2012 और अक्टूबर 2012) को यह भी बताया कि दो क्रेनों में से एक उनकी आवश्यकता के अधिशेष थे और अन्य जरूरतमंद परियोजनाओं के लिए इनका हस्तांतरण करने के लिए अनुरोध किया। इसलिए डी जी बी आर ने अन्य परियोजनाओं से क्रेन की आवश्यकता के लिए पूछा। हालांकि, कोई मांग प्राप्त नहीं हुई क्योंकि ज्यादातर सीमा सड़क परियोजनाएं समान पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं।

लेखापरीक्षा ने क्रेनों के उपयोग के अभिलेख का विश्लेषण किया और पाया (जून/सितंबर 2015) कि डी जी बी आर द्वारा उपयोग के लिए दिए गए स्तरों के विरुद्ध तीन परियोजनाओं अर्थात् वर्तक, ब्रह्मांक और अरुनांक में उपयोग में लाए गए चार क्रेनों की उपयोगिता केवल 5.5 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत थी। वर्तक पर एक क्रेन इसकी प्राप्ति (सितम्बर 2012) के बाद से तीन साल के लिए अनुपयोगी पड़ी हुई थी। केवल एक परियोजना (उदयक) जहां दो क्रेनों को लगाया गया था, वहाँ दोनों क्रेनों का उपयोग, वांछित स्तर के 26.09 प्रतिशत और 49 प्रतिशत था। 7 क्रेनों की कम उपयोगिता और आवश्यकता के आकलन के बारे में एक लेखा परीक्षा आपत्ति के उत्तर में डी जी बी आर (अक्टूबर 2015) ने कहा कि क्रेन की आवश्यकता ब्रिजिंग के लक्ष्य और स्थायी ब्रिजिंग के काम में विशाल क्षमता पर विचार के आधार पर परियोजना द्वारा मूल्यांकित किया गया था। यह भी कहा गया था कि क्योंकि बी आर ओ की इकाईयाँ दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए कार्य का आउटसोर्सिंग जैसे कि सिंक की खुदाई

का काम संभव नहीं था क्योंकि दूरदराज के क्षेत्रों में कंपनियों में इस तरह के भारी उपकरणों को लाना, बड़ा प्रयास और वित्तीय निहितार्थ वाला कार्य था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवश्यकता और औचित्य के बावजूद, इन उपकरणों का समग्र उपयोग वांछित स्तर के विरुद्ध केवल 14 प्रतिशत था। सात में से पांच क्रेनों की उपयोगिता 7.9 प्रतिशत से कम थी। आगे, तीन परियोजनाओं, जहाँ पांच क्रेनों को चालू किया गया, वहाँ उपकरणों की मांग को नहीं उठाया गया था लेकिन पहाड़ी इलाके में संचालन के लिए अपनी सीमाओं के बावजूद वह जारी किए गए थे। इस प्रकार, ₹6.81 करोड़ की लागत से खरीदे गये सात लेटिस क्रेनों, जिन्हें ब्रिजिंग लक्ष्य और संभावित स्थायी ब्रिजिंग काम की प्रत्याशा में अधिप्राप्त किया गया था, वह 86 प्रतिशत की सीमा तक अनुपयोगी रहे। इसलिए उन क्रेनों की आवश्यकता का आकलन गलत था।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2016 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2016)।

अध्याय VI : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

6.1 मोबाइल नाइट्रोजन गैस उत्पादन संयंत्र की परिहार्य अधिप्राप्ति

सेना द्वारा नाइट्रोजन गैस उत्पादन संयंत्र (गैस प्लांट), की कोई मांग न होने के बावजूद भी युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना (सी वी आर डी ई) ₹97.33 लाख की लागत पर मोबाइल नाइट्रोजन गैस उत्पादन संयंत्र के विकास के लिए एक आदेश दिया। सी वी आर डी ई द्वारा गैस संयंत्र का विकास अनुचित था, क्योंकि जुलाई 2010 में डी आर डी ओ के लिए इस संयंत्र का विकास उसी फर्म द्वारा पहले ही किया जा चुका था तथा जनवरी 2011 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला को आपूरित भी किया गया था।

वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना, आवडी ने (मई 2010) सेना के मुख्य युद्धक टैंक (एम बी टी अर्जुन) में मैदानी क्षेत्रों में प्रचालन/परीक्षण के दौरान उपयोग के लिए नाइट्रोजन गैस उत्पादित करने के लिए मोबाइल नाइट्रोजन गैस उत्पादन संयंत्र (गैस संयंत्र) की अधिप्राप्ति की आवश्यकता प्रक्षेपित की। इस आवश्यकता को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया कि सामरिक प्रचालन/युद्ध की स्थितियों के दौरान गैस सिलेन्डरों को फॉरवर्ड क्षेत्रों/युद्ध क्षेत्रों के अन्दर तक रखने की आवश्यकता हो सकती है, जिसे खुले बाजार द्वारा खरीद कर पूरा नहीं किया जा सकता।

सी वी आर डी ई ने नवम्बर 2011 में वाहन पर स्थापित मोबाइल गैस संयंत्र की आपूर्ति के लिए मेसर्स जी ई एम प्रेशर सिस्टम (फर्म) को ₹97.33 लाख लागत पर आदेश दिया। यह गैस संयंत्र अगस्त 2012 में अधिकार में लिया गया एवं फर्म को मार्च 2014 तक ₹97.33 लाख की राशि का भुगतान किया गया।

तथापि हमने देखा कि तीन वर्ष बीत जाने बाद भी यह गैस संयंत्र सी वी आर डी ई में पड़ा हुआ था (सितम्बर 2015) एवं मैदानी क्षेत्रों/प्रचालन के अभीष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में इस गैस संयंत्र के विकास के औचित्य के विषय में पूछा गया (जून 2015) क्योंकि अधिप्राप्ति से ही यह संयंत्र अप्रयुक्त पड़ा हुआ था तथा सेना के प्रयोग में भी नहीं पाया गया, डी आर डी ओ मुख्यालय ने (अक्टूबर 2015) बताया कि अनुसंधान एवं विकास संगठन होने के कारण सी वी आर डी ई द्वारा ऐसे उन्नत सिस्टम की कल्पना एवं विकास करने की जरूरत है, जो आर्मड लड़ाकू वाहनों के लिए उपयोगी हो।

यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गैस प्लांट की खरीद एक विकास प्रक्रिया नहीं थी। पहले भी एक संयंत्र उसी फर्म द्वारा जुलाई 2010 में डी आर डी ओ के लिए विकसित किया गया था तथा उसी तरह के दो संयंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के लिए जनवरी 2011 में आपूर्ति किए गए थे। जुलाई 2011 में अर्थात् नवंबर 2011 में सी वी आर डी ई द्वारा आपूर्ति आदेश देने से पहले इस गैस संयंत्र का प्रदर्शन फर्म परिसर में गए सी वी आर डी ई के वैज्ञानिकों के समक्ष किया गया था। वैज्ञानिकों ने यह पाया था कि, घटकों का एकीकरण, प्रतिष्ठापन एवं संयोजन अच्छी अवस्था में थी। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि डी आर डी ओ द्वारा पहले से ही उपभोक्ताओं की सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैस संयंत्र का विकास किया जा चुका था और इसे एक वाहन के ऊपर स्थापित करने के अलावा और कोई विकास तथा अनुसंधान कार्य शेष नहीं था।

आर्मड रेजिमेंट में सामरिक रखरखाव वाहन के रूप में इस गैस संयंत्र को शामिल करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर, उपभोक्ता के रूप में मेक्नाइज्ड फोर्स के महानिदेशक (डी जी एम एफ) ने बताया (दिसम्बर 2013) कि उनके निदेशालय में इस गैस संयंत्र का अधिग्रहण करने की कोई योजना नहीं थी। यह भी कहा गया कि गैस संयंत्र की अधिप्राप्ति सी वी आर डी ई का आंतरिक निर्णय था एवं सेना ने इस गैस संयंत्र की अधिप्राप्ति के लिए अनुरोध एवं सहमति नहीं दी थी। डी जी एम एफ ने यह भी बताया कि आर्मड रेजिमेंट को एम बी टी अर्जुन के अनुरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस सिलिन्डर अधिकृत किए गए हैं इसलिए आवश्यकता केवल सिलिंडरों के रिफिलिंग की है जो आयुध चैनल से होता है।

इस प्रकार सी वी आर डी ई द्वारा पहले से ही विकसित नाइट्रोजन गैस उत्पादन संयंत्र के विकास के लिए आदेश दिया जाना अनुचित था। इस प्रकार ₹97.33 लाख का व्यय परिहार्य था, क्योंकि 2012 में अधिप्राप्त होने के बाद भी यह संयंत्र उपयोग में नहीं पाया गया।

6.2 सामग्री की निष्फल खरीदारी

यह जानने के बावजूद कि सी-103 सामग्री स्कैमजेट इंजन द्वारा पैदा किए गए उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकती, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने ₹4.83 करोड़ मूल्य की 1329 किलो सी-103 सामग्री की खरीदारी की, जो अवांछित था तथा अंततः व्यर्थ साबित हुआ।

“हार्डपरसोनिक तकनीकी प्रदर्शक वाहन” (एच एस टी डी वी) के रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डी आर डी एल) द्वारा डिजाइन एवं विकास के लिए, मार्च 2001 में डी आर डी ओ द्वारा एक तकनीकी प्रदर्शन परियोजना की संस्वीकृति दी गई। डी आर डी एल ने सितम्बर 2003 में व्यवहार्यता अध्ययन किया जिसमें स्कैमजेट इंजन के डिजाइन एवं विकास का अध्ययन समाहित था। अध्ययन में यह पाया गया था कि

स्क्रेमजेट इंजन कम्बस्टर में तापमान 2227⁰-2527⁰ सेल्सियस की रेंज में था। अतः डी आर डी एल ने स्क्रेमजेट इंजन के विकास में संभावित प्रयोग के लिए दो उच्च ताप-प्रतिरोधक सामग्री अर्थात् निमोनिक सी-263 एवं नियोबियम सी-103 की पहचान की।

आगे अध्ययन में डी आर डी एल ने यह पाया कि फ्लाइंट अवधि को 20 सेंकेण्ड तक बनाए रखने के लिए सी-263 एक उपयुक्त सामग्री थी। जहाँ तक सी-103 सामग्री की बात थी, उच्चतम ताप प्रतिरोधक क्षमता 1200⁰ सेल्सियस पायी गयी, जिसे कोटिंग तकनीक के जरिए मात्र 1370⁰ सेल्सियस तक बढ़ाया जा सकता था।

एच एस टी डी वी योजना के तहत रक्षा मंत्रालय ने (सितम्बर 2005) “स्क्रेमजेट इंजन और इंजन इन्टीग्रेटेड एयर फ्रेम” के डी आर डी एल द्वारा विकास के लिए ₹48.65 करोड़ की लागत वाली एक परियोजना की स्वीकृति दी। इस परियोजना का उद्देश्य स्क्रेमजेट इंजन की डिजाइन के साथ-साथ बनावट एवं परीक्षण करना था।

स्क्रेमजेट इंजन में उच्च तापमान की समस्या के कारण डी आर डी एल ने (मई 2006) इंजन के भीतरी स्तर के लिए सी-103 सामग्री को उच्च ताप प्रतिरोधक सामग्री (एच टी आर एम) के रूप में एवं बाहरी स्तर के लिए सी-263 की पहचान की। तदनुसार पाँच स्क्रेमजेट इंजनों के विकास के लिए सी-103 सामग्री की मांग प्रस्तावित किया गया, जिसका शेल्फ जीवन दस वर्ष था। हालाँकि डिजाइन में होने वाले प्रत्याशित बदलाव एवं उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए मई 2006 में आयोजित विशेष खरीद समिति (एसपीसी) ने केवल तीन स्क्रेमजेट इंजनों के विकास के लिए सी-103 सामग्री की खरीदारी की सिफारिश की। तदनुसार, डी आर डी एल ने (जुलाई 2007) ₹4.83 करोड़ में 1329 किलो एच टी आर एम की खरीदारी की, जिसे अक्टूबर 2007 से अक्टूबर 2008 के बीच प्राप्त किया गया। इस परियोजना में उपयोग के लिए दिसम्बर 2007 तथा फरवरी 2008 के बीच ₹1.76 करोड़ में 3660 किलो सी-263 सामग्री की खरीदारी हुई।

मार्च 2012 में हमने देखा कि वर्ष 2003 में की गई व्यवहार्यता अध्ययन में पाया गया था कि सी-103 सामग्री 1370⁰ सेल्सियस के ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जबकि स्क्रेमजेट इंजन के कम्बस्टर में 2527⁰ सेल्सियस तक तापमान उत्पन्न हो सकता है। इन सीमाओं को जानने के बावजूद डी आर डी एल ने 1329 किलो सी-103 सामग्री की खरीदारी की। विकास प्रक्रिया के दौरान, डी आर डी एल ने सिर्फ 107 किलो सी-103 सामग्री का उपयोग किया एवं पाया कि वह सिर्फ पाँच सेंकेण्ड तक उच्च तापमान का सामना कर सकता है, इसलिए शेष सामग्री का आगे उपयोग नहीं किया गया।

हमने सामग्री की खरीद के औचित्य के बारे में मार्च 2012 में पूछताछ की। डी आर डी ओ मुख्यालय ने बताया (जनवरी 2016) कि इंजन कम्बस्टर डिजाइन में परिवर्तन/गंभीर ओक्सीडेशन समस्या होने के कारण सी-103 सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका तथा स्क्रेमजेट इंजन के विकास के लिए सिर्फ सी-263 सामग्री उपयोग में लाया गया है। आगे उन्होंने यह भी बताया कि, हालाँकि 2300⁰ सेल्सियस से अधिक ताप होने के कारण सी-103 सामग्री की अपनी सीमा है, तथापि ग्राउण्ड परीक्षण डाटा

को देखते हुए यह आशा की गई कि सी-103 उपयुक्त ऐण्टीऑक्सीडेशन कोटिंग तकनीक की सहायता से 100 सेंकेण्ड एवं 200 सेंकेण्ड की अवधि के परीक्षण की क्षमता रखता है।

यह जवाब तर्कसंगत नहीं लगता है क्योंकि व्यवहार्यता अध्ययन के समय ही डी आर डी एल को ज्ञात हो गया था कि स्क्रेमजेट इंजन के कम्बस्टर में होने वाले उच्च ताप को सहन करने की क्षमता सी-103 सामग्री में नहीं थी, फिर भी उन्होंने सी-103 सामग्री की खरीदारी की, जो बाद में बेकार साबित हुई। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना में 20 सेकेण्ड की छोटी अवधि के फ्लाइट परीक्षण की बात थी, जिसके लिए यह सामग्री असफल हो चुकी थी, अतः 100 सेंकेण्ड एवं 200 सेंकेण्ड के लम्बी अवधि वाले फ्लाइट परीक्षणों के लिए सी-103 सामग्री का संभावित प्रयोग असंभव है।

इस प्रकार स्क्रेमजेट परियोजना के विकास के लिए ₹4.83 करोड़ मूल्य की सी-103 सामग्री की खरीदारी अवांछित थी एवं निष्फल सिद्ध हुई।

अध्याय VII : आयुध निर्माणी संगठन

7.1 आयुध निर्माणी संगठन का निष्पादन

7.1.1 परिचय

7.1.1.1 भारत के रक्षा उद्योग के इतिहास में आयुध निर्माणियाँ, 1787 से लेकर सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है। पांच समूहों या प्रचालन समूहों (तालिका 17) के तहत विभाजित 41 निर्माणियाँ (परियोजना चरण में नालंदा एवं कोरवा के दो निर्माणियाँ सहित) रक्षा सेवाओं के लिए हथियार, गोलाबारूद, बख्तरबंद और पैदल सेना के लिए लड़ाकू वाहनों और पैराशूट सहित कपड़ों की मदों का उत्पादन कर रही हैं। वे आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं।

तालिका : 17

प्रचालन समूह	निर्माणियों की संख्या
गोला बारूद और विस्फोटक	11
हथियार, वाहन और उपस्कर	11
सामग्री और संघटक	8
बख्तरबंद वाहन	6
आयुध उपस्कर समूह	5
कुल	41
स्रोत : आयुध निर्माणियों का वार्षिक लेखा - 2014-15	

7.1.1.2 परियोजना चरण में दो आयुध निर्माणियों की स्थिति

आयुध निर्माणी परियोजना, नालंदा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा ₹941.13 करोड़ शुरूआती लागत मूल्य, जो संशोधित लागत मूल्य (फरवरी 2009) ₹2160.51 करोड़ हो गई, के 155 मि. मी. गोला बारूद के लिए प्रति वर्ष 2 लाख द्वि-माँड्यूलर चार्ज प्रणाली के विनिर्माण के लिए एक नई प्रणोदक निर्माणी के रूप में स्वीकृत (नवम्बर 2001) की गई थी। इस परियोजना को नवम्बर 2005 तक पूरा किया जाना था, जिसे बाद में मार्च 2019 तक पूरा करने के लिए संशोधित किया गया। 31 मार्च 2015 तक संयन्त्र एवं मशीनरी, सिविल कार्यो एवं परिचालन-पूर्व व्यय क्रमशः ₹320 करोड़, ₹507 करोड़ एवं ₹127 करोड़ थे। 31 मार्च 2015 तक परियोजना पर कुल ₹954 करोड़ व्यय किया गया।

आयुध निर्माणी परियोजना, कोरवा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के द्वारा अनुमानित निवेश ₹408 करोड़ की लागत में 45000 कार्बाईन प्रति वर्ष के विनिर्माण के लिए संस्वीकृति दी गई (अक्टूबर 2007)। प्रारंभ में परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए तय समय सीमा अक्टूबर 2010 निर्धारित की गई, जिसे मार्च 2017 तक

संशोधित किया गया। 31 मार्च 2015 तक बोर्ड ने ₹142 करोड़, ₹116 करोड़ एवं ₹41 करोड़ क्रमशः सिविल कार्यों, सयंत्र एवं मशीनरी पर परिचालन-पूर्व व्यय किया। 31 मार्च 2015 तक परियोजना पर कुल ₹299 करोड़ व्यय किए गए।

₹1253 करोड़ खर्च करने के बावजूद कोई भी परियोजना बोर्ड के लिए उपयोगी साबित नहीं हुई।

7.1.1.3 बोर्ड के उद्देश्य हैं:

- सशस्त्र बलों के लिए गुणवत्तापूरक हथियारों, गोला बारूद, टैंकों और उपकरणों की आपूर्ति;
- गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उत्पादन सुविधाओं का आधुनिकीकरण;
- तकनीकी हस्तांतरण एवं घरेलू अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना; तथा
- ग्राहकों की संतुष्टि को पूरा करना और उपभोक्ता आधार का विस्तार करना ।

7.1.1.4 ऊपर दर्शाए गए उद्देश्यों के संदर्भ में जहां प्रासंगिक हो, 2014-15 के दौरान हमने बोर्ड के निष्पादन का विश्लेषण किया है।

7.1.2 आयुध निर्माणी बोर्ड का निष्पादन

2010-15 के पांच वर्षों के लिए बोर्ड में प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों पर डेटा तालिका-18¹⁶ में संक्षिप्तीकरण किया गया है। प्रचालन समूहों से पृथक्कृत किया हुआ विवरण अनुलग्नक-IX में दिया गया है।

तालिका: 18

(₹ करोड़ में)

		वर्ष					विभिन्नता 2014-15 एवं 2013-14 के बीच (%)
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
I वित्तीय निष्पादन							
	राजस्व व्यय						
1	निर्धारित बजट (बी ई)	11,875	11,640	13,013	13,856	14,317	3
2	अंतिम स्वीकृति	11,195	12,332	11,821	12,954	13,617	5
3	वास्तविक राजस्व व्यय (अंतिम स्वीकृति के उपयोग %)	10,903 (97)	12,141 (98)	11,936 (101)	12,834 (99)	12,832 (94)	(-)0.02
4	अधिक (+)/बचत (-) (3)- (2)	(-) 292	(-) 191	(+) 115	(-) 120	(-) 785	554

¹⁶ तालिका में अंकित डाटा आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित किए गए।

		वर्ष					विभिन्नता 2014-15 एवं 2013-14 के बीच (%)
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
5	राजस्व प्राप्ति ¹⁷	11,491	12,876	12,553	12,001	12,001	0
6	माँगकर्ता के लिए जारी मदों की लागत	14,253	16,147	16,181	15,783	16,380	4
7	माँगकर्ता के लिए जारी मदों का मूल्य	15,425	17,273	17,119	16,122	16,664	3
8	लाभ (7)-(6)	1,172	1,126	938	339	284	16
पूँजीगत व्यय							
9	निर्धारित बजट	769	400	400	436	1,207	177
10	अंतिम स्वीकृति	456	293	357	466	765	64
11	पूँजीगत व्यय (वास्तविक)	454	279	349	465	746	60
12	अधिक (+)/बचत (-)(11)- (10)	(-2)	(-) 14	(-) 8	(-) 1	(-) 19	1800
II उत्पादन लागत- संघटक							
13	भंडार की लागत	8,710	10,070	9,746	9,303	9,269	(-)0.37
14	श्रम की लागत	1,319	1,490	1,617	1,705	1,959	15
15	अन्य लागतें यथा प्रत्यक्ष खर्च	136	159	216	239	274	15
16	उपरिव्यय	3,847	4,214	4,393	4,389	4,973	13
17	कुल उत्पादन लागत	14,012	15,933	15,972	15,636	16,475	5
18	सी ओ पी के प्रतिशत रूप में उपरिव्यय (16/17*100)	27	26	28	28	30	7
19	सी.ओ.पी. के प्रतिशत रूप में श्रम मूल्य (14/17*100)	09	09	10	11	12	9
III भंडार सूची							
20	मौजूदा भंडार	5,177	5,336	5,604	5,588	5,906	6
21	चालू कार्य (डब्ल्यू आई पी)	2,296	2,551	2,999	3,538	3,817	8
22	मार्गस्थ सामान	669	538	682	854	887	4
23	तैयार वस्तु/अवयव	1,214	1,212	1,206	1,305	1,698	30
24	कुल भंडार सूची	9,356	9,637	10,491	11,285	12,308	9
25	सी.ओ.पी. के प्रतिशत के रूप में भंडार सूची	67	60	66	72	75	4
26	सी.ओ.पी. के प्रतिशत के रूप में डबल्यू आई पी	16	16	19	22	23	5
IV श्रम एवं मशीन							
27	प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या (डी. आई.ई.)	48,200	46,568	47,166	46,206	44,464	(-) 4

¹⁷ रक्षा सेवा के विनियोग लेखा में 2013-14 तक साधारण शीर्ष 901 से 904 के तहत एवं प्रमुख शीर्ष 2079 के तहत थल सेना, वायु सेना, नौ सेना एवं अन्य रक्षा विभाग के आपूर्ति की वसूली "कटौती" के अंतर्गत दिखाई गई है। दूसरे माँगकर्ता को आपूर्ति की वसूली प्रमुख शीर्ष 0079 के अंतर्गत जमा की गई है।

		वर्ष					
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	विभिन्नता 2014-15 एवं 2013-14 के बीच (%)
28	डी.आई.ई. का अनुपातित निरीक्षणात्मक अधिकारी	1.5:1	1.41:1	1.46 : 1	1.5 : 1	1.5 : 1	0
29	प्रति कर्मचारी उत्पादन (₹ हजार में)	1,437	1,674	1,682	1,680	1,821	8
30	श्रम घंटे उपयोग (%)	125	127	129	127	127	0
31	उपलब्ध मशीन घंटे (लाख घंटे में)	1,830	1,577	1,603	1,203	1,001	(-) 17
32	मशीनी घंटे उपयोग (%)	72	78	76	73	75	3
V मांगकर्ता के अनुसार जारी मदें							
33	थल सेना	9,225	10,027	9,609	8,609	9,098	6
34	वायु सेना एवं नौ सेना	463	433	433	539	562	4
35	अन्य रक्षा विभाग	111	192	138	147	164	12
36	केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक पुलिस संगठन (गृह मंत्रालय)	635	826	831	782	650	(-)17
37	निर्यात सहित सिविल व्यापार	781	913	963	1,046	889	(-)15
38	आई एफ डी आपूर्ति ¹⁸	4,210	4,883	5,145	4,999	5,301	6
39	कुल मदें	15,425	17,274	17,119	16,122	16,664	3
VI अनुसंधान एवं विकास							
40	आर. एण्ड डी पर व्यय	40	36	48	43	56	30
41	कुल राजस्व व्यय में आर एण्ड डी व्यय के प्रतिशत के रूप में	0.29	0.30	0.40	0.34	0.44	29
स्त्रोत : ओ एफ बी के बजट एवं व्यय के विवरण एवं आयुध निर्माणियों का वार्षिक लेखा							

तालिका-2 में दिए गए डाटा द्वारा, प्रचलन पर हमारे विश्लेषण के बारे में आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

बजटिंग

7.1.2.1 राजस्व व्यय व प्राप्ति

आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) स्वीकृति सं. 25 के तहत अपने खर्चों अर्थात् राजस्व व्ययों के लिए बजटीय अनुदान प्राप्त करता है। 2014-15 में कुल अनुदान ₹13,617 करोड़ रुपये रहा। रक्षा स्थापनाओं को जारी मदों के लिए इसकी प्राप्तियों एवं खर्चों के लिए उसी मुख्य शीर्ष : 2079 का उपयोग किया जाता है जिसे लघु शीर्ष 901 से 904 के तहत एवं मुख्य शीर्ष 2079 के तहत कटौती के माध्यम से दिखाया गया है। दूसरे मुख्य शीर्ष 0079 गैर-सरकारी स्थापनाओं को उत्पादन की बिक्री के लिए खुले

¹⁸ आई एफ डी : अन्तर-निर्माणी माँग, जहाँ सहोदर निर्माणी दूसरी निर्माणी के भंडारण की जरूरतों को पूरा करती है।


बाजारों या निर्यात में प्राप्ति का अभिलेख रखता है जो भारत की संचित निधि में जमा हो जाता है।

भंडारों पर व्यय: ₹5,687 करोड़ जो कुल व्यय का 44 प्रतिशत था, ₹6,609 करोड़ रुपये के बजट आंकड़े से 14 फीसदी कम था, और 2014-15 में बोर्ड द्वारा की गई व्यय में सबसे महत्वपूर्ण कटौती का द्योतक है।

7.1.2.2 पूंजीगत व्यय

बोर्ड पूंजीगत व्यय (मुख्य शीर्ष 4076), जिसे नया पूंजीगत (एन सी) अनुदान भी कहा जाता है, के लिए बजटीय समर्थन प्राप्त करता है। इस अनुदान को संयंत्र और मशीनरी सहित नई परियोजनाओं पर व्यय किया जाता है, जिसके अंतर्गत 2014-15 में ₹746 करोड़ खर्च किए गए। इसके अलावा, एक अलग निधि जिसे नवीकरण और प्रतिस्थापन निधि (आर आर निधि) कहा जाता है, से पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में यह निधि राजस्व अनुदान¹⁹ के वार्षिक स्थानान्तरण द्वारा ₹76 करोड़ से बनाई गई है।


वर्षों से एनसी अनुदान के तहत पूंजीगत व्यय, आयुध निर्माणी बोर्ड के कुल खर्च का केवल तीन से पाँच प्रतिशत है। यद्यपि 2012-13 के आंकड़ों से 2014-15 के पूंजीगत व्यय में 114 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 6)। पूंजीगत व्यय का लगभग 37 प्रतिशत लेते हुए पूंजीगत खरीद से गोला बारूद और विस्फोटक (ए एंड ई) समूह सर्वाधिक लाभान्वित हुआ।



¹⁹ आरआर फंड के लिए प्रति वर्ष राजस्व अनुदानों (मुख्य शीर्ष -2027) से स्थानांतरित निधि मशीन एवं संयंत्र के वार्षिक हास तथा वार्षिक प्रतिस्थापन के लिए अनंतिम व्यय के बराबर होता है।

7.1.2.3 भण्डार-सूची का रखना


चार्ट-7



2014-15 में निर्माणियों में भण्डार-सूची का रखाव 2010-11 में ₹9,356 करोड़ से 32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2014-15 में ₹12,308 करोड़ हो गया। हालांकि 2013-14 में कुल भंडार के रखाव में 9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी। इस भण्डार के रखाव का स्तर 2014-15 के उत्पादन की लागत का 75 प्रतिशत के साथ काफी ऊँचा था। मौजूदा भण्डार कुल


भण्डार सूची का लगभग आधा है (चार्ट-7)। मौजूदा भण्डार जो कि बोर्ड की निर्माणियों द्वारा उत्पादन हेतु खरीदा गया भण्डार है जोकि पूरे वर्ष में बोर्ड की निर्माणियों द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका, उसने पिछले पाँच वर्षों 2010-15 में बढ़त की ओर प्रवाह प्रदर्शित किया है। चालू कार्य (उत्पादन की अर्द्ध-परिष्कृत अवस्था में मद) में भी इस अवधि में वृद्धि हुई (चार्ट-8)।

चार्ट-8



भण्डार सूची के रखाव का उच्च स्तर कई कारकों के मिलने से हुआ है। मार्च 2010 में, बोर्ड ने निर्माणियों को अगले तीन वर्षों की जरूरतों को ढीली-ढाली सुपर्दगी²⁰ के साथ खरीद के लिए अधिकृत किया। इसने 2010 के बाद भंडार की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए नेतृत्व किया। (चार्ट-9)

चार्ट-9




²⁰ यह निर्णय 'मॉगपत्र के सापेक्ष बजट आवंटन एवं भण्डारों की शेल्फ लाईफ को देखते हुए मूल्य बदलाव शर्त (व्यापारिक खरीद के लिए) एवं ढीली-ढाली सुपर्दगी के साथ अगले तीन वर्षों की आवश्यकताओं (दो वर्ष+50% विकल्प शर्त) के लिए आईएफडी मदों सहित इनपुट सामग्री की खरीद के लिए था।

7.1.2.4 जारी की गई मदों का मूल्य: बिक्री

2010-11 में जारी की गई मदों के मूल्य में ₹15,425 करोड़ से 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2014-15 में बढ़कर ₹16,664 करोड़ हो गई। हालांकि 2013-14 की तुलना में 2014-15 में मामूली वृद्धि हुई।

थल सेना 2014-15 में कुल जारी मदों के लगभग 80 प्रतिशत के साथ आयुध निर्माणियों के उत्पादों के लिए सबसे बड़ी माँगकर्ता थी जबकि सिविल व्यापार तथा आयात आठ प्रतिशत के साथ दूसरा स्थान पर था (चार्ट-10)।




अग्रिम वाउचरों²¹ का जारी करने को बंद करने के बोर्ड के आश्वासन के बावजूद, हमने पाया कि यह प्रथा अभी भी कायम है। उदाहरण के लिए, गन एण्ड सेल निर्माणी, काशीपुर ने थल सेना को 84 मि. मी. रॉकेट लाँचर मार्क-II (94 संख्या) जारी करने के लिए मार्च 2015 में ₹10 करोड़ के अग्रिम वाउचर जारी किए यद्यपि, यह वास्तविक रूप में थल सेना को अप्रैल-जून 2015 के दौरान जारी किए गए थे।

7.1.2.5 मशीनों का उपयोग

2014-15 में जबकि श्रम घंटों का उपयोग 127 प्रतिशत प्रतिवेदित किया गया था, मशीन घंटों का उपयोग केवल 75 प्रतिशत था। पाँच वर्षों के दौरान एक लगातार कमी दर्शाते हुए, 2010-15 में उपलब्ध मशीनों के घंटों घट गए (चार्ट-11)।

यह गिरावट मशीनों के बढ़े हुए डाउन-टाइम के कारण या नई खरीदी गई मशीनों का पुरानी और सर्विस न किए जाने योग्य मशीनों के साथ तालमेल न होने के कारण हो सकता है। इस संदर्भ में स्थापित न की गई मशीन व संयंत्र की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है, अर्थात् मशीनें खरीदी गईं लेकिन उत्पादन शुरू करने के लिए चालू न की जा सकी। कुल ₹1,038




²¹ अग्रिम वाउचर जारी करने का मतलब समानों को भौतिक रूप से जारी किए बिना माँगकर्ता से भुगतान के लिए माँग में वृद्धि।

करोड़ की लागत की 364 मशीनें निर्माणियों में बिना चालू किए पड़ी हुई थीं, जिसमें से क्वचित वाहन समूह का कुल चालू न की गई मशीनरी में 44 प्रतिशत हिस्सा था।

7.1.2.6 उत्पादन की लागत और लागत की वसूली

आयुध निर्माणी बोर्ड में उत्पादन लागत का 56 प्रतिशत भंडार के कारण है। आयुध निर्माणी बोर्ड ने उत्पादन लागत के 30 प्रतिशत के साथ उपरिव्यय विशेषरूप से ज्यादा हैं जैसाकि चार्ट-12 में दिखाया गया है। 2014-15 में उत्पादन लागत ₹16,475 करोड़, 2013-14 के आंकड़ों से थोड़ा ही ज्यादा थे। क्वचित वाहन समूह तथा गोला-बारूद एवं विस्फोटक (ए एण्ड इ) समूह सबसे ज्यादा सामग्री उपयोग के साथ, लागत का संरचना समूहों (अनुलग्नक-IX) में भिन्न-भिन्न है। आयुध उपकरण समूह जो कपड़े और सामान्य उद्देश्य की मर्दों को बनाता है, निर्माणियों में सबसे ज्यादा श्रम उन्मुख था।



उपरिव्ययों की लागत, उत्पादन लागत का 30 प्रतिशत है। उच्च उपरिव्यय श्रम शक्ति पर अधिक लागत का परिणाम है, जोकि उत्पादन के लिए प्रत्यक्षरूप से नहीं लगाया जाता है। सामग्री एवं उपकरण समूह जोकि बोर्ड की सबसे पुरानी निर्माणियों में से है ने उपरिव्ययों के उच्चतम स्तर को प्रतिवेदित किया: अचल उपरिव्यय एवं चल उपरिव्यय क्रमशः 25 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत के साथ, कुल योग 36 प्रतिशत उत्पादन लागत के प्रतिशत रूप में थे।

इनपुट भंडारों के लिए आयुध निर्माणियों मुख्य रूप से अपनी सहोदर निर्माणियों पर भरोसा करती है, ऐसे भंडारों को अंतर-निर्माणी माँग (आई एफ डी) कहा जाता है। आई एफ डी उत्पादन की अक्षमता, जैसाकि उनको जारी करने में हुई हानियों से प्रदर्शित होता है, को एकत्रीकारक निर्माणियों में अधिक उत्पादन द्वारा पूरा किया जाता है। कुल मिलाकर जारी आई एफ डी में 2013-14 में हुए 11 प्रतिशत हानि की तुलना में 2014-15 में ₹83 करोड़ की हानि हुई।

7.1.3 हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप से संगठन एवं इसकी प्रत्येक इकाई के लिए जोखिम की माप जोकि किए गए खर्च, गतिविधियों की नाजुकता एवं जटिलता,

प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का स्तर तथा समग्र आंतरिक नियंत्रण एवं शेयर धारकों की चिंताओं की माप पर आधारित होता है। इस कार्य में पहले के लेखापरीक्षा परिणामों पर भी विचार किया गया है। जोखिम माप के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति एवं फैलाव पर निर्णय किया जाता है। ऐसे जोखिम माप के आधार पर लेखापरीक्षा करने हेतु एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण हो जाने के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों को दर्शाता स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एल टी ए आर) उस इकाई के प्रमुख को भेजा जाता है। इन इकाइयों से एल टी ए आर की प्राप्ति के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा परिणामों पर उत्तर प्रेषित करने का निवेदन किया जाता है। जब कभी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो निराकरण कर दिया जाता है अथवा अनुपालन हेतु कदम उठाए जाने की सलाह दी जाती है। इन एल टी ए आरों से निकलने वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। 2014-15 के दौरान 3,910 कार्य दिवसों में लगाकर 94 इकाइयों की लेखापरीक्षा कराई गई। हमारी लेखापरीक्षा योजना में यह सुनिश्चित किया गया कि उपलब्ध श्रम शक्ति संसाधनों का उपयोग करते हुए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इकाइयों, जिनमें जोखिम ज्यादा था, शामिल की जाएं।

2014-15 में हमने 513 एल टी ए आर पैराग्राफ जारी किए। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2014 को 1628 एल टी ए आर पैराग्राफ बकाया थे। 2014-15 के दौरान कुल 822 पैराग्राफ निपटाए गए। 31 मार्च 2015 तक 1319 एल टी ए आर पैराग्राफ शेष बचे हुए थे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

समय	शेष बचे हुए पैराग्राफ की संख्या
छः माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	458
1 वर्ष से अधिक एवं 2 वर्ष तक	252
2 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्षों तक	549
5 वर्षों से अधिक	60
कुल	1319

मंत्रालय/बोर्ड को पुराने बचे हुए पैराग्राफ जल्द से जल्द निपटाने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

योजना

7.2 विलम्ब से आदेश देने के कारण अतिरिक्त व्यय

निर्माणी एवं बोर्ड के विभिन्न स्तरों पर चूक के कारण आयात के आदेशों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के फलस्वरूप गन कैरिज निर्माणी द्वारा उच्चतर दरों पर 25 पूर्ण रूप से निर्मित तोपों की अधिप्राप्ति पर ₹4.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) की अधिप्राप्ति नियम-पुस्तिका 2010 में अधिप्राप्ति मामलों में आदेशों की अनुबन्ध की तारीख से 19 सप्ताह की एक समय सीमा निर्धारित²² की गई। नियम-पुस्तिका में आगे कहा²³ गया है कि अधिप्राप्ति प्रक्रिया की श्रृंखला में हर व्यक्ति एक निर्धारित समय अवधि में कारवाई के लिए जबाबदेह है, ताकि रक्षा विभागों की आवश्यकता को समय पर पूरा किया जा सके।

गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर (जी सी एफ) भारी वाहन निर्माणी, आवडी (एच वी एफ) में टी-90 टैंक में लगाने के लिए एक मद 2ए46एम (पूरी तरह से तैयार तोपें) बनाती है। बोर्ड ने जी सी एफ को मेसर्स रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, रूस (आर ओ ई), जो कि टी-90 टैंकों की मूल उपस्कर निर्माता है, से 25 तोपों के लिए आयात के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2011)।

बदले में, जी सी एफ ने 25 पूरी तरह से बनाई तोपों की अधिप्राप्ति के लिए आर ओ ई पर (जनवरी 2012 में) एक निविदा जांच (टी ई) जारी की। टी ई की प्रतिक्रिया में, आर ओ ई ने (जून 2012) में 25 पूरी तरह से बनाई तोपों की आपूर्ति के लिए 41.86 लाख यू एस डी की कुल लागत का एक ड्राफ्ट अनुपूरक समझौता प्रस्तुत किया। इस बीच, जी सी एफ को बोर्ड द्वारा डायरेक्टर जनरल आफ मैकेनाइज्ड फोर्सिस से 236 टी-90 टैंकों की आपूर्ति हेतु शीघ्र ही एक माँगपत्र प्राप्ति की सम्भावना को देखते हुए वर्ष 2013-14 एवं उसके पश्चात टी-90 टैंकों के लिए आवश्यक सामग्री के भण्डारण की सम्भावना आवश्यकता पर जोर देते हुए, निर्देश (मई 2012) प्राप्त हुआ। इसके वावजूद, जी एस एफ ने (अगस्त-2012) 25 तोपों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया को बन्द कर दिया। तथापि, 4 महीनों के उपरान्त, जी सी एफ ने आर ओ ई को वर्ष 2013-14 में तोपों की जरूरत को देखते हुए प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः सम्पर्क किया (जनवरी 2013)।

फिर भी, आर ओ ई ने 25 पूरी तरह से बनाई गयी तोपों की आपूर्ति के लिये कुल व्यय 47.31 लाख यू एस डी की लागत का एक प्रस्ताव भेजा (मार्च 2013) जो कि पूर्व प्रस्ताव (जून 2012) से 13 प्रतिशत अधिक था। यह प्रस्ताव मई 2013 तक वैध

²² अधिप्राप्ति पुस्तिका के पैरा 5.5.2 को अनुलग्नक-1 के साथ संलग्न।

²³ अधिप्राप्ति पुस्तिका का पैरा 2.6.1

था। जी सी एफ ने अधिप्राप्ति के लिये तुरंत कार्रवाई नहीं की एवं 2 महीनों के उपरान्त जी सी एफ ने आर ओ ई को उनके प्रस्ताव की वैधता की अवधि बढ़ाने का अनुरोध (जून 2013) किया। आर ओ ई ने इस शर्त के साथ कि आगे कोई भी विस्तार नहीं दिया जायेगा उनके प्रस्ताव की वैधता 20 जुलाई 2013 तक बढ़ा दी (जून 2013) एवं जी सी एफ को 5 जुलाई 2013 तक अपना निर्णय देने की प्रार्थना की।

हमने अवलोकन किया, कि जी सी एफ ने मामले को बोर्ड की मंजूरी²⁴ के लिये भेजा (जून 2013)। तथापि, 2 महीनों के उपरान्त एवं आर ओ ई के प्रस्ताव की समाप्ति पर बोर्ड ने मामले को जी सी एफ को यह कहते हुये वापस किया (अगस्त 2013) कि जुलाई 2013 में हुई बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अधिप्राप्ति हेतु निर्माणी की वित्तीय क्षमता बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दी गई है। उसके बाद जी सी एफ ने प्रस्ताव की वैधता की अवधि को बढ़ाकर जनवरी 2014 करने के इस मामले को आर ओ ई के सामने उठाया (अक्टूबर 2013)। परंतु आर ओ ई ने जी सी एफ का निवेदन स्वीकार करने से इंकार कर दिया (दिसम्बर 2013) एवं 25 तोपों की आपूर्ति के लिये 49.72 लाख यू एस डी की कुल लागत का एक नया प्रस्ताव रखा (दिसम्बर 2013)। मार्च 2014 में, आर ओ ई ने बातचीत के दौरान अपना प्रस्ताव 49.72 लाख यू एस डी से घटाकर 49.07 लाख यू एस डी कर दिया। निविदा क्रय समिति स्तर-1 की बैठक में (मार्च 2014) में आर ओ ई पर 49.07 लाख यू एस डी की लागत से 25 पूरी तरह से तैयार तोपों की आपूर्ति के लिए आदेश देने का फैसला किया गया।

अंत में, अधिप्राप्ति प्रक्रिया की शुरुआत के 19 सप्ताहों की निर्धारित अवधि के सापेक्ष दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद जीसीएफ ने आर ओ ई के साथ 25 पूरी तरह से तैयार तोपों की अधिप्राप्ति के लिए एक अनुपूरक समझौता (मार्च 2014) किया और जनवरी 2015 में (अनुपूरक समझौते की तारीख से 9 महीनों के बाद) आर ओ ई के पक्ष में 7.36 लाख यू एस डी का अग्रिम भुगतान किया। आर ओ ई ने 25 पूरी तरह से बनाई तोपों की सुपर्दगी (अगस्त 2015) की और शेष भुगतान (85 प्रतिशत) प्राप्त किया (अगस्त 2015)।

बोर्ड और निर्माणी के विभिन्न स्तरों पर चूक के कारण आयात आदेश को अंतिम रूप देने में हुए विलम्ब के कारण जी सी एफ को 25 पूरी तरह से तैयार तोपों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में उच्च दरों पर ₹4.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

इसके जबाब में, बोर्ड ने कहा (मार्च 2016) कि (i) चूँकि जी सी एफ ने 2012-13 तक के लिए एच वी एफ की माँग को पूरा कर दिया था, अतः उन्होंने सोच समझ कर खरीद प्रक्रिया को 25 तोपों तक के लिए कम कर दिया (अगस्त 2012), विशेष

²⁴लेनदेन का वित्तीय मूल्य महाप्रबन्धक की ₹ 20 करोड़ की वित्तीय क्षमता के अंदर नहीं था।

रूप से जबकि थलसेना की ओर से टी-90 टैंकों के लिए नया मॉगपत्र (अंततः दिसंबर 2013 में मिला) तथा एच वी एफ से तोपों के लिए अन्तर निर्माणी मॉग (आई एफ डी) (सितंबर 2012 में मिला) जी सी एफ द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी। (ii) तोपों की अतिरिक्त मात्रा के लिए सितंबर 2012 में नए आई एफ डी की प्राप्ति के साथ जी सी एफ ने (जनवरी 2013) -वर्ष 2013-14 में तोपों की जरूरत पर विचार करते हुए आर ओ ई से उनका प्रस्ताव, जोकि आर ओ ई ने स्वीकार नहीं किया और आर ओ ई ने मार्च 2013 में एक नया वाणिज्यिक प्रस्ताव भेजा, पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया; एवं (iii) आर ओ ई से नए वाणिज्यिक प्रस्ताव के मिलने पर जी सी एफ ने मामले पर द्रुत प्रक्रिया कर टी पी सी/बोर्ड का अनुमोदन तत्कालीन वित्तीय क्षमता के अनुसार प्राप्त किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जी सी एफ पर एच वी एफ के नवम्बर 2004 की आई एफ डी के प्रति दिसम्बर 2009 तक 300 तोपों के विनिर्माण और आपूर्ति की तुलना में जी सी एफ ने मार्च 2012 तक मात्र 211 तोपों की आपूर्ति की (जिसमें 150 आयातित तोपें और 61 पूर्व-जी सी एफ तोपें हैं) जिससे 89 तोपों की कमी रह गई। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान जी सी एफ में 31 तोपों के औसत उत्पादन के चलते शेष 58 तोपों के आयात की जरूरत थी तथा प्रबंधन द्वारा इसे पूरा करने के लिए जून 2012 के आर ओ ई के वाणिज्यिक प्रस्ताव पर आयात कारवाई को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था। इसलिए अगस्त 2012 में आयात कारवाई बंद कर देना निर्माणी का एक अविवेकपूर्ण कार्य था।

इस तरह, निर्माणी/बोर्ड के विभिन्न स्तरों पर चूक के कारण आयात के आदेशों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के फलस्वरूप जी सी एफ को पूरी तरह से बनाई 25 तोपों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में उच्च दरों पर ₹4.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

मामला रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था (दिसंबर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

7.3 उपस्करों की अधिप्राप्ति एवं स्थापना में विफलता के कारण बचत की हानि

(i) कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी प्रणाली एवं (ii) एल आई एन ए सी मशीन की समय पर अधिप्राप्ति एवं स्थापना में ओ एफ बी एल की विफलता के कारण महंगी एक्सरे फिल्म तथा भरे हुए सेल के एक्सरे हेतु रसायन की खपत के परिणामस्वरूप ₹4.62 करोड़ की राशि बचाने का अवसर हाथ से निकल गया।

आयुध निर्माणी, बडमल (ओ एफ बी एल) 125 मि. मी. उच्च विस्फोटक गोलाबारूद (गोलाबारूद), जो टी-72 टैंक पर लगे बंदूको में प्रयोग होता है, का विनिर्माण एवं

आपूर्ति करता है। कारखाने में आयोजित गुणवत्ता परीक्षण में से एक लिनियर एसीलेरेटर मशीन²⁵ (एल आई एन ए सी) की मदद से भरे हुए गोला-बारूद की एक्सरे फिल्मिंग करना है।

टी-72 तोपों की दुर्घटनाओं के बारे में एक स्टैंडिंग कमिटी²⁶ बनाने हेतु (मार्च 2010), रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) को अवगत कराया गया, जिसने यह अनुशंसा (जनवरी 2011) दी कि प्रणाली को स्वचालित²⁷ किया जाए एवं छः महीने के अंदर इसे ऑन लाईन बनाया जाए। इस अनुसार मंत्रालय ने (जून 2011) स्वचालित प्रणाली की जल्द से जल्द स्थापना के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) को निर्देश दिया। तदनुसार, स्टैंडिंग कमिटी की अनुशंसा एवं मंत्रालय के निर्देशानुसार, निर्माणी को दिसंबर 2011 तक स्वचालित प्रणाली की स्थापना करनी थी। इस प्रणाली में ओ एफ बी एल के युनिट-5 एवं युनिट-10 पर पहले से स्थापित एल आई एन ए सी मशीन की जगह पर एक डिजिटल ईमेजिंग सिस्टम (एक्स-रे फिल्म एवं रसायनों के प्रयोग वाली परंपरागत तरीके के विरुद्ध) की अधिप्राप्ति एवं स्थापना शामिल थी।

हमने देखा कि यद्यपि पहले से मौजूद एल आई एन ए सी मशीनें ओ एफ बी एल के द्वारा अप्रचलित²⁸ घोषित (अक्टूबर 2011) की जा चुकी थी, उन्होंने युनिट-5 पर एल आई एन ए सी की प्रतिस्थापना के अधिप्राप्ति कार्यों को शुरू (नवंबर 2011) कर दिया। ओ एफ बी एल के द्वारा युनिट-10 पर इस अप्रचलित मशीन के प्रतिस्थापन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया एवं यह मशीन कार्यात्मक हालत में रही थी। युनिट-5 अनुभाग के लिए एल आई एन ए सी मशीन के अधिप्राप्ति कार्य भी कोई फलदायक नहीं रहे (मार्च-2016) क्योंकि (क) जुलाई 2013 की बढ़ाई गई वैधता अवधि में ग्लोबल टैंडर जाँच (मई 2012) के विरुद्ध दो फर्मों के द्वारा लगाई गई तकनीकी बोली को पूर्ण रूप देने में विफलता के परिणामस्वरूप ओ एफ बी एल ने पुनः निविदा निकालने का निर्णय (नवम्बर 2013) लिया एवं (ख) 19 महीने के उपरान्त एल आई एन ए सी मशीन के प्रतिस्थापन के लिए ओ एफ बी एल ने आयुध निर्माणी बोर्ड की सहमति के लिए नई मांग (जून 2015) प्रस्तुत की, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड से अनुमोदन (जून 2015) मिलने के बाद निर्माणी के द्वारा जी टी ई जारी (सितम्बर 2015) किया गया। ओ एफ बी एल मार्च-2016 में इसके जी

²⁵ एल आई एन ए सी एक जरूरी एक्स-रे कैमरा है जिसमें एक्स-रे फिल्मिंग के द्वारा चार दिशाओं से छिद्रता, दरार, पाइपिंग, गुहा आदि दोषों को पकड़ा जाता है। प्रत्येक एक एल आई एन ए सी मशीन निर्माणी के यूनिट-5 एवं यूनिट-10 में लगायी गयी है।

²⁶ बिग्रेडियर नीरज पाठक की अध्यक्षता में।

²⁷ मशीनों के स्वचालन से ऑनलाईन डिजिटल इमेज उपलब्ध होंगे, जिससे महँगी एक्स-रे फिल्मस के दाम कम होंगे, आसान विश्लेषण के लिए एवं भंडारण की लम्बी अवधि की सुविधा मिलेगी।

²⁸ उपस्कर तकनीकी रूप से पुराना है (जरूरत के अनुसार भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है) एवं उपस्कर के एक अग्रगामी वर्जन का नमूना बाजार में आ चुका है जिसकी जरूरत नीतिगत जरूरतों/प्रशिक्षण के लिए सेवा में बनाए रखने की है।

टी ई (सितम्बर 2015) के प्रति प्राप्त प्रस्तावों को पूर्ण रूप देने के लिए प्रक्रियाधीन था।

हमने यह भी देखा कि यद्यपि निर्माणी को दिसंबर 2011 तक नवीनतम तकनीक के अनुसार दो एल आई एन ए सी के साथ प्रतिस्थापन के लिए डिजिटल इमेजिंग सिस्टम की अधिप्राप्ति एवं स्थापना की जरूरत थी, ओ एफ बी एल ने केवल अगस्त 2015 में कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम (डिजिटल इमेजिंग सिस्टम) की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव की शुरुआत की, जो कि बोर्ड के द्वारा लगभग ₹ 0.75 करोड़ की लागत पर स्वीकृत कर ली गई। दिसंबर 2015 में के बोर्ड की स्वीकृति के बाद ओ एफ बी एल ने विज्ञापन निदेशक एवं विजुवल विज्ञापन, नई दिल्ली को एक निविदा जिसके खुलने की तिथि 23 मार्च 2016 थी, को जारी करने के लिए एक ड्राफ्ट विज्ञापन (फरवरी 2016) प्रस्तुत किया।

कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम की आपूर्ति को उचित ठहराते हुए (अगस्त 2015), ओ एफ बी एल ने ₹1.10 करोड़ वार्षिक बचत की गणना की, जिसमें परंपरागत प्रणाली से फिल्मस एवं रसायन का उपयोग कर कुल खर्च ₹4.02 करोड़ प्रतिवर्ष आता था एवं कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम का उपयोग कर कुल खर्च ₹2.92 करोड़ वार्षिक (कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम का मूल्य एवं आई पी प्लेट्स का मूल्य एवं कैसेट का मूल्य प्रतिवर्ष) रूप में पहले वर्ष हुई एवं दूसरे वर्ष एवं उसके बाद से ₹1.84 करोड़ की संभावित बचत हुई। (कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम के मूल्य को छोड़कर जिसे पहले वर्ष में शामिल किया गया था।

इस प्रकार, समय पर कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम की अधिप्राप्ति एवं स्थापना एवं यूनिट 10 में नई मशीन के प्रतिस्थापन की जगह पर अप्रचलित मशीन के उपयोग के उनके निर्णय में ओ एफ बी एल की विफलता के कारण वर्ष 2012-13 से 125 मि. मी. गोलाबारूद के भरे हुए शेल की एक्स-रे करने के लिए महँगे एक्स-रे फिल्मस एवं रसायन का उपयोग किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप ₹4.62 करोड़ के बचत का अवसर छूट गया।

लेखापरीक्षा में इन बिन्दुओं को दिखाए जाने पर (जनवरी 2016), बोर्ड ने कहा कि (मार्च 2016) ओ एफ बी एल के जी टी ई (मई 2012) के लिए तकनीकी बोली को पूर्ण रूप देने में हुए विलम्ब के कारण ऐसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त/विशेषज्ञता की अनुपलब्धता रही, जिस कारण तकनीकी विशिष्टता से संबंधित अनेकों स्पष्टीकरण माँगे जाने लगे। एल आई एन ए सी मशीन के लिए ओ एफ बी एल के द्वारा नई माँग की प्रस्तुति के लिए 19 महीनों की समय अवधि के संबंध में, बोर्ड ने कहा (मार्च 2016) कि जब मामला पुनः निविदा के लिए चला गया, ओ एफ बी एल ने व्यावहारिक अध्ययन में पाया कि प्रतिष्ठानों में से किन्हीं में भी, उच्च क्षमता के उच्च विस्फोट शेल डिजिटल रेडियोग्राफी के साथ एल आई एन ए सी

मशीन में एक्स-रे नहीं किए गए एवं इसलिए विशिष्टता, विचार विमर्श के खिलाफ प्रतिष्ठित निर्माताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार की गई थी एवं इसमें उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, पुणे से भी संपर्क किया गया था। बोर्ड ने यह भी पुष्टि की कि पुनः निविदा (सितंबर 2015) के लिए ओ एफ बी एल के द्वारा प्राप्त चार प्रस्तावों को प्रक्रियाधीन (मार्च 2016) किया जा रहा था।

यह जबाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि जी टी ई (मई 2012)के विरुद्ध फर्म से प्राप्त तकनीकी बोली सितंबर 2012 में खोले गए थे, ओ एफ बी एल ने दिसंबर 2012 में; फर्मों से स्पष्टीकरण लेने में तीन महीने लगा दिए एवं दिसंबर 2012 में यथाशीघ्र स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बावजूद, निर्माणी ने जुलाई 2013 तक भी मामला नहीं सुलझाया, जिस कारण फर्मों द्वारा प्रस्ताव की वैधता अवधि अक्टूबर 2013 तक नहीं बढ़ाई गई, जैसा कि निर्माणी द्वारा माँग की जा रही थी। आगे, जारी करने को बोर्ड में नई माँग प्रस्तुत करने के लिए 19 महीने की समय अवधि के लिए बोर्ड की प्रामाणिकता केवल यह इशारा करती है कि मंत्रालय के निर्देशों का पालन (जून 2011) करते हुए, ओ एफ बी एल ने अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया, पुनः निविदा जारी करने में 19 महीने की समय अवधि के लिए बोर्ड द्वारा जो कारण बताया गया, उसे निर्माणी शुरू में ही नवंबर 2011 में जानती थी, जब उन्होंने युनिट-5 में एल आई एन ए सी मशीन की आपूर्ति कार्यों की शुरुआत की थी। यहाँ तक कि पुनः निविदा (सितंबर 2015) जारी करने के बाद निविदा खुलने की तिथि और आगे बढ़ाकर दिसंबर 2015 कर दी गई, अधिप्राप्ति कार्यों को अभी भी पूर्ण रूप देना (मार्च 2016) शेष था। परिणामस्वरूप, ओ एफ बी एल युनिट-10 में अप्रचलित मशीन का लगातार प्रयोग करता रहा, जिसमें महंगे एक्सरे फिल्मस एवं रसायन का उपयोग होता रहा एवं समय पर कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम को एल आई एन ए सी मशीन के जगह पर प्रतिस्थापन नहीं होने के कारण ₹4.62 करोड़ की बचत की हानि हुई।

यह मामला रक्षा मंत्रालय को जनवरी 2016 में भेजा गया जिसका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2016)।

मशीनरी की अधिप्राप्ति

7.4 एक मशीन के परिचालन में विफलता

मशीन के निष्पादन की बिना जाँच किए हुए वाहन निर्माणी जबलपुर के द्वारा ₹6.32 करोड़ मूल्य की एक मशीन की स्वीकृति एवं बाद में, इसके रख-रखाव में लापरवाही के परिणाम स्वरूप यह मशीन जून 2012 के बाद खराब हो गई।

वाहन निर्माणी जबलपुर (वी एफ जे) ने कहा ₹6.61 करोड़²⁹ मूल्य के सी एन सी लेजर कटिंग मशीन (मशीन)³⁰ के लिए अहमदाबाद के एक फर्म मेसर्स सहजानन्द लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, (फर्म) को एक आपूर्ति आदेश (एस ओ) जारी (फरवरी 2008) किया। मशीन को 15 सितम्बर 2008 को सुपुर्द करने का कार्यक्रम बनाया गया था। आपूर्ति आदेश में अनुबंध किया गया था कि :-

- वी एफ जे को फर्म के द्वारा मशीन के प्रेषण से पहले, एक पूर्व प्रेषण जाँच (पी डी आई) की जाएगी जिसमें मशीन के प्रेषण से पहले फर्म के परिसर में वी एफ जे के निरीक्षकों की उपस्थिति में जरूरी मोटाई³¹ के सभी एम एस सीट के साथ मशीन के कटिंग प्रदर्शन को देखा जाएगा;
- फर्म को स्थल पर मशीन की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर इसे अपने अधिकार में रखना था। उत्पादन के दौरान मशीन चार सप्ताह तक चलती, जिससे वी एफ जे के द्वारा मशीन की अंतिम स्वीकृति से पहले, इसके समय चक्र एवं सटिकता में स्थिरता की जाँच साबित हो जाए;
- विभिन्न प्रकार के मोटाई³² के सभी पदार्थों की कटाई मशीन को साबित करनी चाहिए एवं साथ ही सभी मापदण्डों में जरूरी निष्पादन स्तर प्राप्त करना चाहिए। पदार्थों की प्रत्येक कैटेगरी के अनुसार इसे साबित करने के लिए न्यूनतम 25 संघटकों की जरूरत थी।
- फर्म के कार्यों में पूर्व प्रेषण जाँच की स्वीकृति के बाद पदार्थ की कीमत का 80 प्रतिशत जमा 100 प्रतिशत टैक्स/ड्यूटीज भुगतान किया जाएगा एवं वी

²⁹एक्सआईज ड्यूटी में कमी के कारण ₹6.32 करोड़ तक कमी करना

³⁰धातु शीट के उत्पादन एवं पाईप घटक जो हल्के स्टील, स्टेनलेस स्टील, आर्मर स्टील इत्यादि से बना होता है एवं एल्युमिनियम मिश्रधातु की जरूरत

³¹मशीन के तकनीकी विशिष्टता के पैरा 5 के अनुसार आपूर्ति आदेश में दिखाए गए पैरा 12 के अनुसार 1 मि मी, 2 मि मी, 3 मि मी 4 मि मी, 5 मि मी, 6 मि मी, 8 मि मी, 10 मि मी, 12 मि मी, 15 मि मी, 20 मि मी एवं 25 मि मी मोटाई

³²आपूर्ति आदेश के पैरा 24 के अनुसार, हल्के स्टील 1 मि मी से 25 मि मी स्टेनलेस स्टील, 1 मि मी से 20 मि मी एल्युमिनियम मिश्रधातु 12 मि मी, आर्मर स्टील 16 मि मी एवं जैकाल स्टील 10 मि मी

एफ जे को मशीन की प्राप्ति एवं अधिकार में लेने के बाद पदार्थ की कीमत का शेष 20 प्रतिशत एवं निष्पादन बैंक गारंटी की प्रस्तुति (संविदा कीमत का 20 प्रतिशत) वारंटी अवधि के 60 दिनों के बाद तक वैध रहेगी। वी एफ जे द्वारा एक चालूकरण रिपोर्ट एवं अंतिम स्वीकृति रिपोर्ट जारी की गई जो फर्म की दूसरी किस्त के भुगतान का आधार होगा।

हमने देखा कि पी डी आई के दौरान (10 दिसंबर 2008) फर्म के परिसर में वी एफ जे की टीम ने मशीन की विमितीय सटीकता, स्थिरता एवं गुणवत्ता की कुछ कमियां³³ देखी। इसके अतिरिक्त मशीन के कटिंग चाल के संबंध में 12 मि मी, 16 मि मी. एवं 25 मि मी की मोटाई के हल्के स्टील, आपूर्ति आदेश में जरूरत के अनुसार एवं मशीन की तकनीकी विशिष्टता का अनुकरण नहीं किया गया।

कमियों एवं अधूरी निष्पादन जाँच के बावजूद जाँच टीम ने मशीन के प्रेषण के लिए यह कहकर कि फर्म कमियों पर ध्यान देगी जाँच रिपोर्ट जारी (10 दिसंबर 2008) कर दी।

निर्माणी में मशीन की प्राप्ति 28 दिसंबर 2008 को हुई एवं इसे 17 जनवरी 2009 को अपने प्रभार में लिया। इस अनुसार, वी एफ जे ने फर्म को ₹5.09 करोड़ का भुगतान (जनवरी 2009) कर दिया। फर्म ने 20 जनवरी 2009 से वी एफ जे में मशीन के निर्माण कार्य एवं चालूकरण कार्यों का जिम्मा ले लिया।

हमने देखा कि फर्म चालूकरण जांच के दौरान मशीन के कटिंग मापदण्डों को प्राप्त करने में विफल साबित हुई। फर्म के साथ बैठक में (सितंबर 2009), वी एफ जे ने मशीन की कमियों को दूर करने के लिए फर्म को निर्देश दिया। फिर भी 9 अक्टूबर 2009 को अधिकृत मशीन के कटिंग मापदण्डों की कमियों को बिना दिखाए हुए एक चालूकरण रिपोर्ट³⁴ जारी (27 नवंबर 2009) कर दी। एक अन्तिम स्वीकृति रिपोर्ट जारी नहीं की गयी थी। इसी दिन (27 नवंबर 2009), वी एफ जे ने उत्पादन के लिए मशीन की अनुपलब्धता निष्पादन स्तर में गिरावट या मशीनों की खराब होने की संभावनाओं को देखते हुए चालूकरण की दौरान मशीन के विभिन्न प्रकार की परिचालन समस्याओं³⁵ के बारे में फर्म को रिपोर्ट किया। इसने उस प्रक्रिया की सच्चाई पर संदेह खड़ा कर दिया जिसके द्वारा मशीन को चालू (9 अक्टूबर 2009) घोषित किया गया एवं शेष बची हुई राशि ₹1.23 करोड़ का भुगतान चालूकरण रिपोर्ट के आधार पर लोकल लेखा कार्यालय (एल ए ओ) द्वारा कर दिया गया। एल ए ओ

³³25 मि मी पाईप में दाँता आकार के गहरे दाग देखे गए।

³⁴मशीनी रख-रखाव, इलेक्ट्रिकल रख-रखाव एवं उत्पादन विभाग के द्वारा हस्ताक्षरित

³⁵ आयुध निर्माणियों में संयंत्र एवं मशीनरी के अधिप्राप्ति नियम-परिशिष्ट डब्ल्यू की जरूरत

ने मशीन की अंतिम स्वीकृति रिपोर्ट³⁶ प्राप्त हुए बिना ही राशि का भुगतान कर नियम का उल्लंघन किया।

हमने देखा कि वी एफ जे ने मशीन के चालूकरण के बाद दो वर्षों से भी अधिक के लिए (दिसम्बर 2011 तक) उत्पादन लॉग बुक का रख-रखाव नहीं किया था। फिर भी, फर्म के साथ बैठक में वी एफ जे ने रिकार्ड (अगस्त 2011) किया कि मशीन 03 अगस्त 2011 तक केवल 7578 घंटे तक परिचालित की गई। उत्पादन लॉग बुक के अभाव में, लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थों का कटिंग विवरण नहीं जाँचा जा सका।

हमने देखा कि चालूकरण से मशीन में समस्याएँ³⁷ आ रही थीं एवं मार्च 2011 से दिसंबर 2011 के दौरान 169 दिनों के लिए लगातार समय-समय पर मशीन खराब होती रही। फर्म ने वी एफ जे के द्वारा समय-समय पर मशीन की सही देख रेख के अभाव को मशीन के खराब होने का कारण बताया (जुलाई 2011)। वी एफ जे ने मशीन की वारंटी अवधि के (नवंबर 2010) समाप्त होने के उपरांत मशीन के लिए कोई वार्षिक रख-रखाव संविदा की शुरुआत नहीं³⁸ की, जबकि फर्म ने जुलाई 2010 में ही इसका प्रस्ताव दिया था। लेखापरीक्षा प्रश्न (नवंबर 2015) के जबाब में, वी एफ जे ने कहा कि मशीन का कोई रख-रखाव अभिलेख नहीं मिल पा रहा था।

वी एफ जे ने परिणाम रहित मरम्मत पर ₹15.25 लाख³⁹ खर्च किए, लेकिन अंत में मशीन 13 जून 2012 के बाद खराब हो गई। यह नवंबर 2015 तक परिचालन योग्य नहीं रह गई।

लेखापरीक्षा के प्रश्नों (अप्रैल 2013) के उत्तर में, वी एफ जे ने कहा (अप्रैल 2014) कि फर्म ने मशीन के जीर्णोद्धार के लिए संपर्क किया, लेकिन वह अपनी लंबित पड़ी भुगतान राशि⁴⁰ का समाशोधन कराने के लिए जोर दे रहा था। फर्म ने अतिरिक्त कल-पुर्जों के लिए कोई जिम्मेदाराना कार्यक्रम भी तैयार नहीं किया था जो मशीन को

³⁶कटिंग, फोकसिंग लेंस के लगातार टूट एवं टेबल गतिविधि में समस्या इत्यादि के दौरान डिवाइस की लोडिंग/अनलोडिंग, सतही पूर्णता प्राप्त की गई।

³⁷ शटर एसेम्बली से तरल पदार्थों के लिकेज होने की समस्या एवं चिलर यूनिट की खराबी जैसे वॉल स्क्रू मैकेनिज्म के जैड-अक्ष का टूटना।

³⁸ वार्षिक रख-रखाव संविदा के लिए फर्म का प्रस्ताव मशीन के महाप्रबंधक के द्वारा सितंबर 2010 में अनुमोदित किया जिसमें यह प्रतिक्रिया दी गई कि फर्म के द्वारा दिए गए ए एम सी दर को अधिक बताया गया है एवं इसे कम करने के लिए फर्म से निवेदन करने को कहा गया। लेकिन वहाँ पर निर्माणी के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए।

³⁹ संविदाकार के ₹45.27 लाख के कुल बिल के लिए (सर्विस चार्ज ₹3.14 लाख भी सम्मिलित) ₹15.25 लाख की राशि का भुगतान किया गया। शेष बची राशि ₹30.02 लाख वी एफ जे की देयता थी।

⁴⁰ निर्माणी में फर्म द्वारा सर्विस इंजीनियर को भेजने के लिए फर्म को सर्विस चार्ज के संबंध में लंबित पड़ी राशि जो फर्म को देना शेष था।

प्रयोग में लाने के लिए वी एफ जे की सहायता कर सके। इस गतिरोध के परिणाम स्वरूप कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए।

उत्तर में इस बात का कोई जवाब नहीं था कि पी डी आई में कमियों को देखने के बाबजूद मशीन को डिस्पैच के लिए क्यों भेजा गया, अधिकृत ट्रायल के दौरान कमियों को देखने के बाबजूद एक अधिकृत रिपोर्ट जारी की गयी एवं अंतिम स्वीकृति रिपोर्ट के बिना ही राशि का भुगतान कर दिया गया। यह उत्तर निष्क्रियता को दिखाता है जिससे जून 2012 के बाद मशीन परिचालन योग्य नहीं रह गयी।

इस प्रकार, मशीन के निष्पादन की जाँच किए बिना वी एफ जे द्वारा ₹6.32 करोड़ मूल्य मशीन की स्वीकृति एवं इसके रख-रखाव में लापरवाही के परिणामस्वरूप जून 2012 के बाद मशीन खराब हो गई।

हम यह सिफारिश करते हैं कि मशीन की खरीदारी एवं इसके बिगड़ने की जिम्मेदारी तय करने के लिए इस बात की जाँच की जाए।

यह मामला रक्षा मंत्रालय/आयुध निर्माणी बोर्ड को जनवरी 2016 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016) ।

विनिर्माण

7.5 कार्टरिज केसों का अविवेकपूर्ण उत्पादन

सुधार कमेटी के निर्णय से अलग तथा पाईलट लॉट के सफलतापूर्वक क्लियरेंस मिलने से पहले मैटल एण्ड स्टील फैक्ट्री, ईशापुर के द्वारा सी ई डी कोटिंग किए हुए 20,997 कार्टरिज की अधिक मात्रा का उत्पादन करने के परिणामस्वरूप ₹1.32 करोड़ की परिहार्य स्वीकरण हानि हुई।

वर्ष 1984 में, मेसर्स किन्टेक्स, बुल्गारिया से प्राप्त हस्तांतरित तकनीक पर आधारित, शिल्का एम्यूनीशन स्टील कार्टरिज केस, जिसमें जिंक कॉस्टिंग के साथ कार्बन का प्रतिशत 0.09-0.13 प्रतिशत था, के स्वदेशी/उत्पादन का जिम्मा आयुध कारखाना, खमरिया (ओ एफ के) एवं मैटल एण्ड स्टील फैक्ट्री, ईशापुर (एम एस एफ) ने क्रमशः 1997⁴¹ एवं जनवरी 2002 में लिया।

थल सेना युनिटों ने समय-समय पर एम्यूनीशन के उपयोग के कारण 139 दुर्घटनाओं के बारे में रिपोर्ट किया, जिसमें यह बात सामने आई कि 107 दुर्घटनाएँ आयातित

⁴¹यद्यपि टी ओ टी, 1984 में प्राप्त किया गया, ओ एफ के में स्वदेशी विनिर्माण कार्य 1997 में शुरू किया गया, क्योंकि मेसर्स किन्टेक्स से प्राप्त सी के डी/एस के डी, 1987-91 के दौरान एसेम्बल किए गए एवं 1992-96 के दौरान थल सेना के द्वारा उपकरणों की कोई माँग नहीं की गई थी।

एम्यूनीशन एवं 32 दुर्घटनाएँ आयुध कारखाने द्वारा निर्मित एम्यूनीशन के कारण हुई। ये दुर्घटनाएँ मुख्यतः कार्टरिज केस के फूटने/फटने/टूटने/रिम टूट एवं आगे के भाग के फटने के कारणों पर आधारित थीं।

आयुध निर्माणी बोर्ड के प्रतिनिधियों एवं महानिदेशक, गुणवत्ता गारंटी, नई दिल्ली के निरीक्षकों से बनी सुधार कमिटी (कमिटी) ने थल सेना के युनिटो द्वारा समय-समय पर एम्यूनीशन के उपयोग के दौरान विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर विश्लेषण किया। इसके साथ ही आयुध निर्माणी में भी एम्यूनीशन के निर्माण एवं बाद में एम्यूनीशन के प्रमाण की भी जाँच की।

समस्याओं से निजात पाने के लिए, कमिटी ने एम एस एफ को सलाह दी (नवंबर 2004) कि कैथोडिक इलैक्ट्रीक डिपोजिशन (सी ई डी)⁴² कोटिंग किए हुए स्टील कार्टरेज मामले में कार्बन का प्रतिशत 0.09-0.13 से बढ़ाकर 0.16-0.22 कर दिया जाए।

हमने देखा कि यद्यपि सी ई डी कोटिंग एम्यूनीशन के प्रणोदक के साथ अनुकूल है एवं फरवरी 2005 में गुणवत्ता गारंटी नियंत्रक (एम्यूनीशन) के द्वारा संतोषप्रद था। सी ई डी कोटिंग किया हुआ कार्टरिज केस का एक लॉट जंग प्रतिरोधी व्यवहार में विफल साबित हुआ। इसलिए, कमिटी ने एम एस एफ को सलाह दी कि (दिसंबर 2006) आगे सुधारे गए सी ई डी कोटिंग के साथ 1000 कार्टरिज का निर्माण किया जाए। एवं उन्हें (i) जंग प्रतिरोधक व्यवहार जाँच (10 सैम्पल) के लिए गुणवत्ता गारंटी नियंत्रक (धातु), ईशापुर के पास (ii) अनुकूलता जाँच (5 संख्या) के लिए गुणवत्ता गारंटी नियंत्रक (सैन्य विस्फोटक) एवं (iii) डायनैमिक जाँच (86 संख्या) के लिए भेजा जाए। सैम्पलों की तीनों जाँच के सफल क्लियरेंस के बाद स्वीकृत होने पर ही सी ई डी कोटिंग के लिए बल्क उत्पादन क्लियरेंस (बी पी सी) का कार्यक्रम बनाया जाएगा।

चूंकि जिंक के साथ कोटेड बढ़ाए गए कार्बन तत्व के साथ स्टील कार्टरिज केस का निष्पादन फॉयरिंग के साथ संतोषजनक पाया गया था, अतः कमिटी ने नए रासायनिक कार्बन तत्व तथा जिंक कोटिंग के साथ प्रत्येक कार्टरिज केसों की 5,000 संख्याओं वाले दो लॉटों का निर्माण करने के लिए एम एस एफ को जूलाई 2007 में प्राधिकृत किया तथा उन्हें बढ़ाए गए तत्व के साथ स्टील कार्टरिज केस के लिए बल्क उत्पादन अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व प्रमाण के रूप में रखा।

हमने देखा कि एम एस एफ के द्वारा बढ़ी हुई कार्बन मात्रा एवं जिंक कोटिंग के साथ बनाए गए कार्टरिज केस की 10,000 संख्या की अक्टूबर 2007 तथा नवम्बर 2007 में ओ एफ के में सफल रूप से फायरिंग की गई। इस अनुसार, कमिटी ने बढ़ी

⁴²कार्टरिज केस में कॉपर का इलैक्ट्रोप्लेटिंग

हुई कार्बन मात्रा एवं जिंक कोटिंग के साथ कार्टरिज केस के निर्माण के लिए एम एस एफ के लिए बी पी सी स्वीकृत किया (नवंबर 2007), क्योंकि (i) सी क्यू ए (एम ई) को अनुकूलता जाँच के लिए भेजे गए 100 ग्राम सी ई डी कोटिंग पदार्थों के परिणाम प्राप्त नहीं हुए एवं (ii) सी ई डी कोटिंग के साथ कार्टरिज केस की 250 संख्या जंग प्रतिरोधक जाँच अगस्त 2007 एवं नवंबर 2007 में सी क्यू ए (धातु) ईशापुर में असफल साबित हुई जिसमें सी ई डी कोटिंग को अस्वीकार किया गया जब तक कि इसे सिद्ध न किया जाए। आगे मई 2008 में हुए मीटिंग में, कमीटी ने दर्ज किया कि (i) वैकल्पिक जिंक पैसीवेशन के रूप में सी ई डी कोटिंग की क्षमता के लिए इसकी कवायद चल रही थी। (ii) सैम्पल की 10 संख्या जंग प्रतिरोधक जाँच के अंदर थी एवं (iii) एवं सी ई डी कोटिंग किए 490 सैम्पल एम एस एफ में उपलब्ध थे।

स्टील कार्टरिज केस एवं इसके सतही कोटिंग में सुधार के संबंध में ज्वाइंट सेक्रेटरी/रक्षा उत्पादन, नई दिल्ली के कार्यालय में अगस्त 2010 में बात-चीत की गई जहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि आयुध निर्माणी बोर्ड यूजर के विश्वास को जीतने के लिए सुधरे हुए उपकरणों के 10,000 राउंड सप्लाई करेगा। बाद में, अगस्त 2010 में हुई वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए, कमेटी सितम्बर 2010 में एम एस एफ पहुँची, जहाँ पर जिंक कोटिंग के स्थान पर सी ई डी कोटिंग की सलाह दी गई, जो सॉल्ट स्प्रे टेस्ट में सी ई डी कोटिंग के साथ कार्टरिज केस के 20 नमूनों की सफल कोशिशों के बाद की जानी थी। इस प्रकार कमेटी ने स्टील कार्टरिज केस के बी पी सी की स्वीकृति के पहले कार्टरिज केस के एम एस एफ को केवल 1000 कार्टरिज केस के पाईलाट लॉट के विनिर्माण की सलाह दी, ताकि जो सी ई डी कोटिंग की नई कैमैस्ट्री एवं सी ई डी कोटिंग के साथ स्टील कार्टरिज केसों के लिए बी पी सी प्रदान करने से पूर्व विभिन्न प्रकार की जाँचों से गुजारा जा सके।

जंग प्रतिरोधक जाँच में सी ई डी कोटिंग किए हुए कार्टरिज केस के पाईलाट लॉट की विफलता के संबंध में एवं बाद में इसे प्रमाणित करने के दौरान लंबात्मक एवं परिधात्मक दरार के आने के कारण, एम एस एफ में एक बार स्टील कार्टरिज केस की सतह पर सी ई डी कोटिंग बंद कर दी गई एवं दिसंबर 2012 के बाद इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया।

हमने यह देखा कि यद्यपि कमीटी ने एम एस एफ को ट्रायल के लिए पाईलाट लॉट⁴³ सी ई डी कोटिंग किए हुए नए कैमैस्ट्री पर आधारित कार्टरिज केस की 1000 संख्या के विनिर्माण की सलाह दी थी, फैक्ट्रियों ने वास्तव में पाँच वारेन्टस के विरुद्ध (नवंबर 2006-2011) 21,997 संख्या के नए कैमैस्ट्री पर आधारित कार्टरिज केस का

⁴³किसी चीज के विकास के लिए, पायलाट लॉट में उत्पादन का काम शुरू किया गया, एवं ट्रायल/प्रमाण के समय पायलाट लॉट के सफल प्रदर्शन के आधार पर आइटम के थोक निर्माण सामान्य रूप से आयुध निर्माणी में किए जाते हैं। यह आयुध निर्माणी को भारी नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षा गार्ड था, यदि थोक में उत्पादित चीजे प्रमाण/ट्रायल में विफल घोषित होती।

विनिर्माण कर लिया, जिसका मूल्य ₹1.38⁴⁴ करोड़ था एवं इस पर सी ई डी कोटिंग करने के लिए कुल ₹1.05 लाख लगे, जिसके लिए फरवरी 2007 से सितंबर 2010 के बीच तीन सप्लाई आदेश प्राप्त हुए थे। फिर भी, मांगने के बावजूद भी (जुलाई - 2015 - जनवरी 2016) लेखा-परीक्षा को कॉस्ट कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। इस प्रकार एम एस एफ को नई प्रकार की कैमेट्री के कार्टरिज केस की 20,997 संख्याओं के परिहार्य सी ई डी कोटिंग के लिए ₹1.32 करोड़ की हानि हुई।

जबाब में मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2015) कि सी ई डी कोटिंग किए हुए नए प्रकार के कैमेट्री वाले कार्टरिज केस विभिन्न प्रकार के फोरम में लिए गए निर्णयों के आधार पर एम एस एफ के द्वारा बनाए गए थे एवं यह बात प्रोजेक्ट मोनिटरिंग टीम को भी बताई गई थी, जो कार्टरिज केस की विफलता को देख रहा था ताकि आगे सही कदम उठाने की सलाह दे सके।

मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पायलट के ट्रायल में सफल क्लियरेंस के पहले ही एम एस एफ के द्वारा सी ई डी कोटिंग किए हुए नए प्रकार के कैमेट्री वाले कार्टरिज केस की अत्यधिक संख्या 20,997 के विनिर्माण का निर्णय, कमिटी की सलाह का उल्लंघन था एवं यह निर्णय अविवेकपूर्ण था, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.32 करोड़ के परिहार्य अस्वीकृत हानि का सामना करना पड़ा।

इस प्रकार, एम एस एफ के द्वारा सी ई डी कोटिंग किए हुए नए प्रकार की कैमेट्री वाले कार्टरिज केस की 20,997 की अत्यधिक संख्या का विनिर्माण का निर्णय सुधार कमिटी के निर्णय से अलग हटकर था एवं इसे ट्रायल में पायलट लॉट के सफल क्लियरेंस के पहले करने के परिणामस्वरूप ₹1.32 करोड़ का परिहार्य हानि का सामना करना पड़ा।

विविध

7.6 अस्वीकृत फ्यूज को न बदलने के कारण सामान का अवरोधन

फ्यूजों की आपूर्ति के अनुबंध की शर्तों को लागू कराने एवं प्रतिकार शर्तों का पालन करवाने में आयुध निर्माणी, चाँदा की असफलता के परिणामस्वरूप ₹6.05 करोड़ के अस्वीकृत फ्यूज बेकार पड़े रहे।

आयुध निर्माणी, चाँदा (ओ एफ सी एच) ₹9.08 करोड़⁴⁵ की लागत से 50,000 फ्यूज की आपूर्ति के लिए मेसर्स किनटेक्स शेयर होल्डिंग कम्पनी, बुल्गारिया (फर्म) से एक अनुबंध किया (फरवरी 2012)। बारूद से भरे हुए बी-429 ई फ्यूज (फ्यूज) ओ एफ

⁴⁴निर्माणी प्रबंधन के द्वारा ईकाई कार्टरिज का मूल्य प्रस्तुत किया गया।

⁴⁵14 लाख यूरो के बराबर।

सी एच द्वारा प्राप्त करके निरीक्षण करने के बाद आयुध निर्माणी, बडमाल (ओ एफ बी एल)⁴⁶ की ओर से थलसेना को सीधे भेजने थे। आपूर्ति करने की तय तिथि अक्टूबर 2012⁴⁷ थी जिसके लिए ओ एफ सी एच द्वारा पूरा भुगतान⁴⁸ माल की प्राप्ति के पश्चात करना था।

आयातित की जाने वाली मद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस अनुबंध में निम्नलिखित शर्तें थी:

- ओ एफ सी एच के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में फर्म के परिसर में फ्यूजों का प्रेषण-पूर्व निरीक्षण (पी डी आई)। यदि, ओ एफ सी एच पी डी आई में उपस्थित नहीं हो पाती है तो अनुरूपता एवं स्वीकृति प्रतिवेदन फर्म के गुणता आश्वासन प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित होगी जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य होगी। उस स्थिति में, फर्म द्वारा माल की उनकी वारंटी/गारंटी प्रमाण-पत्र के अंतर्गत आपूर्ति की जाएगी;
- फर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्राप्त माल का संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण (जे आर आई), जिसके लिए ओ एफ सी एच द्वारा फर्म को कम से कम 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना था। यदि, फर्म के प्रतिनिधि प्राप्तकर्ता के निरीक्षण के दौरान उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो प्राप्तकर्ता की ओर से निरीक्षण प्रक्रिया एवं स्वीकृति प्रमाण-पत्र पर केवल ओ एफ सी एच के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर होंगे और वह फर्म पर बाध्यकारी होगा;
- गुणवत्ता में कमी या किसी त्रुटि की स्थिति में, ओ एफ सी एच द्वारा एक गुणवत्ता दावा किया जाएगा जोकि फर्म द्वारा दावे की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर निपटाया जाएगा;
- फर्म द्वारा 1.4 लाख यूरो का एक निष्पादन गारंटी बॉन्ड उपलब्ध कराया जाएगा जिसका ओ एफ सी एच द्वारा फर्म के अनुबंध की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में भुगतान करवाया जाएगा;
- यदि अनुबंध की शर्त को पूरा करने में कोई विवाद होता है, तो ओ एफ सी एच फर्म को इसकी जानकारी देगी और इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर मामले की मध्यस्थता के लिए संस्तुति की जाएगी।

⁴⁶125 मि मी हाई एक्सप्लोसिव एम्यूनिशन, जिसके लिए बी-429 फ्यूज का उपयोग किया जाता है, के लिए ओ एफ बी एल फिलिंग निर्माणी है।

⁴⁷पहले तय तिथि अगस्त 2012 थी जो बाद में बढ़ाकर (सितम्बर 2012) अक्टूबर 2012 कर दी गई।

⁴⁸अनुबंध मूल्य का 100 प्रतिशत भारतीय स्टेट बैंक, नागपुर के माध्यम से वापस न हो सकने योग्य लेटर आफ क्रेडिट द्वारा।

ओ एफ सी एच ने तीन खेपों⁴⁹में ₹10.08 करोड़⁵⁰ के भुगतान के बाद वारंटी/गारंटी प्रमाण-पत्र के साथ बिना पी डी आई किए 50,000 फ्यूज प्राप्त किए (दिसम्बर 2012)।

ओ एफ सी एच ने फर्म को जे आर आई के लिए आमंत्रित नहीं किया। जबकि 10,000 फ्यूज वाली पहली खेप (खेप सं.4) को गुणवत्ता निरीक्षण (फरवरी 2013 एवं मई 2013) के दौरान अस्वीकृत⁵¹ कर दिया गया तथा 20,000 फ्यूज की एक अन्य खेप (खेप सं.2) स्वीकार कर ली गई (मई 2013)।

ओ एफ सी एच ने त्रुटिपूर्ण फ्यूजों के निशुल्क बदलाव के लिए फर्म पर एक गुणवत्ता दावा प्रेषित किया (मई 2013) खेप सं.4 फर्म इस आधार पर सहमत नहीं हुई कि गतिशील परीक्षण के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई थी। फिर भी, फर्म ने अपने दल को ओएफसीएच भेजने का प्रस्ताव रखा (जून 2013)। यह प्रस्ताव रखा गया कि दल उन दशाओं के बारे में जिसमें भारत में गतिशील परीक्षण किए जाने थे, तथा बचे हुए 20,000 फ्यूजों (खेप सं.3), जिनका उस समय तक परीक्षण नहीं हुआ था, के परीक्षण के दौरान उपस्थित रहने पर चर्चा करेगा।

फर्म ने बोर्ड/ओ एफ सी एच से शिकायत की (जुलाई 2014) कि स्थिति को संभालने के भरपूर आपसी प्रयासों के बावजूद उन्हें इसे पूरा करने का कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं दिया गया⁵²। फर्म ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत में एक बैठक आयोजित करने का, और यदि आवश्यक हो तो खेप सं.4 के लिए दोबारा प्रूफ एवं खेप सं.3 के लिए नए प्रूफ कराने का सुझाव (जुलाई 2014) दिया। बोर्ड ने ओ एफ सी एच को फर्म से यह मामला निपटाने का निर्देश दिया (अगस्त 2014)। फर्म ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे।

ओ एफ सी एच ने फर्म के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में खेप संख्या 3 एवं 4 की गतिशील प्रूफ जाँच पूरी की (मार्च 2015)। खेप संख्या 4 दोबारा अस्वीकृत हो गई; खेप संख्या 3 भी अस्वीकृत हो गई; दोनों खेपों की अस्वीकृति के बारे में फर्म को बताया गया (अप्रैल 2015) फर्म इस निर्णय⁵³ (मई 2015) से सहमत नहीं थी और

⁴⁹20,000 फ्यूजों के लिए खेप संख्या 02-12-33, 20,000 फ्यूजों के लिए खेप संख्या 03-12-33 एवं 10,000 फ्यूजों के लिए खेप संख्या 04-12-33।

⁵⁰ फ्यूजों की कीमत ₹10.04 करोड़ थी तथा ₹0.04 करोड़ बैंक प्रभार था।

⁵¹केन्द्रीय प्रमाण स्थापना, इटारसी में की गई गतिशील शूटिंग के दो मौकों पर परवर्ती प्रभाव देरी 15 मिनट से 60 मिनट की स्वीकृत सीमा से अधिक थी।

⁵²सितम्बर 2013 में बैठक का स्थगन; फरवरी 2014 में सामान्य व्यवहार के डिले फंगशन प्रूफ के लिए उचित दशाएं उपलब्ध नहीं कराई गई एवं फर्म की भारत में एक संयुक्त बैठक आयोजित करने की प्रार्थना ओ एफ सी एच/ओ एफ बी द्वारा पूरी नहीं की गई।

⁵³इस असहमति के लिए आधार यह था कि ओ एफ सी एच द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में 18 मार्च 2015 को किए गए परीक्षणों के दौरान उपयोग किए गए राउंड के बारे में पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं था और यह माना गया कि फरवरी 2014 में किए गए परीक्षणों में उपयोग किए गए अग्नि बम्ब विन्यास का एक प्रक्षेपक मार्च 2015 में भी उपयोग किया गया एवं इसलिए यह असफलता अग्नि बम्ब विन्यास के चालू होने की असफलता मानी गई न कि फ्यूज की।

इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत में पुनः एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। ओ एफ सी एच ने इसके जवाब में फर्म से चर्चा के लिए उनके लोगों को भारत में भेजने का अनुरोध किया (नवम्बर 2015)।

खेप संख्या 4 एवं खेप संख्या 3 के संदर्भ में गुणवत्ता संबंधी दावा क्रमशः मई 2013 एवं अप्रैल 2015 (45 दिन की निश्चित अवधि के सापेक्ष) तक नहीं सुलझाया जा सका। लेकिन ओ एफ सी एच/ओ एफ बी द्वारा अनुबंध की मध्यस्थता शर्त के अनुसार मामले को पंचाट अधिकरण में ले जाने के लिए फर्म को नोटिस जारी करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। ओएफसीएच ने (मार्च 2016) फर्म द्वारा भेजी गई 1.40 लाख यूरो (₹1 करोड़ के बराबर) निष्पादन गारंटी बांड का भुगतान कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जबकि यह 31 मार्च 2016 तक वैध थी।

बोर्ड ने कहा (मार्च 2016) इस मुद्दे को आपसी समझ से सुलझाने के लिए यह मामला ओ एफ सी एच द्वारा विचारीधीन है। उन्होंने इसमें और जोड़ा कि ओ एफ सी एच अनुबंध के उपचारी प्रावधानों को लागू नहीं करवा सकता क्योंकि अब तक संदर्भित मात्रा की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

बोर्ड का पक्ष स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गुणवत्ता दावा प्रस्तुत करने की तिथि के तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात भी यह मामला अभी तक अनसुलझा है।

इस प्रकार ओ एफ सी एच द्वारा फ्यूजों की आपूर्ति के अनुबंध के उपचारी प्रावधानों को लागू करने एवं उनका पालन करवाने में असफलता के कारण ₹6.05 करोड़⁵⁴ के फ्यूज उनके पास बेकार पड़े हैं।

यह मामला रक्षा मंत्रालय को जनवरी 2016 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016) ।

7.7 लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली

आयुध निर्माणी, मेडक के द्वारा साख पत्र तैयार करने के लिए बैंक चार्ज (₹18.90 लाख) की परिहार्य अदायगी को लेखापरीक्षा में दिखाए जाने पर यूनिट के द्वारा इसकी वसूली की गई।

लेखापरीक्षा के द्वारा अनियमितता को दिखाए जाने पर आयुध निर्माणी मेडक (ओ एफ एम के) ने ₹18.90 लाख के बैंक चार्ज के रूप में परिहार्य/अधिक अदायगी की वसूली की गई। इसका विवरण नीचे दिया गया है।

आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) ने मेसर्स मिश्र धातु लिमिटेड (मिधानी) के साथ वाईड आर्मर प्लेट्स, जिसकी जरूरत ओ एफ एम के को मिधानी पर थी, के निर्माण के

⁵⁴50,000 भरे हुए फ्यूजों की कीमत = ₹10.08 करोड़। 30,000 फ्यूजों की आनुपातिक कीमत = ₹10.08 करोड़ x 30,000/50,000 = ₹6.05 करोड़

लिए एक समझौता जापन (मार्च 2011) किया, जिसमें कुल ₹507 करोड़ के निवेश में से बोर्ड का भाग ₹ 307 करोड़ था। बैंकिंग लेन देन के लिए एक एसक्रो एकाउंट खोलने की आवश्यकता थी, जिसके लिए बोर्ड (ओ एफ एम के की ओर से), मिधानी एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हैदराबाद के बीच एक त्रिकोणीय समझौता (समझौता) किया गया। त्रिकोणीय समझौता के अनुच्छेद 3 (ii) के अनुसार, साख पत्र (एल.सी.) को तैयार करने एवं इसमें सुधार करने के लिए सभी बैंक चार्ज मिधानी के द्वारा दिए जाने थे।

फिर भी, ओ एफ एम के ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हैदराबाद को अधिकृत (अक्टूबर 2012) किया कि उपकरण के आयात के लिए मिधानी के क्रय आदेश (मई 2011) के लिए साख पत्र तैयार करने के लिए बोर्ड के एसक्रो एकाउंट से ₹18.90 लाख (जुलाई 2012) की राशि बैंक चार्ज के रूप में डेबिट कर ली जाए जबकि समझौते के अनुसार बैंक चार्ज मिधानी को देना था।

लेखापरीक्षा के दौरान इन बिन्दुओं को दिखाए जाने पर (मार्च 2014), ओ एफ एम के ने इस बात को मिधानी के सामने रखा एवं मिधानी से ₹18.90 लाख की वापसी (नवम्बर 2015) प्राप्त की। इसके जबाब में बोर्ड ने सुनिश्चित (मार्च 2016) किया कि ₹18.90 लाख की वापसी लेखापरीक्षा के द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर ही हो पाई है।

यह मामला रक्षा मंत्रालय को जनवरी 2016 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016) ।

अध्याय VIII : रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

8.1 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डी पी एस यू) द्वारा आपूर्ति में विलम्ब

सेना के आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए अभिप्रेत अति महत्वपूर्ण शस्त्रों व उपकरणों की आपूर्ति के अपने लक्ष्य में रक्षा पी एस यू विफल रहे। XI सेना योजना (2007-12) के दौरान डी पी एस यू के साथ किए गए पूंजीगत अनुबंधों में से ₹30,098 करोड़ मूल्य के अनुबंधों में अत्यधिक विलंब देखे गए थे जो डी पी एस यू के साथ मंत्रालय द्वारा किए गए कुल अनुबंधों के वित्तीय मूल्य का 63 प्रतिशत थे। विलंब के लिए मुख्य कारण विकास में लिया गया अनुचित समय, पायलट नमूने के सफल मूल्यांकन में विलंब, विदेशी विक्रेताओं पर डी पी एस यू की भारी निर्भरता, संविदात्मक शर्तों में अस्पष्टता आदि थे। विलंब ने न केवल सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण को प्रभावित किया था, बल्कि डी पी एस यू द्वारा उपयोग न किए गए भुगतानों पर उद्भूत ब्याज के रूप में उसका वित्तीय प्रभाव भी था।

8.1.1 प्रस्तावना

रक्षा क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग (डी डी पी) की परिधि के अन्तर्गत रक्षा शस्त्रों तथा उपकरण के डिज़ाईनर तथा समाकलक की भूमिका अपनाने के लिए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डी पी एस यू) तथा आयुध निर्माणियों (ओ एफ) की चरणों में स्थापना की गई।

मई 2001 में, सरकार ने देश में एक प्रतिस्पर्धात्मक रक्षा प्रौद्योगिकी धार के सृजन तथा रक्षा औद्योगिक आधार को मज़बूत करने के उद्देश्य से भारतीय निजी क्षेत्र के लिए रक्षा उद्योग खोलने का निर्णय लिया। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2001 में रक्षा क्षेत्र में 26 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) की अनुमति दी, जिसे 2014 में 49 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। रक्षा क्षेत्र, निर्माण उद्योग का एक सबसेट होने के कारण मूल्य संवर्धन, क्रांतिक प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता आदि के विषय में 'मेक इन इण्डिया'⁵⁵ नीति तथा हमारे रक्षा उद्योग की क्षमता के बीच सहक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार की नीतिगत दिशा चाहे जो

⁵⁵ मेक इन इण्डिया, निर्माण की हिस्सेदारी, सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के 15 प्रतिशत के वर्तमान स्तर को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने तथा बहुराष्ट्रीय तथा घरेलू कम्पनियों को भारत में उनके उत्पादन को प्रोत्साहित करके दस लाख लोगों को प्रति वर्ष के अतिरिक्त रोजगार के अवसर के सृजन हेतु भारत सरकार की एक पहल (सितम्बर 2014 में शुरू की गई) है।

भी हो, डी पी एस यू के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी क्षमताओं के सतत आधुनिकीकरण तथा उन्नयन एवं अपनी उत्पाद श्रेणी को बढ़ाने का प्रयास करें। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के उत्पादनीकरण अथवा विदेशी विक्रेता से प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण को आत्मसात करके रक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सितम्बर 2015 तक 40 ओ एफ तथा नौ⁵⁶ डी पी एस यू थे, जिससे कि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।

सेना में, ₹15 लाख अथवा अधिक मूल्य के सभी उपकरणों, जिनका जीवन सात वर्ष अथवा अधिक हो, की अधिप्राप्ति को पूंजीगत अधिप्राप्ति कहा जाता है। पूंजीगत अधिप्राप्तियां रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी पी पी) में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं। सभी पूंजीगत अधिग्रहण गुणात्मक मांगों के प्रतिपादन और रक्षा अधिग्रहण परिषद (डी ए सी⁵⁷)/रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड (डी पी बी⁵⁸)/प्रवर्गीकरण समिति⁵⁹ की आवश्यकता की स्वीकृति (ए ओ एन) प्राप्त करने के साथ सेना मुख्यालय में प्रयोक्ता निदेशालय द्वारा शुरू किए जाते हैं। अनुमोदन होने पर मंत्रालय में अधिग्रहण विंग तथा सेना मुख्यालय में शस्त्र एवं उपकरण (डब्ल्यू ई) निदेशालय द्वारा अनुबंध करने तक चरणों में उसे प्रोसेस किया जाता है। डिज़ाइन एवं विकास के मामलों में उपकरण के परीक्षणों से संतुष्ट होने पर सेना मुख्यालय अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव करता है और उस पर रक्षा अधिग्रहण परिषद (डी ए सी)/रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड (डी पी बी) का अनुमोदन प्राप्त करता है। ऐसा करते समय प्रथम ऑफ प्रोडक्शन मॉडल (एफ ओ पी एम) के रूप में सीमित वैधीकरण परीक्षणों अथवा परीक्षणों के अधित्याग की आवश्यकता पर भी अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

अग्रिमों के भुगतान तथा अन्य भुगतानों, सुपुर्दगी, प्रतिष्ठापन, कमीशनिंग, पुर्जों की सहायता, निरीक्षण, प्रशिक्षण आदि सहित अनुबंधों का निष्पादन अनुबंध में दर्शाई गई शर्तों के अनुसार किया जाता है। जहां उपकरण का विकास होता है तथा उत्पादन रक्षा पी एस यू में होता है, एफ ओ पी एम का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसके सफल मूल्यांकन पर थोक उत्पादन अनुमति (बी पी सी) प्रदान की जाती है।

⁵⁶ नौ डी पी एस यू हैं: 1. एच ए एल- हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, 2. बी ई एल-भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 3. बी ई एम एल- भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, 4. एम डी एल- मजगांव डॉक लिमिटेड, 5. जी आर एस ई- गार्डन रिसर्च शिप एस्टेबलिशमेंट, 6. जी एस एल- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, 7. बी डी एल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, 8. मिधानी- मिश्रधातु निगम लिमिटेड एवं 9. एच एस एल- हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड।

⁵⁷ डी ए सी का अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है, जो रु. 300 करोड़ से अधिक धन मूल्य के अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अनुमोदन देता है।

⁵⁸ डी पी बी का अध्यक्ष रक्षा सचिव होता है, जो रु. 150 करोड़ से रु. 300 करोड़ तक के धन मूल्य के अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अनुमोदन देता है।

⁵⁹ प्रवर्गीकरण समिति का अध्यक्ष सह सेनाध्यक्ष (वी सी ओ ए एस) है, जो रु. 150 करोड़ से कम धन मूल्य के अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अनुमोदन देता है।

8.1.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

सेना की XI योजना (2007-2012) के दौरान, 180 पूंजीगत अनुबन्ध किए गए थे, जिनमें से 56 अनुबंध डी पी सी यू के साथ किए गए थे, जिनमें से 18 अनुबंधों में विलम्ब हुआ जैसा कि निम्नलिखित तालिका-19 में दर्शाया गया है:

तालिका-19: 11 वीं योजना (2007-12) के दौरान किए गए अनुबंधों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	अनुबंधों की सं.	धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1	11 वीं योजना के दौरान सेना के लिए कुल पूंजीगत अनुबंध	180	63,173
2	डी पी एस यू को छोड़कर अन्य के साथ अनुबंध	124 (69)	15,753 (25)
3	11 वीं योजना के दौरान डी पी एस यू के साथ पूंजीगत अनुबंध	56 (31)	47,420 (75)
4	डी पी एस यू अनुबंध जहां विलम्ब हुआ	18 (32)	30,098 (63)

नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक प्रतिशतता दर्शाते हैं।

हमने ₹30,098 करोड़ मूल्य (डी पी एस यू अनुबंधों के कुल मूल्य का 63%) के 18 अनुबंधों की जांच की, जहां अनुबंधों में निर्धारित सम्भावित समापन तिथि (पी डी सी) के बीत जाने के बावजूद डी पी एस यू द्वारा जुलाई 2015 तक आपूर्तियां पूरी नहीं की गई थीं जैसा कि **अनुलग्नक-X** में दर्शाया गया है।

8.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

- यह आकलन करना कि क्या डी पी एस यू के साथ अनुबंध प्रयोक्ता मांग के समनुरूप थे;
- परियोजना शुरू करने से पहले सुनिश्चित योजना तथा व्यवहार्यता की सीमा का आकलन करना;
- स्वदेशीकरण/आत्म-निर्भरता के प्रति मंत्रालय/डी पी एस यू द्वारा किए गए प्रयासों की सीमा का आकलन करना;
- अधिप्राप्ति प्रक्रिया में कार्यक्षमता, प्रभावकारिता, वास्तविकता तथा पारदर्शिता का आकलन करना; तथा
- एम ओ डी तथा सेना मुख्यालय में पश्च अनुबंध मॉनिटरिंग तन्त्र की प्रभावकारिता का पता लगाना।

8.1.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड (एम ए बी), बेंगलूरु से संयुक्त रूप से चुने गए लेखापरीक्षा दल के साथ महानिदेशक लेखापरीक्षा (रक्षा सेवाएं) (डी जी ए डी एस) द्वारा की गई थी। डी जी ए डी एस ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग एवं अधिग्रहण विंग, सेना मुख्यालय के संबंधित निदेशालयों (निदेशालय) अर्थात् प्रयोक्ता निदेशालय, शस्त्र एवं उपकरण (डब्ल्यू ई) निदेशालय, वित्तीय योजना (एफ पी) निदेशालय, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय की लेखापरीक्षा की तथा एम ए बी बेंगलूरु ने चयनित चार⁶⁰ डी पी एस यू की लेखापरीक्षा की। लेखापरीक्षा अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी तथा अगस्त 2015 में पूरी की गई थी। सेना मुख्यालय द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर निष्कर्षों को दिसंबर 2015 तक उपयुक्त रूप में अद्यतन किया गया था।

8.1.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अनुबंधों का प्रबंध दो अवस्थाओं अर्थात् पूर्व अनुबंध अवस्था तथा पश्च अनुबंध अवस्था में प्रोसेस किया जाता है। लेखापरीक्षा में हमने डी पी एस यू के साथ पश्च अनुबंध प्रबंधन की जांच की और देखा कि डी पी एस यू द्वारा विभिन्न अवस्थाओं पर निष्पादन में अत्यधिक विलंब हुआ था। 18 अनुबंधों में उनकी संभावित समापन तिथियां (पी डी सी) के प्रति चार डी पी एस यू द्वारा की गई आपूर्तियों के संबंध में 31 जुलाई 2015 तक वर्तमान स्थिति तथा किया गया भुगतान **अनुलग्नक- XI** में दर्शाया गया है।

हमने देखा कि 18 चयनित अनुबंधों में से नौ में आपूर्तियां पूरी हो गई थीं अथवा लगभग पूरी होने की प्रक्रिया में थीं, हालांकि इसमें 19 से 48 महीनों तक विलंब हुआ था। शेष नौ अनुबंधों में, जो उच्च मूल्य (₹24,459) करोड़ के थे और सेना के आधुनिकीकरण या क्षमता संवर्धन हेतु थे, आपूर्तियां या तो आरंभ ही नहीं की गई थी या फिर आरंभिक दशाओं में ही थीं। हमने इन नौ अनुबंधों की विस्तार से जांच की और पाया कि यद्यपि दो अनुबंधों में (आकाश मिसाइलें और शिल्का गन) आपूर्ति शुरू की गई थी, फिर भी दो वर्षों से अधिक का विलंब हुआ और अनुमोदित सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार आपूर्ति पूरी होने में कम से कम चार से पाँच वर्ष लग जाएंगे। शेष सात अनुबंधों में, जुलाई 2015 तक संशोधित सुपुर्दगी कार्यक्रम को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। यह विलम्ब इस तथ्य के बावजूद था कि ₹4,067.78 करोड़ के अग्रिम भुगतान तथा अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार ₹6,173.41 करोड़ के बाद के भुगतान 31 जुलाई 2015 तक किए गए थे। इस प्रकार, ₹10,241.19 करोड़ का भुगतान करने के बावजूद जो अनुबंधों के कुल मूल्य का 42 प्रतिशत था, नौ अनुबंधों

⁶⁰ लेखापरीक्षा में चयनित चार डी पी एस यू थे: 1 एच ए एल, 2 बी ई एम एल, 3 बी डी एल तथा 4 बी ई एल।

के प्रति वास्तविक आपूर्ति नहीं हुई थी। हमने इन नौ अनुबंधों का विश्लेषण किया तथा विलम्ब के निम्नलिखित मुख्य कारण पाए:

- अनुबंध होने से पूर्व प्रयोक्ता मांग को फ्रीज़ न करना - (ए एल एच- डब्ल्यू एस आई, आकाश)
- विकास/आशोधन परियोजना के पूरा होने से पहले आपूर्ति आदेश/अनुबंध देना - (ए एल एच- डब्ल्यू एस आई, एस बी एस)
- थोक उत्पादन अनुमति (बी पी सी) प्रदान करने के लिए पायलट नमूना अर्थात् प्रथम ऑफ प्रोडक्शन नमूना (एफ ओ पी एम) प्रस्तुत करने में विलम्ब - (आकाश, शिल्का, बी एस एस, एस बी एस)
- एफ ओ पी एम के सफल मूल्यांकन में विलम्ब, आपूर्त उत्पादों में बार-बार कई गुणवत्ता समस्याएं - (शिल्का, के यू- बैंड के लिए टी एस टी, एस टी एस यू)
- विदेशी विक्रेताओं/स्थानीय उप-विक्रेताओं पर डी पी एस यू की भारी निर्भरता - (ए एल एच, डब्ल्यू एस आई- आकाश, शिल्का)
- संविदागत शर्तों में अस्पष्टता - (ए आर वी, बी एस एस, सी आई डी एस एस)
- सेना द्वारा समय पर क्रेता तैयार उपकरण (बी एफ ई) वाहनों की आपूर्ति न करना - (बी एस एस, के यू बैंड के लिए, टी एस टी)

विलम्ब का विस्तृत विश्लेषण तथा विलम्ब के प्रभाव की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है:

8.1.5.1 उन्नत हल्के हेलिकॉप्टरों - (ए एल एच) शस्त्र प्रणाली एकीकृत (डब्ल्यू एस आई) की अधिप्राप्ति

सेना ने युद्ध सहायता तथा बक्तरबंद विरोधी भूमिका के निर्वाह तथा पूर्वोत्तर में प्रति विद्रोह ऑपरेशनों सहित चल युद्ध-स्थिति में बक्तरबंद तथा यंत्र-सज्जित बलों को निकट हवाई सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक 10 ए एल एच- डब्ल्यू एस आई वाले छः सेना विमान स्क्वाड्रन (XI तथा XII योजना में तीन-तीन) बनाने की योजना बनाई।

सेना की मांग को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने ₹6295.54 करोड़ की कुल लागत पर 60 ए एल एच- डब्ल्यू एस आई की आपूर्ति के लिए दिसम्बर 2007 में मैसर्स एच ए एल के साथ एक अनुबंध किया। अनुबंध के अनुसार:

- 20 ए एल एच डब्ल्यू एस आई की सुपुर्दगी 2009-10 से 2011-12 (XI सेना योजना के दौरान) तक तथा 40 ए एल एच - डब्ल्यू एस आई की सुपुर्दगी 2012-13 से 2015-16 (XII सेना योजना के दौरान) तक की जानी थी। तथापि, यह सुपुर्दगी अगस्त 2008 तक शक्ति इंजन (विकासधीन) के प्रमाणीकरण की शर्त पर थी। नियोजित तिथि तक शक्ति इंजन के प्रमाणीकरण में किसी विलम्ब की दशा में सुपुर्दगी कार्यक्रम तदनुसार आशोधित कर दिया जाना था।
- क्रेता के निरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण तथा अधिकारी बोर्ड की स्वीकृति (अभिप्रेत स्थान पर फेरि के पूरा होने) की तिथि से ए एल एच- डब्ल्यू एस आई सुपुर्द कर दिया माना जाएगा।
- XI योजना के दौरान सुपुर्द किए जाने वाले ए एल एच-डब्ल्यू एस आई के लिए अग्रिम/प्रगामी भुगतान पहले किया जाना था तथा XII योजना के दौरान सुपुर्दगियों के लिए अग्रिम/प्रगामी भुगतान योजना के शुरू होने की तिथि से 18 महीने पहले अर्थात् 1 अक्टूबर 2010 से किया जाना था।

हमने देखा कि एच ए एल ने XI योजना के दौरान (मार्च 2012 तक) एक भी हेलिकॉप्टर की आपूर्ति नहीं की। जबकि मार्च 2013 तथा जून 2015 के बीच 17 ए एल एच- डब्ल्यू एस आई की आपूर्ति की गई थी, जिसे बार-बार विभिन्न खराबियों/त्रुटियों का उल्लेख करते हुए सेना द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था (अक्टूबर 2015)। समय पर आपूर्ति करने में विफलता दिसम्बर 2007 तथा जुलाई 2015 के बीच एच ए एल को किए गए ₹3550.85 करोड़ के अग्रिम एवं प्रगामी भुगतान के बावजूद थी, जिसमें XII योजना के दौरान आपूर्त किए जाने वाले हेलिकॉप्टरों के लिए अग्रिम भुगतान भी शामिल था। हमने यह भी देखा कि XI योजना के दौरान सुपुर्द किए जाने वाले 20 उपकरणों के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया गया भुगतान ₹1916.27 करोड़ था। अतः ₹1634.58 करोड़ का भुगतान XII योजना में की जाने वाली आपूर्तियों के प्रति था, जब XI योजना अवधि से संबंधित आपूर्ति भी शुरू नहीं हुई थी। यह अनुबंध की भुगतान शर्तों की भावना के विरुद्ध था, जिसमें निहित था कि XII योजना के दौरान सुपुर्द किए जाने वाले 40 ए एल एच के लिए अग्रिम का भुगतान एच ए एल द्वारा XI योजना के सुपुर्दगी कार्यक्रम के संतोषजनक अनुपालन के बाद ही किया जाना था। XII योजना के लिए निर्धारित सुपुर्दगियों के लिए अक्टूबर 2010 में किया गया अग्रिम भुगतान इस तथ्य के आलोक में अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है कि उस समय तक वायुयान के इंजन (शक्ति) का प्रमाणन भी नहीं किया गया था।

विलम्ब के कारण

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित थे:

- (क) शक्ति इंजन के विकास में विलम्ब,
(ख) ए एल एच के डब्ल्यू एस आई रूपान्तर अर्थात् मार्क IV के विकास में विलम्ब तथा
(ग) सेना द्वारा स्वीकृति की लम्बी प्रक्रिया।

(क) शक्ति इंजन के विकास में विलम्ब: एच ए एल ने ए एल एच में प्रयोग किए जाने वाले शक्ति नामक उच्च पॉवर के इंजन के सह-विकास दिसम्बर 2006 तक करने हेतु अगस्त 2000 में ओ ई एम (डुरबोमेका, फ्रांस) के साथ एक एम ओ यू किया। एच ए एल द्वारा विकसित शक्ति इंजन परिचालनात्मक मांग को पूरा नहीं किया (फरवरी 2007), विशेषकर अत्यधिक ऊंचाई पर ठण्डे अथवा गर्मी में। इंजन के पुनः डिजाईन के परिणामस्वरूप प्रमाणीकरण में विलम्ब हुआ जो अन्ततः 46 महीने के विलम्ब के पश्चात् अक्टूबर 2010 में किया गया था।

(ख) ए एल एच-डब्ल्यू एस आई का विकास: सुरक्षा की मंत्रिमंडल समिति (सी सी एस) ने ₹433.02 करोड़ की लागत पर एच ए एल द्वारा ए एल एच-डब्ल्यू एस आई के विकास हेतु 1998 में संस्वीकृति प्रदान की। उसे 36 महीने में पूरा किए जाने के लिए ₹600.16 करोड़ की संशोधित लागत पर मिशन उपकरण अर्थात् टैंक-रोधी गाइडेड मिसाइल (ए टी जी एम) तथा साइटिंग प्रणाली की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए जुलाई 2005 में संशोधित किया गया था। परियोजना की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए संचालन समिति के गठन हेतु भी संस्वीकृति प्रदान की गई थी। चूंकि विकास 36 महीने में पूरा नहीं हुआ था, अतः 10 वीं संचालन समिति की बैठक (अगस्त 2008) में डब्ल्यू एस आई परियोजना को दो चरणों में बांटने का निर्णय लिया गया था अर्थात् चरण-I जहां शस्त्रों एवं प्रणालियों की गुणात्मक मांग (क्यू आर) की पहले ही पहचान⁶¹ कर ली गई थी तथा चरण-II जहां शस्त्रों एवं प्रणालियों की क्यू आर की पहचान⁶² अभी की जानी थी। आगे यह भी निर्णय लिया गया था कि चरण-I के लिए पी डी सी जुलाई 2010 होगी तथा चरण-II के लिए एक पृथक प्रस्ताव सेवाओं द्वारा क्यू आर की पहचान किए जाने के बाद एच ए एल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

तथापि, परियोजना के चरण-I के विकास में विलम्ब हुआ था तथा ₹12.42 करोड़ की अतिरिक्त राशि के साथ सितम्बर 2014 तक समय बढ़ा दिया गया। ए एल एच डब्ल्यू एस आई के लिए प्रारंभिक परिचालन अनुमति (आई ओ सी) सैन्य उड़न

⁶¹ चरण 1-20 मि.मी. ट्यूरेंट गन, 70 मि.मी. रॉकेट, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, साइटिंग प्रणाली, हेलमेट पॉइंटिंग सिस्टम (एच पी एस), ई डब्ल्यू स््यूट, चमक एवं फूस वितरक, डिजिटल विडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम तथा बख्तरबन्द पेनल।

⁶² चरण-II- टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल (ए टी जी एम), डाटा लिंक, आई आर जैमर, परमाणु, जैव एवं रसायन सेंसर तथा बाधा परिहार प्रणाली/वायर कटर।

योग्यता प्रमाणीकरण⁶³ केन्द्र (सी ई एम आई एल ए सी) द्वारा फरवरी 2013 में प्रदान किया गया था। अन्तिम परिचालन अनुमति (एफ ओ सी) अभी तक (जुलाई 2015) प्रदान नहीं किया गया था।

हमने देखा कि विकास परियोजना को पूरा करने में विलम्ब मुख्यतः उप-विक्रेताओं को एच ए एल द्वारा आदेश देने में विलम्ब, प्रमाणीकरण की बार-बार आवश्यकता रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डी आर डी एल) से स्वदेशी नाग मिसाइल तथा यंत्र अनुसंधान तथा विकास स्थापना (आई आर डी ई) से साइटिंग प्रणाली की उपलब्धता में विलम्ब के कारण था। इसके अतिरिक्त चूंकि चरण II के लिए परिकल्पित शस्त्रों के क्यू आर को अभी अन्तिम रूप दिया जाना था (जुलाई 2015), अतः चरण II में काफी विलम्ब होगा।

(ग) प्रमाणीकरण के बावजूद सुपुर्द किए गए ए एल एच-डब्ल्यू एस आई की स्वीकृति में विलम्ब: अनुबंध की शर्तों के अनुसार, क्रेता के निरीक्षक अर्थात् ग्राहक निवासी निरीक्षक (सी आर आई) द्वारा उत्पादन स्थल पर प्रमाणीकरण के पश्चात् हेलिकॉप्टरों की स्वीकृति सेना द्वारा परेषिती स्थान पर ले जाने के लिए गठित अधिकारी बोर्ड (बी ओ ओ) द्वारा की जाएगी। भौतिक निरीक्षण संतोषजनक रूप में पूरा होने तथा परीक्षणों से संबंधित सभी दस्तावेजों के सत्यापन पर सी आर आई सिग्नल आउट प्रमाणपत्र जारी करता है। तत्पश्चात्, सेना मुख्यालय संबंधित स्क्वाड्रन को हेलिकॉप्टर प्राप्त करने के लिए सूचित करता है जो प्रत्येक हेलिकॉप्टर को स्वीकार करने के लिए मामला-दर मामला बी ओ ओ का गठन करता है। जैसा कि एच ए एल द्वारा बताया गया, जबकि हेलिकॉप्टर का उत्पादन खेपों में होता है और वे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं, बी ओ ओ हेलिकॉप्टरों की स्वीकृति एक-एक करके देता है, जिसमें समय लगता है।

हमने देखा कि सी आर आई द्वारा निरीक्षित हेलिकॉप्टर को बी ओ ओ से सत्यापित कराए जाने वाली स्थिति सेनाओं को ए एल एच की आपूर्ति हेतु एच ए एल के साथ किए गए अन्य अनुबंधों में नहीं थी।

विलम्ब का प्रभाव

- ए एल एच- डब्ल्यू एस आई की आपूर्ति में विलंब से 06 सेना विमानन स्क्वाड्रन की निर्माण योजना प्रभावित हुई थी, जिससे ग्राउंड बलों की परिचालन क्षमताओं के साथ समझौता करना पड़ा था।
- 509 कार्मिक तथा 13 ए एल एच- डब्ल्यू एस आई के प्राधिकरण के साथ 2013 में बनी एक सेना विमानन स्क्वाड्रन ए एल एच- डब्ल्यू एस आई

⁶³ सी ई एम आई एल ए सी- सैन्य उड़न योग्यता प्रमाणीकरण केन्द्र एक एजेंसी है जो चालू सेना विमान परियोजनाओं, उड़ान सुरक्षा के लिए उत्पादों तथा संघटकों का अनुमोदन करती है।

यूनिट के पास अपने निर्माण (मार्च 2016) के तीन वर्षों के बाद भी कोई बेड़ा विद्यमान नहीं था।

- अनुबंध की शर्तों की भावना के विरुद्ध XII योजना से संबंधित सुपुर्दगियों के लिए एच ए एल को ₹1,634.58 करोड़ तक का अग्रिम भुगतान किया गया था, जिससे सरकार को ₹670.07 करोड़ के ब्याज की हानि हुई थी।

8.1.5.2 बक्तरबंद रिकवरी वाहनों (ए आर वी) की अधिप्राप्ति

बक्तरबंद रिकवरी वाहन (ए आर वी), मैदानी परिचालनों के दौरान खराब युद्ध वाहनों जैसे टैंकों, ट्रॉल्स, पुल बिछाने वाले टैंकों (बी एल टी), हवाई रक्षा प्लेटफॉर्म, आदि की मरम्मत तथा रिकवरी सहायता प्रदान करने के लिए सेना में यंत्रयुक्त बलों को प्राधिकृत किए गए थे। 1,030 की कुल प्राधिकृत मात्रा के प्रति सेना के पास विभिन्न प्रकार तथा विंटेज (अक्टूबर 2011) के 826 ए आर वी थे। इनमें से 352 ए आर वी नवीनतम विंटेज अर्थात् डब्ल्यू जेड टी-3 श्रेणी के थे तथा मार्च 1999 तथा मार्च 2004 के बीच चरणों में बी ई एम एल से अधिप्राप्त किए गए थे। ए आर वी डब्ल्यू जेड टी-3 टैंक टी-72 चेसिस के आधार पर युद्ध वाहनों की रिकवरी के लिए होते हैं।

204 ए आर वी (1,030-826) की कमी को पूरा करने के लिए एम ओ डी ने ₹1,400.85 करोड़ की कुल लागत पर न्यूनतम 30 प्रतिशत स्वदेशी तत्व के साथ अक्टूबर 2011 में बी ई एम एल के साथ एक अनुबंध किया। दिसम्बर 2011 में बी ई एम एल को ₹280.17 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था।

अनुबंध के अनुसार बी ई एम एल को अगस्त 2012 में ए आर वी की सुपुर्दगी शुरू करनी थी तथा उसे अनुबंध के हस्ताक्षर होने के 36 महीने के अन्दर अर्थात् अक्टूबर 2014 तक पूरा करना था। तथापि, आपूर्ति अभी तक (जुलाई 2015) शुरू नहीं की जा सकी।

विलम्ब के कारण

अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् बी ई एम एल ने पहले आठ ए आर वी पूर्णतः गठित (एफ एफ) तथा शेष 196 सेमी नॉकड डाऊन/पूर्णतः नॉकड डाऊन (एस के डी/सी के डी) स्थितियों में देने के लिए एक विदेशी फर्म अर्थात् मैसर्स बूमर एस पी जेड ओ ओ, पोलेण्ड (बी यू एम ए आर) के साथ जनवरी 2012 में एक अनुबंध किया ताकि बी ई एम एल औसतन 35.44 प्रतिशत का प्रभावी रूप से स्वदेशीकरण कर सके। तथापि, सबसे पहले ए आर वी से 30 प्रतिशत स्वदेशीकरण हेतु रक्षा उत्पादन विभाग (डी पी पी) के ज़ोर देने पर बी ई एम एल ने फरवरी 2012 में बूमर के साथ अनुबंध संशोधित करवाया जिसमें बूमर औसत स्वदेशीकरण स्तर 35.44 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहने के साथ पहले ए आर वी से 30 प्रतिशत स्वदेशीकरण हेतु सहमत हो गई।

संशोधन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् बूमर कम्पनी के बोर्ड में मई 2012 में परिवर्तन हुए तथा नई प्रबंध समिति ने संशोधित अनुबंध को निष्पादित करने के लिए अगस्त 2012 में मना कर दिया। तत्पश्चात् मुद्दों का समाधान करने के लिए डी पी पी (सितम्बर 2012) के निदेशों पर बी ई एम एल ने इस संबंध में बूमर के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान यह उभर कर आया कि बूमर के पास समस्त बौद्धिक स्वत्वाधिकार नहीं थे और वह बी ई एम एल को प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण प्रदान करने का हकदार नहीं था। इसलिए, बी ई एम एल को एक दूसरी पॉलिस कम्पनी अर्थात् बूमर लेबेदी से सम्पर्क करना पड़ा जो मूल उपस्कर निर्माता (ओ ई एम) थी तथा प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण हेतु सक्षम थी। परिणामतः, बी ई एम एल ने विस्तारित सुपुर्दगी कार्यक्रम के लिए विनिमय दर परिवर्तन⁶⁴ (ई आर वी) खण्ड के प्रतिधारण तथा परिनिर्धारित हरजानों (एल डी) के छोड़ने सहित सुपुर्दगी अवधि के विस्तार (संशोधन जारी करने से 42 महीने) के अनुमोदन हेतु सेना मुख्यालय से अनुरोध किया (जनवरी 2014)। सेना मुख्यालय ने बी ई एम एल का प्रस्ताव एम ओ डी (अधिग्रहण विंग) के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया (फरवरी 2014)। बी ई एम एल का प्रस्ताव एम ओ डी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था (जुलाई 2015) और बी ई एम एल को विद्यमान शर्तों अर्थात् विलम्बित आपूर्ति के लिए एल डी तथा बिना ई आर वी लाभों के, 204 ए आर वी की आपूर्ति के लिए अनुबंध का सम्मान करने के लिए कहा गया और ऐसा न करने पर अनुबंध रद्द हो जाएगा। अनुबंध के प्रति आज तक (सितम्बर 2015) आगे कोई प्रगति नहीं हुई थी।

हमने देखा कि:

- ❖ चूंकि सेना के पास 1,030 की कुल प्राधिकृत मात्रा के प्रति 826 ए आर वी थे, अतः 204 ए आर वी की वर्तमान अधिप्राप्ति के बाद इस प्रकार के ए आर वी जो टी-72 चेसिस के समान चेसिस पर आधारित है, की और कोई आवश्यकता नहीं थी ए आर वी की भावी मांग के बिना, उसे पहले ए आर वी से न्यूनतम 30 प्रतिशत स्वदेशीकरण के साथ अधिप्राप्त करने का निर्णय अनुचित था, जिसके कारण आखिरकार अनुबंध का निष्पादन नहीं हुआ।
- ❖ बी ई एम एल ने बूमर के साथ अनुबंध किया, जो मूल उपस्कर निर्माता (ओ ई एम) नहीं थी और इसलिए स्वदेशीकरण हेतु बी ई एम एल को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने के लिए सक्षम नहीं थी। इस प्रकार बी ई एम एल की शुरु में ओ ई एम के साथ अनुबंध हस्ताक्षर करने में विफलता ने उनको ए आर वी की आपूर्ति हेतु अनुबंध का सम्मान करने के अयोग्य बना दिया।

⁶⁴ ई आर वी खण्ड भारतीय विक्रेताओं को उन्हें विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए लागू है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार ई आर वी खंड अनुबंध के मूल सुपुर्दगी कार्यक्रम के दौरान लागू है।

- ❖ दिसंबर 2011 में बी ई एम एल को ₹280.17 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था, जिसके प्रति बी ई एम एल द्वारा ए आर वी की आपूर्ति में कोई प्रगति की गई थी। जुलाई 2015 तक बी ई एम एल ने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए ओ ई एम के साथ अनुबंध को अंतिम रूप भी नहीं दिया है, जो एम ओ डी के प्रति अपने संविदात्मक दायित्व पूरा करने का पहला चरण था। अतः ₹280.17 करोड़ का अग्रिम बी ई एम एल के पास पड़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2015 तक ₹138.68 करोड़ के ब्याज की हानि हुई थी।

8.1.5.3 आकाश शस्त्र प्रणाली की अधिप्राप्ति

आकाश मिसाइल प्रणाली डी आर डी ओ द्वारा विकसित एक पराध्वनिक, भूतल-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (एस ए एम) प्रणाली है जिसको अधिकतम 25 कि.मी. की रेंज तक व्यापक प्रकार के हवाई खतरों से लड़ने की क्षमता है। इस प्रणाली की बहु दिशात्मक तथा बहु लक्ष्यों से लड़ने की क्षमता है।

हवाई खतरों के परिदृश्य की वर्धित तीव्रता तथा मारक क्षमता के कारण 1960 विंटेज की विद्यमान एल-70 गन प्रणाली अपेक्षित हवाई रक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है, इसलिए मिसाइल प्रणाली के अधिष्ठापन की आवश्यकता महसूस की गई थी। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डी ए सी) ने XI तथा XII योजनाओं के दौरान दो रेजिमेंटों के लिए आकाश प्रणाली की अधिप्राप्ति हेतु जून 2010 में आवश्यकता की स्वीकृति (ए ओ एन) प्रदान की। तदनुसार, ₹14,180.46 करोड़ की कुल लागत पर मार्च 2011 में मैसर्स बी डी एल के साथ एक अनुबंध किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रदेय वस्तुएं भी शामिल थीं जिन्हें जुलाई 2015 तक उनकी आपूर्ति स्थिति के साथ निम्न तालिका-20 में दर्शाई गई हैं:

तालिका-20 : प्रदेय वस्तुओं का पी डी सी सहित विवरण तथा आकाश शस्त्र प्रणाली की सुपुर्दगी स्थिति

क्र. सं.	मद	संख्या	कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	अनुबंध के अनुसार पी डी सी	आपूर्ति स्थिति (जुलाई 2015)
1.	मिसाइलें	2,040	8,156.93	2013-14 (152) 2014-15 (242) 2015-16 (436) 2016-17 (462) 2017-18 (540) 2018-19 (208) कुल- (2040)	32 50
2.	जमीनी सहायता उपकरण (जी एस)	332 (28 टाईप)	3,387.50	मार्च 2013 (33) मई 2015 (149)	21 49

	ई)			दिसं. 2016 (150)	
3.	अवसंरचना	22 मिसाइल भण्डारण भवन 3 मिसाइल तैयारी भवन एवं अन्य उपकरण	548.81	जून-2013 (1/3 ⁶⁵ भाग) जून-2015 (1/3 भाग) मार्च 2017 (1/3 भाग)	शून्य
4.	पुर्ज एवं विशेष औज़ार	लागू नहीं	1,150.93	जून 2015 तक पहली रेजिमेंट के लिए दिसम्बर 2016 तक दूसरी रेजिमेंट के लिए	शून्य
5.	साहित्य एवं सम्मुच्यों सहित प्रशिक्षण	लागू नहीं	338.63	लागू नहीं	शून्य
6.	जी पी एस एवं लेशिंग उपकरण	2 सैट प्रत्येक	5.00	लागू नहीं	शून्य
7.	सेना विशिष्ट वैधीकरण	लागू नहीं	160.98	1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 तक	जनवरी 2015
8.	प्रतिष्ठापन एवं कमीशनिंग	लागू नहीं	359.68	पहली रेजिमेंट-जुलाई से दिसम्बर 2015 दूसरी रेजिमेंट- जनवरी से दिसम्बर 2017	शून्य
9.	परियोजना सहायता	लागू नहीं	72.00	31 दिसम्बर 2016 तक	शून्य
		कुल	14180.46		

चूंकि अनुबंध दिसम्बर 2008 में हस्ताक्षरित आकाश मिसाइल प्रणाली के दो स्कवाड्रनों के लिए वायु सेना अनुबंध के पुनरादेश के रूप में किया गया था, अतः पहले ऑफ उत्पादन नमूने (एफ ओ पी एम) पर सेना विशिष्ट मांग हेतु सीमित वैधीकरण किया जाना था तथा अनुबंध के अनुसार मिसाइलें एफ ओ पी एम पर परीक्षण पूरे होने के बाद शुरू होनी थी।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अनुबंध के निर्धारित सुपुर्दगी कार्यक्रम का ₹5,761.11 करोड़ के भुगतान (जुलाई 2015) के बावजूद पालन नहीं किया गया था। अनुबंध के अनुसार एफ ओ पी एम का वैधीकरण मार्च 2013 तक पूरा किया जाना था, तथापि उसे सेना द्वारा डिज़ाइन एवं क्यू आर को अन्तिम रूप दिए जाने में विलम्ब तथा जी एस ई की आपूर्ति में बी डी एल द्वारा विलम्ब के कारण लगभग दो वर्ष के विलम्ब के पश्चात् पूरा किया गया था। एफ ओ पी एम जनवरी 2015 में पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त, मार्च 2015 तक 394 मिसाइलें आपूर्त की

⁶⁵ मिसाइल भंडारण हेतु अवसंरचना चरणों में अर्थात् एक तिहाई जून 2013 तक, दो तिहाई जून 2015 तक और सारी मार्च 2017 तक सृजित की जानी थी।

जानी थी, जबकि जुलाई 2015 तक केवल 82 मिसाइलें आपूर्त की गई थीं। मई 2015 तक आपूर्त की जाने वाली 182 प्रकार की जी एस ई के प्रति जुलाई 2015 तक केवल 70 प्रकार की जी एस ई आपूर्त की गई थीं। जुलाई 2015 तक कोई अवसंरचना तथा पूर्ण एवं औजार नहीं सौंपे गए थे।

विलम्ब के कारण

विलम्ब के कारणों का विश्लेषण करते समय निम्नलिखित बातें उभर कर आईं :-

- अनुबंध होने के पश्चात् वायुसेना के लिए तैयार किए गए डिजाइन की तुलना में सेना ने जून 2012 में कुछ ज़मीनी सहायता उपकरण (डूप नियंत्रण केन्द्र, सामरिक उपग्रह टर्मिनल आदि) के डिजाइन में परिवर्तन किया था।
- बी डी एल समय पर उप विक्रेताओं से चल मस्तूल के लिए संघटकों की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं कर सका।
- बी डी एल द्वारा जांच हेतु प्रस्तुत कुछ उप-प्रणालियां जैसे ट्रांसमिटर, रिसीवर, उन्नत भूमि दिक्चालन प्रणाली, सिग्नल डाटा प्रोसेसर आदि प्रयोक्ता मांग के अनुरूप नहीं थीं और इसलिए बी डी एल द्वारा बाद में आशोधन तथा प्रयोक्ताओं द्वारा जांच करनी पड़ी थी।
- जब एफ ओ पी एम वैधीकरण हेतु तैयार था (फरवरी 2014), बी डी एल हवाई लक्ष्यों तथा अन्य अवसंरचना की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सका।

हमने देखा कि:

- ❖ ₹5,761.11 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि, जो अनुबंध के कुल मूल्य का 40.63 प्रतिशत थी, का भुगतान करने के बावजूद, शस्त्र प्रणाली की आपूर्ति में काफी विलम्ब हुआ था। परिणामतः सेना हवाई रक्षा के लिए चार दशक पुरानी एल-70 गन को जारी रखने के लिए मजबूर था तथा इस प्रकार वर्तमान हवाई खतरे के परिदृश्य में वर्धित तीव्रता तथा मारक क्षमता के प्रति तैयार नहीं थी।
- ❖ ₹2836.09 करोड़ का प्रारम्भिक अग्रिम मार्च 2011 में दिया गया था। एफ ओ पी एम वैधीकरण (34 महीने) तथा अवसंरचना (जुलाई 2015 तक 25 महीने) में विलम्ब के कारण सरकार को ब्याज के प्रति ₹1073.69 करोड़ की हानि हुई।

8.1.5.4 सर्वत्र पुल प्रणालियों (एस बी एस) की अधिप्राप्ति

सर्वत्र पुल प्रणाली (एस बी एस) एक मल्टी स्पैन असॉल्ट पुल प्रणाली है जिसका प्रयोग सेना के युद्ध इंजीनियरों द्वारा नहरों, नालों, शुष्क दरारों आदि जैसी बाधाओं को पार करने के लिए बहुत कम समय में भारी सेना वाहनों जैसे टैंकों द्वारा किया जाता है। 1978 से 1987 के दौरान चैकोस्लोवेकिया से आयात किए गए पुराने ए एम-50 पुलों को बदलने के लिए अन्य औद्योगिक साझेदारों के सहयोग से डी आर डी ओ (अनुसंधान एवं विकास स्थापना (इंजीनियर्स), पुणे) द्वारा पुल प्रणाली विकसित की गई थी तथा ₹85.43 करोड़ की लागत पर जून 2004 तक सेना को सीमित शृंखला उत्पादन (एल एस पी) के पाँच एस बी एस सुपुर्द किए गए थे।

एल एस पी पुलों की विकास अवस्था तथा उत्पादन के दौरान, एल एण्ड टी मुख्य भागीदार थी जिसके पास अधिरचना, लांचिंग तन्त्र तथा एस बी एस के एकीकरण की प्रौद्योगिकी थी जबकि बी ई एम एल का अनुभव केवल टाट्रा वाहन की आपूर्ति तक ही सीमित था जिस पर पुल एकीकृत किया गया था। उक्त जटिल प्रणाली के लिए अपेक्षित अवसंरचना, लीड समय तथा लागत विवक्षा के आधार पर डी आर डी ओ ने एस बी एस के लिए नोडल उत्पादन एजेंसी के रूप में एल एण्ड टी की सिफारिश की (2004)।

तथापि, मार्च 2005 में, इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद कि बी ई एम एल बाद में एस बी एस के प्रमुख संघटकों के लिए एल एण्ड टी पर निर्भर होगी, रक्षा उत्पादन विभाग (डी डी पी) ने एक नोडल उत्पादन एजेंसी के रूप में बी ई एम एल को नामित किया। क्षेत्र में कार्य के दौरान एल एस पी ऑर्डरों के प्रति आपूर्त पुलों में उनकी पार्श्विक स्थिरता तथा अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में खराबियां उत्पन्न हुईं। मार्च 2006 में, पुल के डिज़ाइन में आशोधन करने का निर्णय लिया गया था। बी ई एम एल द्वारा एक पुल लागत के बिना आशोधित किया गया था तथा परीक्षणों के लिए दिया गया था। फरवरी 2009 में एक आशोधित पुल के प्रयोक्ता परीक्षणों के समापन के पश्चात् ₹12.28 करोड़ की कुल लागत पर जुलाई 2010 में बी ई एम एल के साथ शेष चार पुलों के आशोधन हेतु एक अनुबंध हस्ताक्षर किया गया था।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 तक ए एम 50 पुलों को हटाने का काम पूरा करने के लिए बी ई एम एल को एकल विक्रेता के रूप में अगस्त 2010 में 22 एस बी एस के लिए ए ओ एन प्रदान किया गया था। तदनुसार, ₹573.98 करोड़ की कुल लागत पर बी ई एम एल के साथ मार्च 2012 में एक अनुबंध किया गया था तथा बी ई एम एल को ₹ 86.10 करोड़ का एक अग्रिम भुगतान किया गया था (मार्च 2012)। अनुबंध के अनुसार, पहला (पायलट) पुल अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 400 दिन के अन्दर अर्थात् 29 अप्रैल 2013 तक थोक उत्पादन अनुमति (बी पी सी) हेतु प्रस्तुत किया जाना था तथा शेष 21 पुलों की सुपुर्दगी बी पी सी के साढ़े तीन वर्ष के अन्दर

पूरी की जानी थी। तथापि, बी ई एम एल ने अभी तक (जुलाई 2015) पायलट पुल सुपुर्द नहीं किया था। बी ई एम एल ने नवम्बर 2015 तक पायलट नमूने की सुपुर्दगी का समय बढ़ाने हेतु तथा शेष 21 सेटों की सुपुर्दगी बी पी सी के साढ़े तीन वर्ष के अन्दर करने का अनुरोध किया (जून 2015), जो एम ओ डी में विचाराधीन था (अगस्त 2015)।

विलम्ब के कारण

हमने विलम्ब के कारणों का निम्न प्रकार से विश्लेषण किया:

बी ई एम एल पायलट पुल का निर्माण शुरू नहीं कर सका क्योंकि निरीक्षण हेतु प्रस्तुत आशोधित एल एस पी पुलों में उनके धातुकर्म के कारण घाट खम्भों के कब्जों और नटों में खराबी उत्पन्न हुई (मार्च-अप्रैल 2012) जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हो सकती है तथा पुल गिर सकता है। परिणामतः खराबियों के मूल कारण का पता लगाने के लिए डी आर डी ओ ने अगस्त 2012 में विफलता विश्लेषण बोर्ड का गठन किया, जिसने धातुकर्म में समुचित परिवर्तन करने की सिफारिश की (अप्रैल 2014)। हालांकि, डी आर डी ओ ने अक्टूबर 2012 में, बिना कब्जों तथा घाट खम्भों के पायलट पुल का उत्पादन जारी रखने के लिए बी ई एम एल को कहा। अक्टूबर 2012 में बी ई एम एल ने पायलट एस बी एस के उत्पादन हेतु अपने प्रमुख साझीदार (एल एण्ड टी) से सम्पर्क किया, जिसने पुल में प्रयुक्त एल्यूमिनियम के लिए अपेक्षित लम्बा लीड समय तथा उस समय तक 200 दिन पहले ही बीत जाने के कारण बताते हुए अप्रैल 2013 तक पायलट नमूने को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की। तथापि, बी ई एम एल ने केवल सितम्बर 2013 तथा नवम्बर 2013 के बीच सह-साझीदारों को ऑर्डर दिए। इस प्रकार, सह भागीदारों के साथ उनके अपने मुद्दों के कारण एक वर्ष का विलम्ब हुआ। डी आर डी ओ से अनुमोदन के बावजूद, बी ई एम एल ने कब्जों एवं घाट खम्भा नटों में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की अनिश्चितता के बहाने पायलट पुल का उत्पादन रोक दिया। यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये कुल कार्य क्षेत्र का केवल दो प्रतिशत था तथा उन्हें जैसा कि डी आर डी ओ द्वारा स्पष्ट किया गया था, अन्तिम अवस्था में पुल में एकीकृत किया जा सकता था।

हमने देखा कि :

- ❖ मार्च 2012 में बी ई एम एल को ₹86.10 करोड़ के अग्रिम भुगतान के बावजूद, बी ई एम एल ने निर्धारित तिथि (अप्रैल 2013) तक पायलट पुल की सुपुर्दगी के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की। परिणामतः एम ओ डी ने दिए गए अग्रिम पर ₹ 12.59 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

- ❖ 22 एस बी एस की अधिप्राप्ति युद्ध इंजीनियरों के पास पड़े पुराने ए एम-50 पुलों के प्रति थी तथा 2017 तक उन्हें चरण बद्ध ढंग से हटाने की योजना बनाई गई थी। सेना ने दोहराया (अक्टूबर 2012) कि ए एम-50 पुलों के लिए उपलब्ध सीमित पुर्जों के कारण 2017 के बाद इन पुलों को रखने से युद्ध इंजीनियरों की पुल बनाने की क्षमता पर गहरा प्रभाव होगा। इस प्रकार, एस बी एस की सुपर्दगी में अत्यधिक विलम्ब के कारण इंजीनियरों के कोरों की परिचालन क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

8.1.5.5 शिल्का शस्त्र प्रणाली का उन्नयन

शिल्का शस्त्र प्रणाली भारतीय सेना के पास उपलब्ध 1960 के दशक की प्रौद्योगिकी विंटेज की सभी मौसमों के लिए अनुरूप स्वयं चालित आत्म प्रणोदित हवाई रक्षा गन प्रणाली है, जो 1973 में (30 नग) तथा 1983 में (60 नग) रूस से आयात की गई थी। दिसम्बर 1997 में शिल्का को उन्नत करने का निर्णय किया गया था, क्योंकि विद्यमान प्रणाली में अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक्स⁶⁶ थे, तथापि, शस्त्र तथा मोटर-वाहन प्रणालियां सन्तोषजनक कार्य स्थिति में थीं तथा ओवरहॉल एवं सीमित उन्नयन के पश्चात् समकालीन प्रणाली के अनुरूप कार्य कर सकती थी। अतः यह माना गया था कि ओवरहॉल तथा सीमित उन्नयन के पश्चात् प्रणाली का 15 वर्ष और प्रयोग किया जा सकता था। 2000 में सेना मुख्यालय ने केवल 48 शिल्का को उन्नत करने तथा शेष को 2015-16 से हटाने का निर्णय लिया।

इन 48 शिल्का को उन्नत करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) कई विक्रेताओं को जारी किया गया था, जिनमें से मैसर्स बी ई एल एकल विक्रेता के रूप में उभर कर आया, जिसका अगस्त 2005 में आर एम द्वारा अनुमोदन किया गया था। एक प्रोटोटाईप विकसित करने के लिए अक्टूबर 2005 में बी ई एल को एक शिल्का माउंट सौंपा गया था। बी ई एल को शिल्का माउंट सौंपे जाने के छः से आठ सप्ताह के अन्दर परीक्षणों के लिए प्रोटोटाईप प्रदान करना था, तथापि उसमें बार-बार विलम्ब हुआ था। अन्ततः परीक्षण 2009 में पूरे किए गए थे तथा एफ ओ पी एम के लिए 15 महीने अर्थात् जून 2012 तक की पी डी सी के साथ ₹ 748.19 करोड़ की लागत पर मार्च 2011 में अनुबंध किया गया था। एफ ओ पी एम के सफल पुष्टि परीक्षणों पर थोक उत्पादन अनुमति (बी पी सी) प्रदान की जानी थी तथा आपूर्ति बी पी सी प्रदान करने से 42 महीने के अन्दर पूरी की जानी थी। ₹112.22 करोड़ का अग्रिम भुगतान मार्च 2011 में किया गया था।

एफ ओ पी एम परीक्षणों के लिए उन्नत शस्त्र प्रणाली में विलम्ब हुआ था क्योंकि वह बी ई एल द्वारा केवल मई 2014 में प्रस्तुत की गई थी। बी पी सी मंत्रालय

⁶⁶ अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अप्रचलित चल लक्ष्य संकेतक, अप्रभावी इलेक्ट्रॉनिक प्रति उपाय, अपर्याप्त मुख्य विद्युत आपूर्ति इकाई, अपर्याप्त पुर्जें आदि।

द्वारा अक्टूबर 2014 में प्रदान की गई थी तथा आपूर्ति अक्टूबर 2016 के प्रति अप्रैल 2018 तक प्रगामी रूप से पूरी की जाएगी। जुलाई 2015 तक, मैसर्स बी ई एल द्वारा 48 में से केवल चार शिल्का माउंट सुपुर्द किए गए थे।

विलम्ब के कारण

विलम्ब का मुख्य कारण यह था कि पुष्टि परीक्षणों के लिए एकीकृत एफ ओ पी एम प्रस्तुत करने से पूर्व उप-प्रणाली स्तर पर डी जी क्यू ए मूल्यांकन किया जाना था। तथापि, मैसर्स बी ई एल निर्धारित तिथि के अन्दर मूल्यांकन हेतु उप प्रणालियां प्रस्तुत नहीं कर सका। बी ई एल, 24 मुख्य उप प्रणालियों में से आठ में विदेशी विक्रेताओं पर निर्भर था। विदेशी विक्रेता द्वारा उप प्रणालियों की आपूर्ति में विलम्ब हुआ था, परिणामतः बी ई एल, डी जी क्यू ए मूल्यांकन हेतु उप प्रणाली प्रस्तुत नहीं कर सका।

हमने विलम्ब का निम्नलिखित प्रभाव देखा:-

- ❖ बी ई एल को मार्च 2011 में ₹112.22 करोड़ का अग्रिम दिया गया था, जबकि पहली शिल्का माउंट की सुपुर्दगी नवंबर 2014 में की गई थी। अनुबंध में अग्रिम के अप्रयुक्त भाग पर ब्याज के संबंध में समुचित प्रावधान के अभाव में आपूर्ति में विलम्ब के अतिरिक्त प्रदत्त अग्रिम पर ब्याज के रूप में ₹36.61 करोड़ की हानि भी हुई।
- ❖ 1997-98 के दौरान विचारित उन्नयन परियोजना अभी तक (जुलाई 2015) पूर्णतः प्राप्त नहीं की गई थी, जो दर्शाता है कि डी पी पी का मुख्य उद्देश्य अर्थात् शीघ्र अधिप्राप्ति तथा आत्म-निर्भरता की प्राप्ति काफी हद तक विफल हो गया था।
- ❖ अनुबंध के खण्ड 10 के अनुसार, सभी 48 शिल्का माउंट बी पी सी की तिथि से 42 महीने के अन्दर सुपुर्द किए जाने थे। तथापि, प्रति वर्ष सुपुर्दगी की मात्रा अनुबंध में निर्दिष्ट नहीं की गई थी। सुपुर्दगी की दर न दर्शाए जाने के कारण बी ई एल को उनकी अपनी सुविधा के अनुसार आपूर्ति करने की छूट प्रदान की।
- ❖ सैन्य हवाई रक्षा को शिल्का का पुराना रूपान्तर प्रयोग करना पड़ेगा जो 2015-16 में, तथा उन्नयन के बाद 2018 में, हटाए जाने के लिए देय था।

8.1.5.6 युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली (बी एस एस)- संजय तथा कमान सूचना एवं निर्णय सहायता प्रणाली (सी आई डी एस एस)- संवाहक के चरण-1 की अधिप्राप्ति

दो परियोजनाएं- युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली (बी एस एस) तथा कमान सूचना एवं निर्णय सहायता प्रणाली (सी आई डी एस एस), सेना में कमान, नियंत्रण, संचार तथा आसूचना (सी 3 आई) प्रणाली के स्वचालन परियोजना के संघटक हैं। स्वचालित सी 3 आई से हस्त्य प्रणाली की तुलना में कम प्रतिक्रिया समय में निर्णय लेने की सामयिकता तथा प्रभाविता में वृद्धि होगी।

बी एस एस सेंसरों की एक व्यवस्था है तथा इन सेंसरों से प्राप्त सूचना स्वतः प्रोसेस होगी तथा टेक सी 3 आई⁶⁷ के परिचालनों/प्रति उपायों की अपेक्षित योजना के लिए तथा समुचित निर्णय लेने के लिए सी आई डी एस एस द्वारा उचित कमान तथा शस्त्र नियंत्रण प्रणाली को प्रसारित की जाएगी।

बी एस एस परियोजना कृत्रिम ज्ञान एवं रोबोटिकी केन्द्र (सी ए आई आर, डी आर डी ओ प्रयोगशाला) के सहयोग में मैसर्स बी ई एल द्वारा दो चरणों में विकसित करने का विचार किया गया था, चरण-1 प्रणाली की व्यापक जांच तथा वैधीकरण करने के लिए टेस्ट बैड के रूप में तथा चरण-2 भारतीय सेना के सभी कोरों तथा डिविज़नों को सज्जित करने के लिए। चरण-1 के विकास हेतु आपूर्ति आदेश ₹34.92 करोड़ की लागत पर अगस्त 2002 में मैसर्स बी ई एल को दिया गया था तथा उसका सेना द्वारा जनवरी 2008 में अधिष्ठापन किया गया था। चरण-2 के लिए ए ओ एन नवम्बर 2008 में प्रदान किया गया था तथा ₹2,539 करोड़ की लागत पर मार्च 2011 में मैसर्स बी ई एल के साथ अनुबंध किया गया था। मैसर्स बी ई एल को मार्च 2011 में ₹345.89 करोड़ का एक अग्रिम दिया गया था। अनुबंध के अनुसार समतल/मरुस्थल तथा अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में वैधीकरण हेतु पहला ऑफ उत्पादन नमूना (एफ ओ पी एम), अनुबंध के 12 तथा 18 महीने के अन्दर अर्थात् क्रमशः मार्च 2012 तथा सितम्बर 2012 तक आपूर्ति किया जाना था। एफ ओ पी एम के वैधीकरण परीक्षणों के सफल समापन के पश्चात् थोक उत्पादन अनुमति (बी पी सी) प्रदान की जानी थी तथा आपूर्ति बी पी सी के 30 महीने के अन्दर पूरी की जानी थी। तथापि, दोनों रूपान्तरों के लिए वैधीकरण हेतु एफ ओ पी एम अभी प्रस्तुत किए जाने थे (जुलाई 2015)।

परियोजना सी आई डी एस एस तीन चरणों में पूरी की जानी है, पहले दो चरण टेस्ट बैड क्रियाकलाप हैं तथा तीसरा चरण परिचालनात्मक अवस्था है। चरण-1 के लिए

⁶⁷ टेक सी 3 आई, क्षेत्रीय परिदृश्य के निर्धारण तथा शीघ्रता से तथा प्रभावी ढंग में निर्णय लेने के लिए रेजिमेंटल/बटालियन स्तर से काप्स स्तर तक कमांडरों की सहायता के लिए सेना की कमान, नियंत्रण, संचार तथा आसूचना के स्वचालन के लिए एक परियोजना है।

संस्वीकृति ₹108.9 करोड़ की कुल लागत पर मंत्रालय द्वारा मई 1999 में प्रदान की गई थी जो पैदल सेना इकाईयों तथा नामित कोर अर्थात् 10 कोर के फॉर्मेशन में एकल विक्रेता के रूप में बी ई एल द्वारा शुरू की जानी थी तथा सितम्बर 2007 में पूरा किया गया था। चरण-II के लिए ए ओ एन, बी ई एल से एकल विक्रेता के रूप में डी ए सी द्वारा सितम्बर 2008 में प्रदान किया गया था। चरण-II का कार्य क्षेत्र दस कोरों के सभी आर्म्स को सी आई डी एस एस का विस्तार, टेक सी 3 आई के अन्य संघटकों के साथ एकीकरण, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का वैधीकरण और उसके पश्चात् एक स्ट्राइक कोर सज्जित करना था। प्रणाली के चरण-II के लिए अनुबंध ₹1,068.22 करोड़ (₹905 करोड़, ₹188.59 करोड़ के अनुरक्षण सहित बी ई एल से संबंधित है, ₹60 करोड़ डी आर डी ओ से संबंधित हैं तथा ₹103.22 करोड़ क्रेता तैयार उपकरण के रूप में) की कुल लागत पर मार्च 2011 में बी ई एल के साथ किया गया था। मैसर्स बी ई एल को ₹142.78 करोड़ का एक अग्रिम मार्च 2011 में दिया गया था। अनुबंध के अनुसार बी ई एल को टेस्ट बैड भाग-I जिसमें हार्डवेयर डिलीवरेबल्स, टेक सी 3 आई प्रयोगशाला के लिए एकीकरण सुविधा तथा सिविल कार्य शामिल थे, 12 महीने के अन्दर (मार्च 2012) तथा भाग II अनुबंध होने से 15 महीने (जून 2012) के अन्दर जिसमें एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर शामिल था, की सुपुर्दगी की जानी थी। समस्त टेस्ट बैड क्रियाकलाप जिनमें वैधीकरण परीक्षण, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का अनुमोदन, कारखाना स्वीकृति जांच, प्रतिष्ठापन तथा कमीशनिंग 30 महीने के अन्दर अर्थात् सितम्बर 2013 तक पूरे किए जाने थे। जुलाई 2015 तक वैधीकरण हेतु टेस्ट बैड की सुपुर्दगी अभी पूरी की जानी थी तथा उसमें तीन वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ था।

विलम्ब के कारण

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अनुबंध करते समय कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे टेक सी 3 आई के सभी संघटकों के लिए संयुक्त भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस), विभिन्न अवस्थाओं में सॉफ्टवेयर को पूरा करने के लिए समय-सीमा तथा कार्यक्षेत्र, सॉफ्टवेयर विकास की कार्यप्रणाली, अधिप्राप्ति से पूर्व हार्डवेयर की जांच और अनुमोदन, आदि अनुबंध में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किए गए थे।

अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् सेना ने अगस्त से अक्टूबर 2011 के दौरान बी ई एल को अधिप्राप्ति शुरू करने से पूर्व उनके हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के विनिर्देशनों की जांच करने का निदेश दिया। समीक्षा बैठकों के दौरान प्रयोक्ता ने सी आई डी एस एस तथा बी एस एस के बीच संयुक्त जी आई एस तथा सॉफ्टवेयर के विनिर्देशन में अन्य परिवर्तनों की मांग की जिनके लिए विक्रेता अनुबंध के कार्य क्षेत्र से बाहर माना गया था। प्रयोक्ता ने कहा कि बी ई एल ने दोनों अनुबंधों के कार्यक्षेत्र को गलत समझा था तथा सॉफ्टवेयर बनाने में देरी की थी। अनुबंधों की व्याख्या में अन्तर के कारण दिसम्बर 2012 से मार्च 2013 तक मध्यस्थता करवानी पड़ी। बाद

में सॉफ्टवेयर विकास कार्यप्रणाली के परस्पर सहमत सिद्धांत के आधार पर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का प्रगामी विकास तथा जांच करने का निर्णय लिया गया था (नवम्बर 2013)। परिणामतः बी ई एल ने बी एस एस के पहले एफ ओ पी एम की फील्डिंग तथा सी आई डी एस एस के टेस्ट बैड मूल्यांकन के पश्चात् लागत वृद्धि के साथ अनुबंधों में संशोधन की मांग की जिस पर प्रयोक्ताओं ने सहमति दे दी थी।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, संविदात्मक शर्तों में अस्पष्टता के कारण विक्रेता तथा प्रयोक्ता द्वारा अलग-अलग व्याख्या की गई जिसके परिणामस्वरूप निष्पादन में असाधारण विलम्ब हुआ।

जुलाई 2015 तक बी ई एल में बी एस एस के सॉफ्टवेयर विकास की इन-हाउस जांच पूरी कर ली गई थी तथा प्रयोक्ता द्वारा जांच सितम्बर 2015 तक शुरू होनी थी। अनुबंध के अनुसार बीटा जांच पूरी होने के बाद सॉफ्टवेयर को वैधीकरण परीक्षणों के लिए सिस्टम पर पोर्ट किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा प्रश्न ने उत्तर में सेना ने कहा (सितम्बर 2015) कि क्रेता द्वारा प्रस्तुत वाहन अर्थात् टाट्रा 8x8 2012 में प्रतिबंध के कारण उपलब्ध नहीं था जिससे परियोजना में और विलम्ब होगा।

सी आई डी एस एस के लिए सॉफ्टवेयर का विकास करने हेतु नई समय सीमा पर लेखापरीक्षा प्रश्न (मई 2014) के प्रति, सेना ने कहा (जून 2014) कि एस आई टी एफ में एक नेटवर्क पर्यावरण में उनके द्वारा एक बार बिल्ड 1.0 के स्थिर एवं एकीकृत रूपान्तर के सफलतापूर्वक प्रयोग होने पर, बिल्ड 2.0 तथा 3.0 की समय-सीमा दी जाएगी। जुलाई 2015 तक एस आई टी एफ में बिल्ड 1.0 का प्रयोग अभी शुरू किया जाना था (जुलाई 2015)।

हमने देखा कि:

- ❖ टेक सी 3 आई की अन्य संघटक परियोजनाओं के साथ बी एस एस तथा सी आई डी एस एस के एकीकरण की आवश्यकता तथा सॉफ्टवेयर गहन स्वरूप के आधार पर दोनों परियोजनाओं के लिए बी ई एल के साथ अनुबंध एकल विक्रेता के रूप में किए गए थे। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के मुख्य कारण एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के एकीकरण तथा विकास हेतु संयुक्त आवश्यकता है। इस प्रकार, बी ई एल के साथ टेक सी 3 आई परियोजनाओं के लिए सभी अनुबंध एकल विक्रेता के रूप में करने का मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था।
- ❖ सह सेनाध्यक्ष ने अगस्त 2012 में सी बी आई जांच के चलते टाट्रा वाहनों के लिए सभी अधिप्राप्ति मामलों के बन्द करने का निदेश दिया। तथापि, इस तथ्य के बावजूद कि मार्च 2011 में अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात् पर्याप्त समय (17 महीने) उपलब्ध था, सेना टाट्रा वाहनों के लिए ऑर्डर नहीं

दे सकी। सितम्बर 2015 तक सेना ने बी एफ ई के लिए ऑर्डर नहीं दिया हालांकि टाट्रा की अधिप्राप्ति पर प्रतिबंध नवम्बर 2014 में हटा लिया गया था।

- ❖ बी एस एस एवं सी आई डी एस एस की फील्डिंग में अत्यधिक विलम्ब से टेक सी 3 आई का कार्यान्वयन में और समय लगेगा। इसके अतिरिक्त, उनकी अनुपलब्धता आठ वर्ष से अधिक समय तक परिचालन के दौरान कम प्रतिक्रिया समय में निर्णय लेने की सामयिकता तथा सटीकता को प्रभावित करेगा।

8.1.5.7 के यू- बैंड परिवहनीय उपग्रह टर्मिनलों (टी एस टी) की अधिप्राप्ति

के यू- बैंड परिवहनीय उपग्रह टर्मिनल (टी एस टी), लघुतम एंटीना युक्त हल्के वाहनों पर लगाए जाने वाले आधुनिक संचार उपकरण है जो 30 मिनट से एक घंटे के अन्दर तैनात किया जा सकता है और सेना की विश्वसनीय, निरन्तर तथा सुरक्षित संचार प्रदान करता है। वर्तमान में भारतीय सेना के स्ट्राइक कोर बड़े आकार के एंटीना वाले परिवहनीय ट्रोपोस्केटर संचार टर्मिनलों पर निर्भर करती है और इसलिए शत्रु की हवाई कार्रवाई के लिए भेद्य है। ये टर्मिनल सेना में 1981 में शामिल किए गए थे जो अप्रचलित हो गए थे और 2001 में हटा लिए गए थे।

एक स्ट्राइक कोर की परिचालनात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए फास्ट ट्रेक प्रक्रिया (एफ टी पी) के अन्तर्गत 40 टी एस टी (बाद में 30 संशोधित किया गया) के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (ए ओ एन) जनवरी 2005 में प्रदान की गई थी तथा ₹ 30.02 करोड़ की कुल लागत पर 30 के यू बैंड⁶⁸ टी एस टी की अधिप्राप्ति के लिए जून 2009 में मैसर्स बी ई एल के साथ एक अनुबंध किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्यकलापों जैसे क्रेता द्वारा वाहनों की सुपुर्दगी, बी ई एल द्वारा स्वीकृति जांच पद्धति की तैयारी तथा सिग्नल निदेशालय द्वारा उसके अनुमोदन को पूरा करने के साथ-साथ सुपुर्दगी, अनुबंध करने के 12 महीने के अन्दर पूरी की जानी थी। एक स्ट्राइक कोर में टी एस टी की सफलतापूर्वक स्थापना के पश्चात् उसे अन्य स्ट्राइक कोरों में स्थापित करने की योजना बनाई गई थी।

अनुबंध के अनुसार टी एस टी स्थापित करने के लिए वाहन क्रेता द्वारा प्रदान किए जाने थे तथा बी ई एल द्वारा जून 2010 तक 30 टी एस टी सुपुर्द करने थे। दिसम्बर 2011 तक बी ई एल द्वारा ₹27.73 करोड़ मूल्य के टी एस टी के संघटक आपूर्त किए गए थे। दिसम्बर 2014 तक ₹25.07 करोड़ (अनुबंध की कुल लागत का 85 प्रतिशत) का भुगतान किया गया था। तथापि, सेना ने अभी टी एस टी

⁶⁸ उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त एक माईक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड

स्वीकार नहीं किया था क्योंकि उसकी स्वीकृति जांच प्रक्रिया (ए टी पी) प्रगति पर थी (जुलाई 2015)।

विलम्ब के कारण

सेना मुख्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ए टी पी में विलम्ब हुआ था क्योंकि ड्राफ्ट ए टी पी दस्तावेज, जो बी ई एल द्वारा सितम्बर 2009 (अनुबंध होने के तीन महीने के अन्दर) में प्रस्तुत किया जाना था, वास्वत में अगस्त 2012 में प्रस्तुत किया गया था और वह सिग्नल निदेशालय द्वारा अगस्त 2014 में अनुमोदित किया गया था। तत्पश्चात्, बी ई एल ने टी एस टी को अक्टूबर 2014 में ए टी पी के लिए प्रस्तुत किया परन्तु वह ए टी पी विनिर्देशनों को पूरा नहीं करता था। इस प्रकार ए टी पी पूरी नहीं थी (दिसम्बर 2015)।

हमने देखा कि:

- ❖ ए टी पी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बी ई एल द्वारा लिया गया समय लगभग तीन वर्ष था, जबकि अनुबंध में निर्धारित समय केवल तीन महीने था। इसके अतिरिक्त, सेना ने भी ए टी पी अनुमोदित करने में लगभग दो वर्ष का समय लिया।
- ❖ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर/संघटक थोड़े समय में ही अप्रचलित हो जाते हैं। चूंकि टी एस टी के अधिकतर संघटक दिसंबर 2011 से पहले अधिप्राप्त किए गए थे और जब तक टी एस टी प्रतिष्ठापित किए जाएंगे, सेना अप्रचलित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगी।

8.1.5.8 मोबाईल सेल्युलर संचार प्रणाली के लिए अंशदाता टर्मिनल गोपनीयता यूनिट (एम सी सी एस के लिए एस टी एस यू) की अधिप्राप्ति

मोबाईल सेल्युलर संचार प्रणाली (एम सी सी एस) को प्रति विद्रोह/प्रति उग्रवादी ऑपरेशनों में तैनात पहाड़ी फॉर्मेशन में संचार को सुधारने के लिए सेना में अधिष्ठापित किया गया है। एम सी सी एस उस प्रौद्योगिकी पर आधारित है जो बाजार में वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध है परन्तु उसमें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए उच्च ग्रेड एनक्रिप्शन नहीं है। इसलिए, संचार हेतु पूर्ण गोपनीयता हल प्रदान करने के लिए सेना ने एक स्वदेशी रूप से विकसित यंत्र जिसे अंशदाता टर्मिनल गोपनीयता यूनिट (एस टी एस यू) कहा जाता है, जो उच्च ग्रेड के एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर वाला मोबाईल हैंडसेट/स्थिर वायरलैस टर्मिनल (एफ डब्ल्यू टी) है, की आवश्यकता महसूस की।

एक एम सी सी एस यूनिट के लिए एस टी एस यू (मात्रा 5000) हेतु ए ओ एन नवम्बर 2004 में प्रदान किया गया था तथा उसे भारतीय विक्रेताओं से अधिप्राप्त

किया जाना था और उसके लिए ₹10.77 करोड़ की लागत पर दिसम्बर 2010 में बी ई एल के साथ अनुबंध किया गया था। दिसम्बर 2010 में बी ई एल को ₹93 लाख का एक अग्रिम दिया गया था। अनुबंध के अनुसार एस टी एस यू की सुपुर्दगी, अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के दो महीने के अन्दर गोपनीयता स्तर के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण गुप⁶⁹ (एस ए जी) की अनुमति के अधीन छः महीने में अर्थात् जून 2011 तक पूरी की जानी थी। तथापि, उसकी अभी सुपुर्दगी की जानी थी क्योंकि उपकरण का एस ए जी मूल्यांकन अभी तक लम्बित था (जुलाई 2015)।

विलम्ब के कारण

सेना मुख्यालय पर अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से विलम्ब के निम्नलिखित कारणों का पता चला:

- मैसर्स बी ई एल ने सबसे पहले जनवरी 2011 में एनक्रिप्टेड वाणिज्यिक रूप से ऑफ द शेल्फ (सी ओ टी एस) हैंडसेट एस ए जी मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया। तथापि, एस ए जी द्वारा मूल्यांकन दो महीने में पूरा नहीं किया गया था जैसा कि अनुबंध में परिकल्पित था। इसी बीच, नवम्बर 2011 में मूल्यांकन किया जाने वाला हैंडसेट अप्रचलित हो गया। तत्पश्चात्, अगस्त 2012 में बी ई एल ने एस ए जी मूल्यांकन हेतु एक और सी ओ टी एस हैंडसेट प्रस्तुत किया और वह भी मार्च 2014 तक अप्रचलित हो गया।
- मार्च 2014 में, बी ई एल ने सेना को बताया कि वे अपना हैंडसेट विकसित कर रहे थे क्योंकि सी ओ टी एस हैंडसेट अप्रचलित हो गया था और नया हैंडसेट एस ए जी को मूल्यांकन हेतु अप्रैल 2014 में प्रस्तुत किया जाएगा। सेना मुख्यालय ने कहा (जुलाई 2015) कि मई 2015 में आपूर्ति बी ई एल के हैंडसेट का मूल्यांकन किया जा रहा था और उसकी आपूर्ति एस ए जी द्वारा सफल मूल्यांकन पर निर्भर थी। इस प्रकार, जनवरी 2011 से आज तक (जुलाई 2015) अर्थात् चार वर्ष से अधिक के बाद भी एस टी एस यू का एस ए जी मूल्यांकन किया जा रहा था।

हमने देखा कि :

- ❖ एस ए जी ने अप्रैल 2011 में सूचित किया कि अपेक्षित सुरक्षा ग्रेडिंग ग्रेड 2⁷⁰ से अधिक नहीं हो सकती थी क्योंकि बी ई एल द्वारा प्रस्तुत एस टी एस यू एक सी ओ टी एस मद थी। यदि बी ई एल शुरू में ही आर एफ पी

⁶⁹ एस ए जी- डी आर डी ओ द्वारा प्रस्तुत, जो रक्षा उपकरण की साईफर नीति पर निर्णय लेती है तथा सुरक्षा स्तर का मूल्यांकन और ग्रेड करती है।

⁷⁰ ग्रेड-2- एस ए जी द्वारा उन सी ओ टी एस मदों को प्रदान किया जाता है जो गोपनीय सूचना के लिए एक सप्ताह का कवर टाइम प्रदान करते हैं।

के अनुसार स्वदेशी रूप से विकसित एस टी एस यू आपूर्त कर देती तो एस ए जी द्वारा पहली बार में ही अनुमोदन हो जाता।

- ❖ एस ए जी मूल्यांकन के सफलतापूर्वक पूरा होने तक बी पी सी प्रदान नहीं की जा सकी और परिणामतः एस टी एस यू एम सी सी एस के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- ❖ दिसम्बर 2010 में ₹93 लाख के भुगतान के बावजूद, एम सी सी एस यूनिट चार वर्ष से अधिक से असुरक्षित माहौल में संचार करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षित उपकरण की आपूर्ति में विलम्ब के कारण सेना के शेष एम सी सी एस यूनिटों के एस टी एस यू को असुरक्षित माहौल में ही संचार करना पड़ेगा।

8.1.6 मॉनीटरिंग तन्त्र

एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद अनुबंध की प्रभावी मॉनीटरिंग एवं कार्यान्वयन, जिसमें महत्वपूर्ण पहलू जैसे उपकरण की सुपुर्दगी, भुगतान, निरीक्षण, उपकरणों का उपयोग तथा अनुबंध में संशोधन आदि शामिल हैं, अनुबंध के सामयिक निष्पादन तथा प्रयोक्ता की सन्तुष्टि के लिए अपेक्षित है। हमने देखा कि सेना मुख्यालय में पश्च-अनुबंध प्रबंधन तथा रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) अधिग्रहण विंग तथा रक्षा उत्पादन विभाग (डी डी पी) द्वारा उनकी मॉनीटरिंग प्रभावी नहीं थीं जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

8.1.6.1 सेना मुख्यालय पर पश्च अनुबंध प्रबंधन (पी सी एम)

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डी ए सी) का गठन पूंजीगत अधिग्रहण योजना को 'सैद्धान्तिक' अनुमोदन प्रदान करने के लिए किया गया है और वह प्रत्येक पूंजीगत अधिप्राप्ति मामले के लिए ए ओ एन भी प्रदान करती है। डी ए सी के द्वारा लिए गये निर्णय रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड (डी पी बी) द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। उसके कामकाज में डी पी बी की सहायता के लिए एम ओ डी में एक अधिग्रहण विंग है जिसका अध्यक्ष महानिदेशक (डी जी) अधिग्रहण है, और उसका रक्षा, वित्त विभाग तथा सेवा मुख्यालय के अधिकारियों के साथ एक एकीकृत ढांचा है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि जबकि अनुबंध प्रशासन तथा प्रबंधन का उत्तरदायित्व संबंधित सेवा मुख्यालय (सेना मुख्यालय) का है, पश्च अनुबंध मॉनीटरिंग एम ओ डी के अधिग्रहण विंग द्वारा की जाएगी। फरवरी 2007 में, मॉनीटरिंग प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए मंडलीय बैठक जिसमें सेना मुख्यालय के सभी संबंधित निदेशालयों ने भाग लिया था, आयोजित की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि आयुध शाखा के मास्टर्ज जनरल (एम जी ओ) के उप महानिदेशक अधिप्राप्ति (डी डी जी अधि) स्वदेशी पूंजीगत अनुबंधों के मामले में एकल बिन्दु नोडल एजेंसी के रूप

में कार्य करेंगे तथा पश्च अनुबंध क्रियाकलापों से संबंधित फाईलें उनके माध्यम से भेजी जाएंगी। अप्रैल 2012 में, शस्त्र तथा उपकरण (डब्ल्यू ई) निदेशालय, सेना मुख्यालय में अनुबंधकर्ता एजेंसी ने अनुबंध में संशोधन हेतु प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए उप सेनाध्यक्ष (पी एण्ड एस) के अनुमोदन से अनुदेश जारी किए। उसके अनुसार, अनुबंध में कोई भी संशोधन डब्ल्यू ई निदेशालय द्वारा डील किया जाएगा तथा पश्च-अनुबंध प्रबंधन का उत्तरदायित्व एम जी ओ शाखा के पास होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त निर्धारित मॉनीटरिंग तन्त्र का डी डी जी (अधि.) द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था। समस्त पश्च अनुबंध कार्यक्रम के ब्योरे मांगने वाले एक लेखापरीक्षा प्रश्न (जुलाई 2015) के उत्तर में डी डी जी (अधि.) ने कहा (अगस्त 2015) कि उनका काम केवल विक्रेता को भुगतान हेतु बिलों की प्रोसेसिंग करना ही था। आगे एम ओ डी में अधिग्रहण विंग के पश्च अनुबंध क्रियाकलापों की जांच के दौरान पश्च अनुबंध मॉनीटरिंग से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी देखा गया था कि डी ए सी तथा डी पी बी के कार्यसूची में पूंजीगत अनुबंध के पश्च-अनुबंध प्रबंधन का कोई मुद्दा शामिल नहीं था। ये तथ्य स्पष्टतः इंगित करते हैं कि पश्च अनुबंध प्रबंधन की पर्याप्त मॉनीटरिंग नहीं की जा रही थी।

8.1.6.2 रक्षा उत्पादन विभाग पर पश्च अनुबंध प्रबंधन

रक्षा उत्पादन विभाग (डी डी पी), रक्षा उत्पादन, आयातित भण्डारों का स्वदेशीकरण, उपकरण एवं पुर्जों, आयुध निर्माणी तथा डी पी एस यू के विभागीय उत्पादन यूनितों की योजना तथा नियंत्रण को देखता है। सचिव रक्षा उत्पादन, पूंजीगत अधिग्रहण के निर्णय लेने वाले निकायों अर्थात् आर एम की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद् तथा रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाले रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड का भी सदस्य है। तथापि, पूंजीगत अधिग्रहण प्रक्रिया में डी डी पी, सामान्य स्टाफ गुणात्मक मांग (जी एस क्यू आर) अनुमोदन, आवश्यकता की स्वीकृति (ए ओ एन) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन, यदि लागू हो, के स्तर पर लिप्त रहता है।

हमने देखा कि डी पी एस यू के साथ किए गए पूंजीगत अनुबंधों के निष्पादन को मॉनीटर करने के लिए डी डी पी में कोई सुनियोजित तन्त्र नहीं था। डी पी एस यू के साथ किए गए अनुबंधों को मॉनीटर करने वाली प्रक्रिया पर लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में डी डी पी ने कहा कि उन्होंने अनुबंधों की मॉनीटरिंग मासिक डी ओ पत्र, समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) प्रगति पर पत्राचार आदि के माध्यम से डी पी एस यू से प्राप्त सूचना के आधार पर की थी। जब लेखापरीक्षा ने XI योजना के दौरान संबंधित डी पी एस यू के साथ किए गए पूंजीगत अनुबंधों की सूची के लिए पूछा तो वह तत्काल उपलब्ध नहीं कराई गई थी। बाद में, डी पी एस यू से प्राप्त सूचियां हमें उसी रूप में भेजी गई थीं। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डी डी पी के पास पी सी एम क्रियाकलापों को मॉनीटर करने के लिए भी कोई तन्त्र नहीं है क्योंकि न तो डी पी एस यू के पास पूंजीगत अनुबंधों के लिए कोई डाटाबेस था और न ही

अनुबंध करते समय कोई फाईलें अनुरक्षित की गई थीं। डी डी पी तभी सामने आती है जब डी पी एस यू अथवा अन्य विभाग उन्हें मामला भेजते हैं।

इस प्रकार, सेना मुख्यालय द्वारा पश्च अनुबंध प्रशासन एवं प्रबंधन तथा अधिग्रहण विंग द्वारा उनकी मॉनीटरिंग अप्रभावी थी। इसके अतिरिक्त, डी डी पी ने डी पी एस यू द्वारा अनुबंधों के सामयिक अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डी पी एस यू के साथ किए गए सभी अनुबंधों पर कोई सुनियोजित अनुवर्ती तन्त्र नहीं बनाया।

8.1.7 निष्कर्ष

सेना की परिचालनात्मक तैयारी को बढ़ाने के लिए एक दशक पहले शुरू की गई विभिन्न योजनाएं उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु XI योजना (2007-12) के दौरान डी पी एस यू के साथ किए गए अनुबंधों तथा उन्हें किए गए ₹10,241.19 करोड़ के भुगतान के बाद भी अभी तक (जुलाई 2015) फलीभूत नहीं हुई। इसके अतिरिक्त सरकार को डी पी एस यू को अग्रिम भुगतान की गई राशि पर उद्भूत ब्याज के प्रति ₹1931.64 करोड़ की हानि हुई थी, जिसका सार नीचे दिया गया है:

- एच ए एल द्वारा ए एल एच-डब्ल्यू एस आई के विकास में 55 महीने के विलम्ब तथा उसकी गुणवत्ता समस्याओं के सुधार में और विलम्ब से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जहां ₹3,550.85 करोड़ (56 प्रतिशत) के भुगतान के बावजूद, जुलाई 2015 तक एक भी हेलिकाप्टर को फेरिआउट नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध में भुगतान की शर्तें बनाते समय सरकारी हित की रक्षा नहीं की गई थी क्योंकि XI योजना के लक्ष्यों के पूरा होने से भी पहले XII योजना में प्रदेय वस्तुओं के लिए ₹1,634.58 करोड़ का भुगतान करना पड़ा था। सरकार को किए गए भुगतान (₹ 1634.58 करोड़) पर ब्याज के रूप में ₹670.07 करोड़ तक की हानि उठानी पड़ी थी।
- चार दशक पुरानी एल-70 गन प्रणाली को बदलने के लिए अभिप्रेत पहले ऑफ उत्पादन नमूने (एफ ओ पी एम) में 34 महीने के विलम्ब तथा बी डी एल से आकाश मिसाइल प्रणाली की अवसंरचना की उपलब्धता में 25 महीने के विलम्ब का न केवल परिचालनात्मक तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, बल्कि उसका ₹1,073.69 करोड़ के ब्याज की हानि के रूप में वित्तीय निहितार्थ भी था।
- विदेशी विक्रेता/सह-भागीदार पर भारी निर्भरता के कारण बी ई एम एल, 35 महीने के विलम्ब के बाद भी बक्तरबंद रिकवरी वाहन (ए आर वी डब्ल्यू जेड टी- 3) की आपूर्ति शुरू नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, बी ई एम एल 27 महीने के विलम्ब के पश्चात् भी सर्वत्र पुल प्रणाली का एफ ओ पी एम प्रस्तुत नहीं कर सकी। परिणामतः सेना की परिचालनात्मक तैयारी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी तथा साथ ही अप्रयुक्त अग्रिम पर उद्भूत ₹138.68 करोड़ के ब्याज की हानि के माध्यम से सरकारी कोष पर बोझ भी पड़ा।

- बी ई एल ने 23 महीने के विलम्ब से उन्नत शिल्का गन का एफ ओ पी एम प्रस्तुत किया, क्योंकि बी ई एल ने विदेशी विक्रेताओं से 36 प्रतिशत संघटक आयात किए थे जिसमें विलम्ब हुआ। परिणामतः उन्हें दिए गए अग्रिम पर ब्याज के प्रति ₹36.61 करोड़ की हानि हुई थी। इस प्रकार सैन्य हवाई रक्षा उन्नत रूपान्तर की उपलब्धता तक शिल्का गन का प्रयोग करेगी जो अन्यथा हटाने के लिए देय था।
- बी ई एल द्वारा युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली तथा कमान सूचना निर्णय सहायता प्रणाली (स्वचालन परियोजना अर्थात् सेना की टेक सी 3 आई का भाग) की फील्डिंग में बी 40 महीने का अत्यधिक विलम्ब युद्ध-क्षेत्र में कम प्रतिक्रिया समय में निर्णय लेने की सामयिकता तथा प्रभाविता में बाधा डालेगा।
- चार से अधिक वर्ष के विलम्ब के बावजूद, बी ई एल संचार उपकरणों अर्थात् के यू-बैंड के लिए परिवहनीय उपग्रह टर्मिनलों तथा मोबाइल सेल्यूलर संचार प्रणाली के लिए अंशदाता टर्मिनल गोपनीयता यूनिट विकसित नहीं कर सकी, जो क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा प्रयोग के लिए हैं तथा परिचालनों के दौरान अनिवार्य हैं।

सिफारिशें

- सभी अग्रिम भुगतानों के संदर्भ में यह सूचित किया जाना चाहिए कि किस प्रयोजन हेतु और किस समय तक भुगतानों का उपयोग किया जाए और बाद में डी पी एस यू तथा प्रयोक्ता से संयुक्त रूप से एक उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए। निर्धारित समय के अंदर वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग न की गई राशि पर दंडात्मक ब्याज की वसूली के लिए एक खंड शामिल किया जाए।
- चूँकि डी पी एस यू के संविदात्मक दायित्व अनुबंध के निष्पादन के साथ आरंभ होते हैं, जिसके बाद अग्रिम का भुगतान भी किया जाता है, इसलिए परिनिर्धारित हानियां थोक उत्पादन अनुमति के बजाय अनुबंध की प्रभावी तिथि से लगाई जाए।
- अनुबंध जिनमें डिजाइन एवं विकास शामिल हों, प्रयोक्ताओं की गुणात्मक मांग को स्थिर किए जाने के बाद ही किए जाने चाहिए।
- उच्च मूल्य पूंजीगत अनुबंधों के प्रति शीघ्र आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए एम ओ डी तथा सेना मुख्यालय में प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाए।

मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद

8.2 सीमा शुल्क की छूट का लाभ न उठाने के कारण परिहार्य हानि

दत्त सीमा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए दावा करने में विलंब के कारण ₹1.30 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद (कंपनी) ने ₹11.30 करोड़ की कुल लागत पर कोलम्बियम मिश्र धातु सी 103 शीटों (135 नं./1445 कि.ग्रा.) के विनिर्माण एवं आपूर्ति हेतु विक्रम साराबाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम (वी एस एस सी) के साथ संविदा की (जनवरी 2011)। कंपनी के सामग्री अधिप्राप्ति कक्ष (एम पी सी) ने 3000 कि.ग्रा. नयोबियम की आपूर्ति हेतु मेसर्स षोषू सीमेन्टेड कार्बिडे वक्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन को (अप्रैल 2011) और 400 कि.ग्रा. हाफनियम की आपूर्ति हेतु मेसर्स ए बी एस इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस लिमिटेड, युनाइटेड किंगडम को (सितंबर 2011) क्रयादेश दिए। नयोबियम और हाफनियम क्रमशः सितंबर 2011 और दिसंबर 2011 में प्राप्त हुई।

संविदा में प्रावधान था कि क्रेता (वी एस एस सी) सीमा शुल्क की छूट प्राप्त करने के लिए पात्र था और संविदाकार (कंपनी), मांगे जाने पर क्रेता द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र के प्रति छूट प्राप्त कर सकती थी। कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि माल छूट प्राप्त करके निकाले गए थे या तो आदेश देते समय या फिर माल की प्राप्ति पर वी एस एस सी से सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्र (सी डी ई सी) प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की।

कंपनी ने सीमा शुल्क के रूप में ₹89.33 लाख तथा ₹40.92 लाख की अदायगी करने के पश्चात् सामान निकाले। शुल्क की अदायगी करके माल निकालने की कंपनी की कार्रवाई विवेकपूर्ण नहीं थी, क्योंकि पहले अदायगी और बाद में प्रतिदाय का दावा करने के बजाय कंपनी को छूट का लाभ उठाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने वी एस एस सी को दोनों क्रयादेशों के लिए सी डी ई सी जारी करने के लिए केवल दिसंबर 2012 में अनुरोध किया, जो प्राप्त अंतिम सामान के लिए सीमा शुल्क की अदायगी के एक वर्ष के बाद थे। जनवरी 2013 में वी एस एस सी से सी डी ई सी प्राप्त हुआ था।


अदा किए गए सीमा शुल्क के प्रतिदाय के लिए कंपनी द्वारा दावा सीमा शुल्क अदा करने की तिथि (सितम्बर 2011/दिसंबर 2011) से 18 महीने/15 महीने की अवधि के पश्चात् मार्च 2013 में किया गया था। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27 (1) में प्रतिदाय हेतु आवेदन देने के लिए एक वर्ष (व्यक्तिगत उपयोग के लिए या सरकार द्वारा या किसी शैक्षणिक, अनुसंधान या धर्मार्थ संस्थान द्वारा आयात के

मामले में) और अन्य मामलों में छः महीने का समय निर्धारित किया गया है। उनका दावा सीमा शुल्क विभाग द्वारा इस आधार पर लौटाया गया कि निर्धारण आदेश अंतिम हो चुका था तथा दावा कालबाधित था।

कंपनी ने स्वीकार किया (दिसंबर 2015) कि सम्मिलित विभागों के बीच उचित संपर्क से सीमा शुल्क की अदायगी और प्रतिदाय की परिणामी अस्वीकृति से बचा जा सकता था। उसने यह भी बताया कि ऐसा पहली बार था कि एक वी एस एस सी संविदा में सीमा शुल्क की छूट प्राप्त प्रदान की गई थी तथा कच्चे माल की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में सीमा शुल्क अदायगी से सीमा शुल्क छूटप्राप्ति में परिवर्तन के कारण प्रणाली में चूक हुई।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कंपनी प्रतिदाय का दावा करने के लिए संविदा की शर्तों एवं सीमा शुल्क अधिनियम में दी गई समय सीमा के बारे में अवगत थी और इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी को कोई हानि नहीं हो, उपाय करने चाहिए थे।

इस प्रकार, छूट का लाभ उठाने में विफलता और पहले अदायगी एवं बाद में प्रतिदाय का दावा करना, जो असफल रहा, के परिणामस्वरूप ₹1.30 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।



(पराग प्रकाश)

महानिदेशक लेखापरीक्षा
रक्षा सेवाएँ

नई दिल्ली
दिनांक: 31 मई 2016

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली
दिनांक: 31 मई 2016

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

(पैराग्राफ 1.11 के संदर्भ में)

बकाया ए टी एन की स्थिति

रक्षा मंत्रालय - आयुध निर्माणी बोर्ड को छोड़कर

(i) दस वर्षों से अधिक तक लंबित

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. और वर्ष	पैरा सं.	विषय
1.	1989 की सं. 2	11**	155 मि.मी. टोव्ड गन सिस्टम तथा गोलाबारूद का क्रय तथा लाइसेंस उत्पादन
2.	1990 की सं.12	9**	(क) 155 मि.मी. गन सिस्टम की खरीद तथा लाइसेंस उत्पादन (ख) कांउटर ट्रेड के लिए बोफोर्स के साथ संविदा
3.	1991 की सं. 8	13*	केंन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा
4.	1993 की सं. 8	29*	पर्वतारोहण उपकरणों और क्रीडा मर्दों का आयात
5.		31*	संरोध प्रभारों का परिहार्य भुगतान
6.	1998 की सं. 7	32*	घटिया सिलिंडरों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय
7.	2001 की सं. 7	15**	अपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति
8.	2001 की पी ए प्रतिवेदन सं. 7 ए	@ संपूर्ण प्रतिवेदन (42 पैराओं में से 8 के लिए ए टी एन पहली बार प्राप्त होना अभी बाकी है)	ऑपरेशन विजय (थल सेना) के लिए अधिप्राप्ति की समीक्षा
9.	2003 की सं. 6	14*	कार्मिकों की अनियमित भर्ती
10.	2004 की सं. 6	3.2*	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां/बचतें
11.	2005 की सं. 6	3.2*	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां/बचतें
(ii) 5 वर्षों से अधिक और 10 वर्षों तक लंबित			
12.	2007 की प्रतिवेदन सं. 4	3.3**	शैक्षणिक संस्थान चलाने हेतु रक्षा परिसंपत्तियों एवं लोक निधि का अप्राधिकृत उपयोग
13.		3.5*	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां/बचतें
14.	2008 की पी.ए. प्रतिवेदन सं. पी ए 4	अध्याय I**	थल सेना में सामान्य भंडारों तथा पोशाक का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
15.	2008-09 की प्रतिवेदन सं. सी ए 17	2.7*	सेना गोल्फ क्लब द्वारा अधिभुक्त भूमि के पट्टे का अनवीनीकरण
16.		3.4*	आर्मी वेलफेयर एज्युकेशन सोसाइटी द्वारा ए-1 रक्षा भूमि का अनधिकृत उपयोग

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. और वर्ष	पैरा सं.	विषय
17.		3.5*	गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए सरकारी परिसंपत्तियों का उपयोग
(iii) 3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक लंबित			
18.	2010-11 की प्रतिवेदन सं. 12	2.1**	एस एम ई आर सी एच मल्टी बैरल रॉकेट लांचर सिस्टम का त्रुटिपूर्ण आयात
19.		3.6*	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां/बचतें
20.	2010-11 की पी ए प्रतिवेदन सं. 6	स्टैंड एलॉन प्रतिवेदन***	भारतीय सेना में राशन का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
21.	2010-11 की पी ए प्रतिवेदन सं. 14	स्टैंड एलॉन प्रतिवेदन*	कैन्टीन भण्डार विभाग
22.	2010-11 की पी ए प्रतिवेदन सं. 35	स्टैंड एलॉन प्रतिवेदन*	रक्षा संपदा प्रबंधन
23.	2011-12 की पी ए प्रतिवेदन सं. 11	संपूर्ण प्रतिवेदन*	आदर्श सहकारी आवास सोसाइटी, मुंबई पर विशेष प्रतिवेदन
24.	2011-12 की प्रतिवेदन सं. 24	3.1**	उच्चतर दरों की स्वीकृति के कारण अतिरिक्त व्यय
25.		3.14*	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां/बचतें
26.		5.2**	संस्वीकृति के बारह वर्षों के बाद भी पुल का निर्माण पूर्ण न होना
(iv) 3 वर्षों तक लंबित			
27.	2012-13 की प्रतिवेदन सं. 16	2.1*	सरकारी भूमि के पट्टे के नवीनीकरण पर राजस्व की हानि
28.		3.1**	आर्मी वेलफेयर एज्युकेशन सोसाइटी के हितार्थ रक्षा संपत्तियों एवं जनशक्ति का अनधिकृत उपयोग
29.	2012-13 की पी ए प्रतिवेदन सं. 18	संपूर्ण प्रतिवेदन**	रक्षा सेवाओं की चिकित्सा स्थापनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा
30.	2013 की प्रतिवेदन सं. 30	2.1*	रक्षा भूमि का गलत प्रबंधन
31.		2.3**	टैंको में वातानुकूलकों का अप्रवर्तन
32.		2.5*	प्रभावकारी नियंत्रणों के अभाव के परिणामस्वरूप बकाया राशियों की गैर-वसूली
33.		3.6**	रक्षा आवास का अनधिकृत उपयोग
34.		3.7*	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां, बचतें तथा लेखाओं में समायोजन
35.		4.4*	ठेकेदारों को वृद्धि प्रभारों का अस्वीकार्य भुगतान

क्रम सं.	प्रतिवेदन सं. और वर्ष	पैरा सं.	विषय
36.	2014 की प्रतिवेदन सं. 35	2.1***	टाट्टा वाहनों के स्वदेशीकरण में अत्यधिक विलंब
37.		2.2***	₹27.32 करोड़ के अस्वीकार्य उपस्करों की अधिप्राप्ति
38.		2.3***	युनाइटेड सर्विस क्लब, मुंबई द्वारा रक्षा भूमि के अनधिकृत उपयोग के कारण राजस्व की हानि
39.		2.4**	रक्षा पट्टाभूमि पर अनियमित निर्माण
40.		2.6***	कैन्टीन भण्डार विभाग द्वारा बैंडविड्य प्रभारों के भुगतान पर निष्फल व्यय
41.		3.1***	रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी तथा नाभिकीय (सी बी आर एन) उपस्करों की अधिप्राप्ति में ₹88.39 करोड़ का निरर्थक व्यय
42.		3.2*	वैधता अवधि के अंदर चाय की अधिप्राप्ति हेतु निविदा स्वीकार करने में विफलता के कारण ₹2.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय
43.		3.3***	फील्ड फायरिंग रेंज से धातु स्क्रेप का संग्रहण न करने के कारण राजस्व की हानि
44.		3.6**	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां, बचतें और लेखाओं में समायोजन
45.		4.1**	अधिक निवास यूनिटों के निर्माण पर परिहार्य व्यय
46.		4.2**	ठेकेदार को खाली स्थल सौंपने में अत्यधिक विलंब के कारण वृद्धि प्रभारों का परिहार्य भुगतान
47.		4.3**	अनुपयुक्त स्थल के चयन के परिणामस्वरूप ₹5.49 करोड़ व्यय करने के पश्चात् कार्य का पूर्व समापन
48.		5.2***	अव-मृदा की जांच किए बिना पुल निर्माण करने के परिणामस्वरूप ₹0.75 करोड़ की हानि
49.		7*	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा सहायता अनुदान योजना
50.	2015 की पी ए प्रतिवेदन सं. 19	संपूर्ण प्रतिवेदन***	भारतीय थल सेना में गोला-बारूद प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

* लेखापरीक्षा द्वारा ए टी एन की जांच की गई, परंतु लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आलोक में मंत्रालय द्वारा अभी संशोधन किया जाना है- 23

** लेखापरीक्षा द्वारा ए टी एनों की जांच की गई, परंतु मंत्रालय से अंतिम रूप दिए गए ए टी एनों की प्रति प्रतीक्षित हैं- 17

*** की गई कार्रवाई की टिप्पणियां पहली बार के लिए भी प्राप्त नहीं हुईं- 09
@ आंशिक ए टी एन प्राप्त हुईं- 01

अनुलग्नक-II

2 पैराग्राफ).1.(के संदर्भ में 2

डी जी आर के निदेशालय और उनके दायित्व

क्र .सं.	निदेशालय	दायित्व
1	डी आर जैड	अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सुरक्षा एजेंसियों ई एस एम कोयला परिवहन , कंपनियों तथा डी जी आर पुनर्वास पाठ्यक्रम आयोजित करने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करना और डी जी आर को उसकी प्रतिपुष्टि प्रदान करना। डी जी आरद्वारा सूचीबद्ध सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा कवर लेने के लिए पी एस यू तथा अन्य के साथ संपर्क करना। ई एस एम तथा आश्रितों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सैनिक बोर्डों द्वारा पहचान और (आर एस बी) सिफारिश की गई प्रशिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करना।
2	प्रशिक्षण	सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त होने वालेसेवानिवृत्त कार्मिकों को असैनिक जीवन / आयोजन करना ,में उनके पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनकी निगरानी करना।
3	रोज़गार	मुक्त अथवा सेवानिवृत्त नियमित अधिकारियों तथा अधिकारियों जो युद्ध में मारे गए थे या सेवा के दौरान दिवंगत हो गए थेको रोज़गार प्राप्त करने में , सहायता प्रदान करना।
4	स्वरोज़गार	पण्य वस्तुओं के चयनित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उपक्रमों और फुटकर दुकानों स्टॉकिस्टशिप के माध्यम से/डीलरशिपों/विक्रेता स्टालों की एजेंसियों/ लघुछोटे व्यवसाय उद्यमों को स्थापित करने /घरेलू उद्योगों/ग्रामीण/कुटीर/ में परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना।
5	उद्यमकर्ता तथा ऋण ई एंड एल) (.निदे	सरकार तथा निजी क्षेत्रों की उद्यम योजनाओं के संबंध में डी जी आर के ई एंड एल निदेशालय की भूमिका संबद्ध ई एस एम को इसके बारे में प्रचार और मार्गदर्शन तक सीमित है।
6	सांख्यिकी एवं अभिलेख	रोज़गार सहायता हेतु उनके नाम पंजीकृत करने की दृष्टि से जिला सैनिक बोर्डों तथा अभिलेख कार्यालयों के माध्यम से ई एस एम और सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के जीवन वृत्त का संग्रहण करना।
7	प्रचार	केंद्रीय तथा राज्य सरकार पी एस यूस्थानीय निकायों तथा देश के अन्य , संगठनों द्वारा ई एस एम को दी जाने वाली रियायतों और सुविधाओं के संबंध में सूचना का रक्षा सेवा कार्मिकों और ई एस एम के बीच प्रसार करना।
8	सूचना प्रौद्योगिकी	डी जी आर के राष्ट्रीय पोर्टल का रखरखावडी जी आर के प्रकार्य का एकीकरण , का अनुरक्षण। (एल ए एन) सुगम बनाने हेतु कार्यात्मक लैन
9	प्रशासन एवं समन्वय	बजटप्रशासनिक मामले और संबद्ध , कार्यकलाप।

अनुलग्नक-III

2 पैराग्राफ).1.8. 2(ख)के संदर्भ में (

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों का विवरण

क्र . .सं	सी आई एल सहायक कंपनी का नाम	सी आई एल सहायक कंपनी का स्थान	अभ्युक्तियां
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम सी एल)	संभलपुरउड़ीषा ,	प्रायोजन किया जा रहा है
2	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस ई सी एल)	बिलासपुर , छत्तीसगढ़	प्रायोजन किया जा रहा है
3	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू सी एल)	नागपुरमहाराष्ट्र ,	प्रायोजन किया जा रहा है
4	दामोदर वैली कार्पोरेशन डी) (वी सी	पश्चिम बंगाल	आगे कोई प्रायोजन नहीं किया जा रहा
5	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी सी सी एल)	धनबादझारखंड ,	से कोई 2009 प्रायोजन नहीं
6	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी सी एल)	रांचीझारखंड ,	से कोई 2009 प्रायोजन नहीं

अनुलग्नक-IV

पैराग्राफ 2.1.8. 2(ग)के संदर्भ में (

रक्षा कार्मिकों के संबंध में आरक्षण में किए गए संशोधन का विवरण

तेल कंपनी का नाम	पुस्तिकाआदेश / जारी करने की तिथि	फुटकर दुकानएल पी / जी का नाम	रक्षा कार्मिकों के संबंध में आरक्षण में किए गए संशोधन का सार
तेल कंपनियों आई ओ सी) एच पी ,एल सी एल तथा (बी पी सी एल	अक्टूबर 2010	नियमित एल पी जी वितरक	सरकारी कार्मिक वर्ग के लिए 18% आरक्षण , राज्य सरकार तथा /केन्द्रीय ,जिसमें रक्षा कार्मिक राज्य पी एस यू के कर्मचारी शामिल /केन्द्रीय हैं।
तेल कंपनियों आई ओ सी) एच पी ,एल सी एल तथा (बी पी सी एल	अप्रैल 2011	नियमित एल पी जी वितरक	-यथा उपरोक्त-
		राजीव गांधी ग्रामीण एल पी जी वितरक आर जी जी) एल वी(संयुक्त वर्ग के लिए 25% आरक्षणजिसमें रक्षा , ,सरकारी कर्मचारी/पुलिस/अर्द्ध सैनिक ,कार्मिक शारीरिक विकलांगता से युक्त कार्मिक तथा उत्कृष्ट खेल कार्मिक शामिल हैं।
आई ओ सी एल	मार्च 2012	पेट्रोलडीज़ल / फुटकर दुकान	8% की आरक्षण प्रतिशतता और रक्षा कार्मिक वर्ग के लिए प्राथमिकता को एक समान रखा गया।
तेल कंपनियों आई ओ सी) एच पी ,एल सी एल तथा (बी पी सी एल	अगस्त 2013	नियमित एल पी जी वितरक	आरक्षण :- क) सामान्य वर्ग (ओ)- 50.5% ख) अ - वर्ग .व .अ/.जा .22.5% ग) अ - वर्ग .व .पि .27% उपर्युक्त मेंराज्य सरकार /केन्द्रीय ,रक्षा कार्मिकों , राज्य पी एस यू के कर्मचारियों से /और केन्द्रीय वर्ग -युक्त सरकारी कार्मिकों के लिए सृजित उप :निम्न प्रकार हैं सामान्य वर्ग -4% अ - वर्ग .व .अ/.जा .2% तथा अ - वर्ग .व .पि .2% जिसका कुल जोड़ 8% था।
एच पी सी एल	मई 2014	फुटकर दुकान डीलर	सामान्य वर्ग -4%, अ - वर्ग .व .अ/.जा .2% तथा अ - वर्ग .व .पि .2% के अंतर्गत रक्षा कार्मिकों , राज्य सरकार तथा /अर्द्ध सैनिक कार्मिकों केन्द्रीय राज्य पी एस यू के कर्मचारियों के /केन्द्रीय 8 संयुक्त वर्ग का कुल जोड़% था।

अनुलग्नक-V

2 पैराग्राफ).1.8. 2(ग(के संदर्भ में (

तेल उत्पाद एजेंसियों/एल पी जी वितरण योजना के अंतर्गत ई एस /
आश्रितों को डी जी आर द्वारा जारी किए गए पात्रता प्रमाणपत्रों का /विधवाओं/एम
विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	ई एस एम आश्रितों को डी जी आर/विधवाओं/ द्वारा जारी किए गए पात्रता प्रमाणपत्रों की संख्या				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	पेट्रोल) डीज़ल फुटकर दुकान डीलर/8% रक्षा कोटा(483	315	63	शून्य	03
2	नियमित एल पी जी वितरण योजना (शहरी क्षेत्रों के लिए)	शून्य	42	52	138	59
3	राजीव गांधी ग्रामीण एल पी जी वितरण योजना	50	60	32	10	03
	कुल	533	417	147	148	65

अनुलग्नक-VI

3 पैराग्राफ). (के संदर्भ में 4

लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली

क्रम संख्या	इकाई/फार्मेशन		अधिक भुगतानगैर वसूली / की प्रकृति	राशि जिसके लिए आपत्ति की गई (राशि ₹ में)	स्वीकृत राशि (राशि ₹ में)	वसूली की गई राशि (राशि ₹ में)
1.	मुख्यालय पी सी डी ए नई दिल्ली	(i)	उपस्करों की आपूर्ति में देरी के कारण हुई वसूली	--	यू एस डी 74770 (3476805)	4650694
		(ii)			यू एस डी 49604 (6932845)	6932845
		(iii)			एस ई के 40000.38 (363094)	363094
		(iv)			एस ई के 496829.42 (4840360)	4839207
		(v)			यू एस डी 31675.423 (1939656)	1939656
2.	कमान कार्यालय चेन्नई पी सी डी ए एस सी पुणे	i)	विदेश मंत्रालय से प्रशिक्षण और रहन शुल्क की वसूली 1)\$ प्रयुक्त परिवर्तन 1 यू एस \$ = ₹(45	761200\$ 34254000	851805\$ 38331225	20478312
		ii)	विदेश मंत्रालय से प्रशिक्षण और रहन शुल्क की वसूली	266330072	266330072	290195350
3	सी एस डी प्रधान कार्यालय मुम्बई	i)	दरों का गलत संशोधन	858398	858398
		ii)	विद्युत प्रभारों/लाइसेंस शुल्क की अनियमित प्रतिपूर्ति तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते का अतिरिक्त भुगतान	843369	444540	444540
		iii)	पात्र अधिकारियों के निवास पर लैंडलाइन मोबाइल / कनेक्शन के संदर्भ में अतिरिक्त टेलीफोन शुल्क की प्रतिपूर्ति	105600	105600
		iv)	कीमत में कमी के कारण आपूर्तिकर्ताओं से दरों में अंतर की पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वसूली	144339	144339

		v)	डेबिट नोट को गलत जारी करने के कारण फर्म से अल्पवसूली	5025653	5025653	5025653
		vi)	मूल्य में कमी के कारण फर्म से अल्पवसूली	1433951	1433951	1433951
		vii)	मूल्य में संशोधन और दरों में अंतर की गैर वसूली	388031	388031	388031
		viii)	पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कीमतों के गैर संशोधन की वजह से फर्म को अनुचित लाभ	10317153	884416	884416
		ix)	कीमत में अस्थाई कटौती के अनुसमर्थन में देरी)मेसर्स पेरनोद रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई(...	204804	204804
		x)	सीएसडी में कम कीमत पर मर्दों का पुनःप्रवर्तन	347325	347325	347325
		xi)	सीएसडी के लिए कम कीमत का विस्तार किया जाना, कीमत में कमी के अनुसमर्थन में देरी, टी ए डी ए समायोजन बिल, स्टाफ कार के उपयोग में अनियमितताओं व प्रतिपूरक भत्ते का अनियमित भुगतान करने के कारण हुई वसूली	---	184350	184350
					
4	पी सी डी ए (ओ) पुणे	i)	परिवहन भत्ते के अनियमित भुगतान के कारण वसूली	912068	866380	669396
		ii)	योग्यता अनुदान के अनियमित भुगतान के कारण वसूली	726373	589240	584674
		iii)	बाल शिक्षा भत्ता के अनियमित भुगतान के कारण वसूली	406622	360421	346942
		iv)	छुट्टी एलटीसी के / नकदीकरण के कारण वसूली	4281222	4012889	4012889
		v)	अन्य भत्तों के कारण वसूली	3954497	3920436	3851092
5	सी डी ए सिकन्दराबाद	i)	परिनिर्धारित हर्जाने की गैर वसूली	297430	297430	297430

		ii)	लामबंदी अग्रिम पर ब्याज की वसूली	2411929	2465718	1535653
		iii)	परिनिर्धारित हर्जाने/ आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान सुविधा अनुदान // परिनिर्धारित हर्जाने के कारण वसूली	107039	107570	107570
6	पी सी डी ए एस सी पुणे	i)	एल टी सी/ डाउनटाइम भुगतान/ व्वसायिक कर पर टी डी एस /वी ए टी के अधिक भुगतान पर हुई वसूली	107978	109128	109128
7(i)	डी आई ए टी पुणे	I)	करों की गैर वसूली	...	106228	106228
7(ii)	एम आई आर सी अहमदनगर	ii)		96855	87929	87929
7(iii)	सी ई पी जेड पुणे	iii)		38387	38387	38387
7(iv)	जी ई काम्पटी	iv)		16425	16425	16425
8(i)	एच ई एम आर एल पुणे	i)		89504	89504	89504
8(ii)	सी ई नि0)) हैदराबाद	ii)	परिवहन भत्ते का अधिक भुगतान	18720	18720	18720
8(iii)	आपूर्ति डिपो (ए एस सी (जामनगर	iii)		10076	10076	10076
8(iv)	जी ई (एनपुणे (iv)		9592	5056	5056
9(i)	आर सी आई हैदराबाद	i)		वेतन एवं भत्तों का आधिक भुगतान	62640	2077792
9(ii)		ii)	2232047		811250	811250
9(iii)	एच ई एम आर एल पुणे	iii)	77256		55886	55886
9(iv)	वी आर डी ई अहमदनगर	iv)	18812		17165	17165
9(v)	डी आई ए टी पुणे	v)	6265		6265	6265
9(vi)	सी सी ई (आर एंड डी) सिकन्दराबाद	vi)	3360		58560	58560
10(i)	सी सी ई (आर एंड डी) सिकन्दराबाद	i)	अन्य भत्तों की गैर वसूली	-	102342	102342

10(ii)	मुख्यालय आर्टि केंद्र हैदराबाद	ii)		-	231138	231138
10(iii)	मुख्यालय 2 एस टी सी गोवा	iii)		943180	943180	915121
10(iv)	पी ए ओ जी आर ई एफ पूणे	iv)		30964	23988	23988
10(v)	पी ए ओ (ओ आर) गार्ड काम्पटी	v)		-	10653	10653
11(i)	एम आई आर सी अहमदनगर	i)	विविध वसूली	58678	65098	65098
11(ii)	एम सी ई एम ई सिकन्दराबाद	ii)		-	45892	45892
11(iii)	मुख्यालय आर्टि केंद्र हैदराबाद	iii)		4483	4483	4483
11(iv)	सी डी ए (आर एंड डी) हैदराबाद	iv)		-	5316	5318
12	पी ए ओ जी आर ई एफ पुणे		परिवहन भत्ते/क्षेत्र भत्ते का अनियमित भुगतान	63247	63247	69752
13	पी ए ओ (ओ आर) ई एम ई सिकंदराबाद		पुनर्वास पाठ्यक्रम पर कार्मिकों को सी एम एफ ए के भुगतान के कारण वसूली	70621	73882	73382
14	डी जी एम ए पी		ब्याज का गैर लेखांकननिगरानी/	3149380	3149380
	कुल			335995824	353082018	358657561

यानी ₹ 35. करोड़ 87

अनुलग्नक-VII

3 पैराग्राफ).(के संदर्भ में 4

लेखापरीक्षा के कहने पर बचतें

क्रम संख्या	इकाई/फार्मेशन	लेखापरीक्षा द्वारा बतायी गई अनियमितता की प्रकृति	इकाइयों द्वारा किए गए उपचारी उपाय	सम्मिलित राशि)₹ लाख में(
1	मुख्यालय आन्धा उप क्षेत्र, सिकंदराबाद	जी ओ सी आन्धाउप , क्षेत्र को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से बढ़कर कार्य समावेश	ए/ए निरस्त	8.00
2	जी ई (एस) सिकंदराबाद	विशेष कार्य मद के बजाय अधिकृत रूप से काम की संस्वीकृति	ए/ए निरस्त	1.99
		अतिरिक्त डायनिंग हॉल के प्रावधान के लिए अनियमित संस्वीकृति	ए/ए निरस्त	1.49
3	जी ई पानाजी	जी ओ सी सी की-इन-संस्वीकृति के बिना सड़क का प्रावधान	ए/ए निरस्त	1.97
4	मुख्यालय पुणे उप क्षेत्र	एस एस टी ए एवं खेल परिसर में भण्डार घर के प्रावधान के लिए अनियमित संस्वीकृति	संस्वीकृति निरस्त	14.64
		एस एस टी ए एवं खेल परिसर में दो मीटर 16 उच्च मस्तूल प्रकाश के प्रावधान के लिए अनियमित संस्वीकृति	संस्वीकृति निरस्त	9.51
		एस एस टी ए एवं खेल परिसर की उत्तर दिशा में मीटर सुरक्षा दीवार 230 का अनियमित प्रावधान	संस्वीकृति निरस्त	14.79

क्रम संख्या	इकाई/फार्मेशन	लेखापरीक्षा द्वारा बतायी गई अनियमितता की प्रकृति	इकाइयों द्वारा किए गए उपचारी उपाय	सम्मिलित राशि)रु लाख में(
5	पी सी डी एपुणे (एस सी)	सी ओ डी मुम्बई में गार्ड पोस्ट संख्या के समीप 2 चेन लिंक फेन्सिंग के प्रावधान के लिए अनियमित संस्वीकृति	ए/ए निरस्त	1.99
		ए एस सी बी 414एन विपणन टी)एकैम्पटी के (मुख्य कार्यालय के पीछे सुरक्षा बाड़ लगाने के प्रावधान के लिए अनियमित संस्वीकृति	ए/ए निरस्त	1.90
		सी जी ई आई एस का अधिक भुगतान	राशि प्रतिबंधित	0.22
6	पी सी डी एपुणे (ओ)	टर्मिनल उपदान दावोंपी) के (एस के माध्यम से कारण बचतें	दावों में संशोधन किया गया	22.76
		टर्मिनल उपदान दावों के कारण बचत)टी ए ओ एस के माध्यम से(दावों में संशोधन किया गया	25.24
7	डी आर डी एल हैदराबाद	निःशुल्क जारी सामग्री के जारी (एफ आई एम) किए जाने के कारण बचत	संशोधित आपूर्ति आदेश के लिए टी पी सी अनुशंसा का निरस्त किया गया	731.85
		कुल		836.35

यानी रु8.करोड़ 36

अनुलग्नक-VIII

3 पैराग्राफ).(के संदर्भ में 4

लेखापरीक्षा के कहने पर वार्षिक लेखाओं में समायोजन

क्रम संख्या	इकाई/फार्मेशन	लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अनियमितता की प्रकृति	इकाइयों द्वारा किए गए उपचारी उपाय	सम्मिलित राशि)₹ करोड़ में(सम्मिलित राशि का निवल प्रभाव 50 अर्थात् (प्रतिशत)₹ करोड़ में(
1	सी एस डीप्रधान , मुम्बई ,कार्यालय	वर्ष 2013-में सी एस डी के वार्षिक लेखाओं 14 'में संशोधन के कारण बचत	2013-के 14 वार्षिक लेखे तदनुसार संशोधित किए गए	281.00	140.50	
		वर्ष 2012-के दौरान माल 13 ढुलाई शुल्क, कार्यालय व्यय, विविध लेनदारों का कम प्रावधान				₹42.करोड़ 42
		वर्ष 2012- के लिए 13क्लोजिंग-स्टाक और वैट की वसूली में परिसंपत्तियों की अत्युक्ति				₹80.करोड़ 45
		वर्ष 2013-14 के दौरान माल ढुलाई शुल्क, कार्यालय व्यय, विविध लेनदारों का कम प्रावधान				₹104.करोड़ 8
		वर्ष 2013-14 के लिए क्लोजिंग-स्टाक और वैट की वसूली में परिसंपत्तियों की अत्युक्ति				₹53.करोड़ 25
		कुल				₹281.करोड़ 00

यानी ₹140.

करोड़ 50

अनुलग्नक-IX

(पैराग्राफ 7.1.2 में संदर्भित)

उत्पादन लागत एवं मुद्दों के मूल्य का विवरण

	एम एण्ड सी	डब्लू वी एण्ड ई	ए एण्ड ई	ए वी	ओ ई एफ	कुल
उत्पादन लागत						
2012-13	2,363.68	3,693.91	5,285.98	3,515.71	1,113.16	15,972.44
2013-14	2,286.95	3,655.37	5,517.54	2,930.54	1,246.27	15,636.67
2014-15	2,518.20	4,084.51	6,017.46	2,536.31	1,319.25	16,475.73
मुद्दों का मूल्य						
2012-13	2,516.28	4,109.93	5,540.77	3,836.42	1,115.90	17,119.30
2013-14	2,382.40	3,966.44	5,584.44	2,926.91	1,261.91	16,122.10
2014-15	2,638.65	3,937.18	6,128.84	2,519.04	1,402.66	16,626.37
2014- के मूल्य का वर्गीकरण 15 सीके प्रतिशत के साथ .पी.ओ.)						
पदार्थ	1,177.50	2,160.55	3,900.75	1,488.40	542.18	9,269.38
	(46.76%)	(52.90%)	(64.82%)	(58.68%)	(41.10%)	(56.26%)
श्रम	311.29	493.87	536.10	260.70	357.27	1,959.23
	(12.36%)	(12.09%)	(8.91%)	(10.28%)	(27.08%)	(11.89%)
प्रत्यक्ष व्यय	111.82	46.63	67.85	42.28	5.25	273.83
	(4.44%)	(1.14%)	(1.13%)	(1.67%)	(0.40%)	(1.66%)
एफ.एच.ओ.	635.39	945.20	1,167.19	550.90	309.86	3,608.54
	(25.23%)	(23.14%)	(19.40%)	(21.72%)	(23.49%)	(21.90%)
वी.एच.ओ.	282.20	438.26	345.57	194.03	104.69	1,364.75
	(11.21%)	(10.73%)	(5.74%)	(7.65%)	(7.94%)	(8.28%)
कुल	2,518.20	4,084.51	6,017.46	2,536.31	1,319.25	16,475.73
सूची स्थिति						
मौजूदा भंडार	530.86	1,055.61	2,489.52	1,662.59	167.08	5,905.66
डब्लू आई पी	441.37	901.82	1,206.03	1,186.31	81.41	3,816.94
तैयार माल	338.80	373.53	234.01	704.69	47.27	1,698.30
मार्गस्थ भंडार	59.06	177.18	527.73	121.17	1.37	886.51
कुल	1,370.09	2,508.14	4,457.29	3,674.76	297.13	12,307.41
स्त्रोत : 2014 -के लिए आयुध निर्माणियाँ का वार्षिक लेखा 15						

अनुलग्नक-X

8 पैराग्राफ).1.(के संदर्भ में 2

डी पी एस यू के साथ किए गए अनुबंधों का विवरण

क्र . .सं	अनुबंध निम्नलिखित के लिए	अनुबंध की तिथि	डी पी एस यू का नाम	मात्रा	लागत)र करोड़ में(पी डी सी
1	उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर (शस्त्र प्रणाली एकीकृत)	-दिसंबर 26 07	मैसर्स एच ए एल	60	6257.69	2016 मार्च 31
2	कॉन्कुरसमिसाइल -	-मार्च 2808	मैसर्स बी डी एल	15140	1377.49	2012 मार्च 31
3	स्ट्राईक कोर के यू) के लिए (बैंड परिवहनीय उपग्रह (टी एस टी) टर्मिनल	-जून 409	मैसर्स बी ई एल	30	36.2	2010 जून 30
4	बी एम पी -2/2 के के लिए तात्कालिक अग्नि संस्चन तथा दमन प्रणाली आई एफ डी) (एस एस	-फरवरी 22 10	मैसर्स बी ई एल	2551	187.83	2012 फरवरी 29
5	निगरानी और जामिंग (एस यू जे ए वी) प्रणाली	-मार्च 3110	मैसर्स बी ई एल	6	99.68	2011 सितंबर 30
6	युद्धक्षेत्र निगरानी रडार लघु (बी एफ एस आर) (एस आर) परास	-नवंबर 909	मैसर्स बी ई एल	177	74.5	2010 अगस्त 11
7	आर्मर हेतु युद्धक्षेत्र निगरानी रडार बी एफ) एसआरमध्यम () मीटर (एम आर) परास मस्तूल और एच एम वी	- मार्च 3010	मैसर्स बी ई एल एवं मैसर्स बी ई एम एल	15+15+15	46.8	बी एफ एस आर के लिए मार्च 29 2011
8	सर्वत्र पुल प्रणाली के सीमित श्रेणी उत्पादन श्रेणी में (एल एस पी) संशोधन	-जुलाई 2610	मैसर्स बी ई एम एल	4	12.27	2011 अक्टूबर 20
9	एम सी सी एस हेतु एस टी एस यू	-दिसंबर 15 10	मैसर्स बी ई एल	5000	10.77	2011 अप्रैल 14

क्र . .सं	अनुबंध निम्नलिखित के लिए	अनुबंध की तिथि	डी पी एस यू का नाम	मात्रा	लागत)₹ करोड़ में(पी डी सी
10	त्रिविमितीय सामरिक नियंत्रण)3 डी टी सी (रडार	-मार्च 2311	मैसर्स बी ई एल	29	1438.69	2014 मई 31
11	शिल्का अपग्रेड	- मार्च 2511	मैसर्स बी ई एल	48	748.19	बी पी सी के 42 महीने के अंदर
12	आकाश शस्त्र प्रणाली	-मार्च 2311	मैसर्स बी डी एल	रेजिमेन्ट 2	14180.46	2013-19
13	युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली (बी एस एस) -चरण2 परियोजना) (संजय	-मार्च 2811	मैसर्स बी ई एल	86	2539	2013 फरवरी 28
14	कमान सूचना तथा निर्णय सहायता प्रणाली (सी आई डी एस एस) -चरण2 परियोजना) (संवाहक	-मार्च 2511	मैसर्स बी ई एल	171	905	2013 सितंबर 24
15	बक्तरबंद रिकवरी वाहन डब्ल्यू (ए आर वी) -जैड टी3 श्रेणी	-अक्टूबर 31 11	मैसर्स बी ई एम एल	204	1400.85	30/10/ से 2012 30/08/2014
16	अग्रवर्ती प्रेक्षक सिम्युलेटर	-फरवरी 29 12	मैसर्स बी ई एल	50	20.61	2013 फरवरी 28
17	निम्न तीव्रता मुठभेड़ (एल आई सी) ई) इलैक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली (डब्ल्यू	-जुलाई 1211	मैसर्स बी ई एल	1	188	2013 जनवरी 12
18	सर्वत्र पुल	-मार्च 2612	मैसर्स बी ई एम एल	22	573.98	बी पी सी के 24 महीने के अंदर
			कुल		30,098.01	

अनुलग्नक-XI

(पैराग्राफ 8.1.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	शस्त्र तथा उपस्कर	अनुबंध की तिथि	पी डी सी	वर्तमान स्थिति (जुलाई 2015 तक)	आपूर्ति में विलंब (माह)	अनुबंध की लागत (₹ करोड़ में)	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	भुगतान (प्रतिशत में)
1	उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर (शस्त्र प्रणाली एकीकृत)	26 दिसंबर- 07	31 मार्च 2016	विक्रेता द्वारा 60 ए एल एच में से 7 की सुपुर्दगी की गई है, परंतु सेना द्वारा एक भी स्वीकार नहीं किया गया है।	कोई आपूर्ति नहीं	6257.69	3550.85	56.74
2	कॉन्कर्स- मिसाइल	28 मार्च- 08	31 मार्च 2012	जुलाई 2015 तक 11285 मात्रा की आपूर्ति की गई। पी डी सी को मार्च 2016 तक बढ़ाया गया।	48 महीने	1377.49	1233.13	89.52
3	स्ट्राइक कोर (के यू बैंड) के लिए परिवहनीय उपग्रह टर्मिनल (टी एस टी)	04 जून-09	30 जून 2010	जुलाई 2015 के अनुसार ए टी पी प्रगति पर है।	कोई आपूर्ति नहीं	36.2	23.18	64.03
4	बी एम पी- 2/2 के हेतु तात्कालिक अग्नि संसूचन तथा दमन प्रणाली (आई एफ डी एस एस)	22 फरवरी- 10	29 फरवरी 2012	फरवरी 2012 तक सुपुर्दगी पूरी हुई	कोई विलंब नहीं	187.83	161.04	85.74
5	निगरानी और जास्मिंग (एस यू जे ए वी) प्रणाली	31 मार्च- 10	30 सितंबर 2011	अप्रैल 2013 तक सभी प्रणालियों की सुपुर्दगी तथा चालूकरण हुआ	19 महीने	99.68	83.29	83.56
6	युद्धक्षेत्र निगरानी रडार (बी एफ एस आर) लघु परास (एस आर)	09 नवंबर-09	11 अगस्त 2010	अगस्त 2013 तक सुपुर्दगी पूरी हुई	36 महीने	74.5	83.94	112.67

क्र. सं.	शस्त्र तथा उपस्कर	अनुबंध की तिथि	पी डी सी	वर्तमान स्थिति (जुलाई 2015 तक)	आपूर्ति में विलंब (माह)	अनुबंध की लागत (₹ करोड़ में)	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	भुगतान (प्रतिशत में)
7	आर्मर के लिए युद्धक्षेत्र निगरानी रडार (बी एफ एस आर) मध्यम परास (एम आर), मीटर मस्तूल और एच एम वी	30 मार्च- 10	बी एफ एस आर के लिए 29 मार्च 2011	बी ई एल द्वारा आपूर्ति पूरी की गई, परंतु टाट्रा एच एम वी पर अभी चढ़ाया जाना है	कोई विलंब नहीं	46.8	40.02	85.51
8	सर्वत्र पुल प्रणाली के सीमित श्रेणी उत्पादन (एल एस पी) श्रेणी में संशोधन	26 जुलाई-10	20 अक्टूबर 2011	जून 2015 में सुपुर्दगी पूरी हुई	44 महीने	12.27	7.54	61.45
9	एम सी सी एस हेतु एस टी एस यू	15 दिसंबर-10	14 अप्रैल 2011	सुपुर्दगी अभी शुरू की जानी है	कोई आपूर्ति नहीं	10.77	0.93	8.64
10	त्रिविमितीय सामरिक नियंत्रण (3 डी टी सी) रडार	23 मार्च 11	23 मई 2014	फरवरी 2014 में बी पी सी प्रदान की गई थी तथा सात रडार सुपुर्द किए गए थे	एफ ओ पी एम में 24 महीने	1438.69	908.81	63.17
11	शिल्का अपग्रेड	25 मार्च-11	बी पी सी के 42 महीने के अंदर	अक्टूबर 2014 में बी पी सी प्रदान की गई थी	एफ ओ पी एम में 23 महीने	748.19	157.64	21.07
12	आकाश शस्त्र प्रणाली	23 मार्च-11	2013-2019	एफ ओ पी एम का वैधीकरण पूरा होने से पहले (जनवरी-15) 82 मिसाइलों की आपूर्ति की गई है और 31 जुलाई 2015 तक कोई भी मिसाइल भंडारण सुविधा हस्तांतरित नहीं की गई है	एफ ओ पी एम में 22 महीने	14180.46	5761.11	40.63
13	युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली (बी एस एस) चरण-2	28 मार्च-11	28 फरवरी 2013	प्रयोक्ता द्वारा सितंबर-15 तक बीटा जांच पूरी की जानी थी, बीटा जांच पूरी	कोई आपूर्ति नहीं	2539	345.89	13.62

क्र. सं.	शस्त्र तथा उपस्कर	अनुबंध की तिथि	पी डी सी	वर्तमान स्थिति (जुलाई 2015 तक)	आपूर्ति में विलंब (माह)	अनुबंध की लागत (₹ करोड़ में)	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	भुगतान (प्रतिशत में)
	(परियोजना संजय)			हो जाने के पश्चात्, वैधीकरण परीक्षण हेतु सिस्टम पर सॉफ्टवेयर पोर्ट किया जाएगा				
14	कमान सूचना तथा निर्णय सहायता प्रणाली (सी आई डी एस एस) चरण-2 (परियोजना संवाहक)	25 मार्च-11	24 सितंबर 2013	जुलाई-15 तक एस आई टी ई में सॉफ्टवेयर बिल्ड-1 का परीक्षण शुरू किया जाना था	कोई आपूर्ति नहीं	905	35.32	3.90
15	बक्तरबंद रिकवरी वाहन (ए आर वी) डब्ल्यू जैड टी-3 श्रेणी	31 अक्टूबर - 11	30.10.2012 से 30.08.2014	जुलाई 2015 तक आपूर्ति शुरू नहीं हुई	कोई आपूर्ति नहीं	1400.85	280.17	20.00
16	अग्रवर्ती प्रेक्षक सिम्युलेटर	29 फरवरी-12	28 फरवरी 2013	फरवरी 2013 तक आपूर्ति पूरी हुई	कोई विलंब नहीं	20.61	23.46	113.83
17	निम्न तीव्रता मुठभेड (एल आई सी) इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (ई डब्ल्यू) प्रणाली	12 जुलाई-11	12 जनवरी 2013	मार्च 2015 में प्रणाली की सुपुर्दगी तथा चालूकरण हुआ	26 महीने	188	140.51	74.74
18	सर्वत्र पुल	26 मार्च-12	बी पी सी के 24 महीने के अंदर	पायलट नमूना अभी सुपुर्द किया जाना था	कोई आपूर्ति नहीं	573.98	86.1	15.00
	कुल					30098.01	12922.93	42.94

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in